लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

18-6-92
4.1.84

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9—शुक्रवार, 25 फरवरी, 1966/6 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 9—Friday, February 25, 1966/Phalguna 6, 1887 (Saka)

श्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
208	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान माल का पकड़ा जाना	Seizure of Goods during Indo-Pak Hostilities	3527–29
209	अस्पृश्यता	Untouchability	3530–33
210	अमरीकी सहायता सामान को छोड़ना	Release of U. S. Aid Cargo .	3533–34
211	अनुसूचित जातियों का अनुसूची से निकाला जाना	De-Scheduling of Scheduled Castes	3535–37
212	अनुसन्धान तथा उद्योग सम्बन्धी सम्मेलन	Conference on Research and Industry	3538–39
213	भिखारियों को रोजगार	Employment to Beggars . .	3539–42

श्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
214	दिल्ली के लिये रिंग रेलवे	Ring Railway for Delhi	3543
215	देशी उत्पादन	Indigenous Production .	3543–44
216	म्योर मिल्स, कानपुर	Muir Mills, Kanpur . . .	3544–45
217	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car. .	3645
218	रेलवे फाटकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति	Manning of Railway level Crossings	3546
219	चेकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग	Collaboration with Czechoslovakia	3546–47
220	रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Railwaymen	3547
221	ट्रैक्टरों का मूल्य	Prices of Tractors . .	3547–48
222	सॉफ्ट कोक (कोयला) का प्रयोग	Use of Soft Coke . . .	3548
223	तीसरें दर्जे के यात्रियों के लिये सुविधायें	Facilities to Third Class Passengers	3548–49
224	विदेशी सहयोग	Foreign Colloboration . .	3549

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
225	सीमेन्ट निगम	Cement Corporation . . .	3549–50
226	सवारी गाड़ियों में रेलवे के सामान की चोरी	Theft of Railway Goods in the Passenger Trains . . .	3550
227	रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant	3551
228	सेलम इस्पात कारखाना	Salem Steel Plant . . .	3551–52
229	इण्डिया यूनाइटिड मिल्स, बम्बई	India United Mills, Bombay .	3552
230	संयुक्त अरब गणराज्य में जल शुद्धिकरण संयंत्र	Water Treatment Plant in U.A.R.	3552
231	नाइजीरिया में चीनी मिल	Sugar Mill in Nigeria . .	3553
232	बरौनी-कटिहार पार्सल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Barauni-Katihar Parcel Train. . . .	3553
233	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters . .	3554
234	स्कूटरों तथा साइकिलों के टायरों की कमी	Shortage of Scooter and Cycle Tyres	3554
235	दूसरे दर्जे के शयनमान (स्लीपर कोच)	Second Class Sleeper Coaches .	3554–55
236	इमारती लकड़ी तैयार करने से संबंधित जापानी शिष्टमंडल	Japanese Delegation on Timber Processing	3555
237	कपड़ा मिलों के पास कपडा जमा हो जाना	Accumulation of Cloth with Textile Mills	3556

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.			
870	गुडूर जंक्शन की इमारत	Building at Gudur Junction .	3556–57
871	रेलवे में प्रतिकर के मामले	Compensation Cases on Railways	3557
872	झाझा में रेलवे गोदाम	Railway Godown at Jhajha .	3557–58
873	नेवली तापीय बिजली घर	Neyveli Thermal Power Station.	3558
874	रेलवे विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से ऋण	Loan from the World Bank for Railway Development Programme	3558
875	गोविन्दसागर-जम्मू रेलवे लाइन	Govindsagar-Jammu Rail Line .	3559
876	कोचीन बंबई एक्सप्रेस गाड़ी	Cochin-Bombay Express Train .	3559
877	केरल में रेलवे वर्कशाप	Railway repair Workshops in Kerala	3559–60
878	प्रयाग रेलवे शनस्ट को जाने वाली सड़क की मरम्मत	Repair of Road to Prayag Railway Station	3560
879	बख्तीयारपुर जंक्शन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Bakhtiyarpur Junction	3560

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
880	वाराणसी में टाइप की मशीनें बनाने वाला कारखाना	Typewriter Factory in Varanasi	3561
881	खादी आयोग	Khadi Commission .	3561
882	खादी आयोग को ऋण	Loan to Khadi Commission .	3561–62
883	राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को ऋण	Loan to State Khadi and Village Industries Boards . .	3562
884	सघन-क्षेत्र योजना	Intensive Area Scheme	3562
885	ताड़ गुड़ का उत्पादन	Production of Tar Gur . .	3562–63
886	उप-उत्पाद हार्ड कोक का मूल्य	Price of By-product Hard Coke	3563
887	शल्य चिकित्सा में सिलाई के काम आने वाली तांत (कैटगंट) का मूल्य	Price of Surgical Catguts . .	3563–64
889	दिल्ली किशनगंज से रोहतक तक रेलवे लाइन का दोहरा करना	Doubling of Railway Line from Delhi-Kishanganj to Rohtak .	3564
890	मूंगफली की फसल	Groundnut Crop . .	3564
891	राजस्थान की बंजारा जाति	Banjara Community of Rajasthan	3564
892	तलाइमन्नार-धनुषकोटि नौका सेवा	Talaimanner-Dhanush Kodi Ferry Service	3565
893	विदेशों में भारतीय फर्मों द्वारा "टर्न की जांच" के टकों का लिया जाना	Turn Key jobs under taken by Indian Firms in Foreign countries	3565
894	बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel . .	3565–66
895	रेलवे स्टेशनों पर अश्लील साहित्य का विक्रय	Sale of Obscene Literature at Railway Station . . .	3566
896	ज़री का काम	Old Zari (Gold Thread) Embroidery	3566–67
897	लोकुर समिति के सदस्य को यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता	T.A. and D.A. to Members of Lokur Committee . . .	3567
898	खेतिहार हरिजन मजदूर	Harijan Agricultural Labourers .	3567
899	हरिजन	Harijans	3568
900	बच्चों के लिए अवकाश शिविर (होलिडे कैम्प)	Holiday Camps for Children	3568
901	पुस्तकों का आयात	Import of books .	3569
902	उद्योगों के लिए ब्रिटेन से ऋण	U. K. Loan for Industries .	3569
903	डिब्बों के दूध की कमी	Shortage of Baby Milk Food	3570
904	भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant .	3570–71
905	पांचवां इस्पात कारखाना	Fifth Steel Plant .	3571–72

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
906	दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant	3572
907	कोयले का मूल्य	Price of Coal . . .	3572–73
908	जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में रेलवे लाइन	Railway Line in Desert Area of Jaisalmer	3573
909	काली मिर्ची का निर्यात	Export of Pepper .	3574
910	बर्मा का व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from Burma .	3574
911	बोकारो परियोजना प्रतिवेदन	Bokaro Project Report .	3575
912	ईटें बनाने में प्रथम श्रणी के कोयले का प्रयोग	Use of Grade I Coal for Brick manufacturing	3576
913	स्कूटरों की बिक्री और वितरण नियंत्रण आदेश	Scooter Sale and Distribution Control Order	3576
914	प्रतिरक्षा के लिये रेलवे परिवहन की आवश्यकतायें	Defence Needs of Railway Transport	3576–77
915	रिरोलिंग मिलें	Re-rolling Mills	3577
916	बिजली से चलने वाली गाड़ियां	Electric Trains . . .	3578
917	दिल्ली-कोचीन सीधा जाने वाला सवारी डिब्बा	Delhi-Cochin through Coach	3578
918	केरल में उत्पादन केन्द्र	Production Centres in Kerala .	3578–79
919	ओलवक्कोट डिवीजन में रेलवे क्वार्टर	Railway Quarters in Olavakkot Division	3579
920	मीटर गेज जोन	Metre Gauge Zone . . .	3579
921	कोयना और कोरबा एल्यूमिनीयम परियोजना	Koyna and Korba Aluminium Project	3580
922	एक्सप्रेस तथा डाक गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of Express and Mail Trains	3580–81
923	बीकानेर-दिल्ली डाकगाड़ी की दुर्घटना	Bikaner-Delhi Mail Accident .	3581–82
924	प्लेट तथा जहाज परियोजना	Plate and Vessels Project .	3582
925	कटनी (मध्य प्रदेश) में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant at Katni, M.P. .	3582–83
926	रूस के साथ व्यापार समझौता	Trade Pact with USSR .	3583–84
927	आसाम में फालतू कोयला	Surplus Coal in Assam .	3584–85
928	पटसन की फसल	Jute Crop	3585
929	रेल की पटरियों पर मृत्यु	Deaths on Railway Track . .	3585–86
930	मुंगेर में बन्दूकों तथा राइफलों का निर्माण	Manufacture of Guns and Rifles in Monghyr . . .	3586

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
931	साहिबगंज और किउल के बीच शटल गाड़ी	Shuttle Train between Sahibganj and Kiul	3586
932	बम्बई-दिल्ली "डि-लक्स" गाड़ी के साथ जाने वाले टिकट परीक्षक	T.T. Es. attached to Bombay-Delhi Delux Train . .	3586–87
933	भिलाई इस्पात संयंत्र की बसों के पुर्जों की चोरी	Theft of Parts of Buses of Bhilai Steel Plant	3587
934	भिलाई कारखाने के कर्मचारियों के लिए बसों की संख्या	Number of Buses for Bhilai Plant Employees . .	3587–88
935	स्कूटर के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Scooter Parts .	3588
936	अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस रेल गाडी की दुर्घटना	Ahmedabad Delhi Express Train Accident	3589
937	भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी	Employees of Bhilai Steel Plant	3589
938	संसद् सदस्यों के लिये कारों का नियतन	Allotment of Cars to M.Ps.	3589–90
939	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में दुर्घटना	Accident at Durgapur Steel Plant	3590
940	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्	Handloom Export Promotion	3590–91
941	आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा के कपड़े का जमा हो जाना	Accumulation of Handloom Cloth in Andhra Pradesh . .	91
942	दांतेवाड़ा-भद्राचलम रेलवे लाइन	Dantewara-Bhadrachellam Railway Line	3591-92
943	हरियाणा एक्सप्रेस	Hariana Express . . .	3592
944	निर्यात संवर्धन	Export Promotion . . .	3592–93
945	रेलों के महाप्रबन्धकों (जनरल मैनेजरों) की बैटक	Meeting of General Managers of Railways	3593
946	रेलवे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्वदेशी सामान	Indigenous Material used by Railways	3593–94
947	बिहार में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Bihar	3594
948	रेलवे में मनोवैज्ञानिक परीक्षण	Psychological Test on Railway	3594–95
949	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से बिजली की बकाया रकम	Arrears of Electricity Due from Hindustan Steel Ltd. . .	3595
950	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to U.K.	3596
951	रेलवे में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency on Railways .	3596
952	उत्तर प्रदेश में लुग्दी (पल्प) कारखाना	Pulp Unit in U.P. . . .	3597
953	"मैसूर प्रिंसेस" नामक रेशम	Silk known as Mysore Princess .	3597
954	नेपा पेपर मिल	Nepa paper Mills . . .	3597–98

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
955	सीमेंट की बिक्री	Sale of Cement. .	3598-99
956	सीमेंट के कारखाने	Cement Factories . . .	3599
957	घड़ियों का निर्माण	Manufacturing of Watches .	3599–3600
958	तकनीकी विकास महानिदेशालय	Directorate General of Technical Development . . .	3600
959	समुद्र से पैदा होने वाली वस्तुये	Export of Marine Products . .	3600
960	जापानी कागज तथा लुगदी उद्योग मिशन	Japanese Paper and Pulp Industry Mission	3601
961	उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरण का निर्माण	Manufacturing of Tractors and other agricultural implements in U.P.	3601
962	रेलवे प्लेट फार्मों पर फेरी वाले	Hawkers vending on Railway Platforms	3601–02
963	फर्मों का काली सूची में रखा जाना	Black listing of Firms . .	3602
964	सूती कपड़े का व्यापार	Trade in Cotton Textiles .	3603
965	मैसूर में लोह अयस्क	Iron Ore in Mysore .	3603
966	रेलवे की भूमि	Railway Lands	3604
967	कपड़ा सम्बन्धी अध्ययन दल	Textile Study Team . . .	3604–05
968	चाय वित्त तथा प्रत्याभूति निगम	Tea Finance and Guarantee Corporation	3605
969	चाय बागान	Tea Plantations . . .	3605
970	ब्रिटन के साथ व्यापार	Trade with U.K. .	3605–06
971	कैमरा निर्माण कारखाना	Camera Plant . .	3606
972	वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme . .	3606–07
973	मद्रास में विश्व मेला	World Fair at Madras . .	3607
974	रेलवे के माल डिब्बे संयोजन करने (असेम्बलिंग) का कारखाना	Railway Wagon Assembling Plant	3607–08
975	ब्रिटेन से आयात	Imports from U.K. . .	3608
976	सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग संगठन	Public Sector Steel Industry Organisation	3608
977	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors . .	3609
978	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये दुर्लभ कच्चा माल	Scarce Raw materials for Small Scale Industries . . .	3609
979	दिल्ली-अम्बाला लाइन का दोहरा करना	Doubling of Delhi-Ambala Railway Line	3610
980	रेलवे लाइन का जम्मू तक बढ़ाना	Extension of Railway Line up to Jammu	3610
981	आयात-निर्यात संगठन का मुख्य नियंत्रक	Chief Controller of Imports and Exports Organisation . .	3611

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
982	"फ्लाइंग मेल" की दुर्घटना	Flying Mail Accident . .	3611–12
983	आसाम मेल को पटरी से उतारने का प्रयत्न	Attempt to Derail Assam Mail .	3612
984	व्यापार आचार संहिता	Code of Trading Practices .	3612–13
985	बम्बई-कल्याण बड़ी लाइन पर थाना स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Thana on Bombay-Kalyan B.G. Line . . .	3613
986	कोयला खानों में मशीनों का प्रयोग	Mechanisation of Coal Mines .	3613–14
987	काटपाड़ी स्टेशन के निकट रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Katpadi Station	3614
988	रायपुर में रेलवे माल डिब्बा फैक्टरी	Railway Wagon Factory at Raipur	3614–15
989	हरिद्वार में फाउण्डरी फोर्ज प्रोजैक्ट (ढलाई गढ़ाई परियोजना)	Foundry Forge Project at Hardwar	3615
990	अमृतसर में उनी कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Woollen Mills in Amritsar	3615–16
991	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	H.E.L.' Bhopal . . .	3616
992	महाराष्ट्र में कपड़ा मिल	Textile Mills in Maharashtra .	3616
993	रूस को ऊनी होजरी सामान का निर्यात	Export of Woollen Hosiery Goods to U.S.S.R. . .	3616
994	खड़गपुर से दक्षिण की ओर रेलवे लाइन को दोहरा करना	Doubling of Rail Line from Kharagpur towards South . .	3617
995	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी	Drinking Water at Delhi Railway Station	3617
996	चलती रेलगाड़ियों का नियंत्रण	Controlling of Running Trains .	3617
997	रूस को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to U.S.S.R.	3618
998	जूतों का निर्यात	Export of Shoes .	3618
999	चूड़ियों का निर्यात	Export of Bangles . .	3618–19
1000	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters . .	3619
1001	आसाम को भेजे गये माल का पाकिस्तान द्वारा पकड़ा जाना	Assam bound Goods Seized by Pakistan	3619
1002	नंगल में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Plant at Nangal	3620
1003	पंजाब में भारी बिजली सामान का निर्माण	Manufacture of Heavy Electrical equipment in Punjab . .	3620
1004	मनमाड जंक्शन से गुजरने वाली रेलगाड़ियां	Trains passing through Manmad Junction	3620–21

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1005	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की सम्पत्ति	Properties of Pakistani Nationals	3621
1006	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	H.E.L., Bhopal . . .	3621–22
1007	रूरकेला उर्वरक कारखाने	Rourkela Fertilizer Plants . .	3622
1008	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ व्यापार	Trade with German Democratic Republic	3623
1009	लातीनी अमरीकी दशों के साथ व्यापार	Trade with Latin American Countries	3623
1010	दक्षिणपूर्व एशिया में चीन द्वारा प्रतियोगिता	Chinese Competition in South East Asia	3623
1011	तिरुवेरम्बूर के निकट "हाई प्रैशर बायलर" संयंत्र	High Pressure Boiler Plant near Tiruverambur . . .	3623–24
1012	रेलवे डिवीजनों का पुनर्गठन	Re-organisation of Railway Division	3624
1013	कोकिंग कोयले का निर्यात	Export of Coking Coal . .	3624
1014	आयात लाइसेंस नीति	Import licensing Policy . .	3624-25
1015	कलकत्ता के लिये वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे	Circular Railway for Calcutta .	3625
1016	इंजीनियरी तथा हौजियरी उद्योग	Engineering and Hosiery Industries	3625–26
1017	मशीनी औजारों की आवश्यकता	Machine Tool Requirement .	3626
1018	रुदौली स्टेशन पर टक्कर	Collision at Rudauli Station .	3627
1019	डाल्ली-राजहारा-दांतेवाडा रेलवे लाइन	Dalli-Rajhara-Dantewada Railway Line	3627
1020	मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को कोयले का सम्भरण	Supply of Coal to M.P. Electricity Board	3628
1021	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये टीन का नियतन	Allocation of Tin for Small Scale Industries	3628–29
1022	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission	3629–30
1023	उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रोत्साहन निगम	U.P. Export Promotion Corporation	3630
1024	गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने का कारखाना	Coal Washery in Private Sector .	3631
1025	विद्युत चालित करघा जांच समिति	Powerloom Enquiry Committee	3631
1026	चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य	Steel Production Target for Fourth Plan	3631–32
1027	भारत में खाकी, कागज और अखबारी कागज के कारखाने	Pulp, Paper and Newsprint Plants in India	3632

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1028	तीसरे दर्जे के स्लीपर डिब्बे	Third Class Sleeper Coaches .	3632
1029	रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents	3633
1031	सिंगरेनी कोयला खान	Singareni Collieries .	3633
1032	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा निवेली लिग्नाइट परियोजना	N.C.D.C. and Neyvel Lignite Project	3633
1033	उत्तर अर्काट जिले में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in North Aroct District	3634
1034	भारतीय शिशु कल्याण परिषद्	Indian Children Wel fare Conference	3634
1035	सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का कल्याण	Welfare of People in Border Areas	3634
1036	दरभंगा-निरमाली सेक्शन पर रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment on Darbhanga–Nirmali Section	3635
1037	समाज कल्याण बोर्ड	Social Welfare Boards	3635
1038	नेपाल को चाय का निर्यात	Exportof Tea to Nepal	3636
1039	विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelter Plant at Visakhapatnam	3636
1040	सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी	Retired Railway Employees .	3636–37
1041	मध्य रेलवे पर बस और मालगाड़ी की टक्कर	Bus-Goods Train Collision on the Central Railway . . .	3637
1042	कालूपारा घाट में माल-डिब्बों में मछली का चढ़ाया जाना	Loading of Fish in Wagons at Kalupara Ghat . . .	3637–38
1043	केरल में कालमैसरी मशीनी औजार का कारखाना	Kalmassery Machine Tool Factory in Kerala . . .	3638
1044	रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Railway Employees . . .	3638–39
1046	अकोककर (नान-कोकिंग) कोयले की मांग	Demand for Non-Cooking Coal .	3639
1047	निम्न ताप कार्बनोकरण संयंत्र	Low Temperature Corbonisation Plants	3639
1048	मध्य प्रदेश में सहकारी कताई मिल	Co-operative Spinning Mills in Madhya Pradesh . . .	3639–40
1049	प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए मिश्रित इस्पात	Alloy Steel for Defence Needs .	3640–41
1050	असम में सहकारी पटसन मिल	Co-operative Jute Mill in Assam	3641
1051	सीमेन्ट बनाने वाली मशीनों के पुर्जे	Cement Machinery Parts .	3641
1052	दुर्गापुर कारखाने के डिजाइन सम्बन्धी कार्य	Design Work of Durgapur Plant	3642

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1053	इस्पात उद्योग के लिये दस-वर्षीय योजना	Ten-Year Plan for Steel Industry	3642
1054	कोयों से निकाला हुआ रेशम	Filature Silk	3642–43
1055	"कार्बन ब्लैक रबड़" का आयात	Import of Carbon Black Rubber	3643–44
1057	विदेशी फिल्मों का आयात	Import of Foreign Films . .	3644
1058	परादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Paradip Port	3645
1059	रेलवे अस्पतालों की नर्सें तथा कर्मचारी	Railway Hospital Nurses and Staff	3645
1060	मालेगांव पावरलुम को-आपरेटिव एसोशियेशन	Malegoan Powerloom Co-operative Associations . . .	3646
1061	अनुसूचित (डिनोटीफाइड) आदिम जातियों के लिये कल्याण योजनायें	Welfare Schemes for Denotified Tribes	3646–47
1062	बोकारो परियोजना के परिणामस्वरूप बेघर हुए लोग	Persons rendered Homeless because of Bokaro Project .	3648
1063	कोयों से निकाला हुआ कच्चे रेशम का निर्यात	Export of Raw Filature Silk	3648
1064	केनिया तथा तंजानिया में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Kenya and Tan zania	3648–49
1065	भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by the Bhilai Steel Plant . .	3649–50
1066	विदेशी फिल्मों का आयात	Import of Foreign Films .	3650
1067	श्रीनगर एक्सप्रेस	Srinagar Express .	3650
1068	लोहे और इस्पात के प्रयोग में कम खर्च	Economy in use of Iron and Stee	3651
1069	बीकानेर के निकट लिगनाइट निकालना	Exploitation of Lignite near Bikaner.	3651–52
1070	रूई का आयात	Import of Cotton . .	3652
1071	भापतियाही रेलवे लाइन	Bhaptiahi Railway Line . .	3652–53
1072	रेल की पटरी के साथ वाली भूमि	Land arrange to the Railway Lines	3653
1073	उडीसा में नमक का उत्पादन	Production of Salt in Orissa .	3653–54
1074	उड़ीसा में निर्मित करघा उत्पाद	Handloom Products manufactured in Orissa	3654
1075	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Orissa .	3654
1076	उड़ीसा में अम्बर चरखे	Ambar Charkhas in Orissa .	3654–55

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1077	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarships to S.C. and S.T. in Orissa . .	3655
1078	राजस्थान में अम्बर चरखे	Ambar Charkhas in Rajasthan	3655
1079	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा उपरान्त अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarships to S.C. and S.T. in Rajasthan . .	3656
1080	दक्षिण-पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद	Posts for S.C. & S.T. on S.E. Railway	3656
1081	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation	3656–57
1082	पश्चिमी बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in West Bengal	3657
1083	काजू बोर्ड	Cashew Board . . .	3657–58
1084	भारतीय ऊनी मिलें तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	Indian Woollen Mills and International Standards . .	3658
1085	रूसी ट्रैक्टरों की चोरी बाजारी	Black Marketing of Russian Tractors	3658
1086	गोरखपुर-बाराबंकी बड़ी रेलवे लाइन	Gorakhpur-Barabanki B.G. Rail Line	3658-59
1087	चैकोस्लोवाकिया की सहायता से कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Agricultural Tractors with Czech assistance .	3659
1088	हाथीदांत का कोटा	Quotas of Ivory	3659
1089	आयात अधिकार	Import entitlement . . .	3659–60
1090	हथकर्घा से उत्पादित माल का संग्रह	Storage of hard loom goods .	3660
1091	मद्रास तथा तुतीकोरीन में बड़ी लाइन द्वारा सम्पर्क	Madras-Tuticorin B.G. Rail Link	3660–61
1092	बम्बई में इंजीनियरिंग उद्योग	Engineering Industries in Bombay	3661
1093	नेपाल में कागज का कारखाना	Paper Plant in Nepal . .	3661–62
1094	आग बुझाने वाले यंत्र	Fire Extinguishers . . .	3662
1095	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electrical Factory, Bhopal	3662
1096	श्रीलंका को पशुओं का निर्यात	Export of Cattle to Ceylon .	3662–63
1097	सरकारी क्षेत्र में जूते बनाने का कारखाना	Shoe Factory in the Public Sector	3663
1098	रेलवे बोर्ड में अधिकारियो की सेवा निवृत्ति	Retirement of Officers in Railway Board's Office . . .	3663

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1099	बढ़िया किस्म की बायलर की प्लेटें	Boiler quality Plates . . .	3664
1100	हिम्मतनगर-उदयपुर रेल सम्पर्क	Himmatnagar-Udaipur Rail Link	3664
1101	नई दिल्ली स्टेशन के पास तैरने का तालाब	Swimming Pool near New Delhi Station	3664
1102	दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Railway Employees in Delhi Area . . .	3665
1103	रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये चिकित्सा की सुविधायें	Medical Facilities to Railway Board's Staff and Officers .	3665–66
1104	जस्ता, तांबा तथा टिन प्लेटों की आवश्यकता	Requirement of Zinc, Copper and Tin Plates	3666
1105	मीटर-गेज लाइनों पर वातानुकूलित डीलक्स गाड़ियां	Air Conditioned De-Luxe Trains on the Metre Gauge Lines .	3667
1106	ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग	Industries in the Rural Areas .	3667–68
1107	रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from U.S.S.R.	3668–69
1108	भारी इंजीनियरी निगम रांची में आग लगने की घटनायें	Fire Cases in H.E.C., Ranchi	3669
1109	धर्मानगर-अगरताला रेलवे-लाइन	Dharmanagar-Agartala Rail Line	3669
1111	औजारों का निर्माण	Manufacture of Instruments .	3669–70
1112	पर्वतीय क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Hill Areas	3670
1113	बम्बई के निकट मालगाड़ियों में टक्कर	Goods Trains Collision Near Bombay	3670
1114	सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन	Salem-Bangalore Rail Line .	3670–71
1115	तिरूनेलवेली-कन्याकुमारी - त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन	Tirunelveli-Kanyakumari-Trivan drum Railway Line . .	3671
1116	कपास की कमी	Shortage of Cotton .	3671
1117	रेलवे के सेवानिवृत्त पेंशन भोगी	Retired Pensioners of Railways	3672
1118	जूतों का निर्यात	Export of Foot-wear	3672
1119	रेलवे बोर्ड में अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा	Section Officers Examination in Railway Board's Office .	3672–73
1120	बोरगचिया स्टेशन समीप दुर्घटना	Accident near Borgachia Station	3673
1121	कालीकट और पालघाट में परियोजनायें	Projects in Calicut and Palghat	3673
1122	हथकरघे के कपड़े का निर्यात	Export of Handloom Cloth .	3673–74
1123	औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates .	3674–75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1124	दक्षिण मध्य ज़ोन	South Central Zone .	3675
1125	छठा इस्पात संयंत्र	Sixth Steel Plant . .	3675–76
1126	आयात तथा निर्यात	Imports and Exports . .	3676
1127	मद्रास में कुटीर दियासलाई उद्योग	Cottage Match Industry in Madras	3676
1128	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गाड़ी का पटरी स उतर जाना	Derailment on the North East Frontier Railway . . .	3677
1129	इंधन के निक्षेप	Fuel Deposit .	3677
1130	कोयले का निर्यात	Export of Coal . . .	3678
1131	कोयले के नमूने भरना तथा उसका रेल किराया	Sampling and Rail Tariffs of Coal	3678
1132	बादली औद्योगिक बस्ती	Badli Industrial Estate .	3678
1133	बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली	Badli Industrial Estate, Delhi .	3679
1134	विद्रोही नागाओं द्वारा धनसिरी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे पटरी का उड़ाया जाना	Blowing up of Railway Track near Dhansiri Railway Station by hostile Nagas . . .	3679
1135	रेलवे कर्मचारियों के नौकरों को चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities to Servants of Railway Employees . .	3679–80
1136	रेलवे बोर्ड से भेजे गये पत्रों पर हिन्दी पते	Hindi Addresses on Letters sent from Railway Board . .	3680
1137	कपास और रेशम का आयात	Import of Cotton and Silk .	3680
1138	बोकारो इस्पात परियोजना के लिये भारतीय इंजीनियरी सलाहकार	Indian Engineering Consultants for Bokaro Steel Project .	3680–81
1139	सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रों में अत्युत्पादन	Over-Production in three Public Sector Steel Plants . .	3681
1140	पोकारन-जैसलमेर रेलव लाइन	Pokaran-Jailsalmer Railway Line	3681
1141	औषधियों का आयात	Import of Drugs . . .	3682
1142	दक्षिण पूर्व एशिया में कागज लुगदी उद्योग	Paper pulp Industries in S.E.Asia	3682
1143	बिहार में स्टेनलेस स्टील कारखाना	Stainless Steel Factory in Bihar .	3682–83
1144	पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक इंजीनियर	Assistant Engineers on N.E. Railway	3683
1145	उत्तर प्रदेश में कागज की मिल	Paper Mill in U.P. . . .	3683
1146	रेलवे बोर्ड में सेक्शन आफिसर	Section Officers in the Railway Boards Office . . .	3683–84
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	3684–87
	मंत्रियों की अनुपस्थिति के बारे में	Re. Absence of Ministers . .	3687–89

अता० प्र० संख्या U. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	सभा का कार्य	Business of the House .	3689–90
	समिति के लिये निर्वाचन इलायची बोर्ड	Election to Committee Cardamom Board	3690
	अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1965–66 विवरण प्रस्तुत	Demands for Supplementary Grants (General), 1965-66 Statement presented . .	3690
	अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1965–66—विवरण प्रस्तुत	Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1965-66 Statement presented . . .	3690
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	इक्यानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-first Report .	3691
	सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	Armed Forces (Special Powers) Amendment Bill—Introduced .	3691
	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—	Motion on President's Address—	
	श्री जशवन्त मेहता	Shri Jashvant Mehta . .	3691–92
	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	3692–94
	श्री कु० शिवप्रघासन	Shri Ku. Sivappraghassan .	3695–96
	डा० महादेव प्रसाद	Dr. Mahadeva Prasad .	3696–97
	डा० मा० श्री० अणे	Dr. M.S. Aney . . .	3697–98
	श्री अच्युतन	Shri Achuthan . . .	3698–99
	श्री पोट्टेकाट्टु	Shri Pottekkatt . . .	3699–3701
	श्री मे० मलाइछामी	Shri M. Malaichami . .	3701
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	अठहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-eighth Report . .	3702
	राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के बारे में संकल्प—	Resolution re. National and Emotional Integration—	
	श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo . . .	3702–03
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Shrma . .	3703
	श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	3704
	श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . .	3704–05
	श्री बालकृष्णन	Shri Balakrishnan	3705
	श्री बड़े	Shri Bade . . .	3705
	श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A.P. Sharma	3705
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	3706
	श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	3606
	श्री मुहम्मद कोया	Shri Mohammed Koya .	3706–07

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री मुथिया	Shri Muthiah . . .	3707
श्री अ०ना०विद्यालंकार	Shri A.N. Vidyalankar .	3708
श्री शिंकरे	Shri Shinkre . . .	3708
श्री ब०कु०दास	Shri B.K. Das . .	3708–09
श्री वि०चं०शुक्ल	Shri V.C. Shukla . .	3709–10
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheswar Prasad .	3710
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	3710
प्रशासनिक सुधारों के बारे में संकल्प—	Resolution re. Administrative Reforms—	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . .	3711–14
खाद्य क्षेत्रों के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion re. Food Zones—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	3714
श्री रंगा	Shri Ranga . . .	3715
श्री चि०सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	3715–17

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 25 फरवरी, 1966/6 फाल्गुन, 1887 (शक)
Friday, February 25, 1966/Phalguna 6, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान माल का पकड़ा जाना

+

*208. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मधु लिमये :
श्री महेश्वर नायक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री धर्मलिंगम :
श्री मं० र० कृष्ण :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान और उसके पश्चात् पाकिस्तान और भारत द्वारा जब्त किये गय निषिद्ध माल की समस्या के बारे में कोई समझौता होना सम्भव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का स्वरूप क्या है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा कुल कितना तथा कितने मूल्य का भारतीय माल और सामान जब्त किया गया था और लौटाया नहीं गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : रावलपिण्डी में होने वाले मन्त्री सम्मेलन में यह मामला उठाया जायगा ।

(ग) हाल की लड़ाई में भारतीय, पाकिस्तानी और तटस्थ जहाजों से पाकिस्तान ने जो भारतीय माल पकड़ लिया था उसका मूल्य लगभग 5.4 करोड़ रु० है । पूर्वी पाकिस्तान में नदियों में पाकिस्तान ने जो माल पकड़ लिया था उसका मूल्य लगभग 5.14 करोड़ रु० है ।

ये मूल्य अब तक प्राप्त हुए दावों के आधार पर लगाया गया है। पाकिस्तानी बन्दरगाहों में भारतीय, पाकिस्तानी और तटस्थ जहाजों से उतार लिय गये माल का परिणाम लगभग 32,400 टन है। पूर्वी पाकिस्तान में नदियों में चलने वाली नौकाओं से पकड़ गये माल के परिमाण विषयक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : इस मंत्री सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे तथा पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे और यह सम्मेलन कब होने वाला है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक हमारा संबंध है वदेशिक-कार्य मंत्री, श्री स्वर्ण सिंह, परिवहन मंत्री, श्री संजीव रेड्डी तथा वाणिज्य मंत्रालय की और से मैं, भारत के प्रतिनिधि होंगे और तदनुसार यह विश्वास किया जाता है कि पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल में हमारे ही पद के मंत्री होंगे। हम 28 तारीख को अपराह्न में जाने वाले हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री द्वारा दिये गय आंकड़े अभी निश्चयात्मक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत तथा पाकिस्तान के बारे में मंत्री महोदय कब तक सही आंकड़े दे सकेंग, ताकि सारे मामले पर अधिक ध्यानपूर्वक विचार किया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : सही आंकड़ों की जानकारी, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी कि सही चीजों की जानकारी क्यों कि चीजों के मूल्य के अनुमानों में भिन्नता हो सकती है। हमें अब चीजों की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। मूल्य तो केवल अनुमानित है। हमारी आशा है कि ताशकंद समझौते से एक नया युग आरम्भ होने के कारण ये सब समस्यायें, जोकि संख्या में बहुत है तथा जटिल है, संतोषजनक ढंग से हल की जायेंगी।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : May I know the nature of goods confiscated by Pakistan and whether it also includes some war material ? Was any discussion held in the matter during the talks at Tashkent ?

Shri Manubhai Shah : The list has been read out in the House and also placed on the Table several times. The hon. Member is aware that the goods include some ships, some tea and factory material of various types. These things will also be discussed at the conference.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether these goods also include the material which is used in our ordnance factories and if so, the cost thereof ?

Shri Manubhai Shah : We have not bifurcated the items of goods. We have a complete list thereof. There may be some material which is used in ordnance factories but a large quantity of goods were meant for economic development.

श्री श्यामलाल सर्राफ : उन निर्यातकों तथा आयातकों को जिन का सामान पाकिस्तान ने जब्त कर लिया है, अपने नाम दर्ज कराने तथा अपना सामान वापस लेने के लिये क्या सुविधायें दी गई थी ?

श्री मनुभाई शाह : यह भी सम्मेलन का एक उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध पुनःस्थापति किये जाये, ताकि पहल की तरह सामान्य व्यापार हो सके। हमें आशा है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच औद्योगिक, आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों का विस्तार होगा।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मेरा प्रश्न यह था कि उस निर्यातकों तथा आयातकों को, जिन का सामान पाकिस्तान ने जब्त कर लिया, क्या सुविधायें दी गई थी ?

श्री मनुभाई शाह : सामान को छोड़ने के लिये तथा उसे उसके मालिकों को सौंपने के लिये सब अपेक्षित सुविधायें देने के बारे में चर्चा की जायेगी ।

श्री शिंकरे : क्योंकि कोई सुविधायें नहीं दी गई थी, इसीलिए इस के बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि दो करोड़ रुपये की लागत के रेलवे उपकरण लंदन में हमारे अधिकारियों ने पाकिस्तान के गार्डन ऑफ कराची नामक जहाज़ में लादे थे और वह जहाज़ अब स्वैज़ अधिकारियों ने छोड़ दिया है ? इस प्रसंग में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भारतीय रेलवे उपकरण हमारे देश में पहुंच गये हैं और क्या लंदन में हमारे उन भारतीय अधिकारियों को विरुद्ध कोई अनुशासिक कार्यवाही की गई है, जिन्होंने एक विदशी जहाज को और विशेषत: पाकिस्तानी जहाज़ को प्राथमिकता दी ?

श्री मनुभाई शाह : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता । यह विस्तृत ब्यौरे के बारे में है । माननीय सदस्य इसे रेलवे मंत्री से पूछें ।

श्री रंगा : क्या वे उपकरण भारत पहुंचे है अथवा नहीं, यह तो बताया जाये ?

श्री मनुभाई शाह : बात यह है कि इस के बारे में रावलपिण्डी में होने वाले मंत्री सम्मेलन में विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : महोदय : क्या वह जहाज़ यहां पहुंचा है अथवा नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय रेलवे मंत्री शायद इस बारे में बता सकते हैं ।

Shri Yashpal Singh : Pakistan is claiming that she is the original owner of our ship, named Sarashvati. She has disfigured the name Sarashvati and has made it Razia. As the ship now named Razia, belongs to India and Pakistan is claiming that she is the original owner of that ship, may I know the steps taken by Government to get that ship back from Pakistan ?

Shri Manubhai Shah : This will also be discussed.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यद्यपि हमें आशा है कि जब्त किया हुआ सारा माल छोड़ दिया जायेगा और उसे उसके मालिकों को सौंप दिया जायेगा, फिरभी इस बात को देखते हुये कि इस मामले में बहुत विलम्ब हो गया है मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों देशों में गर-सरकारी व्यक्तियों से प्राप्त हुये दावों का प्रतिकर देने की वैधानिक स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वैधानिक स्थिति के बारे में नहीं ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : जब्त किये गये माल के अतिरिक्त अन्य किन विषयों वाणिज्य मंत्री पाकिस्तान के अपने प्रतिरुप के साथ विचारविमर्श करेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि व्यापार संबंधों को पुन: स्थापति करने के बारे में और उन्हें सामान्य बनाने के बारे में विचार किया जायेगा । जैसाकि अन्य देशों के साथ अच्छे पड़ोसियों और अच्छे मित्रों का व्यवहार करके हम अपने संबंधों को घनिष्ट बना रहे है, ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी किया जायेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सब से निकट पड़ोसी है ।

+ **अस्पृश्यता**

*209. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बुटा सिंह :**

श्री गुलशन : **श्री सिद्दय्या :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् द्वारा निषिद्ध ठहराये जाने के कई वर्ष बाद भी भारत में "अस्पृश्यता" विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर आज भी अस्पृश्यता प्रचलित है;

(ग) उन क्षेत्रों में अस्पृश्यता निवारक कानून का पालन कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और ऐसी कायवाही के क्या परिणाम निकले है; और

(घ) अब भी छूत-छात मानने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : शहरी क्षेत्रों से अस्पृश्यता स्पष्ट रूप से तेजी से दूर हो रही है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों मे इस के दृष्टांत अभी भी मिलते हैं।

(ग) और (घ) : सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का प्रशासन दृढ़ करे। अन्य बातों के साथ साथ अस्पृश्यता के समूचे प्रश्न पर विचार करने तथा इसका पूरी तरह उन्मूलन करने के उपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Bagri : I rise to a point of order under rule 41(2) of the Rules of Procedure. The question asked consists of four parts *i.e.* (a) whether untouchability has since been eradicated from the country; (b) if not the places, where it is still in existence; (c) the steps Government are taking to enforce the law banning the untouchability; and (d) the steps Government are taking against those who still indulge in untouchability. This is a basic question for the whole country, but the Minister has answered in such a way that none of the four points of the question has been made clear. I want to know as to what extent the law has been enforced and the number of cases executed in each state and the reasons why untouchability is still in existence. If such incomplete answers are given, then it would be very difficult for Lok Sabha to continue its business.

Mr. Speaker : The question is asked and the answer is given. But I am noticing since last few days it has become a practice that whosoever likes rises to a point of order that he wants information under rule 41. The Members can say that the answer has not been given, but they cannot rise to a point of order. The rule does not apply here. The hon. Member wants to know the place where untouchability is in existence, answer to this may be given, if information is available.

श्रीमती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्यों को अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदम जातियों के आयुक्त को रिपोर्ट की जानकारी है। मैं वार्षिक प्रतिवेदनों से जानकारी देती हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have ever considered that unless untouchability is eradicated from political sphere it cannot be eradicated from the society. I would like to know the number of Harijan Chief Ministers, Harijan ambassadors and Harijan member of Sadhu Samaj.

Mr. Speaker : How Government can answer it ? You are also including Sadhu Samaj. Do you want to ask any other question ?

Shri Yashpal Singh : I would like to know the number of cases in which punishment has been awarded for practising untouchability.

Mr. Speaker : The figures are given in the Commissioner's report. The hon. Member can consult that.

Shri Bagri : Whatever is asked, the answer is given that information is not available. How we can pull on like this ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री के पास आंकड़े है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, वर्ष 1964 तक के कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। 1964 में 157 मामलों में सजा दी गई, 1963 में 77 मामलों में और इसी तरह। यदि वर्ष 1955 के आंकड़े अपेक्षित हों तो मैं दे सकती हूं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को देखते हुये कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता अभी प्रचलित है और इसकी तुलना में उन मामलों की संख्या बहुत कम है जिन में सजा दी जाती है, मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने, उन व्यक्तियों को जो वास्तव में कष्ट उठा रहें हैं और न्याय चाहते हैं, उन्हें सहायता देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें इस बात की पूर्ण जानकारी है कि यह समाजिक बीमारी न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी विद्यमान है। इसी कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदम जातियों के कल्याण के लिये निर्धारित धन राशि में वृद्धि हुई है। यह राशि पहली योजना में 9 करोड़ रुपये थी और अब आशा की जाती है कि चौथी योजना में 68 करोड़ रुपये की हो जायगी। काननी सहायता के लिये राज्यों के बारे में हम राज्य सरकारों को धन देते हैं, जो कि इस समुदाय के सदस्यों को इस बिमारी से लड़ने के लिये कानूनी सहायता के रूप में दिया जाता है। जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है की इसी कारण से हम ने 1965 में एक अन्य समिति—अस्पश्यता समिति नियुक्त की है, जो इस समूचे प्रश्न पर विचार करके, हमें अपना प्रतिवेदन पेश करेगी, तत्पश्चात इस बिमारी के उन्मूलन के लिये कार्यवाही की जायेगी।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : I am myself a Harijan and I have personal experience that the law enacted by Government has produced no results. Untouchability is in existence as before. May I know whether Government propose to adopt some scientific method by which untouchability may be eradicated ? It has been stated that funds are given to the State Governments, whether any complaint to the effect that the State Governements are not properly utilising this, has been received.

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि पैसे का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। हमें स्वयं इस बात की जानकारी है कि जहां राज्य सरकार को भी अनुदान देना होता है, वहां पैसे का ठीक ढंग से अथवा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता।

श्री तिम्मय्या : माननीय मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अस्पृश्यता के दृष्टांत मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार यह स्वीकार करने में लज्जा अनुभव कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता पूरी तरह विद्यमान है। क्या सरकार किसी राज्य के किसी जिले में, देश के किसी भाग में कम से कम 12 ऐसे गांव दिखाने को तैयार है, जहां अस्पृश्यता पूर्णत : समाप्त हो गई है, ताकि संसद् सदस्य उन गांव का दौरा कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इतना लम्बा नहीं होना चाहिये । केवल प्रश्न के पहले भाग का, कि क्या सरकार आधे दर्जन ऐसे गांव बता सकती है जहां अस्पृश्यता समाप्त हो गई है, उत्तर दिया जाये ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : जैसा कि सदन को विदित है अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर मैं कह सकती हूं कि आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा में यह कोई बड़ी समस्या नहीं है अत: तुलनात्मक दृष्टि से बंगाल में भी यह अधिक व्यापक नहीं है । उड़ीसा में यह इतनी कठिन नहीं है । इस बात को स्वीकार करते हुये भी कि एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिस में यह बिमारी न हो, हमें ऐसे कुछ गांव का पता है जो इस से मुक्त हैं और राज्य सरकारें कुछ गांव को जिन में अस्पृश्यता बिल्कुल नहीं है, उन्हें इनाम देने के बारे में सोच रही हैं ।

श्री शिवनंजप्पा : अस्पृश्यता अधिनियम 1965 के अन्तर्गत कितने मुकदमे चलाये गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वर्ष 1965 के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

Shri Madhu Limaye : So far as the question of untouchability is concerned, it is evident from the fact that Harijans are living in the dirtiest and smallest places in the villages. Their homes are inundated with rain water. Although they are entitled to draw water from the Hindu wells under the law, but they are not allowed to do so. So they face the difficulty of drinking water also. May I know the steps Government propose to take to allot good land to the Harijans for constructing their houses and also for making drinking water available to them, so that the evil of untouchability may be eradicated ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सभा को विदित है कि यह बिमारी ऐसी है जिसका उन्मूलन दीर्घकालीन कार्यक्रम द्वारा ही किया जा सकता है । यही कारण है कि पहली योजना से आजतक हम विशेष योजनायें बनाते रहे है और उन की क्रियान्विति के लिये विशेष धन दिया जाता है । जहां तक आवास की कठिनाइयों का संबन्ध है, हमें यह ज्ञात है और कारण से कुछ क्षेत्रों में हरिजनों को घर बनाने के लिये धन दिया गया है । समस्या इतनी बड़ी है कि इसे जल्दी हल करना सरल नहीं है ?

श्री वासुदेवन् नायर : इस बात को देखते हुये कि अन्तरजातिय तथा अन्तर-साम्प्रदायिक विवाह इस समस्या के समाधान में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिस के आधार पर ऐसे विवाहित दम्पत्तियों को सहायता दी जाये ? मुझे विदित है कि मेरे राज्य में सरकार इस दशा में कुछ कार्यवाही कर रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है और क्या भारत सरकार ने इस बारे में कुछ विचार किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ऐसे मामलों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

Shri Maurya : It is evident from the questions asked and the answers given by the Minister regarding untouchability that untouchability is rampant in every part of the country. Though under law untouchability is a cognizable offence, yet it appears that police do not exercise their rights and therefore, the number of prosecutions under this head are negligible. In view of the above facts, whether Government propose to delegate executive powers to the district Harijan officers, so that they may be authorised to challan a man like a police officer ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : महोदय, मैं पुन: कहती हूं कि हमने एक समिति नियुक्त की है जिसके अधिकर सदस्य संसद् सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या उन स्थानीय हरिजन अधिकारियों को ऐसी शक्तियां देने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि वे ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे विश्वास है कि इन सुझावों को प्रतिवेदन में शामिल किया जायेगा। प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात हम इस सिफारिश पर विचार करेंगे ।

Shri Yashpal Singh : On the one Government speaks of assimilating Harijans while on the other hand separate Hostels, temples, well etc., are being opened for the Harijans. Why they are not assimilited ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य पुरानी बात कर रहे हैं। हमने इस पद्धति को पहले से ही बदल दिया है। हरिजनों के लिये हम पृथक छात्रावास नहीं चाहते। हरिजन लड़के और लड़कियों के रहने के लिये हम सार्वजनिक छात्रावास चाहते हैं। हरिजन छात्रावासों में रहने के लिये अन्य लोगों को भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि डा० अम्बेडकर के अनुयाइयों को हरिजन नहीं समझा जाता है और अब बोर्ड में मामले आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या वे बौद्ध हैं अथवा हिन्दु और जब वे कहते हैं कि वे जनी हैं अथवा बौद्ध हैं तो मामलों को खारिज कर दिया जाता है और उन्हें नहीं कर दिया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य शायद नहीं जानते कि छूआछात केवल हिन्दु और सिख धर्म में ही है। अन्य धर्मों के लोगों में अस्पृश्यता नहीं है।

Shri Bagri : There is the evil of carrying night soil as headload which naturally encourages untouchability. Are municipalities providing facilities to the scavangers for doing this work in a human way ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस बुराई को दूर करने के लिये हमें जनता का भी सहयोग चाहिये। मल ले जाने के लिये हथगाड़ियों के लिये हम निधियां दे रहे हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : जिला तथा खंड स्तर पर जरूरतमन्द हरिजनों को सहायता देने के लिये कौन अधिकारी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जिला कल्याण अधिकारी।

Shri Tulsidas Jadhav : Do Government propose to make such arrangement as would enable the officers to stay with the Harijans and take meals with them ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

अमरीकी सहायता सामान को छोड़ना

\+

*210. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री लाटन चौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बसुमतारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस अमरीकी सहायता सामान को, जो कि पाकिस्तान के लिये भेजा गया था और भारत द्वारा रोक लिया गया था, एक पक्षीय तौर पर छोड़ देने के लिये अमरीका सरकार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितना सामान छोड़ा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : जी, हां। पाकिस्तान भी सभी सहायता सामान छोड़ने को सहमत हो गया है चाहे वह किसी भी देश से आया हो। विस्तृत विवरण तैयार किये जा रहे हैं। इस समय ऐसे सामान के मूल्य के कुल आंकड़े या विस्तृत विवरण देना सम्भव नहीं है।

श्री क० ना० तिवारी : क्या अमरीकी सहायता सामान के छोड़ने के लिये ही प्रार्थना प्राप्त हुई है अथवा अन्य देशों के सामान के लिये भी; और यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम है तथा इसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें सभी देश शामिल हैं चाहे गन्तव्य स्थान कोई भी क्यों न हो। एक करोड़ रुपये के मूल्य का इस प्रकार का सामान छोड़ा गया है।

श्री क० ना० तिवारी : पाकिस्तान द्वारा कितने मूल्य का अमरीकी सहायता सामान छोड़ा गया है जो कि भारत के लिये था ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें मशीनी औज़ार और विभिन्न धर्मार्थ तथा शिक्षा संस्थाओं के लिये सहायता शामिल है। इसका मूल्य हमारे अनुमान के अनुसार लगभग $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये है।

Shri Yashpal Singh : First, we acceded to the request of U.S.A. not to display the tanks captured by our Jawans and then again we acceded to the request to release the cargo meant for Pakistan detained in India, what is the number of such requests that we have to accede and for what reasons ?

Shri Manubhai Shah : At present friendship is developing between the two countries. After the Tashkent Declaration we are trying to establish good neighbourly relations between ourselves.

श्री स० चं० सामन्त : क्या पाकिस्तान से भी अमरीका ने इसी प्रकार प्रार्थना की थी और क्या पाकिस्तान ने उसको मान लिया है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, दोनों देशों से अनुरोध किया गया था और उन्होंने इसको मान लिया है।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : What is the value of the cargo detained ?

Shri Manubahai Shah : That values in crores of rupees, but so far we have released cargo worth one crore of rupees.

Shri Bade : May I know whether the cargo meant for Pakistan has been released after the Tashkent Declaration or before that ?

Shri Manubhai Shah : All this was done after the Tashkent Declaration.

अनुसूचित जातियों का अनुसूची से निकाला जाना

+

*211. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री बुटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेमराज :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री उटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० दिव्वेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशी दास जाधव :

क्या **सामाज कल्याण** मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ अनुसूचित जातियों को अनसूची से निकालने के बारे में लोकुर समिति की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में इस कारण रोष व्याप्त है कि उनकी कुछ जातियों को अनुसूचित से निकाल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : सरकार को कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें जातियों को सूचियों से निकाले जाने का प्रबल विरोध किया गया है। अन्तिम निर्णय करते समय अभिवेदनों में दिये गये विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या लोकुर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो क्या समिति ने कुछ जातियों के नामों को सूची से निकालने की सिफारिश की है और उन जातियों के क्या नाम हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : लोकुर समिति का प्रतिवेदन बहुत पहले आया था और उसमें कुछ जातियों के नामों को सूची से निकालने का सुझाव दिया गया था। इसको संसद सदस्यों तथा विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रभारी मंत्रियों के समक्ष रखा गया था। दो और बैठकें अभी होनी हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उन जातियों के क्या नाम हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री रंगा : क्या इस जानकारी को सभापटल पर बाद में रखा जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन भिजवा सकती हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि धोबियों से लेकर सभी जातियों ने, जिनको सूची से निकाले जाने की संभावना है अभ्यावेदन दिया है और देश में यह तीव्र भावना फैल रही है कि अनुसूचित जातियों का सामाजिक स्थान ऊंचा नहीं उठा है; इसलिये इन जातियों के नामों को सूची से नहीं निकाला जाना चाहिये और उनको उचित संरक्षण दिया जाना चाहिये। यदि हां तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अभी तक हमने निर्णय नहीं किया है और हमारी दूसरी बैठक से पहले इसका निर्णय नहीं होगा।

Shri Yashpal Singh : There is not a single representative of Gujar Community either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. May I know whether a M.P. will be nominated from Gujar Community to Rajya Sabha in the coming nominations ?

Mr. Speaker : How the hon. Deputy Minister can promise this.

Shri Madhu Limaye : The percentage that the Scheduled Castes should have been given has not been given. Whereas they are entitled to 17 per cent, they have got only 3 per cent in class I and 7 per cent in class II. Instead of descheduling any of those castes rather more castes should be drawn in this schedule. What action is being taken by the Government in regard to the reports giving ground that certain castes are prepared to be descheduled?

श्रीमती चंद्रशेखर : यह प्रश्न बहुत लम्बा है और इसमें काफी पेचीदा बातें भी हैं। सेवाओं के बारे में यदि वह अलग से प्रश्न पूंछें तो मैं उत्तर दे सकूंगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अनुसूचित जातियों को जितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला है। जबकि वे 17 प्रतिशत के हकदार हैं उनको केवल 3 या 7 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। वह जानना चाहते हैं कि इन जातियों में से किसी को भी अनुसूची से ठहरने की बजाये इस सूची में अधिक जातियों को रखा जाना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रशेखर : किसी भी जाति का अनुसूची में रखा जाना इस बात पर निर्भर करता है कि वे जातियां अस्पृश्य समझी जाती थीं या नहीं। आदिम जातियों के बारे में स्थिति यह है कि यदि कोई आदिम जाति इस समय है तो उसे अनुसूची में शामिल किया जायेगा और यदि वह नहीं है तो उसे सूची से निकाल दिया जायेगा।

जहां तक नौकरियों में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है इनमें अनुसूचित जातियों को $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों को 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। मैंने बार बार उत्तर में बताया है कि भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा और श्रेणी चार--इसमें मेहतर फरास शामिल नहीं ह--को छोड़कर—जिनमें कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं, वें निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचे हैं।

Shri Madhu Limaye : You do give employment for class III posts.

श्रीमती चन्द्रशखर : श्रेणी तीन और श्रेणी चार में तो वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, परन्तु अभी तक हम $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाये हैं और इसके कारण हमें पता है। नौकरियों में चुने जाने के लिये उनके पास बुनियादी शिक्षा अर्हताएं होनी चाहिये। जब वे चयन समिति के सामने व्यक्तित्व परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों के लिये आते तो वे खरे नहीं उतरते हैं और इसलिये उन्हें नहीं लिया जाता है। उनको प्रशिक्षण देने के लिये हम केन्द्र खोलने के लिये कदम उठा रहे हैं।

Shri Kishen Pattnayak : May I know whether before the submission of the Lokur Committee Report or independently of that Government conducted a full survey regarding the progress made for in giving education and representation in services to these communities ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : लोकुर समिति के पास इस ब्यौरे में जाने का समय नहीं था। परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में, जिसपर कि इस सभा में प्रति वर्ष चर्चा होती है, पूरा ब्यौरा दिया गया है।

Shri Madhu Limaye : That Report has been discussed after 8 years.

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें विश्वास है कि 1963-64 के प्रतिवेदन पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा और उस समय इन सब प्रश्नों को उठाया जा सकता है और तब हम उनका उत्तर देंगे।

श्री स० चं० सामन्त : क्यों यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री ने अनुसूचित जातियों के संसद सदस्यों की दो बैठकें बुलाई थीं और उनको स्थगित कर दिया गया ? क्या माननीय उपमंत्री विभिन्न राज्यों से सदस्यों को बुलायेंगे और उनकी राय लेंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह सच है ; सूचियों में परिवर्तन करने के लिये निर्णय करने के लिये 9 और 10 दिसम्बर, 1965 को बैठकें बुलाई गई थीं और वे बिना कोई निर्णय किये समाप्त हो गई और अग्रतर बैठकें होनी थीं। माननीय सदस्य ने राज्य वार बैठकों का जो सुझाव दिया है वह भी अच्छा है क्यों कि सूचियां राज्य वार हैं है नकि अखिल भारतीय आधार पर।

Shri D. S. Patil : Do Government propose to do away with the area restriction since due to this a great injustice is done to the Adivasis ? The Tribes which move out of the Scheduled areas are treated as backward classes. Will Government take early steps to remove the area restrictions ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें इस बात पर गहरी चिंता है कि इसको स्थगित किया जा रहा है। 9 और 10 दिसम्बर को संसद सदस्यों की बैठक और राज्यों के मंत्रियों की बैठक में भी क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने पर कुछ सहमति प्रकट की गई थी।

Shri Maurya : The Scheduled Castes and Scheduled Tribes had fallen a pray to economic disparity. They have not so far been given their due share of representation in the services. What was the need in appointing Lokur Committee ? This Committee has suggested the descheduling of those majority Communities from the list which oppose the ruling party. Is it a political conspiracy and if so, whether action will be taken against the persons who appointed the Lokur Committee ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यदि ऐसी कोई बात होती तो लोकुर समिति के प्रतिवेदन पर केबिनेट स्तर पर निर्णय कर लिया होता, परन्तु क्योंकि इसको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के संसद् सदस्यों के सामने रखा गया है इसलिये यह इस बात का प्रमाण है कि ऐसी किसी शंका की कोई गुंजाइश नहीं जो माननीय सदस्यने बताई है।

श्री मौर्य : क्या यह सच नहीं है कि बहुसंख्यक अनुसूचित जातियों को, जो कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली हैं, इस प्रतिवेदन के आधार पर सूची में रखा जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अस्पृश्यता के व्यवहार के आधार पर जातियों को सूची में रखा जाता है अथवा इस से निकाला जाता है।

Shri Madhu Limaye : What is the definition of untouchability ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के संसद् सदस्यों की एक बैठक बुला रहे हैं। इस मामले में हम उनकी राय को ध्यान में रखेंगे।

अनुसन्धान तथा उद्योग सम्बन्धी सम्मेलन

+

***212. श्री क० ना० तिवारी :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान तथा उद्योग संबंधी सम्मेलन के कार्यकारी दलों ने अत्यन्त विरोधी कृत उपकरणों की कमी को दूर करने के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया है ताकि भारत आत्म निर्भर बन सके;

(ख) देश के ही तकनीकी व्यक्तियों का उपयोग करने वाले निर्माताओं के वर्गों को प्रोत्साहन देने और विदेशी सहयोग व्यवस्था से चलने वाले परियोजना, इंजीनियरी, उपकरणों का डिजाइनिंग और सम्भाव्यताओं संबंधी अध्ययनों जैसे कार्यों को न करने के लिये कहां तक व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर विचार किया गया है और क्या आत्म निर्भर बनने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिये परियोजनाओं की कोई सूची तैयार की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ग) : कार्यकारी दलों ने तकनीकी समितियों की स्थापना की सिफारिश की है। ये समितियां उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न उद्योगों के लिये बनायी गई विकास परिषदों का ही अंग होंगी। इन तकनीकी समितियों की स्थापना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के परामर्श से की जानी चाहिए और इनमें वैज्ञानिक तथा उद्योग-विद्या संबंधी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिये। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि प्रत्येक तकनीकी समिति के संयोजक होंगे। जिन उद्योगों के लिये विकास परिषदों की स्थापना नहीं हुई है, उनके लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को उद्योग मंत्रालय के परामर्श से पृथक् तकनीकी समितियों की स्थापना करनी चाहिये भारतीय तकनीकी ज्ञान को तीव्रगति से विकसित करने के उपाय करना और उत्पादनों का विकास करना इन तकनीकी समितियों के कार्यों में शामिल होंगे।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान महानिदेशक द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है। वह ऐसी परियोजनाओं की सूची तैयार करने के लिये भी कार्यवाही कर रहे हैं जिनको आत्म निर्भरत बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में आरम्भ किया जायेगा।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय सरकार हमेशा ऐसी योजनाओं को ही प्राथमिकता देती है जिनमें तकनीकी जानकारी प्राप्त करने अथवा इंजीनियरी संबंधी सेवाओं के लिये किसी प्रकार की विदेशी मद्रा की देनदारी की बात नहीं होती। देश में औद्योगिक ज्ञान उपलब्ध होने पर विदेशों के सहयोग से उद्योगों की स्थापना करने के प्रस्तावों का अनुमोदन आमतौर पर नहीं किया जाता। जिन मामलों में विदेशों से सहयोग प्राप्त किये बिना काम नहीं चलता उनके लिये स्वीकृति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परियोजना संबंधी इंजीनियरी, साज-सामान के डिजाइन तैयार करने और सम्भाव्यता संबंधी अध्ययन आदि सेवाएं साधारणतया सहयोग करार में शामिल न हों।

श्री क० ना० तिवारी : वक्तव्य में दिया हुआ है कि :—

"इन तकनीकी समितियों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के परामर्श से बनाया जाना चाहिए। और इनमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये इन उद्योगों के लिये जो विकास परिषदों के अन्तर्गत नहीं आते, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, द्वारा उद्योग मंत्रालय के परामर्श पर पृथक् तकनीकी समितियां बनाई जानी चाहिये।"

क्या यह समितियां बना दी गई हैं ? यदि हां, तो उनमें कौन कौन हैं और प्रतिवेदन कब तक आ जायेंगे ?

श्री संजीवैया : इस सम्मेलन में कार्यकारी दल बनाये गये थे और उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर अध्यक्ष तथा संयोजकों की बैठक में दुबारा विचार किया गया था। अन्ततः यह निश्चय किया गया है कि 8 मार्च से पहले उन उद्योगों के नाम दे दिये जायें जिन्हें पूर्वता दी जाये और राष्ट्रीय परियोजना माना जाये। इसका मतलब यह है कि उनको स्थानीय तथा स्वदेशीय जानकारी द्वारा कार्यान्वित करेंगे।

श्री क० ना० तिवारी : आगे यह भी लिखा है कि :—

"जहां बिना विदेशी सहयोग के काम नहीं चल सकता वहां वह लिया जाये परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि परियोजना इंजीनियरिंग, उपकरणों के रूपांकन तथा संभाव्य अध्ययन साधारणतः सहयोग करार में शामिल न किये जायें।" भविष्य में विशेषोपयुक्त उपकरणों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता के लिये विदेशी मुद्रा की कितनी प्रमात्रा सहायता के रूप में चाहिये ?

श्री संजीवैया : जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, उसके लिये ठीक ठीक आंकड़ देना कठिन है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार इस सभा को बतायेगी कि विदेशी कच्चे माल और मानवीय दक्षता का स्वदेशीय कच्चे माल और दक्षता से किस कार्यक्रम के अनुसार प्रतिस्थापन करेगी ?

श्री संजीवैया : जैसा मैंने पहले कहा है, कई समितियां बनाई गयी हैं और अभी से यह बताना कठिन है कि हम कब तक आत्मनिर्भर अथवा स्वावलम्बी हो जायेंगे परन्तु प्रतिवेदनों के आने के बाद, शायद 8 मार्च तक जब कि यह समितियां स्थिति के बारे में कुछ संकेत दे सकेंगी, मैं कुछ बता सकुंगा।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस सम्मेलन ने महसूस किया है कि अनुसंधान और उसके परिणामों को खेतों तथा कारखानों में प्रयोग करने के बीच अन्तर है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी क्या सिफ़ारिशें हैं ?

श्री संजीवैया : जी, हां। जैसा कि मैंने कहा है, वास्तव में न्यूनताओं का पता लगाने के लिये ही ये समितियां बनाई गई हैं। अभी प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा करनी होगी।

+ भिखारियों को रोजगार

*213. **श्री हुकुम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में कुल कितने भिखारी हैं;

(ख) क्या भिक्षावृत्ति को कानूनी तौर पर अपराध घोषित करने के लिये सारे देश में एक समान कानून बनाने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या भिक्षावृत्ति को समाप्त करने तथा भिखारियों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार कुछ योजनायें बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ;

(ख), (ग) और (घ) : यह विषय मुख्यत: राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। कुछ राज्यों ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिये कानून भी बनाया है। इन में से कुछ राज्यों में 'भिखारी घर', 'गरीबघर' अथवा "कार्य-केन्द्र" इत्यादि जैसे विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले घर भी बनाये हैं। योजना आयोग ने एक दल इस मामले की जांच करने के लिये बनाया है। अत: चौथी पंच-वर्षीय योजना में एक निदेशक परियोजना बनाने की अस्थायी योजना है जो ऐसे 40 केन्द्रों में लागू होगी जहां यात्री अथवा पर्यटक अधिक आते हैं। इस मामले पर राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के परामर्श से और अधिक विचार किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The honourable Minister has just told that the figures are not available yet and the information has not been obtained so far. Since we had given notice of this question some time back, why the information could not be obtained during all this time ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : पूरे देश के भिखारियों का सर्वेक्षण कोई आसान कार्य नहीं है। इस पर बहुत सा रुपया व्यय होगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Many a beggars eats tasted leavings lying in the bazars or on the platforms. Has the Government taken any specific action in this behalf so that this practice may be stopped ? When the foreigners tour the country, they see this and go back with an ugly picture formed in their minds ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हर राज्य में "भिखारी घर" बने हुए हैं और जब कभी भिखारी इधर उधर घूमते पाये जाते हैं तो उनको पकड़ कर इन घरों में रख दिया जाता है। राज्य सरकार दांडिक तथा...

अध्यक्ष महोदय : इस समय वह रेलवे प्लेटफार्मों तथा सार्वजनिक स्थानों के बारे में पूछ रहे हैं जहां विदेशी भी आते हैं और उन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : They take photographs.

श्रीमती चन्द्रशेखर : जैसा मैंने कहा है, इन लोगों को काम दिलाने का कार्य चौथी योजना में प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री बड़े : क्या यह समाजवादी समाज की रूपरेखा है सरकार जिसकी इतनी अधिक चर्चा करती है ? क्या सरकार को पता है कि उसने भिखारी की परिभाषा नहीं की है ? भिखारी दो प्रकार के हैं—एक गलियों के भिखारी तथा दूसरे राजनीतिक भिखारी। अभी दिल्ली में भी राजनीतिक तथा गलियों के भिखारियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या दिल्ली के भिखारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : 1955 में दिल्ली के भिखारियों का सर्वेक्षण किया गया था। उस समय 3,000 भिखारी थे। अब कम से कब दुगने तो हो गये होंगे।

Shri Bade : The main part of the question is still unanswered. I had asked about the number of political beggars.

अध्यक्ष महोदय : राजनीतिक भिखारियों के सम्बन्ध में क्या उत्तर हो सकता है ?

श्री हेम बरुआ : क्या आप राजनीतिक भिखारी की परिभाषा देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हम सब उस सूचि में आते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को पता है कि ऐसी व्यापक भावना है कि सरकार के जान बूझ कर भिखारियों की समस्या की ओर ध्यान न दिये जाने के कारण ही यह समस्या इतनी बढ़ी हुई है और सरकार ने इस समस्या को सुलझाने में लापरवाही की है ? सरकार ने योजना आयोग के अध्ययन दल की सिफारिशों को विशेष रूप से व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पूरे देश से भीख मांगने को समाप्त करने के लिये कानून बनाने की सिफारिशों को क्यों कार्यान्वित नहीं किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : योजना आयोग ने एक समिति भीख मांगने, आवारागर्दी तथा तारुणिक अपचार की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी और उसने योजना आयोग को अपना प्रतिवेदन दे दिया है। सरकार ने योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ योजनायें बनाई हैं जिन पर चौथी योजना में अमल किया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : It passes comprehension how Government will provide the beggars with employment after beggary has been eradicated when a country like Denmark with population of only 20 to 22 lakhs, is proposing to send butter and milk for India and they are begging for Indian children in the streets of Holland ?

Mr. Speaker : The question of beggary is of greater moment than poverty and nomadism and beggary are just the two names of one evil. Will the Minister, while admitting his incompetence in not having been able to collect figures regarding the evil of beggary in India, state whether there is any proposal to eradicate the evil of beggary from places of pilgrimage, railway stations and bazars of big cities and to provide them with shelters and employment ? If so, by when ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह एक लम्बा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं स्वयं भी उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकता। क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है जिस के अन्तर्गत देश के भिखारियों का पुनर्वसन किया जा सके और उन्हें रोज़गार दिलाया जा सके।

श्रीमती चन्द्रशेखर : लगभग सब राज्यों में बहुत से "भिखारी घर" और "कार्य-केन्द्र" हैं। चौथी योजना के अन्तगत हम ऐसे और अधिक 'कार्य कद्रे' स्थापित करेंगे। तीसरी योजना में हमने 156 लाख रुपये खर्च किये थे और चौथी योजना में तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

Shri Bagri : Mr. Speaker, the honourable Minister has not replied at all.

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने अपने पहले उत्तर में कहा है कि ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कोई व्यक्ति भिखारी क्यों हो जाता है ? क्या कोई परिभाषा दी गई है ? क्या भिखारी होना उसकी आय पर निर्भर है अथवा उसके भीख मांगने पर ? जहां तक आय

का प्रश्न है, डाक्टर लोकनाथन् के सर्वेक्षण के अनुसार एक ग्रामीण श्रमिक की आय 13.5 नये पैसे प्रतिदिन है जबकि कुछ भिखारी इस से ज्यादा कमा लेते हैं। अतः क्या यह कहना ठीक न होगा कि इस देश में अधिकतर लोक भिखारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ।

श्री नाथ पाई : मुझे अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा है।

श्री हरि विष्णु कामत : वह पूछ रहे हैं कि क्या माप-दंड है ?

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द कोष में मिल सकता है।

श्री नाथ पाई : महोदय, आप स्वयं विद्वान हैं।

अध्यक्ष महोदय : हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं।

श्री नाथ पाई : मुझे उत्तर मिलना चाहिये। कौन भिखारी है, इस सम्बन्ध में कोई माप-दंड अवश्य होगा। एक व्यक्ति भिखारी क्यों हो जाता है ? क्या वह इस कारण भिखारी समझा जाता है कि वह भीख मांगता है अथवा उसकी दैनिक आय की मात्रा से इसका सम्बन्ध है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : भिखारियों को दो तरह से निपटाया जा सकता है। एक तो वे भिखारी होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं और दूसरे जो पथभ्रष्ट हैं। मैं समझती हूं जो कोई भीख मांगता है ....

अध्यक्ष महोदय : क्या वह व्यक्ति भिखारी है जो इधर उधर जा कर अपने निर्वाह के लिये पैसे मांगता है या वह जिस की आय बहुत कम है अर और उस में वह अपना निर्वाह नहीं कर पाता माप-दंड क्या है ?

श्री हरि विष्णु कामत : उसका माप-दंड क्या है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उसका माप-दंड यह है कि जो भीख मांगते हैं वह भिखारी हैं।

कई माननीय सदस्य उठे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? श्री त्यागी।

Shri Tyagi : Has any survey been made of beggars in Varanasi in Uttar Pradesh where they not only beg but also pick-pockets and it is not safe for one to be near them ?

श्री रघुनाथ सिंह : यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सत्य है कि श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा विदेशों से सहायता मांगने के कारण भिखारियों को भीख मांगने के लिये और अधिक पुरोत्साहन मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री स० मो० बनर्जी : उनको निस्संदेह ही पुरोत्साहन मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस पर तर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के लिये रेलवे

*214. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बाल्मीकी :
श्री० दे० द० पुरी :
श्री बागड़ी :

क्या **रेल्वे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चारों ओर रिंग रेलवे बनाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह काम निर्धारित समय से काफी पीछे है ; और

(ग) समय पर इस परियोजना को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) मंजूर परियोजना "दिल्ली परिहार लाइनें और यातायात की सम्बद्ध सुविधाएं" (Delhi Avoiding Lines and Connected Traffic Facilities) कहलाती हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मालगाड़ियों को दिल्ली और नयी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले यार्डों से न गुजरना पड़े। लेकिन जब यह परियोजना पूरी हो जायगी, तो इसकी विभिन्न सम्पर्क लाइनों पर उपनगरी सवारी गाड़ियां चलाने में भी मदद मिलेगी। विभिन्न निर्धारित मार्गों पर मिट्टी डाली जा रही है और पुल बनाये जा रहे हैं। अब तक कुल मिला कर लगभग 46 प्रतिशत काम हुआ है।

(ख) और (ग) : एक ठेकेदार की गलतियों के कारण इस परियोजना की प्रगति में कुछ रुकावट आ गयी है। इसलिये उसका ठेका खत्म कर देना पड़ा। लेकिन आशा है कि नये ठेकेदारों के ज़रिये यह काम दिसम्बर, 1967 तक पूरा हो जायेगा।

देशी उत्पादन

*215. **श्री बागड़ी :**
श्री श्रीनारायण दास :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बाल्मीकी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मधु लिमये :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री वारियर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :
श्री दे० द० पुरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री शिव चरण गुप्त :
श्री दाजी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के औद्योगिक विकास में विदेशी तकनीशियनों पर बहुत अधिक निर्भर न रहने तथा भारतीय इंजीनियरों एवं तकनीशियनों की प्रतिभा का उपयोग करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का यह भी विचार है कि विदेशों मुद्राके बचाने के लिये कच्चे माल का आयात बहुत कम कर दिया जाये और उसके स्थान पर देश में ही उपलब्ध किन्हीं अन्य कच्चे माल की खोज की जाये तथा मशीनों के पुर्जे देश में ही बनाये जायें; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : सरकार चाहती है कि उद्योग अधिक आत्म-निर्भर बनें और विदेशी सहयोग तथा आयातित कच्चे माल पर उनकी निर्भरता कम हो। सरकार यह भी चाहती है कि भारतीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भारतीय टैक्नीशियनों के प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए यथासंभव अधिक से अधिक प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से जो कार्य किये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) देश में उपलब्ध "तकनीकी ज्ञान" और कार्यविधियों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये प्रत्यक संभव प्रयास किया जाता है। संबंधित तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध होने पर विदेशों से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के प्रस्ताव का आम तौर पर अनुमोदन नहीं किया जाता। इसी उद्देश्य से विदेशी सहयोग स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के संबंध में सिफारिश करने वाली अंतर्मन्त्रालय-समिति में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और तकनीकी विकास महानिदेशालय के बीच निकट तथा निबाध सम्पर्क कायम रखने की भी व्यवस्था कर दी गयी है। इससे तकनीकी विकास महानिदेशालय के अधिकारी आम तौर पर विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के परिणामों अथवा प्रयोगात्मक कारखानों के कार्य-कलाप से अवगत रहते हैं।

(2) विदेशी सहयोग की अवधि बढ़ाने की प्रवृत्ति को साधारणतया प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

(3) सरकार अनिवार्य होने पर भारत में विदेशी टैक्नीशियनों की नियुक्ति की अनुमति तो दे देती है, परन्तु भारतीय टैक्नीशियनों के प्रशिक्षण पर हमेशा ही जोर दिया जाता है ताकि वे यथाशीघ्र विदेशी टैक्नीशियनों के स्थान पर काम संभाल सकें।

(4) भारतीय परामर्शदाता संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे विदेशी परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग करने की ज़रूरत कम से कम

(5) देशी कच्चे माल और हिस्सों-पुर्जों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया जाता है।

(6) आयातित कच्चे माल पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उनके स्थान पर काम में लाये जा सकने योग्य देश में ही उपलब्ध कच्चे माल की खोज करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाता है।

म्योर मिल्स, कानपुर

*216. **श्री वारियर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बसुमतारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) म्योर मिल्स, कानपुर को शीघ्र ही पुनः खोलने तथा चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) मिलों द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी : (क) तथा (ख) : म्योर मिल के लिये 22–12–65 को एक अधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया है। आशा है कि मिल मार्च 1966 के मध्य तक काम करना शुरू कर देगा ।

छोटी कार का निर्माण

*217. **श्री लिंग रेड्डी :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री काजरोलकर :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बाल कृष्णन :
श्री दलजीत सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री बसुमतारी :
श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) फ्रांस तथा (दो) जापान की फ़र्मों के सहयोग से छोटी कार बनाने के काम की आधुनिकतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में मैसूर के मुख्य मंत्री ने भी केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : छोटी कार परियोजना की स्थापना करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है। फ्रांस के मेसर्स रेनाल्ट ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जिसकी जांच की जा रही है। जिस जापानी फर्म ने परियोजना में रुचि दिखाई थी उसने प्रस्तावों का ब्योरा अभी नहीं भेजा है। मैसूर के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० द्वारा विकसित कार के आदि रूप का वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण आरम्भ किया जा सकता है। मैसूर सरकार से योजना का पूरा ब्योरा देने के लिये कहा गया है। इनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

रेलवे फाटकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति

*218. श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के 1,200 रेलवे फ़ाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे के विभिन्न जोनों में, जोनवार, कितने कितने फ़ाटकों पर कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे और वे किन-किन राज्यों में होंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) : एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5594/66**]

चैकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग

*219. श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया इंजीनियरी के क्षेत्र में तथा विभिन्न उद्योगों के लिये संपूर्ण संयंत्र देने के लिये भारत के साथ सहयोग करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) क्या चैकोस्लोवाकिया के विदेश व्यापार के उपमंत्री मिस्टर ई० मिसोवस्की ने गत दिसम्बर में कलकत्ता में इस आशय का वक्तव्य दिया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित की गई प्रायोजनाओं की सूचि :

1. फाउण्डरी फोर्ज प्लाण्ट, रांची ।
2. भारी मशीनी औजार प्रायोजना, रांची ।
3. हाई प्रेशर बायलर प्रायोजना, तिरुचिरापल्ली तथा विस्तार ।

4. भारी वैद्युत् उपकरण संयंत्र, हैदराबाद ।
5. फाउण्डरी फोर्ज प्रायोजना, रांची के लिये 6,000 टन का प्रेस और भट्टियां ।
6 भारी विद्युत् उपकरण संयंत्र, रामचन्द्रपुरम् और विस्तार के लिये अतिरिक्त उपकरण ।
7 औज़ार, ज़ीग और जुड़नार ।
8 भारी प्लेट तथा ज़हाज़ों का कारखाना ।
9 मशीनी औज़ारों के दो नये कारखाने ।
10 फाउण्ड्री फोर्ज, वारघा ।
11 2+110 मं० वा थर्मल पावर केन्द्र ।
12 ट्रेक्टर बनवाने के लिए कारखाना ।
13 वालचन्द नगर उद्योग ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*220. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री स० मो० बानर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों ने सरकार से प्रार्थना की है कि उनके लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कब तक मजूरी बोर्ड स्थापित होने की संभावना है; और

(घ) यदि मजूरी बोर्ड स्थापित नहीं किया जाना है, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : रेल कर्मचारियों के वेतनमान उन वेतन आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के समग्र कर्मचारियों के वेतन-ढांचों तथा सेवा-शर्तों पर समय-समय पर विचार किया है। रेल कर्मचारियों के लिये एक अलग वेतन-बोर्ड स्थापित करना सरकार जरूरी नहीं समझती ।

Prices of Tractors

*221. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri V. V. Thevar :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation has substantially increased the prices of tractors imported from U.S.S.R.;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether this increase will not adversely affect the food production in the country ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

सॉफ्ट कोक (कोयला) का प्रयोग

***222. श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लाटन चौधरी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा सर्वेक्षण समिति तथा राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने यह सिफारिश की है कि सौफट कोक सस्ती वाणिज्यिक स्थानापन्न वस्तु है और इन किस्मों के कोयले के प्रचुर भण्डारों को ध्यान में रखते हुए, जिनसे सौफ्ट कोक का निर्माण होता है, यह घरेलू उपयोग के लिए ईंधन का प्रमुख साधन साबित होगा;

(ख) यदि हां, तो सौफ्ट कोक के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उसे प्रचुर संभरण के स्थानों से खपत वाले स्थानों तक कम खर्च पर तथा नियमित रूप से पहुंचाने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने का विचार किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० क० डे) : (क) ऊर्जा सर्वेक्षण समिति तथा नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड इकनामिक रिसर्च ने स्पष्टत: यह नहीं कहा है कि सोफ्ट कोक एक सस्ता वाणिज्यिक ईंधन है। यह सिफारिश की गई है कि अवाणिज्यिक ईंधन के स्थान पर घरेलू ईंधन के रूप में साफ्ट कोक का प्रयोग हो सकता है।

(ख) सरकार द्वारा जो उपाय पहले ही किए जा चुके हैं उनमें से कुछ यह हैं; साफ्ट कोक के वितरण-नियंत्रण में ढील; साफ्ट कोक के डिपो खोलने के लिए लाइसेंस की प्रणाली को उदार बनाना; कोल-आधृत उद्योगों पर बल देना; राज्य सरकारों को शीघ्र लगने वाले रोपण तथा गोबर गैस-प्लांट को जनप्रिय बनाने के लिए क्रियाशील होने की राय देना।

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा चाहेगए साफ्ट कोक को बौक्स वैगनों के ब्लाक रेक द्वारा पूर्ति के पूंजीभूत केन्द्रों से उपभोग के स्थानों पर भेजा जा रहा है।

Facilities to Third Class Passengers

***223. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether certain decisions have been taken to give more facilities to the third class passengers;

(b) whether it is a fact that overcrowding is the main problem of third class passengers;

(c) if so, what steps are proposed to be taken to overcome overcrowding; and

(d) the progress made in running more trains and attaching more compartments to the existing trains on the over-crowded routes ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The policy is to provide as much facilities as feasible to third class passengers commensurate with the financial implications.

(b) Yes, Sir, on certain important trains which are popular.

(c) and (d). Additional trains are being introduced besides extending runs of existing services and augmentation of their loads. As a result thereof, there has been an increase of 42% on B.G. and 34% on M.G. in Coaching Vehicle Kilometreage in 1964-65 as compared to 1954-55.

विदेशी सहयोग

*224. **श्री दाजी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल ही में उद्योगों की समस्याओं के संबंध में आयोजित एक गोष्ठी ने यह मत व्यक्त किया है कि भारत में उन क्षेत्रों में भी, जिनमें कि स्वदेश में ही तकनीकी लोग विद्यमान हैं, उद्योगपतियों ने विदेशी सहयोग प्राप्त किया है और सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह जानने के लिये, कि किन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग अनावश्यक तौर पर मंजूर की गई थी, क्या औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का कोई विश्लेषण किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया): (क) माननीय सदस्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सम्मेलन का उल्लेख करते जान पड़ते है। सरकार देश में ही उपलब्ध जानकारी तथा प्रक्रियाओं का, जहां तक व्यवहारिक होगा, पूरा उपयोग करने के प्रति पूरी तरह सजग है। देश में उपलब्ध जानकारी तथा प्रक्रियाओं के देश में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों में उसके उपयोग को बढ़ाने तथा विदेशी सहयोग के लिए केवल वहीं अनुमति देने के लिए, जहां कहीं वह आवश्यक होगा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को उन अन्तर-मंत्रालय समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है जो (1) औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्रों पर विचार करती है; और (2) विदेशी सहयोग की शर्तों की स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्रों पर विचार करती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेन्ट निगम

*225. **श्री हरिश्चन्द्र माथूर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० पू० ना० खां :
श्री काजरोलकर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बासप्पा :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में सीमेंट निगम के लिये क्या उत्पादन कार्यक्रम तथा लक्ष्य निर्धारित किये गये है और उसे क्या संसाधन उपलब्ध किये गये है अथवा किये जाने वाले है;

(ख) वर्ष 1966 में तथा अगले चार वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक कारखाने में उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है; और

(ग) नये कारखानों के लिये तथा वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिये मंजूर किये गये लाइसैंसों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5595/66]**

सवारी गाड़ियों में रेलव के सामान की चोरी

*226. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री शिंकरे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवनाथ पाण्डेय :
श्री हेमराज :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की सवारी गाड़ियों के डिब्बों से बिजली के बल्बों और बिजली के अन्य सामान की चोरी के कारण प्रति वर्ष होने वाली हानि का अनमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो 1965 में कुल कितने मूल्य का सामान चोरी हुआ;

(ग) क्या सामान यार्ड से चुराया जाता है अथवा चलती हुई गाड़ियों से; और

(घ) इन चोरियों के लिये कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) शुद्ध हानि की रकम 11.20 लाख रुपये आती है।

(ग) दोनों जगहों से।

(घ) 976।

रुरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार

*227. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री लिंग रेड्डी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री महेश्वर नायक :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तकनीशनों ने रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तानर से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर लिया है;

(ख) क्या प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया गया है, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रतिवेदन पश्चिम जर्मनी के पक्षों को दिखा दिया गया है और क्या उन्होंने इसका अनुमोदन कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संयंत्र के विस्तार के लिये उन्होंने किस प्रकार की सहायता देने का वायदा किया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन कक्ष ने राउरकेला इस्पात कारखाने के और अधिक विस्तार के लिए एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया है। यह प्रतिवेदन सरकार को कुछ दिन पहले मिला था। प्रतिवेदन की अभी जांच की जा रही है। इसे अभी तक पश्चिमी जर्मनी के प्राधिकारियों को नहीं दिखाया गया है। जैसे ही सरकार प्रतिवेदन की मुख्य बातों पर निर्णय कर लेगी, पश्चिमी जर्मनी के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

सेलम इस्पात कारखाना

*228. **श्री राम हरख यादव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री काजरोलकर :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मुथिया :
श्री मलाइ छामी :
श्री रामपुरे :
श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्री सेझियान :
श्री राजा राम :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात कारखाना परियोजना की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जापानी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ग) यदि हां, तो उस में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई है; और

(घ) यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो कब तक इसके प्रस्तुत हो जाने की संभावना है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख): सरकार को अभी तक जापानी टीम का प्रतिवेदन नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लगभग एक महीने में।

India United Mills, Bombay

*229. **Shri Madhu Limaye :** **Shrimati Maimoona Sultan :**
Dr. L. M. Singhvi : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Karni Singhji :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the date on which the workers of India United Mills Bombay were paid the pay and arrears of their dues after the taking over of the Mills by Government on the 29th November, 1965;

(b) whether the amounts agreed to be advanced by the Central and the State Governments to the new management of the mills have since been paid to them; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) The arrears of wages were paid on the 10th and 23rd December, 1965 and 22nd January 1966 for October, November and December 1965 respectively.

(b) and (c). No specific amounts were agreed to be advanced to the Authorised Controller of the mills. However, so far, loans totalling Rs. 212 lakhs have been advanced to him by the Central and State Governments.

संयुक्त अरब गणराज्य में जल शुद्धि-करण सयंत्र

*230. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय फर्म द्वारा संयक्त अरब गणराज्य में 4.5 करोड़ रुपये की लागत से जल शद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये जाने के बारे में बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस से संयुक्त अरब गणराज्य को कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जल शुद्धिकरण संयंत्रों का संभरण करने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकारियों ने टेण्डर निकाले थे। इनके जवाब में भारतीय फर्मों के एक दल ने अपने प्रस्ताव भेजे है। भारतीय दल अब भी संयुक्त अरब गणराज्य के सम्बद्ध अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है।

Sugar Mill in Nigeria

*231. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwidvedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bishwanath Roy :
Shri Bal Krishna Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Government of India propose to set up a Sugar Mill in Nigeria ;

(b) if so, the broad features thereof;

(c) whether it is proposed to set up Sugar Mills in some other countries as well; and

(d) if so, the nature of the proposal in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Yes Sir. Government have signed a Memorandum of agreement with the Government of Uganda for setting up a sugar factory in that country.

(d)(i) In cooperation with Indian private parties the Government of India will participate with the Government of Uganda and Ugandn parties for the expansion of the sugar manufacturing capacity in Uganda by 50,000 tons a year by setting up a sugarcane farm and factory.

(ii) Indian participation will be in the form of supply of technical know-how and also supply of sugar manufacturing machinery and equipment, materials for factory buildings and other purchases made in India for the project.

बरौनी-कटिहार पार्सल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

*232. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 444 डाउन बरौनी-कटिहार यात्री पार्सल गाड़ी 14 दिसम्बर, 1965 को खगरिया और मानसी दोहरी लाइन पर पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या इसकी जांच कराई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया और 10 घायल हुए।

(ग) और (घ) : लखनऊ-स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी, लेकिन अभी उन्होंने अन्तिम रूप से अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

स्कूटरों का निर्माण

*233. **श्रीमती विमला देवी :** **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर साइकिल तथा स्कूटर के बनाने के लाइसेंसों की मंजूरी के लिए वर्ष 1965 में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) क्या आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई है और उन पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : मोटर साइकिलों, स्कूटरों और आटो-साइकिलों का निर्माण करने के लिये 1965 में 189 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदन-पत्रों की विस्तृत छानबीन की जा रही है जिसके शीघ्र ही पूरी हो जाने की आशा है। आवेदन-पत्रों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इन पर विचार करने में बहुत समय लगेगा और उस पर काफी ध्यान भी देना होगा। इनमें से बहुत से आवेदन-पत्रों में वह महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं थी जिसका होना उनकी जांच करने के लिये आवश्यक होता है तथा कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मंगानी पड़ी थी तथा आवेदन-पत्रों की जांच तकनीकी, आर्थिक एवं अन्य विभिन्न पहलुओं के आधार पर करनी पड़ती है।

स्कूटरों तथा साइकिलों के टायरों की कमी

*234. **श्री विश्राम प्रसाद :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री उटिया :**
श्री बागड़ी : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री किशन पटनायक : **श्री घुलेश्वर मीना :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूटरों तथा साइकिलों के टायरों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरे दर्जे के शयनयान (स्लीपर कोच)

*235. **श्री दी० चं० शर्मा :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे पर नये डिजाइन के दूसरे दर्जे के शयनयानों की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन नये शयनयानों की मुख्य रूपरेखा क्या है और उनकी व्यवस्था कब से किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। आजकल जहां साधारण टाइप के दूसरे दर्जे के पूरे यान चल रहे है उनके बदले पूव रेलव सहित सभी रेलों पर बड़ी लाइन के दूसरें दर्जे के यान की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है। इन यानों में बठने तथा सोने की सुविधाएं होंगी। ये सुविधाएं केवल लम्बी दूरी वाली डाक एक्सप्रस गाड़ियों में ही दी जायेगी, जिनमें रात्रि में यात्रा करनी पड़ती है।

(ख) सभा-पटल पर एक बयान रख दिया गया है जिसमें नये अभिकल्प की विस्तृत रूप रेखा दी गयी है।

बड़ी लाइन के दूसरे दर्जे के ऐसे शयन-यान उत्तरोत्तर दो वर्ष के समय में चालू कर दिये जायेंगे जिनमें बैठने तथा सोने की सुविधाएं होंगी।

बड़ी लाइन के दूसरे दर्जे के नये डिब्बे जिनमें बैठने तथा सोने की सुविधाओं की व्यवस्था होगी उनकी विस्तृत रूप रेखा इस प्रकार होगी :—

(1) डिब्बे के आधे भाग में 32 यात्रियों के लिए केवल बैठने की जगहें होंगी।

(2) दूसरे आधे भाग में शयन-कक्ष होगा जिसमें दिन में 30 यात्रियों के लिए बैठने की जगह और रात में 11 निचली तथा 11 ऊपर वाली शायिकाओं में जिनमें रबड़ के गद्दे होंगे, उनमें 22 यात्रियों के सोने के स्थान होंगे। इस कक्ष में रात के समय केवल 22 यात्रियों को रहने दिया जायगा और दिन के समय केवल अतिरिक्त आठ यात्रियों को बैठने की अनुमति दी जायेगी।

(3) इस डिब्बे में बैठने और सोने के कक्षों के बीच में आने-जाने की व्यवस्था की जायेगी और प्रत्येक डिब्बे में एक परिचर की व्यवस्था की जायेगी ताकि यात्रियों को असुविधा न होने पाये।

(4) निर्दिष्ट मानक के अनुसार इन डिब्बों में अन्य सुविधाएं जैसे शौचालय, चिलमची और बाहर शीश लगाने, सामान घर और पंखों आदि की व्यवस्था की जायेगी।

इमारती लकड़ी तैयार करने से संबंधित जापानी शिष्टमंडल

*236. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **श्री राजेश्वर पटेल :**

श्री रवीन्द्र वर्मा : **श्री रा० बरुआ :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इमारती लकड़ी तैयार करने वाले जापानी विशेषज्ञों के एक शिष्ट-मंडल ने हाल ही में भारत के उन क्षत्रों का दौरा किया था, जहां पर इमारती लकड़ी के भण्डार है; और

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल ने सरकार के सामने क्या प्रस्ताव पेश किये है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां। जापानी विशेषज्ञों के एक दल ने जिसने सजावट का फर्नीचर बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त की है, हाल ही में मैसूर का दौरा किया था और इमारती लकड़ी की उपलब्धता के लिए कुछ वनों का भी निरीक्षण किया था।

(ख) इस दल ने अभी तक सरकार को कोई विशेष सुझाव नहीं दिए है।

Accumulation of Cloth with Textile Mills

*237. **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri S. M. Banerjee :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Zha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question 65 on the 5th November, 1965 and state :

(a) the number of textile mills which have been given financial assistance and grants-in-aid to-date;

(b) the number of mills which have been closed down during the months of December, 1965 and January, 1966; and

(c) the steps taken to prevent large-scale retrenchment in textile mills and the closure of such mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) Two cotton textile mills which have been placed under the management of Authorised Controllers have been given financial assistance by the Central Government and the State Government concerned on 50 : 50 basis. Three other mills have been offered financial assistance by way of Government guarantees for loans which they may obtain from the banks. No grants-in-aid have been given.

(b) Four Cotton textile mills closed down during December, 1965 and two during January, 1966, one of which reopened in the first week of February.

(c) (1) Government are keeping a watch over the position of closure of textile mills in the country. Whenever found necessary investigations under section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 are instituted and on the basis of investigation reports, action is taken in suitable cases to resume the working of closed mills, by the appointment of Authorised Controllers.

(2) The Reserve Bank of India has issued instructions for the grant of some additional credit facilities to enable mills to hold more than normal stocks of cloth and yarn.

(3) Government is also helping mills in suitable cases to get loans against Government guarantees.

(4) Licenses are being granted for setting up new mills in place of scrapped mills at the same location in order to absorb the whole labour force.

(5) A Note giving the broad details is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-5596/66].**

गुडूर जंक्शन की इमारत

870. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुडूर जंक्शन पर बन रही एक इमारत की दूसरी मंजिल गिर पड़ी जब कि वहां पर कार्य हो रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा था या रेलवे द्वारा हो रहा था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कारण की जांच की जा रही है।

(ग) लगभग 4,000 रुपये।

(घ) यह काम रेलवे के स्थानीय ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था।

रेलवे में प्रतिकर के मामलें

871. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में रेलवे के विभिन्न खंडों में, रेलवे द्वारा मार्ग में खोये गये माल के कितने प्रतिकर के मामले दर्ज कराये गये; कितने मामलों का निबटारा किया गया तथा इस अवधि में कितने मामले निलम्बित है;

(ख) उक्त अवधि में कितना धन प्रतिकर के रूप में दिया गया; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों की क्या स्थिति रही है ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : एक बयान मत्थी है, जिसमें यह बताया गया है कि 1962-63, 1963-64 और 1964-65 के तीन वर्षों तथा दिसम्बर, 1965 तक समाप्त होने वाले नौ महीनों में कितने दावे प्राप्त हुए, कितने दावों का निबटारा किया गया और कितने दावे अनिर्णित थे और मुआवजे के रूप में कितना भुगतान किया गया।

मुआवजे के लिए जो दावे किये जाते है और जो दावे अस्वीकार कर दिये जाते हैं, उनके आंकड़े कारणों के अनुसार संकलित नहीं किये जाते। बयान में जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें पूरी तथा आंशिक हानि और क्षति दोनों शामिल है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5597/66]**

झाझा में रेलवे गोदाम

872. श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान झाझा (पूर्वी रेलवे) में स्थित गोदाम से जो रेलवे पटरी के दक्षिण में नहीं अपितु उत्तर में है, होने वाली असुविधा की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि गोदाम से बाजार तक जाने वाला भूमिगत मार्ग (रेलवे लाइन के दक्षिण की ओर) बरसात में पानी से भर जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए उक्त गोदाम को उत्तर से हटा कर दक्षिण में ले जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यह निर्णय कब तक लागू किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य ने जिस भूगत मार्ग का उल्लेख किया है वह वास्तव में एक पुलिया है जो पानी के निकास से काम आती है। रेलवे लाइन के उत्तर में स्थित मालगोदाम से दक्षिण में स्थित स्थानीय

बाजार के बीच यातायात के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बरसात के मौसम में इस पुलिया में पानी भर जाता है और कुछ घंटों तक वहां से गुजराना मुश्किल हो जाता है।

(ग) माल गोदाम को रेलवे लाइन के उत्तर से हटाने के प्रस्ताव पर रेल प्रशासन विचार कर रहा है।

(घ) चूंकि इस स्टेशन पर यातायात बहुत कम होता है अर्थात् प्रति दिन केवल 3 आगत माल डिब्बों और एक निर्गम माल-डिब्बे का यातायात होता है। इसलिए यह काम निम्न प्राथमिकता का है और धन की कमी के कारण तथा प्राथमिकता के अन्य कामों को देखते हुए इस काम को हाथ में नहीं लिया जा सका।

नेवेली तापीय बिजली घर

873. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवली में सातवां 100 मैगावाट तापीय बिजली एकक की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या निर्माण कार्य निर्धारित समय सूची के अनुसार हो रहा है;

(ग) क्या इसे मार्च, 1966 में चालू किया जायेगा; जैसा कि पहले निर्णय किया जा चुका है; और

(घ) क्या यह रूसी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क), (ख) और (ग): नेवेली थर्मल पावर विकास (250-400 मेगावाट) के सातवें 100 मेगावाट एकक से संबंधित असैनिक कार्यों का लगभग 83 प्रतिशत भाग पूरा हो चुका है तथा इसके विभिन्न प्रभागों का उच्छ्रयण विभिन्न स्थितियों में हैं। प्रारम्भ में इस एकक को एक वाष्पित्र के साथ मार्च 1966 तथा दूसरे वाष्पित्र के साथ अगस्त 1966 में चालू करने का था क्योंकि माल 1965 की अंतिम तिमाही तक प्राप्त हो जाने की आशा थी। परन्तु कुछ महत्वपूर्ण उद्रेरवों के देर में प्राप्त होने तथा बिजली व मैकानिकल उपकरणों के अधिकांश की अनुपलब्धि के कारण एकक के सितम्बर 1966 में चालू होने की आशा है।

(घ) हां महोदय।

रेलवे विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से ऋण

874. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1966 में रेलवे विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने के सम्बन्ध में बातचीत करने का विचार कर रही है; और

(ख) जिस विकास के लिए ऋण को प्रयोग में लाया जायेगा उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हाँ।

(ख) यह कर्ज़ इस लिए लिया जा रहा है कि इससे बजट प्रलेखों में दिखाये गये रेलवे कार्यक्रम के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा में किये जाने वाले भुगतान की अदायगी की जा सके। इस कार्यक्रम में मुख्यत: चल स्टाक और दिल्ली योजना के पुर्जे, सिगनल उपस्कर, कारखानों की मशीनें आदि शामिल हैं लेकिन इसके पहले यह देख लिया जायेगा कि रेलवे के सामान और पुर्जों की लागत चुकाने के लिये अन्य प्रकार का कितना (द्विपक्षीय) धन उपलब्ध है या उपलब्ध होने की आशा है।

गोविन्दसागर-जम्मू रेलवे लाइन

875. **श्री कर्णी सिंहजी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर के सामरिक महत्व को देखते हुए, चौथी योजना में गोविन्दसागर से जम्मू तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए क्या प्राथमिकता निर्धारित की गई है; और

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख): रेलवे लाइन को कठुआ (गोविन्द-सागर) से और आगे जम्मू तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण हो चुका है और सर्वेक्षण किये गये वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया जा रहा है। लाइन किस मार्ग से निकाली जाय अथवा इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल किया जाय या नहीं, इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

कोचीन बंबई एक्सप्रेस गाड़ी

876. **श्री अ० व० राघवन :** **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री अ० क० गोपालन : **श्री वारियर :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औलवक्काड रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (दक्षिण रेलवे) ने कोचीन तथा बंबई के बीच प्रति दिन एक एक्सप्रेस गाड़ी चालू करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गर्मी के महीनों को छोड़ कर जबकि बम्बई और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच, छुट्टियों की भीड़ को सम्हालने के लिए, स्पेशल गाड़ियां चलायी जाती हैं, कोचीन हार्बर टर्मिनस और बम्बई के बीच इस समय जो थ्रू सवारी डिब्बे उपलब्ध है वे वर्तमान थ्रू यातायात को सन्तोष-जनक रूप से सम्हाल रहे है। बम्बई और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच प्रति दिन एक पूरी गाड़ी चलाने के लिये यातायात की दृष्टि से फ़िलहाल पर्याप्त औचित्य नहीं है।

केरल में रेलवे वर्कशाप

877. **श्री अ० व० राघवन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सवारी डिब्बों, माल डिब्बों तथा रेल-इंजिनों की मरम्मत के लिए केरल में एक बड़ा मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) दक्षिणी रेलवे के पास ऐसे कितने वर्कशाप हैं और वे किन किन स्थानों में हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिणी रेलवे में कितने नये बड़े मरम्मत के कारखाने खोलने का विचार किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) दक्षिण रेलवे में रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत के लिए निम्न-लिखित पांच कारखाने हैं :—

कारखाने का नाम	स्थान
(1) पैरम्बूर (लोको) कारखाना . . .	पैरम्बूर, मद्रास
(2) पैरम्बूर (सवारी व माल डिब्बा) कारखाना . .	पैरम्बूर, मद्रास
(3) गोल्डन राक कारखाना	गोल्डन राक, मद्रास
(4) हुबली कारखाना	हुबली, मैसूर
(5) मैसूर कारखाना	मैसूर

(ग) कुछ नहीं।

प्रयाग रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क की मरम्मत

878. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे फाटक से उत्तर रेलवे के उत्तर प्रयाग रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद तक दक्षिण की ओर लगभग 200 गज की दूरी पर एक अतिरिक्त मार्ग की व्यवस्था करने के लिए इस सड़क के पहले के भाग के स्थान पर रेलवे प्रशासन द्वारा विलिंगटन रोड का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस सड़क की जिसे सरकार ने 12 वर्ष से भी पहले अपने अधिकार में लिया था तब से अब तक मरम्मत नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सड़क की हालत संतोषजनक रूप से सुधारने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख): सभवत: माननीय सदस्य का आशय प्रयाग में समपार के निकट राम प्रिया रोड से है। प्रयाग यार्ड के विस्तार के कारण इस सड़क को घुमाकर बनाने के लिए सड़क का कुछ भाग रेलवे को अपने खर्च पर बनाना पड़ा। चूंकि यह रेलवे सड़क नहीं है, बल्कि एक आम सड़क है, इसलिए इसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी सम्बन्धित सड़क प्राधिकारी पर है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

बस्तीयारपुर जंक्शन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

879. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 दिसम्बर, 1965 की प्रात: को पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन पर, बस्तीयारपुर जंक्शन पर यू० पी० टाटा-पटना एक्सप्रेस गाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का कारण क्या था और क्या उस में कोई हताहत हुआ ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) गाड़ी नं० 87 अप साउथ बिहार एक्सप्रेस की सबसे पिछली बोगी पटरी से उतर गयी थी।

(ख) यह दुर्घटना पटरी में खराबी के कारण हुई। कोई हताहत नहीं हुआ।

वाराणसी में टाइप की मशीनें बनाने वाला कारखाना

880. **श्री राम हरख यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में वाराणसी में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से टाइप की मशीनें बनाने वाला एक कारखाना खोलने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से वाराणसी जिले में मुगलसराय के निकट दुल्हईपुर में कारखाने की स्थापना करने के लिये एक प्राइवट पार्टी को एक आशय-पत्र जारी कर दिया गया है । योजना के ब्योरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

खादी आयोग

881. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से खादी आयोग बना है उसने उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो सके क्या कारण हैं; और

(ग) आयोग की वित्तीय स्थिति पर निगरानी के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आयोग की वित्तीय आवश्यकताओं की उस समय जांच की जाती है जब बजट प्राक्कलनों और पुनरीक्षित प्राक्कलनों की जांच की जाती है और जब सरकार आयोग को हर तिमाही धन राशि देना मंजूर करती है । परिव्यय, राज्य बोर्डों और संस्थानों को बांटी गयी राशि, राज्य बोर्डों और संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्रों में हुई प्रगति की जांच आयोग की मासिक बठकों में की जाती है जिसमें सरकारी प्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं । जब आयोग के जांचे हुये वार्षिक लेखे प्राप्त होते हैं और उनकी जांच की जाती है और जब सार्वजनिक लेखा समिति के लिये उत्तरों का मसौदा तैयार किया जाता है तब आयोग की वित्तीय स्थिति की पुनः सावधानी से जांच कर ली जाती है ।

खादी आयोग को ऋण

882. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खादी आयोग को 31 दिसम्बर, 1965 तक कुल कितना ऋण दिया;

(ख) आयोग द्वारा कितना ऋण तथा उस पर कितना व्याज समय पर लौटाया गया; और

(ग) प्राप्य राशियां वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 65.10 करोड़ रु० ।

(ख) तथा (ग) : आयोग द्वारा सरकार को ऋण लौटाये जाने के लिये संस्थानों को आयोग द्वारा दिये गये ऋण की वापसी आवश्यक होगी । इससे आयोग के उत्पादन कायक्रमो पर असर पड़ेगा क्योंकि संस्थानों के पास कोई कार्यकारी पूंजी नहीं है। आयोग के लिय कायकारी पूंजी के

परिमाण का आयोग और सरकार द्वारा मूल्यांकन किये जाने तक, लौटाये जाने योग्य ऋणों का नवीकरण किया जा रहा है जिससे वे कार्यकारी पूंजी के रूप में प्रयुक्त हो सकें।

आयोग ने राज्य बोर्डों और संस्थानों से 50,08,152 रु० ब्याज वसूल किया और उसने उसे सरकार के पास जमा करा दिया है।

ऋणों के अनुदान में संबंधित शर्तों और अस्थाओं के अनुसार सरकार ब्याज में रियायत देने के बजाय उपदान देती है और आयोग द्वारा सरकार को देय ब्याज में होने वाली कमी को पूरा करने के लिये धन राशि जमा कर लेती है।

राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को ऋण

883. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी आयोग ने विभिन्न राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को 31 दिसम्बर, 1965 तक ऋण के रूप में कितनी राशि दी है;

(ख) प्रत्येक बोर्ड ने आयोग को 31 दिसम्बर, 1965 तक कितनी राशि लौटाई है; और

(ग) अवशेष राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग): जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

सघन-क्षेत्र योजना

884. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग की "सघन क्षेत्र योजना" की क्रियान्विति का अध्ययन करने के लिए प्रो० राव के सभापतित्व में एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति किस नतीजे पर पहुंची और उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) खादी आयोग ने उन सिफारिशों को कहां तक लागू किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कहने पर "इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ" ने सघन क्षेत्र योजना के कार्यचालन का अध्ययन करना स्वीकार कर लिया था। इंस्टीट्यूट के निदेशक डा० वी० के० आर० वी० राव ने डा० खुसरो तथा डा० लक्ष्मीनारायण के सहयोग से यह अध्ययन किया और एक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5598/66।]**

(ग) समाकलित विकास कार्यक्रम को अमल में लाते समय आयोग इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखता है।

Production of Tar Gur

885. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Khadi Commission entrusted the work of 'tar gur' production to Akhil Bhartiya Sarva Sewa Sangh;

(b) if so when, and the terms therefor;

(c) the results thereof; and

(d) the quantity of 'tar gur' produced during the years 1962 to 1965 (year-wise) and the earnings and the expenses of this industry for the same period (year-wise) ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

उप-उत्पादक हार्ड कोक का मूल्य

886. श्री राम हरख यादव : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 जनवरी, 1966 से उप-उत्पादक हार्ड कोक के मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई समिति बनाई है; और

(ग) इस समिति के सदस्य कौन कौन है और समिति के क्या क्या कार्य हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) समिति के सदस्य इस प्रकार हैं :—

(1) कोयला नियंत्रक . . सभापति

(2) इनमें से प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि :—

(1) हिन्दुस्तान स्टील लि०

(2) टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०

(3) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०

(4) दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि० (पश्चिम बंगाल सरकार के)

(5) रेलवेज़

(3) हार्ड कोक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन ।

समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) उन कीमतों का पुनर्विलोकन करना जिन पर भिन्न भिन्न कोक संयंत्रों द्वारा हार्ड कोक के उप-पदार्थ को समय समय पर बेचा जाता है ।

(2) उचित और ठीक कीमतों को बताना जिन्हें उत्पादक वसूल कर सकें ।

(3) यह सुनिश्चित करना कि पूर्वता उपभोक्ता हार्ड कोक उप-पदार्थ को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकें; और

(4) नियंत्रण हटाने के फल स्वरूप उत्पन्न वितरण सम्बन्धी समस्यायों पर विचार करना तथा उनके विषय में सन्तोषजनक व्यवस्थाएं करना ।

शल्य चिकित्सा में सिलाई के काम आने वाली तांत (कैटगंट) का मूल्य

887. श्री मुरली मनोहर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने शल्य चिकित्सा में सिलाई के काम आने वाली तांत (कैटगंट) के मूल्य ढांचे की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) वर्ष 1965 में कैटगंट का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां।

(ख) टरिफ आयोग के प्रतिवेदन की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) 1965 में तांत (कैटगंट) का कुल उत्पादन 215,119 दर्जन ट्यूब हुआ। इसमें सादा, ऋोमिक तथा सिलाई के काम आने वाली विभिन्न आकारों तथा विशिष्टयों की तांत शामिल है।

Doubling of Railway Line from Delhi-Kishanganj to Rohtak

889. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1883 on the 10th September, 1965 about the doubling of railway line between Delhi-Kishanganj and Rohtak and state the progress since made in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : The doubling of the line between Delhi Kishanganj and Shakurbasti has been approved and included in the Budget for 1966-67.

मूंगफली की फसल

890. श्री लाटन चौधरी :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष मूंगफली का उत्पादन बहुत कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस का तेल उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री सजीवया) : (क) जी, हां। 1965-66 में मूंगफली का उत्पादन 1964-65 की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।

(ख) इसके कारण मूंगफली के तेल में भी उसी अनुपात से कमी हो जायेगी।

राजस्थान की बंजारा जाति

891. श्री शिव चरण माथर : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की "बंजारा" जाति को अनुसूचित आदिम जातियों की श्रेणी में सम्मिलित करने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार संसद में कोई विधेयक लाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब और इस जाति के उत्थान के लिये कौन सी अन्तरिम प्रशासनिक सहायता देने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क), (ख) और (ग) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न विचाराधीन है और सभी मामलों में निर्णय लिये जा चुकने के पश्चात् एक समेकित विधेयक संसद में पेश किया जायेगा। इस स्तर पर कोई प्रशासनिक सहायता देना अवेक्षित नहीं है।

तलाईमन्नार धनुषकोटि नौका सेवा

892. **डॉ० निवासन :**

श्री परमशिवन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के लिये धनुषकोटि नौका सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख को चालू की जायेगी और इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : रेलवे द्वारा धनुषकोडि और तलाईमन्नार के बीच घाट उतराई व्यवस्था फिर से शुरू करने का कोई विचार नहीं है। केन्द्रीय सरकार का परिवहन मंत्रालय इस क्षेत्र में जल्दी ही घाट उतराई व्यवस्था शुरू करने का विचार कर रहा है लेकिन उसने प्रस्तावित सेवा शुरू करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की है।

Turn-key jobs undertaken by Indian firms in foreign countries

893. Shri Yudhvir Singh :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Bade :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 787 on the 10th December, 1965 and state the details of the turn-key jobs undertaken by the Indian firms in foreign countries during the year 1965 ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : The major turn-key job undertaken by Indian firms in foreign countries during the year 1965 was of a contract in Nigeria for laying transmission lines.

बिना टिकट यात्रा

894. **श्री यशपाल सिंह:** **श्री बागड़ी:**

श्री बाल्मीकी : **डॉ० राम मनोहर लोहिया :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्रा बढ़ रही है, विशेष रूप से दिल्ली जंक्शन पर आने तथा वहां से जाने वाली गाड़ियों पर विद्यार्थियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है;

(ख) पिछले एक वर्ष में बिना टिकट यात्रा करते हुए कितने व्यक्ति पकड़े गये;

(ग) उन से जुर्माना के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(घ) बिना टिकट यात्रा को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०राम सुभग सिंह): (क) विद्यार्थियों द्वारा की गयी बिना टिकट यात्रा के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। कुल मिलाकर दिल्ली डिवीजन में बिना टिकट यात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : 1965 में दिल्ली डिवीजन में 238804 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गय तथा 11,302 रु० जुर्माना के रूप में वसूल किये गये।

(घ) टिकटों की जांच करने के लिये जो सामान्य व्यवस्था की गयी है उसके अलावा बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए विशेष कदम भी उठाये गये है, जिनमें उड़न-दस्तों की सहायता से

अचानक जांच करना तथा गाड़ी को मार्ग में रोककर जांच करना, सादी पोशाक में चल टिकट परीक्षकों को तनात करना, स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रटों तथा समाज सेवी संगठनों के स्वयंसेवकों की सहायता से जांच करना और अफसरों द्वारा छिपे तौर पर जांच करना आदि शामिल है।

रेलवे स्टेशनों पर अश्लील साहित्य का विक्रय

895. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशनों पर अश्लील साहित्य तथा पत्रिकाएं बिकती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे साहित्य की बिक्री रोकने के लिये क्या कदम उ । रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख) : रेल प्रशासनों और पुस्तक की दुकानों के ठेकेदारों के बीच जो करार है, उसमें निम्नलिखित खंड भी शामिल है :—

"लाइसेंसदाता को किसी अश्लील या कुत्सित प्रकाशन की और किसी ऐसे प्रकाशन की, जिसके बारे में यथार्थ, पर्याप्त और उचित आपत्ति उठायी जा सकती हो, बिक्री या प्रदर्शन निषिद्ध करने का अधिकार होगा, और इस सम्बन्ध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम और लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकर होगा"।

पुस्तक की दूकानों के ठेकेदारों द्वारा अश्लील साहित्य की बिक्री रोकने के लिए विभागीय अधिकारि यों और पुस्तकों की दूकानों की गैर-सरकारी सलाहकार समितियों, के सदस्यों द्वारा दूकानों को निरीक्षण किया जाता है। जहां कहीं ठेकेदार अश्लील साहित्य की बिक्री करते हुए पाये जाते हैं, करार की शर्तों के अधीन उनके विरुद्ध प्रतिरोधक कार्रवाई की जाती है। लेकिन हाल में एक मामले में, जिसमें एक समाचार-पत्र की बिक्री इस आधार पर निषिद्ध कर दी गयी थी कि वह समाचार-पत्र अश्लील समझा गया था, पंजाब हाई कोर्ट ने उस समाचार-पत्र के मालिक द्वारा दायर की गयी याचिका पर यह निर्णय दिया है कि रेलवे बोर्ड को किसी प्रकाशन के बारे में स्वत: यह मान कर कि वह प्रकाशन अश्लील है, उसकी बिक्री पर रोक लगाने का पराधिकार कानूनन तब तक नहीं है जब तक कि वह प्रकाशन सरकार द्वारा पहले से अश्लील घोषित न कर दिया गया हो। इस निर्णय को देखते हुए बिक्री पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था उसे उठा लिया गया। इस निर्णय से जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उस पर विचार किया जा रहा है।

जरी का काम

896. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जरी उद्योग में कारीगरों की बेरोजगारी के बारे में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें फिर से रोज़गार दिलाने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सूरत के ज़री उद्योग की बेकारी की जांच अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(ख) जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर इस बारे में विचार किया जायगा ।

लोकुर समिति के सदस्य को यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता

897. श्री गुलशन :

श्री बूटा सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची के पुनरीक्षण सम्बन्धी "लोकुर समिति" के तीन सदस्यों को 1965 में यात्रा भत्ते तथा मंहगाई भत्ते के रुप में कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) समिति द्वारा रखे गए कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते मिला कर समिति ने कुल कितनी धन राशि खर्च की; और

(ग) क्या सरकार ने समिति को सारे भारत का दौरा करने तथा खर्चा करने का अधिकार दिया था ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : समिति के तीन सदस्य तथा अन्य कर्मचारी, जो सभी सरकारी अधिकारी थे, अपने सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों में अपने काम के अलावा यह अतिरिक्त काम कर रहेथे । समिति द्वारा खर्च की गई राशि के बारे में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) हां ।

खेतिहर हरिजन मजदूर

898. श्री बूटा सिंह :

श्री गुलशन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारको विदित है कि देश में विभिन्न राज्यों में अधिकांश खेतिहर हरिजन मज़दूर या तो बेरोजगार है या उन्हें अल्प रोजगार मिला हुआ है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन मज़दूरों को दीर्घ-कालीन पट्टे पर कृषि-भूमि प्रदान करने के लिए कुछ कार्यवाही करने का है ताकि खाद्य-उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमिहीन खेतीहर मज़दूरों के पुनर्वास के लिये भूमि प्रदान करने के वास्ते केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार की वित्तीय सहायता देने की एक योजना है । हरिजन खेतीहर मज़दूरों को भी इस योजना से लाभ मिलता है ।

हरिजन

899. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हरिजनों की शिकायतों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) : इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तो भी, अस्पृश्यता के प्रश्न पर तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान तथा शिक्षा संबंधी विकास से सम्बन्धित समस्यायों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । उसकी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों की आवश्यकतायें भी आंकी जायेगी । समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

बच्चों के लिए अवकाश शिविर (होली डे कैम्प)

900. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **श्री रविन्द्र वर्मा :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री रा० बरुआ :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के लिए अवकाश शिविर स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली 1958 से बच्चों के लिये अवकाश गृहों की एक योजना पर अमल कर रहा है । इस योजना के अधीन बोर्ड 10-16 वर्ष तक की आय के बच्चों के लिये, जो उन परिवारों के हैं; जिनकी वार्षिक आय 3,000 रुपये या उससे कम है, अवकाश शिविर संगठित करने के लिये स्वच्छिक कल्याण संस्थाओं को सहायक अनुदान देता है । अनुदान की, जो 50 बच्चों के लिये 15 दिन के शिविर के लिये मंजूर की जा सकती है, अधिकतम धन राशि 3,000 रुपये है । योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(क) घरों के बाहर के जीवन के प्रति सराहना तथा वास्तविक आनन्द को बढ़ावा देना;

(ख) सामुदायिक जीवन की, जिसकी आयोजना करने तथा कार्यक्रम को अमल में लाने में शिबिर का प्रत्येक बालक भाग लेता है, देने और लेने की भावना के द्वारा नागरिकता का प्रशिक्षण देना; तथा

(ग) भाग लेने वाले प्रत्येक बालक की शारीरिक और सामाजिक स्वस्थता में योग देना तथा नेतृत्व, प्रशिक्षण, साधनपूर्णता, अभिक्रमशीलता तथा आत्मनिर्भरता का विकास करने में सहायता देना ।

पुस्तकों का आयात

901. श्री नारायण दास :
श्री बागड़ी :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री हेडा :
श्री किशन पटनायक :
डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में वृद्धि करना सम्भव हो सका है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) 50 लाख रुपये।

उद्योगों के लिए ब्रिटेन से ऋण

902. श्री श्रीनारायण दास :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बाल्मीकी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में किन किन उद्योगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये गये उस 5 करोड़ 33 लाख रुपये के ऋण का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए गत दिसम्बर में करार पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) इस ऋण से उन उद्योगों का, जो मुख्यतः ब्रिटिश आयात पर निर्भर हैं, अनुरक्षण आयात किस मात्रा तक पूरा हो सकेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) दिसम्बर मास में 5.33 करोड़ रुपये के जिस ऋण पर हस्ताक्षर हुए थे उसका उपयोग करने की अनुमति नीचे लिखे उद्योगों को दी गई है :

(1) मोटर गाड़ी उद्योग
(2) बिजली उद्योग
(3) भारी मशीनों का उद्योग
(4) औद्योगिक मशीनों का उद्योग
(5) हलकी मशीनों के उद्योग
(6) धातु उद्योग
(7) औजार उद्योग
(8) यंत्र उद्योग; और
(9) कपड़ा मशीन उद्योग

(ख) ब्रिटिश आयात पर निर्भर उद्योगों की देखरेख संबंधी कुल आवश्यकताओं का केवल एक छोटा सा अंश ही इस ऋण से पूरा हो सकेगा।

डिब्बों के दूध की कमी

903. श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी और मद्रास नगर में बच्चों के लिये डिब्बे के दूध की भारी कमी है;

(ख) क्या एक लोकप्रिय ब्रांड का डिब्बे का दूध चोर बाजार में बेचा जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार डिब्बे के दूध वितरण पर कोई नियंत्रण रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) दिल्ली और मद्रास में डिब्बों के दूध की कमी का समाचार अखबारों में छपा है।

(ख) किसी प्रसिद्ध कम्पनी के डिब्बे के दूध की चोर बाजारी के बारे में कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (ख) : कुछ राज्य सरकारों ने डिब्बे के दूध को पहले से ही या तो राशन की वस्तुओं में सम्मिलित कर दिया है या उनके मूल्यों पर कंट्रोल लगा दिया है।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

904. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार करने के लिये क्या इस बीच सोवियत संघ से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस विस्तार योजना पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) चौथी योजना में भिलाई इस्पात प्रायोजना का दो चरणों में विस्तार करने का विचार है। प्रथम चरण में कोक और लोहा बनाने की सुविधाएं सम्मिलित हैं और दूसरे चरण में इस्पात बनाने की ओर बेलन सुविधाएं सम्मिलित हैं। प्रथम चरण के लिए भिलाई इस्पात कारखाने के रूपांकन और योजना विभाग में विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया है और सोवियत संगठन-जिप्रोमेज़ ने इसकी जांच की है और इसमें कुछ फेर बदल करने के सुझाव दिये है।

इस्पात बनाने और बेलन सुविधाओं में 3.5–4 मिलियन टन तक विस्तार करने के लिए भिलाई इस्पात कारखाने के रूपांकन और योजना विभाग द्वारा तैयार किये गये दो प्राथमिक प्रतिवेदनों का सोवियत विशेषज्ञों ने अध्ययन किया था और इन पर आजकल भारत में आये हुए सोवियत दल से

भी विचार-विमर्श किया गया। इस बातचीत के परिणामस्वरूप द्वितीय चरण के अन्तर्गत विस्तार के स्वरूप के लिए भिलाई में एक टेकनो-इक्नोमिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट का सुक्ष्म परीक्षण करने और विस्तार के स्वरूप का निर्णय करने के पश्चात् भिलाई का रूपांकन संगठन एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करेगा।

(ख) प्रथम चरण में 65 ओवन की एक बेटरी, 1719 घन मीटर की एक धमन भट्टी, एक 50 वर्ग मीटर सिन्टरिंग क्षेत्र की एक सिन्टरिंग बेल्ट, और सहायक सुविधाओं सहित 75 वर्ग मीटर क्षेत्र की दो बेल्टों का एक नया सिन्टरिंग संयंत्र स्थापित करने का विचार है।

(ग) विस्तार के प्रथम चरण (जिसमें कोक और लोहा बनाने की सुविधाएं सम्मिलित हैं) की अनुमानित लागत 368 मिलियन रुपये के लगभग होगी, विदेशी मुद्रा की लागत 79 मिलियन होगी।

पांचवां इस्पात कारखाना

905. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री कोल्ला वेंकया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पान्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री वाडीवा
श्री अ० क० गोपालन :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री जं० बं० सि० बिष्ट :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री मछराज :
श्री लखमू भवानी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है कि पांचवां इस्पात कारखाना विशाखापटनम में, छटा इस्पात कारखाना मैसूर राज्य में होस्पेट के स्थान पर और मिश्रित इस्पात कारखाना मद्रास राज्य में सेलम में स्थापित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों पर कब कार्य आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) इन में खर्च का अनुमान तथा अपेक्षित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार

906. **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री काजरोलकर :
श्री प्र० के० देव :
श्री प० ह० भील :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रामपुरे :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में जापान के सहयोग से दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस में अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क), (ख) और (ग) : विस्तार की क्षमता के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

लागत आदि और सहयोग की रूपरेखा यदि कोई सहयोग लेना होगा, के बारे में निर्णय क्षमता का फैसला होने के पश्चात् किया जाएगा।

कोयले का मूल्य

907. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री नारायण रेड्डी :
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :

श्री मधु लिमये :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
डा० रानेन सेन :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री दाजी :
श्री बसुमतारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला का मूल्य बढ़ाने के लिये कोयला उद्योग से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) कोयले के मूल्य में वृद्धि की मांग के क्या कारण है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख): कोयला उद्योग द्वारा पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965 के अन्तर्गत बोनस देने तथा 1949 से पहले के खान-पट्टों पर रायल्टी पुनरीक्षण के कारण मुआवजा देने के लिए मूल्य वृद्धि की प्रार्थना की गई थी।

(ग) सरकार ने उद्योग की 24-12-1965 से उपयुक्त मूल्यवद्धि दी है जिससे वह कुछ प्रतिनिधि खानों के चल रहे परिव्यय अंकन तक बोनस का भुगतान कर सकें। रायल्टी दर की वद्धि के संदर्भ में फरवरी 1966 से मूल्य वृद्धि प्रदान की गई है।

जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में रेलवे लाइन

908. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिकरे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाने सम्बन्धी एक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेल की पटरी कितने मील लम्बी होगी; और

(ग) परियोजना पर कार्य कब आरंभ होगा और इस पर कुल कितना खर्च होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ख) और (ग) : 1966-67 के निर्माण कार्यक्रम में पोकरन से जैसलमेर तक 105 कि० मी० लम्बी मीटर लाइन बनाने का निश्चय किया गया है। इस लाइन पर 3 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है और आशा है, निर्माण-कार्य शुरू होने की तारीख से 15 महीने के अन्दर यह लाइन पूरी हो जायेगी।

काली मिर्च का निर्यात

909. श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिये विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन सुझावों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है और काली मिर्च के वार्षिक निर्यात का अनुमान कितना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें तथा उन पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही 1 जनवरी, 1966 के भारत के असाधारण राजपत्र में काली मिर्च के सम्बन्ध में प्रकाशित सरकारी संकल्प सं० 3-12-65-ई०पी० (एग्री) में दी गयी है। संकल्प की प्रतियां 24-2-1966 को सदन की मेज पर रखी जा चुकी है। 1965-66 में निर्यात का अनुमान लगभग 23,500 मी० टन है जिसका मूल्य 10 करोड़ रु० के लगभग होगा।

Trade Delegation from Burma

910. **Shri D. N. Tiwary**
Shri Uma Nath :
Shri D. C. Sharma
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri R. S. Pandey :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) Whether a Burmese Trade Delegation under the leadership of Lieut-Col. Yai Myint visited India in December last to hold trade talks with the Indian officials;

(b) if so, the main points covered in the talks; and

(c) whether any trade agreement has also been entered into ?

The Minister of Commerce Shri Manubhai Shah : (a) Yes, Sir.

(b) The main point covered during the discussions was the possibility of expanding the volume of trade between India and Burma. The Indian delegation laid emphasis on the need for Burma stepping up her purchases from India, particularly of non-traditional items, such as engineering goods, chemical items, and the like which India could offer at competitive prices and of acceptable qualities and specifications. The Burmese delegation showed interest in their import.

(c) No, Sir.

Bokaro Project Report

911. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri P. C. Borooah :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri K. N. Tiwary :
Shri D. C. Sharma :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Narayan Reddy :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kajrolkar :
Shrimati Maimoona Sultan :
Dr. P. Srinivasan :
Shri Paramasivan :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Maheswar Naik :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Warior :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Prabhat Kar :
Shri Hem Barua :
Shri P. H. Bheel :
Shri P. K. Deo :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri M. N. Swamy :
Shri Laxmi Dass :
Shri R. Barua :
Shri Karni Singhji :
Shri A. K. Gopalan :
Shri Rajeshwar Patel :
Shri R. S. Pandey :
Shri Ravindra Varma :

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether a team of Soviet experts visited India in the first week of January, 1966 for holding detailed talks with the the Indian experts regarding the Bokaro Steel Plant;

(b) if so, the duration of talks;

(c) whether they have submitted their final report regarding Bokaro and the main points thereof; and

(d) whether the Technical Committee have studied the Project report and submitted their recommendations to Government.

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) and (b). Two teams of Soviet specialists came to India in the first week of January 1966, for discussions on the Bokaro Steel Plant—one headed by the Director of Gipromez, completed its discussions with the Technical Committee, on January 22, 1966, and the other headed by the Vice-President of Tjazhpromexport is currently having discussions on the division of equipment supplies for Bokaro between India and the U.S.S.R.

(c) Does not arise as the visit was primarily intended to to assist the Technical Committee set up by the Government of India in finalising its examination of the Detailed Project Report.

(d) Yes, Sir.

ईंटे बनाने में प्रथम श्रेणी के कोयले का प्रयोग

912. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंटों के बनाने में प्रथम श्रेणी के कोयले के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) ईंटों के बनाने पर प्रथम श्रेणी के कोयले की कितनी मात्रा पहले ही प्रयोग में लाई जा चुकी है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : नहीं महोदय । ईंटें पकाने के उद्योग को अस्थायी रूप से 31 दिसम्बर 1966 तक ग्रेड 1 का शिथिल कोयला सीमित मात्रा में प्रयोग करने की अनुमति दी गई है ।

(ग) ग्रेड 1 के कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है । जबकि इस ग्रेड के वाष्प कोयले की खपत मुख्य उपभोक्ता रेलवे द्वारा की जाती है, इसी ग्रेड के शिथिल कोयले के उपयोग का साधन प्राप्त करना था अन्यथा वाष्प-कोयले के उत्पादन पर असर पड़ता ।

स्कूटरों की बिक्री और वितरण नियंत्रण आदेश

913. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समय समय पर स्कूटरों की बिक्री और वितरण नियंत्रण आदेश में बचाव के विभिन्न रास्तों की ओर दिलाया गया है जिनके परिणामस्वरूप चोरबाजारी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : स्कूटर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1960 को और अधिक कारगर बनाने के लिये समय-समय पर सुझाव मिलते रहते है । इन सुझावों की सावधानी से जांच की जाती है और जहां कहीं व्यवहारिक होता है उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है । इन्हीं सुझावों के आधार पर नियंत्रण आदेश में 29 मई, 1965 से संशोधन किया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि इच्छूक खरीदार केवल उसी क्षेत्र के विक्रेता के पास अपने आर्डर बुक करवा सकते हैं जिसमें वे रहते है । 29 जून, 1965 को इसमें और आगे संशोधन किया गया था जिसके द्वारा बैंक गारन्टी प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली रखी गई है जिसके अनुसार इच्छूक खरीदार को डाकखाने के सेविंग्ज बैंक के जमानती जमा खाता में 250 रु० जमा कराने पड़ते हैं और इसे आर्डर बुक कराये जाने वाले विक्रेता के नाम बंधक रखना पड़ता है ।

प्रतिरक्षा के लिय रेलवे परिवहन की आवश्यकतायें

914. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा के लिये रेलवे परिवहन की तुरन्त तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना के प्रथम वर्ष तथा बाद के वर्षों में आरंभ किये जाने वाला काम क्या है; और

(ग) इसमें कितना खर्च आयेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग) : चल स्टाक और स्थावर संस्थापन--दोनों दृष्टि से रक्षा के लिए रेल परिवहन की आवश्यकताओं काअनुमान लगाने, आयोजन करने और कार्यक्रम निर्धारित करने का काम सतत चलता रहता है और यह आवश्यक नहीं है कि यह काम अलग-अलग पंचवर्षीय योजनाओं तक सीमित हो। इसका कारण यह है कि रक्षा सामर्थ्य और आर्थिक संभाव्यता का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है और विविध रूप में सामरिक महत्व की परिवहन-सुविधाओं के लिए सीमित साधनों का आवंटन विभिन्न चरणों में इस ढंग से करना पड़ता है ताकि समय-समय पर रक्षा की स्थिति में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनके अनुरुप रेल परिचालन को अधिक से अधिक नम्य और कारगर बनाया जा सके। वास्तविक कार्य द्वारा रेलें दो बार—पहली बार 1962 में पूर्वी अंचल में और दूसरी बार 1965 में पश्चिमी सीमाओं पर सिद्ध कर चूकी हैं कि सुविधाओं की व्यवस्था का नम्य आयोजन कितना ठीक होता है। दोनों अवसरों पर, नागरिक माल और सवारी यातायात की गंभीर रूप से अव्यवस्थित किए बिना रेलों ने सेना की रेल परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा किया।

चौथी योजना के लिए रेलवे विकास योजनाओं का कार्यक्रम बनाते समय रक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर भी समुचित ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि प्रायः समूची परिवहन प्रणाली में देश की आर्थिक और रक्षा संबंधी संभाव्यताएं परस्पर संबद्ध हैं, इस लिए विशेष सामरिक महत्व की नयी लाइनों को छोड़कर रक्षा की प्रमुख योजनाओं को अलग करना संभव नहीं है। ऐसी लाइनों को बनाने के लिए समय-समय पर जब वास्तव में अन्तिम निर्णय किये जाते हैं, तो रेलवे बजट में उन लाइनों का उल्लेख किया जाता है। सैनिक प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट रूप से अपेक्षित छोटी योजनाओं का उल्लेख करना या उन्हे प्रकाश में लाना जनहित की दृष्टि से उचित न होगा, क्योंकि ऐसी योजनाएं रक्षा योजना और सामरिक नीति का अंग होती है।

रिरोलिंग मिलें

915. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रिरोलिंग" मिलों की क्षमता का उचित अनुमान लगाने के लिये तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस पर विचार कर लिया गया है;

(ख) सरकार ने किस हद तक इन सिफारिशों को स्वीकार किया है तथा स्वीकार की गई सिफारिशों का स्वरूप क्या है; और

(ग) इन मिलों की स्वीकृति तथा काम में लाई गई क्षमता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) तकनीकी समिति ने इस महीने के आरम्भ में अन्तरिम प्रतिवेदन दिया था।

(ख) और (ग) : समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। अन्तिम प्रतिवेदन मिलने पर संभवतः सरकार इन पर आगे विचार करेगी।

Electric Trains

916. Srhi Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the question of running electric trains to places like Ghaziabad, Sonepat and Gurgaon is under the consideration of Government so as to enable the Government and other employees working in Delhi to reach in time; and

(b) if so, whether any progress is likely to be made in this regard during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली-कोचीन सीधा जाने वाला सवारी डिब्बा

917. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-कोचीन रेल-डिब्बे में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए केवल बैठने के स्थान की ही व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सीधे जाने वाले डिब्बे में शायिकाओं (स्लीपर बर्थ) की भी व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : इस समय, नयी दिल्ली और कोचिन हार्बर टर्मिनस के बीच सप्ताह में पांच दिन एक पहले और तीसरे दर्जे का मिला-जुला सवारी यान 21/22 सर्दन एक्सप्रेस और उनसे मेल लेने वाली गाड़ियों के साथ चलता है । ऐसे मिले-जुले यानों के तीसरे डिब्बों में शयन-स्थान नहीं होते ।

तीसरे दर्जे में शायिकाओं की तभी व्यवस्था की जा सकती है जब कि मिले-जुले यान के बदले तीसरे दर्जे का आंशिक शयन-यान लगाया जाय । लेकिन चूंकि मिले जुले सवारी डिब्बे के पहले दर्जे का अच्छा उपयोग किया जा रहा है इस लिए इस बदलाव से सीधे जाने वाले पहले दर्जे के यात्रियों को असुविधा होगी । इस मामले में आगे विचार किया जा रहा है ।

केरल में उत्पादन केन्द्र

918. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियार :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में उत्पादन केन्द्रों और विस्तार केन्द्रों को राज्य सरकार तथा **गैर-**सरकारी व्यवसायों को सौपने का कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : उत्पादन केन्द्रों को गैर सरकारी प्रबन्धकों को सौंपने का कोई प्रस्ताव नही है। इन केन्द्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उनका पुनर्गठन करने की संभावना पर कुछ समय से ारत सरकार विचार कर रही रही है। इन केन्द्रों को चलाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक एकक स्थापित करने की संभावना की भी जांच को गई थी। लेकिन फिलहाल इस वर्तमान व्यवस्था को बदलने को कोई भी प्रस्ताव नही है जिसके अधीन उत्पादन केन्द्र भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के विकास आयुक्त लघु उद्योग में संगठन के एक अंग है।

कुछ समय पूर्व भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के विस्तार केन्द्रों को संबंधित राज्य सरकारों को सौंप देने का निर्णय किया है। यह निर्णय चौथी योजना के प्रारंभ से लागू कर दिया जायेगा। केरल के उत्पादन केन्द्र और विस्तार केन्द्र किसी भी प्राइवेट पा र्टी को हस्तांतरित नहीं किये जायेंगे।

औलवक्काट डिवीजन में रेलवे क्वार्टर

919. श्री दाजी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की औलवक्काट डिवीजन में रेलवे के सभी स्थायी कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दियें गये हैं; और

(ग) प्रशासन सभी स्थायी कर्मचारियों को कब तक क्वार्टर दे सकेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ०राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) लगभग 55 प्रतिशत।

(ग) रिहायशी मकानों की व्यवस्था एक कार्यक्रम के अनुसार की जा रही है बशर्ते धन उपलब्ध हो। स्पष्टतया सारभूत रेलवे कर्मचारियों को रिहायशी मकान देने पर तरजीह देनी पड़ती है।

मीटर गेज जोन

920. डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में एक मीटर गेज जोन बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह): (क) एक अलग मीटर लाइन क्षेत्र बनाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सवाल नही उठता।

(ग) प्रशासन या परिचालन की दृष्टि से एक अलग मीटर लाइन क्षेत्र बनाना अत्यावश्यक नही है।

कोयना और कोरबा एल्यूमीनियम परियोजना

921. श्री सुबोध हंसदा : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० चं० सामन्त : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री भागवत झा आजाद : श्री विभूति मिश्र :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री राम सहाय पाण्डय :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री रवीन्द्र बर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया : श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हिम्मतसिंहका : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री नारायण रेड्डी : श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा कोयना और कोरबा एल्यूमीनियम परियोजनाओं की स्थापना के लिये हंगेरी और रूस की सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत आरम्भ की जा चुकी है;

(ख) क्या कोयना परियोजना के लिये पश्चिम जर्मनी की फर्म के साथ परामर्श संबंधी कोई करार किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो वह करार कब किया गया था और क्या करार करने के 3 महीने के अन्दर अन्दर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) अभी केवल कोयना अल्यूमीनियम प्रोजेक्ट ही भारत अल्यूमीनियम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को कार्यान्वित करने के लिए दिया गया है। इस परियोजना के लिए तकनीकी एवं बित्तीय सहायता पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य योरोपीय देशों से प्राप्त होगी।

उपयुक्त समय पर कोर्बा अल्यूम्युनियम प्रोजेक्ट भी भारत अल्युम्युनियम कम्पनी (प्राइवेट) लि० को दे दी जायेगी जिसका कार्यान्वय हंगेरी तथा रूसी तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से होगा। अल्युमिना प्लांट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए हंगरी को संबंधित संस्था से समझौता किया जा चुका है। तथापि इस परियोजना के कुछ अंश केन्द्रीय सरकार के एक उपक्रम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा तैयार किए जाएंगे। हंगेरी की वित्तीय सहायता परियोजना के इस अंश के लिये उपलब्ध होगी।

परियोजना के प्रद्रावक तथा संविरचना एकको की रिपोर्ट की संबंधित रुसी संस्था से तैयार कराए जाने का प्रस्ताव है; इस संबंध में तथा वित्तीय सहायता के बारे में बातचीत चल रही है।

(ख) और (ग) : 6-1-1966 को भारत अल्युम्युनियम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड तथा पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स बेरी मिगत अल्युम्युनियम वर्क अवती गेसेलशैफ्ट के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसकी परियोजना रिपोर्ट पश्चिमी जर्मनी के विशेषज्ञों के लौटने के तीन माह के बाद भारत अल्युम्युनियम कम्पनी को प्राप्त होगी। यह विशेषज्ञ समझौते के फलस्वरूप आवश्यक सूचना एकत्रित करने भारत आए थे। रिपोर्ट 1966 के मध्य में प्राप्त होनी है।

एक्सप्रेस तथा डाक गाड़ियों का चलाया जाना

922. श्री सुबोध हंसदा : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न जोनों में अगली समय सारिणी से नई एक्सप्रेस और डाक गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये गाड़ियां किन-किन सेक्शनों में चलाई जायेंगी; और

(ग) क्या अगली समय सारिणी से नई तथा वर्तमान गाड़ियों की रफ्तार भी तेज की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-66 से लागू होने वाली समय सारणी में निम्नलिखित नयी एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव है :—

बड़ी लाइन

(i) मद्रास और हैदराबाद के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी ।

(ii) मद्रास और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी ।

(iii) बीच मद्रास और हावड़ा के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी यह गाड़ी खुर्दा रोड और हावड़ा के बीच चलने वाली वर्तमान सवारी गाड़ी के स्थान पर चलायी जायेगी और उसी तारीख से वर्तमान मद्रास-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ियों को जनता एक्सप्रेस बना दिया जायेगा ।

(iv) सम्बलपुर और टिटिलागढ़ के रास्ते टाटानगर और वालतेरु के बीच एक एक्सप्रैस गाडी जो हफ्ते में दो बार चलेगी ।

(v) बम्बई सेन्ट्रल और वीरम गांव के बीच जनता एक्सप्रैस—
यह गाड़ी बड़ौदा–अहमदाबाद और अहमदाबाद-बीरम गांव खंड़ों पर चलने वाली वर्तमान गाड़ी के स्थान पर चलायी जायेगी ।

मीटर लाइन

(vi) बेंगलूरु और पूना के बीच एक्सप्रेस गाड़ी– यह मिरज और पूना के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी के स्थान पर चलायी जायेगी ।

(vii) मुख्य लाइन के रास्ते मद्रास और तिरुचिरापल्ली के बीच एक्सप्रेस गाड़ी ।

(viii) केवल गर्मी के मौसम में 15-4-66 से लखनऊ और काठगोदाम के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी जो हफ्ते में तीन बार चलायी जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

कुछ वर्तमान गाड़ियों की रफ्तार को तेज करने और यातायात तथा परिचालन की ज़रुरतों को देखते हुए नयी गाडियों की यात्रा के समय को भी यथासम्भव कम करने का विचार है ।

बीकानेर-दिल्ली डाक-गाड़ी की दुर्घटना

923. श्री सुबोध हंसदा:
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 दिसम्बर, 1965 को बीकानेर के निकट बेनीसार और डंगरगढ़ स्टेशनों के बीच बीकानेर-दिल्ली मेल गाड़ी पटरी से उत्तर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इस के परिणाम स्वरुप धन-जन की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह दुर्घटना बेनीसर और सूडसर स्टेशनों के बीच हुई।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है।

(ग) किसी की मृत्यु नही हुई ।

रेल सम्पत्ति को लगभग 8,580 रुपये की क्षति का अनुमान है।

प्लेट तथा जहाज परियोजना

924. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री रामपुरे :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्लेट तथा जहाज परियोजना आरम्भ करने के लिये भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच एक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : हाल ही में चैकोस्लोवाकिया के मेसर्स टैक्नोएक्स्पोर्ट के साथ भारी प्लेट और जहाज परियोजना के लिए डिजायन तैयार और उपलब्ध कराने के संबंध में एक करार किया गया है। इस कारखाने में हर साल 23,000 मी० टन भारी प्लेट का सामान और संबंधित ढांचे आदि तैयार करने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि परियोजना पर कुल 13.5 करोड़ रु० की लागत आयेगी और पूरी शक्ति से उत्पादन होने लगने पर इसमें 10 करोड़ रु० के मूल्य का माल तैयार होगा ।

कटनी (मध्य प्रदेश) में कच्चे लोहे का कारखाना

925. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री बड़े :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री उइके :
श्री रा० स० तिवारी
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री चांडक :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कटनी में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिया जायेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दिये जाने की संभावना है; और

(घ) कारखाने का कुल उत्पादन कितना होगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) से (घ) : उद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश से 300,000 टन कच्चे लोहे के वार्षिक उत्पादन के लिए एक उद्योग लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। सरकार इस पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने अभी तक इस योजना के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन नहीं भेजा है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कारखाने के स्थान, उत्पादन प्रक्रिया और वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग इत्यादि के ब्यौरे होंगे ।

रूस के साथ व्यापार समझौता

926. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्रीमती रेणुका बड़फटकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
डॉ० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कोल्ला वैंकैइया :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
श्री फिन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तुला राम :
श्री रा० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री लाटन चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1966 में भारत और रूस के बीच एक व्यापार करार किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 7 जनवरी, 1966 को नई दिल्ली में भारत और सोवियत रूस के मध्य एक नये पंचवर्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसका उद्देश्य 1970 तक दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार का परिमाण दुगना कर देना है। करार पर रूस की ओर से सोवियत विदेश व्यापार मन्त्री श्री एन० एस० पेटोलोशेफ ने तथा भारत की ओर से केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने हस्ताक्षर किये हैं। इसके साथ ही उसी दिन पत्रों के आदान प्रदान द्वारा 1963 के व्यापार करार की वैधता को 1970 के अन्त तक बढ़ा दिया

गया है। 1966-70 में सोवियत रूस को भारत से भेजी जाने वाली वस्तुओं और इन्हीं वर्षों में वहां से भारत आने वाली वस्तुओं की विस्तृत सूचियां अन्तिम रूप से तयार कर के मंजूर की गई। इसी अवधि में सोवियत रूस द्वारा दीर्घकालीन ऋण आधार पर मशीनें और उपकरण दिये जाने के एक संलेख पर भी दोनों मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये।

जिन कागजपत्रों पर हस्ताक्षर किये गये हैं उनकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार का कुल परिमाण 1961-65 में जहां 500 करोड़ रु० (250 करोड़ रु० का सोवियत रूस को निर्यात और 150 करोड़ रुपये का वहां से हुआ आयात) का था वह 1966-70 के पांच वर्षों में बढ़कर 1300 करोड़ रु० (650 करोड़ रु० दोनों ओर से) हो जाने की आशा है।

(2) दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार का परिमाण जहां 1964 में 75 करोड़ रु० (प्रत्येक ओर से) था, वह 1970 तक बढ़ कर 150 करोड़ रु० (प्रत्येक ओर से) हो जायेगा। बीच की अवधि में प्रत्येक ओर से व्यापार का परिमाण बराबर बढ़ता हुआ 1966 में लगभग 110 करोड़ रु० तक, 1967 में 120 करोड़ रु० तक, 1968 में 130 करोड़ रु० तक और 1969 में 140 करोड़ रु० तक पहुंच जाने की आशा है।

व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में सोवियत रूस ने जो सिद्धान्त स्वीकार किये हैं उनका अनुसरण करते हुए हाल के करार में यह व्यवस्था की गई है कि रूस को भारत से जो निर्यात होगा उसमें निर्मित माल की खरीद का भाग बराबर बढ़ता जायेगा। अनुमान है कि सोवियत रूस को होने वाली हमारे कुल निर्यात में यह भाग 1970 तक 40 प्रतिशत हो जायेगा। जिन उत्पादों में रूस ने दिलचस्पी प्रकट की है उनमें ये भी हैं : बिजली की बत्तियां, रिफ्रेजरेटर, बिजली के पंखे, मशीनो औंजार, मोटरगाड़ियों की बैटरियां, कमरों के एयर-कण्डीशनर वेक्युअम फ्लास्क, लिनोलियम तथा पी० वी० सी० कपड़ा, रंग, रंगलेप तथा वारनिशें, इस्पात तथा लकड़ी का फरनीचर, प्लास्टिक उत्पाद, उनी, सुती और रेशमी वस्त्र, पहनने के कपड़े, उनी तथा सुती बूना चूना हुआ माल, जूते, समापित चमड़ा, मशीनों से बनी ऊनी दरियां। ये परम्परागत निर्यात की वस्तुओं जैसे, चाय, काफी, मसाले, तेल रहित खलियां, कच्ची ऊन, जूट से बने माल के अलावा हैं।

दूसरी ओर सोवियत रूस ने दीर्घकालीन ऋण आधार पर मशीनें तथा उपकरण भेजना मंजूर किया है। इन करार के अन्तर्गत रूस की सहायता से भारत में स्थापित की गई विभिन्न प्रायोजनाओं के उत्पादन कार्यक्रमों को चालू रखने के लिये आवश्यक फालतू पुर्जे और हिस्से भी सोवियत रूप प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चे माल के सम्भरण में भी वृद्धि कर दी जायेगी। इनमें लोह मिश्रित धातुएं, विशष इस्पात, टीन की प्लेटें, अलौह धातुएं, गंधक, लकड़ी को लुग्दी, एसबेस्टास रेशे, तेल-उत्पाद, अमोनियम सलफेट जैसे उर्वरक, म्यूरियेट आफ पोटाश, अखबारी कागज आदि उल्लेखनीय हैं।

आसाम में फालतू कोयला

927. **श्री रामेश्वर टांटिया**

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में फालतू कोयला है;

(ख) क्या बिक्री के लिए नियत कोयले का 75 प्रतिशत अभ्यंश एक ही कम्पनी को दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य सब कोयला खानों पर इसके द्वारा होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को अनुभव करती है; और

(घ) क्या अन्य कोयला खानों के मालिकों ने सरकार से उनके अभ्यंश में वृद्धि किए जाने की मांग की है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) और (ग) : सभी प्रभावित होने वाले वादीगण से विचार विमर्श के उपरान्त ही आसाम की विभिन्न कोयला कम्पनियों की आवंटन किया जाता है। एक कम्पनी को कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत उत्पादन करने के बावजूद भी विक्रय-योग्य कोयले के कोटा का केवल 72 प्रतिशत ही दिया गया।

(घ) हां, महोदय। इस विषय पर आसाम के कोयला-उत्पादकों तथा राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

पटसन की फसल

928. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पटसन की फसल बहुत कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस का पटसन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमन्त्री (श्री शकी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) फसल कम होने के डर से कच्चे जूट तथा जूट की वस्तुओं के भाव कुछ चढ़ गये थे परन्तु देश में जूट की वस्तुओं का उत्पादन और उनका निर्यात बढ़ गया है।

रेल की पटरियों पर मृत्यु

929. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री नारायण रेड्डी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि राजधानी में प्रत्येक तीसरे दिन रेल की पटरी पर एक मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये रेलवे के अधिकारी क्या कदम उठा रहे हैं; और

(ग) क्या रेल की पटरियों पर होने वाली दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों की कोई जांच की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रेल प्रशासन द्वारा निम्नलिखित उपाय बरते जा रहें है :—

(i) विभिन्न स्थलों पर चेतावनी पट्ट लगाये गये हैं;

(ii) जिन स्थानों पर बहुधा लोग अनधिकार-प्रवेश करते है वहां टाई-बार बाड़ और ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था की गयी है; और

(iii) दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर अक्सर माइक्रोफ़ोन के जरिये जनता से अनुरोध किया जाता है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिये ऊपरी पैदल पुल का इस्तेमाल किया जाय ।

(ग) जी हां, दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जाती है ।

Manufacture of Guns and Rifles in Monghyr

930. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 773 on the 10th December, 1965 and state :

(a) whether high quality guns and rifles used to be manufactured in Monghyr for a long time;

(b) whether the persons skilled in that work are passing through hard times now; and

(c) if so, whether Government are considering any proposal to increase the production of those guns for military and other purposes by helping those persons ?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shuttle Train between Shahibganj and Kiul

931. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a proposal to run a new shuttle train between Sahibganj and Kiul (Eastern Railway) is under consideration;

(b) if so, when a final decision is likely to be taken in that connection; and

(c) the date from which the proposed train service is likely to be introduced ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

T.T.Es. Attached to Bombay-Delhi Deluxe Train

932. Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any complaint or application has been received from the T.T.Es. attached to the Bombay-Delhi Deluxe train; and

(b) if so, the action taken by Government to remove their grievances ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). No complaint or application has been received from T.T.Es. attached to Bombay-New Delhi A. C. Express.

A representation was, however, received from the Western Railway Mazdoor Sangh about non-availability of resting facility for staff arriving New Delhi by Bombay-New Delhi A. C. Express. T.T.Es. are not running staff and, as such, are not entitled to running room facilities. Resting facility for them is, however, provided in the running rooms only after meeting the requirements of running staff. The existing running room facilities available at Delhi are not adequate to provide resting facility to non-running staff including T.T.Es. after meeting requirements of running staff.

As a policy, however, it has been decided that certain categories of non-running staff including T.T.Es. should be provided with resting facility at stations wherever this is not available, by construciing in a phased programme, Rest Rooms, either in the same building as the Running Room or elsewhere, as convenient.

Theft of Parts of Buses of Bhilai Steel Plant

933. Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be plased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1792 on the 3rd December, 1965 and state :

(a) whether the offenders involved in the four cases registered in connection with the thefts of parts of the buses provided for the employees of the Bhilai Steel Plant have since been apprehended;

(b) if so, the action taken against them; and

(c) whether some Government employees are also among those who have been apprehended ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) No, Sir. In one case, the stolen property was recovered but the offender could not be apprehended. Two cases have been closed, as the culprits are not traceable. The fourth case is under investigation.

(b) and (c). Do not arise.

Number of Buses for Bhilai Plant Employees

934. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1792 on the 3rd December, 1965 and state :

(a) whether the 37 buses provided for the employees of the Bhilai Steel Plant are adequate;

(b) whether it is also a fact that bus stops have been provided at long distances and the employees have to face a lot of inconvenience;

(c) whether it is also a fact that some employees do not reach their place of work in time on account of the late running of these buses as a result of which they lose the wages for that day; and

(d) whether it is proposed to increase the number of buses in view of their difficulties and if so, when ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) The buses provided are considered adequate for ordinary demands of the traffic in Bhilai for taking people from their home to their place of work.

(b) The bus stops have been provided as warranted by the density of traffic. At those places where the density of traffic is large they are provided at fairly close distances. The provision of bus stops is reviewed from time to time according to traffic needs.

(c) No, Sir.

(d) There is no intention to increase the present fleet of 37 buses. A phased programme has, however, been drawn for the replacement of unserviceable buses. Four buses ordered before the emergency are expected to be received at Bhilai shortly. Further orders have also been placed according to the phased programme.

Manufacture of Scooter Parts

935. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri M. L. Dwiwedi :**
Shri Bade : **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Yudhvir Singh : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Rameshwaranand : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri P. C. Borooah :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a new policy to manufacture scooter parts in India instead of importing them from abroad;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the production of scooters will increase thereby and, if so, by how much ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). As part of Government's established policy, continuous efforts are being made to increase the indigenous content of scooters by encouraging the establishment of capacity for the manufacture of more and more components in the country. As a result, the indigenous content of the different types of scooters has gone up from about 60-75 per cent in 1963 to about 80-86 per cent in 1965. Very few components are now being imported and steps are being taken to establish indigenous capacity for these components also.

(c) Mainly as a result of the above, the production of scooters has steadily gone up in the last few years as the following figures will show :

1963	17,123
1964	23,640
1965	27,948

Subject to availability of adequate foreign exchange for importing raw materials and the few items that are still not available indigenously, every effort will be made in the same direction to maximise indigenous content and production.

Ahmedabad-Delhi Express Train Accident

936. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstrarred Question No. 1772 on the 3rd December, 1965 and state :

(a) whether any compensation has been paid to the nine persons who sustained injuries as a result of an accident to the Ahmedabad-Delhi Express train on the 21st October, 1965;

(b) action taken against the persons responsible for this negligence which caused this accident;

(c) whether some luggage of some passengers was also stolen at the time of the accident; and

(d) if so, the details thereof including the loss of Railway property, if any ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No.

(b) The police have initiated criminal proceedings against the staff involved in this accident.

(c) and (d). There is no report that luggage of the passengers was stolen. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 2,545.

Employees of Bhilai Steel Plant

937. Shri Yudhvir Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1792 on the 3rd December, 1965 and state :

(a) the total number of employees working in Bhilai Steel Plant at present in Class I, II, III and IV separately; and

(b) the number of employees who are enjoying the facilities of the 37 buses provided for them ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) The total number of regular employees working in Bhilai Steel Plant, as on 1-1-1966, is 32,055, of whom 1,783 belong to Class I, 42 to Class II, 19,569 to Class III and 10,661 to Class IV. Besides these, there are 18,907 workcharged and Non-Muster-Roll workers, of whom 11,161 belong to Class III and 7,746 to Class IV.

(b) At present 5,076 employees are availing the Project Bus facilities.

Allotment of Cars to M.Ps.

938. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1793 on the 3rd December, 1965 and state:

(a) the number of cars at present in the possession of Members of Parliament out of 443 cars allotted to them;

(b) whether Government are aware that most of the Members have disposed of their cars at a profit; and

(c) if so, the number thereof ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) This information is not available with the Ministry.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Accident at Durgapur Steel Plant

939. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1773 on the 3rd December, 1965 and state :

(a) the reasons for not giving compensation so far to the families of six persons who died in Durgapur Steel Plant; and

(b) whether Government have ascertained the names of the persons responsible for this accident ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) A sum of Rs. 41,000 has already been deposited with the Commissioner for Workmen's Compensation, Calcutta for payment of compensation to the families of the deceased workers.

(b) The Durgapur Steel Plant is awaiting a report from the Inspector of Factories, Asansol who had made enquiries into the matter.

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्

940. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद
श्री उटिया :
श्री राम सेवाक यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 510 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, विजयवाड़ा को हथकरघा निर्यात संवधन परिषद् में प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि निर्णय नहीं किया गया तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद् की प्रशासन समिति में इस समय कोई स्थान खाली नहीं है, इसलिए इस समिति में आंध्र हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि०, विजयवाडा के प्रतिनिधि को नामित नहीं किया जा सका है। फिर भी समिति की सभी बठकों में हाजिर रहने के लिए सरकारी समिति के एक प्रतिनिधि को निमंत्रित किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उटता ।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरधा के कपड़े का जमा हो जाना

941. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा के कपड़े का विशेषत: "ब्लीडिंग मद्रास" किस्म के कपड़े का भारी स्टाक जमा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप वहां के बुनकरों में बेरोजगारी फैल गई है;

(ख) क्या स्टाक जमा करने तथा विपणन करने हेतु बुनकरों को संस्थाओं को व्याज रहित ऋण दिये जाने अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरकार द्वारा सीधी खरीद किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) कपड़े के स्टाक जमा करने तथा विपणन करने के लिये, बुनकरों की संस्थाओं को ऋणों की स्वीकृति दने का सुझाव आन्ध्र प्रदेश हथकरघा बुनकर समिति से प्राप्त हुआ था और इस सम्बन्ध में उसे राज्य सरकार से सम्पर्क करने को कहा गया था।

राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरकार द्वारा सीधी खरीद का सुझाव भी उपर्युक्त समिति द्वारा दिया गया था तथा उस पर सरकार ने विचार किया था। भारत के दस्तकारी तथा हथकरघा निगम से इस प्रकार के कपड़े को काफ़ी अधिक मात्रा में खरीदने को कहा गया था। उसने इस प्रकार का 4.6 लाख गज कपड़ा खरीद भी लिया है। इसके अतिरिक्त, निगम ने एक "विशिष्ट विपनन योजना" की भी घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत निगम बुनकर संस्थाओं, जिनमें सहकारी त ा दक्ष बनकर शामिल हैं, से प्रामाणिक किस्मों का "ब्लीडिंग मद्रास" कपड़ा खरीदेगा।

दांतवाड़ा-भद्राचलम रेलवे लाइन

942. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **रेलवे** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दांतेवाड़ा-भद्राचलम रेलवे लाइन के बारे में इंजीनियरिंग रिपोर्ट और निर्माण-कार्य सम्बन्धी प्राक्कलन तैयार किये गये हैं;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने इस लाइन के सर्वेक्षण प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो विचार करते समय क्या क्या बातें सामने आईं; और

(घ) क्या लाइन को बनाने के बारेमें में कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (घ) तक : रेलवे बोर्ड इस लाइन की इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण रिपोर्टों की छानबीन कर रहा है और इसके निर्माण के सम्बन्ध में अभी निर्णय लेना बाकी है।

हरियाणा एक्सप्रेस

943. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना एक्सप्रेस को, जो दिल्ली से सिरसा जाती है, भटिण्डा तक चलाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली-सिरसा हरियाना एक्सप्रेस को भटिण्डा तक बढ़ाने का यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है ।

Export Promotions

944. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian firms do not have offices in the countries where Indian goods are not exported;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to promote exports to those countries ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). Indian firms have been opening offices in the countries to which exports are made as well as where the possibilities of exports are ascertained. The office sare opened with a view to step up exports in the traditional markets and with a view to explore non-traditional markets.

(c) Among the main steps taken by Government to step up exports to the countries where there are no offices opened by Indian firms so far are the following :

(i) Government conduct market surveys through their commercial representatives abroad on the basis of which Indian firms are advised about the market potential.

(ii) Various Export Promotion Councils, with the assistance of Government, take up market surveys in various countries to explore the markets for Indian products and the results of such surveys are made available to our exporters.

(iii) An "Indian Export Service Bulletin" is issued every week by the Ministry of Commerce giving details of export opportunities abroad.

(iv) Exhibitions are also organised by Government and by the Indian Council of Trade Fairs & Exhibitions, with the assistance of Government, in some of these countries to promote our exports.

Meeting of General Managers of Railways

945. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the General Managers of the Railways was held in Delhi on the 30th November 1965, which lasted for three days; and

(b) if so, the items discussed therein.

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. The meeting of the General Managers with the Railway Board was held on 29th and 30th November and 1st December, 1965.

(b) The subjects discussed included Review of Operating performance on Railways, implementation of the recommendations of the Railway Accidents Committee, safety drive on Railways, improved methods of track maintenance, operation and maintenance of locomotives, coaches and wagons, planning for staff and facilities for dieselisation and electrification, workshop outturn and progress of incentive scheme, self-sufficiency in Railway stores and equipment, measures for ensuring that the costs of works do not exceed the sanctioned amount, application of work study methods to Railway working, progress in improving quality of service and investment planning and economy in expenditure.

Indigenous Material used by Railways

946. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board are examining the possibility of utilising indigenous material in place of the imported one in the manufacture of various articles of equipment required by the Railways;

(b) if so, the amount of foreign exchange which will be saved as a result thereof; and

(c) the decision taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The Railway Board have, for some time now, been pursuing the development of indigenous capacity for railway equipment, and a Special Development Co-ordination Cell has been functioning in the Railway Board for promoting this development and for giving advice and assistance to the industry, especially for items being manufactured for the first time. To provide a forum for liaison with the industry the Indian Railway Equipment Advisory

Committee—with Regional Committees at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras—was formed in 1957. Manufacturers' and Engineering Associations, including Small Scale Producers, and Government departments concerned are represented on these Committees. Their proceedings have been of considerable value in the promotion of indigenous capcity for railway equipment. In view of the difficult foreign exchange position, the drive for Self-Sufficiency has been accelerated and Special Sections have been set up on the Zonal Railways and Production Units to promote the development of indigenous substitutes. A strict check is being kept on imports, which are allowed only if considered inescapable.

It may be mentioned that the concerted action thus taken has had good effect, and during 1964-65 nearly 90 per cent of the total purchases made by the Railways were from indigenous sources. It is expected that by the end of the Fourth Plan, import of railway equipment would be restricted only to items of a highly specialised or of a proprietary nature.

बिहार में औद्योगिक विकास

947. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना में बिहार उद्योग संघ की वार्षिक सामान्य बठक का उद्घाटन करते हुए 21 दिसम्बर, 1965 को बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या केन्द्र द्वारा राज्य की आवश्यकताओं का ठीक ठीक मूल्यांकन न किया जाना बिहार में औद्योगिक प्रगति की असन्तोषजनक स्थिति का कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : उल्लिखित विवरण के बारे में उद्योग मंत्रालय को पता नहीं है। फिर भी एसोसियेशन ने बिहार उद्योग एसोसियेशन की वार्षिक साधारण बैठक में पास किये गये प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि मंत्रालय को भेजी है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य सरकार को बिहार के औद्योगिक विकास के मामले में केन्द्र में जोरदार सिफारिश करनी चाहिये। राज्य सरकार के पास से इस विषय पर कोई भी पत्र नहीं मिला है। योजना आयोग के साथ उन की वार्षिक योजनाओं और पंच-वर्षीय योजनाओं पर जो बातचीत होती हैं उसमें केन्द्र द्वारा राज्य की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कराई जाती है जिसमें राज्य सरकार और विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं ।

रेलवे में मनोवैज्ञानिक परीक्षण

948. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री द्वा० ना० तिवारी :**

श्री क० ना० तिवारी : **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समान दोषों का पता लगाने के लिये, जिनके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं, दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्वाइंट्समैनों और केबिनमैनों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया है;

(ख) क्या रेलवे संचालन व्यवस्था में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे परीक्षण रेलवे के गहन अभियान के रूप में आयोजित किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सुरक्षित ढंग से कर्तव्यपालन के लिये अपेक्षित कतिपय मनोवैज्ञानिक शारीरिक योग्यताओं का परीक्षण करने के लिये रेलवे बोर्ड के "मनोवैज्ञानिक-तकनीकी" ,वभाग ने यंत्र तयार किये हैं; और

(घ) क्या इन यंत्रों का मानकीकरण किया जा चुका है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी नहीं, यद्यपि इस काम को शीघ्र ही करने का विचार है।

(ख) जी हां । शुरू में कुछ ही रेलों के कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक परीक्षा की जायेगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) इनका मानकीकरण किया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से बिजली की बकाया रकम

949. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दशरथ देव :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प० ह० भील :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला, द्वारा देय 1.09 करोड़ रुपये की बकाया धन राशि की वसूली के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने एक समय हीराकुड से बिजली की सप्लाई बन्द कर देने की धमकी दी थी;

(ग) क्या यह कदम राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के कारण नहीं उठाया था जो बातचीत से विवाद मिटाना चाहती थी; और

(घ) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क), (ख) और (ग) : जी हां। राज्य सरकार ने राउरकेला इस्पात कारखाने से कारखाने द्वारा पैदा की गई बिजली पर 98.5 लाख रुपये की ड्यूटी की मांग की थी। किन्तु कारखाने ने काननी सलाह लेने के पश्चात् कहा कि यह रकम देय नहीं थी। उस समय के इस्पात और खान मंत्री ने यह मामला उड़ीसा के मुख्य मंत्री के पास भेजा था। इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। समझौता होने तक इस्पात कारखाने ने 1963 और 1964 की कुल 65 लाख रुपये की अदायगी करनी पड़ी। क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी बिजली काटने की धमकी दी थी।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष महोदय और भारत सरकार ने राज्य सरकार को कानूनी स्थिति से परिचित करा दिया है। अभी तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ब्रिटन को कपड़े का निर्यात

950. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन को सूती कपड़ा और सूत के निर्यात के लिये भारत को अनुमति देने के लिये राजी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन में खपत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, निर्यात के वार्षिक कोटे को बढ़ाने के लिये करार की शर्तों में क्या संशोधन किये गये हैं; और

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार भारत द्वारा बताये गये तरीके पर विकसित देशों से कपड़े के आयात को विनियमित करने के लिये राज़ी हो गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : 1966 से 1970 की अवधि में, ब्रिटेन को सूती कपड़ा और सूत के निर्यात के सम्बन्ध में एक करार करने के विचार से ब्रिटिश सरकार से बातचीत चल रही थी। करार होने तक के लिये ब्रिटिश सरकार ने कोटा वर्ष 1966 के पूर्वार्ध में सूती कपड़े और सूत के निर्यात के लिये 1965 कोटे के आधे भाग बराबर एक अन्तरिम कोटे की अनुमति दे दी है। बातचीत में ब्रिटेन में सूती कपड़ों के आयात के सभी संगत पहलुओं पर विचार किया जायगा, जिनमें विकसित देशों से आयात का प्रश्न भी शामिल है।

रेलवे में आत्म निर्भरता

951. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुरक्षण आयातों पर निगरानी रखने तथा रेलवे को आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयत्नों के बारे में सलाह तथा सहायता देने के लिये एक विशेष एकक स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : देश में रेलवे उपस्करों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और विशेषरूप से पहली बार बनाये जा रहे उपस्करों के सम्बन्ध में उद्योगों को आवश्यकतानुसार सहायता और सलाह देने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड में कुछ समय से एक "विकास समन्वय कक्ष" काम कर रहा है। आत्म-निर्भरता अभियान की गति बढ़ाने के उद्देश्य से बाहर से मंगाये जाने वाले उपस्करों के बदले देशी उपस्करों के निर्माण में तेजी लाने और आयात पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिये क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन यूनिटों में विशेष कक्ष स्थापित किये गये हैं। अनुरक्षण के काम के लिए जो सामान अभी बाहर से मंगाये जाते हैं, उन पर नियंत्रण रखने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन यूनिटों द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें उन्हें सहायता और सलाह देने के लिए रेलवे बोड के "विकास कक्ष" में भी एक अनुभाग स्थापित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में लुग्दी (पल्प) कारखाना

952. श्री बागड़ी :

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार क्षेत्र में छोई पर आधारित लुग्दी कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी उद्योग स्थापित करने की अन्य योजनाओं को भी अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : इंग्लैण्ड के मेसर्स साइपन इंजीनियरिंग तथा मेक्सिको के सिया इंण्डिस्ट्रियल डी पान स्टोहाल के विशेषज्ञों के एक दल को इस मंत्रालय, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा तकनीकी विकास के महा निदेशालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश/बिहार के लिय गन्ने की छोई पर आधारित उत्तर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन का इस्तेमाल इस दल द्वारा मूलभूत आंकड़ों के रूप में किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट के अप्रैल-मई, 1966 तक मिल जाने की संभावना है। यह दल अब भारत में है और प्रत्यशित स्थानों का दौरा कर रहा है। उसकी रिपोर्ट अप्रैल-मई, 1966 तक मिल जाने की संभावना है। इस समय यही एक योजना विचाराधीन है।

"मैसूर प्रिंसेस" नामक रेशम

953. श्री बागड़ी : **श्री यशपाल सिंह :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री बाल्मीकी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2238 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "मैसूर प्रिंसेस" नामक नई किस्म की रेशम की बाजार में कितनी खपत हो सकती है इस बात का पता लगाने के बारे में केन्द्रीय रेशम विज्ञान अनुसंधान संस्था, मैसूर द्वारा किये गये प्रयोगों के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : "मैसूर प्रिंसेस" नामक नई किस्म के क्षत्रीय परीक्षण किये जा रहे ह । इनके समाप्त हो जाने पर जो परिणाम निकलेंगे उन पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड की विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायगा।

नेपा पेपर मिल

954. डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री राम सेवक यादव :**

श्री बागड़ी : **श्री यशपाल सिंह :**

श्री किशन पटनायक:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपा पेपर मिल के लिये कागज तोलने की मशीनों तथा अन्य संयंत्र-उपकरणों के लिये फिनलैण्ड की एक फम को क्रियादेश दिया है;

(ख) क्या इसके अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि होगी और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) भारत अखबारी कागज के मामले में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) नेपा मिल ने वर्तशिला, हेलिंस्की और फिनलैण्ड को केवल स्टाक तैयार करने, कागज बनाने और परिसमापन प्रभाग की मशीनों के लिये ही आर्डर दिया है। तोलने की मशीनों के लिये कोई भी आर्डर नहीं दिया गया है।

(ख) जी, हां। आशा है कि वर्तमान मशीनों के लग जाने उनके चालू हो जाने तथा उनमें कुछ और फेर-बदल हो जाने से अखबारी कागज का उत्पादन 30,000 मीट्रिक टन से बढ़कर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 75,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जायेगा।

(ग) अभी कोई निश्चित तारीख बता सकना संभव नहीं है किन्तु यथाशीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

सीमेंट की बिक्री

955. **श्री किशन पटनायक :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री केप्पन :
श्रीमती अक्कम्मा देवी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री काजरोलकर :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की बिक्री पर से नियंत्रण हटा लिया गया है;

(ख) इसके उपभोक्ताओं को सही सही तथा उचित वितरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सीमेंट की खरीद के लिये उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने दिल्ली नागरिक संभरण विभाग (सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट) में सीमेंट के संभरण के लिये अपने नाम दर्ज करा लिये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा उनको दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए सीमेंट उत्पादकों में सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन का गठन किया है जो अब सारे देश में सीमेंट के

वितरण का प्रबन्ध कर रहा है। इस संगठन ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि सभी राज्यों और विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को पहले दिये गये नमूने के अनुसार सीमेंट का सम्भरण होता रहेगा तथा अतिरिक्त उत्पादन करने की अनुमति देकर उसमें सुधार किया जायेगा ।

(ग) जी, हां। ऐसे व्यक्तियों के लिए उत्पादकों के विक्रय एजेण्टों के पास अपनी मांग दर्ज कराना आवश्यक होगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमेंट के कारखाने

956. **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री बागड़ी : **श्री बाल्मीकी :**

श्री किशन पटनायक : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री प० चं० बरुआ :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में कितने सीमेंट कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) ये किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे;

(ग) क्या पंजाब में भी एक सिमेंट कारखाना स्थापित करने के बारेमें विचार किया जायेगा; और

(घ) इन कारखानों से सीमेंट उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) : चौथी योजना के लिये सिमेंट की उत्पादन क्षमता का अभी कोई लक्ष्य अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है। सामान्यत: एक स्टैंडड सीमेंट कारखाने की क्षमता 200,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष होती है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में इस आधार पर कितने कारखाने स्थापित किये जायें, यह योजना की अवधि के लिये निश्चित किये जाने वाले लक्ष्य पर निर्भर करेगा। देश के किसी भी भाग में, जिसमें पंजाब भी सम्मिलित है, सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये जाने वाले आवेदन-पत्रों पर उपयुक्त किस्म के कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा तथा विद्युत् आदि को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है ।

घड़ियों का निर्माण

957. **श्री किशन पटनायक :** **श्री यशपाल सिंह :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री बागड़ी : **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **उद्योग** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 191 के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घड़ियों के निर्माण में स्विटज़रलैंड तथा रूस के सहयोग संबंधी प्रस्तावों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस में कब तक उत्पादन होने लगेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

तकनीकी विकास महानिदेशालय

958. **श्री बाल्मीकी :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री करणी सिंहजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सम्भरण** तथा **तकनीकी विकास** मन्त्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय के बारे में नियुक्त किये गये अध्ययन दल की शेष 39 सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है,

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं, और

(ग) इन पर कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : (क), (ख) और (ग) : शेष सिफारिश अभी तक विचाराधीन ह । कुछ सिफारिशों ने कितने ही मन्त्रालयों से सम्बन्धित नीति-प्रश्नों को खड़ा कर दिया है और इन पर उन मन्त्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

समुद्र से पैदा होने वाली वस्तुएं

959. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 के दौरान भारत से समुद्र से पैदा होने वाली वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात में कमी आने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं । इस के विपरीत कुछ वृद्धि हो गई है । 1965 में 6.92 करोड़ रु० का निर्यात हुआ जबकि 1964 में यह 6.85 करोड़ रु० का हुआ था ।

जापानी कागज तथा लगदी उद्योग मिशन

960. **श्रीमती रेणुका बड़फटकी :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **डा० पू० ना० खां :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री बागड़ी : **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री विश्राम प्रसाद : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार के निमंत्रण पर एक जापानी कागज तथा लुगदी उद्योग मिशन ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मिशन ने सरकार को क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के किसी दल को आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Manufacture of Tractors and other agricultural implements in U.P.

961. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh has requested the Central Government to establish factories for the manufacture of tractors and other agricultural implements in U.P. in order to increase the agricultural production; and

(b) if so, the decision taken by Government in the matter ?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) and (b). The Government of U.P. have requested that the proposed public sector project for the manufacture of medium agricultural tractors be located in U.P. The question of location of the project, taking all factors into account, is under consideration.

The application of the Director of Industries, U.P. Government for establishing an undertaking for the manufacture of agricultural power tillers has been approved in principle by the Government of India. Further details are awaited from the State Government.

Hawkers vending on Railway Platforms

962. **Shri M. L. Dwivedy :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether occasional tests are made of the drinks and eatables sold by private contractors or hawkers on the platforms of various railway stations which are prepared from very inferior and adulterated stuffs;

(b) whether Government are aware that the said contractors win the favour of the local Railway Staff by serving them drinks and foodstuffs either gratis or at lower rates and sell the cheap stuff to the passengers; and

(c) the reason for not taking any steps by the Railway Administration to see that pure drinks and eatables are sold at railway stations ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. As per extent orders catering/vending contractors are required to make available for sale at railway stations edibles of good quality. Frequent checks are made by Officers and Inspectors of the Commercial and the Medical Departments.

(b) No such cases have been reported. Railway employees are prohibited from taking edibles and drinks from contractors either free or at concessional rates.

(c) As a result of the checks referred to under item (a), contractors who were held responsible were either warned or fined. In a few cases the contracts were terminated and in a few others prosecutions were launched against them under the Prevention of Food Adulteration Act.

फर्मों का काली सूची में रखा जाना

963. श्री उमानाथ :

श्री काजरोलकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब लीग ने 13 भारतीय फर्मों को काली सूची में रख दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनमें कितनी फर्में गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं तथा कितनी सरकारी क्षेत्र में हैं;

(ग) इस प्रतिबन्ध से इन फर्मों के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। अरब लीग द्वारा 13 भारतीय फर्मों को काली सूची में रखे जाने के बारे म सूचना मिली है ।

(ख) अरब लीग के प्रादेश के अनुसार, संसार की कोई भी फम जिसका इसराइल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है या जो इसराइल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाली किसी अन्य फर्म से सम्बद्ध है, सभी अरब देशों द्वारा बहिष्कृत कर दी जायेगी।

केवल एक फम नामतः प्रागाट्ल्स कोर्पोरेशन लि० सिकन्दराबाद, सरकारी क्षेत्र में है तथा शेष सभी निजी क्षेत्र में हैं ।

(ग) काली सूची में रखो गयी फर्म अरब देशों के साथ तब तक व्यापार नहीं कर सकेगी जब तक कि उनके नाम काली सूची से नहीं हटा दिये जायेंगे ।

(घ) सम्बद्ध फर्मों को उनकी स्थिति स्पष्ट करने वाले शपथ पत्र पेश करने की राय दी गयी है ताकि उनके नामों को काली सूची से हटाने के लिये और कदम उठाए जा सकें।

सूती कपड़े का व्यापार

964. **श्री उमानाथ :**

श्री काजरोलकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने, जिनेवा में हुई व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार संबंधी सूती कपड़ा समिति की दिसम्बर की बैठक में, सूती कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी वर्तमान पंचवर्षीय करार की आलोचना की थी और उसमें संशोधन करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत ने किन संशोधनों का प्रस्ताव किया था; और

(ग) क्या कुछ देशों ने संशोधनों का विरोध किया था और यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां। दिसम्बर, 1965 में हुई गाट की सूती कपडा समिति की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने यह कहा था कि सूती कपड़े (एल० टी० ए०) के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दीर्घावधि व्यवस्था का मूलभूत उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने 1966 के शुरू में सूती कपड़ा समिति को बैठक बुलाने का सुझाव भी दिया था, जिससे यह विचार किया जा सके कि इस व्यवस्था को बढ़ाया, संशोधित अथवा समाप्त कर दिया जाए। उसने हमारी इन संशोधनों को प्रस्तावित करने की इच्छा भी समिति के विचारार्थ प्रेषित कर दी जिन्हें हम दीर्घावधि व्यवस्था को उसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अधिक कारगर बनाना चाहते हैं ।

(ग) कुछ विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और युरोपीय आर्थिक समुदाय ने किसी संशोधन के बिना वर्तमान व्यवस्था को पांच वर्ष की और अवधि तक जारी रखने का अनुरोध किया।

मैसूर में लौह अयस्क

965. **श्री उमानाथ :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में चकमागालूर जिला के कुद्रामुरवा-गंगामूला प्रदेश में अच्छी किस्म के चुंभकित लोह अयस्क की एक बड़ी मात्रा करोड़ों टनों में उपलब्ध है;

(ख) क्या यह सच है कि लौह अयस्क के विदोहन के लिये 40 करोड़ रु० का एक कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी प्रक्रम पर किसी विदेशी सहयोग का भी प्रस्ताव है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी, महोदय।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कुद्रामुरवा के उत्तर में अरोली श्रुखला के निक्षपों के विस्तृत पूर्वेक्षण तथा विदोहन का कार्य कर रही है जिसके कि 1966 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। विस्तृत विदोहन के परिणामों के आधार पर निगम द्वारा इन संचयों के विदोहन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जायेगी ।

(घ) खनन तथा यातायात की सुविधाओं के विकास के सहयोग के लिये एक विदेशी पक्ष से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह विचाराधीन है।

रेलवे की भूमि

966 **श्री उमानाथ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक चार दक्षिणी राज्य सरकारों को रेलवे की कितनी कितनी भूमि खेती के लिये पट्टे पर दी गई है;

(ख) इस भूमि में से कितनी भूमि प्रत्येक राज्य में खेती के लिये प्रयोग में लायी गइ है;

(ग) सम्बध्द राज्य सरकारों द्वारा शेष भूमि का प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकारों को दी गई इस भूमि को प्रयोग में लाने की क्या सम्भावना हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (ग) और (घ) : 1942 में जब से यह योजना शुरु की गयी थी तब से 1965 के अन्त तक रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर राज्य सरकारों को खेती के लिये ज़मीनें सौंपी गयीं। चूंकि राज्य सरकारें व्यक्तिगत काश्तकारों को ज़मीन का नियतन करती हैं इस लिए बाकी ज़मीन को खेती के काम में क्यों नहीं लाया गया इसका कारण रेलवे को ज्ञात नहीं है। सम्भावत: वहां खेती के लिये पानी उपलब्ध नहीं है या ज़मीन लेने के लिए गांव वालों में दिलचस्पी नहीं है ।

(क) और (ख) :

		दक्षिण भारत की 4 राज्य सरकारो को खेती के लिए दी गयी रेलवे की ज़मीन	अभी तक खेती के काम में लायी जा चुकी ज़मीन
		राज्य-अनुसार	राज्य-अनुसार
1	मैसूर . .	529.746 एकड़	93.126 एकड़
2	मद्रास . .	1298.200 एकड़	889.770 एकड़
3	आन्ध्र .	1928.070 एकड़	1042.090 एकड़
4	केरल .	258 500 एकड़	80.970 एकड़
	जोड़ .	4014.516 एकड़	2105.956 एकड़

कपड़ा सम्बन्धी अध्ययन दल

967. **श्री उमानाथ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कपड़ा सम्बन्धी अध्ययन दल से आशय उस अध्ययन दल से है जो

27-5-1965 को संसद सदस्य श्री के० के० शाह की अध्यक्षता में वस्त्र आयुक्त के संगठन के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिय नियुक्त किया गया था इस दल ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

चाय वित्त तथा प्रत्याभूति निगम

968. डा० पू० ना० खां :

श्री उमानाथ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्रीमती रेणुका बड़फटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरूआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय वित्त तथा प्रत्याभूति निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम का कार्यक्षेत्र क्या होगा तथा इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या है; और

(ग) मामला इस समय किस अवस्था में है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : मामला विचाराधीन है।

चाय बागान

969. श्रीमती रेणुका बड़फटकी :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री उमानाथ :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद तथा कुप्रबन्धित चाय बागान को अपने अधिकार में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे बागान अनुमानत : कितने एकड़ भूमि पर हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : मामला अभी विचाराधीन है।

ब्रिटेन के साथ व्यापार

970. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने हाल में भारत के साथ अपने आयात-निर्यात व्यवस्था का पुनरीक्षण/नवीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो नई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके अधीन परम्परागत वस्तुओं के आयात को कहां तक सरल बनाया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं । ब्रिटेन में सूती वस्त्रों के आयात के बारे में, ब्रिटिश सरकार ने 1 जनवरी, 1966 से, अपनी योजना को अन्तिम रूप देने तक, जिसपर जेनेवा में गाट में विचार हो रहा है, एक अन्तरिम व्यवस्था की है।

(ख) और (ग) : ब्रिटिश सरकार ने अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत यह प्रबन्ध किया है :–

(1) भारत से ब्रिटेन को होने वाले सूती वस्त्रों के निर्यात पर भारत एक दिसम्बर 1965 से आयात लाइसेन्सों द्वारा रोक लगाये ।

(2) 1965 के आधारभूत वार्षिक कोटा से आधे अन्तरिम कोटे की व्यवस्था हो अर्थात् 115 लाख पौंड सूत और 1950 लाख वर्ग गज कपड़ें के थान और बने बनाये वस्त्र, जिसमें से समापित वस्त्र और बने बनाये वस्त्र 325 लाख वर्ग गज से अधिक नहीं होंगे ।

(3) भारत में निर्यात लाइसेन्स संबंधी विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त ब्रिटेन में आयात लाइसेन्सों का प्रचलन ।

1 जनवरी, 1966 से 31 दिसम्बर, 1970 तक के लिये प्रस्तावित अन्तिम व्यवस्था, जो कि अन्तरिम व्यवस्था के समान आधार पर आधारित है, के बारे में ब्रिटिश सरकार से बात-चीत हो रही है ।

कैमरा निर्माण कारखाना

971. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती रेणुका बड़फुकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में कैमरे बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की योजना के सफल होने की संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : बातचीत अभी चल रही है।

Old Age Pension Scheme

972. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Bagri :
Shri Kishen Pattanayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Utiya :
Shri Vishram Prasad :
Shri Linga Reddy :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shrimati Renu Chakravarty
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Ramachandra Ulaka:

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the time by which old age pension scheme will be introduced throughout the country; and

(b) the salient points of this scheme and the extent of contribution to be made by the State Governments towards the expenditure to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) The Scheme is still under consideration.

(b) Does not arise.

मद्रास में विश्व मेला

973. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय निर्माता संगठन जनवरी-फरवरी, 1967 में मद्रास में एक विश्व मेला आयोजित करने वाला है;

(ख) क्या उसके व्यय में भारत सरकार कोई अंशदान देगी ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय निर्माता संगठन 22 जनवरी से 28 फरवरी, 1967 तक मद्रास में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मेले का आयोजन कर रहा है।

(ख) तथा (ग) : मेले के संगठन के लिये वित्तीय सहायता देने को मेले के प्रबन्धकों ने सरकार से कहा है। चूंकि आवश्यक वित्तीय सहायता की राशि तथा उसके कारणों का ब्यौरा नहीं दिया गया था, इसलिये उनसे आवश्यक सूचना मांगी गयी है। उनका उत्तर मिल जाने पर मामले की जांच की जायेगी।

रेलवे के माल डिब्बों संयोजन करने (असैम्बलिंग) का कारखाना

974. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 465 के **सम्बन्ध** में दिये गए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी यूरोपीय पत्तन में रेलवे के माल डिब्बे संयोजन करने का एक **कारखाना** स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाना कब तक स्थापित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : अभी युगोस्लाविया के कारखानों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका हिस्से जोड़ कर हमारे डिब्बे तैयार करने में प्रयोग किया जायगा ।

ब्रिटन से आयात

975. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० वर्मा :
श्री हेमराज :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हेम बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सम्भरण तथा तकनीकी विकास** मंत्री 26 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी खाते में ब्रिटेन के संभरण-कर्ताओं को माल के जो क्रयादेश दिये गये थे वह माल प्राप्त करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार ने (एक) टैकों के पुर्जों और अन्य सैनिक सामान के बिना निपटाये गये भारत के क्रयादेशों की पूर्ति के प्रति तथा (दो) अन्य वाणिज्यिक और गैर-सैनिक सौदों के प्रति जो रुके पड़े थे, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करा दिया है ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : (क) नवीनतम स्थिति यह है कि 50 लाख पौंड मूल्य के थोक लाईसेंसों के लिए और 17 लाख 30 हजार पौंड मूल्य के अलग अलग लाईसेंसों के लिए, आवेदनपत्र अभी तक रुके हुए हैं ।

(ख) 30 नवम्बर, 1965 को संयुक्त राज्य सरकार ने हमें सूचित किया कि सुरक्षा कौंसिल के संकल्प के पैरा १ के कार्यान्वित होने तक सनिक माल, जसे हथियार, बारुद, बम्ब, लड़ाकू सनिक वायुयान और इसके घटक सैनिक लड़ाकू गाड़ियां और उनके पुर्जे इत्यादि के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी नहीं किये जायेंगे । इस विषय में हमें किसी परिवर्तन की जानकारी नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग संगठन

976. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के आर्थिक सलाहकार डा० प्रसाद के हाल के एक प्रकाशन "सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग-संगठन का अध्ययन" की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और जनरल मैनेजरों के बीच विकेन्द्रीकरण तथा समन्वय के बारे में दोषपूर्ण कार्य संचालन के सम्बन्ध में उपरोक्त अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन के निष्कर्षों पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

977. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14/20 हार्स पावर के रूसी डी०टी०-14 बी० टैक्टरों को भारत में व्याप्त स्थितियों में लाभप्रद और अत्यन्त उपयुक्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में रूसी सहयोग से इन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई योजना विचाराधीन है;

(ग) क्या रूस द्वारा सहयोग की पेशकश आस्थगित रुपया भुगतान के आधार पर और बिना रायल्टी के की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) डी०टी०-14 बी० नामक रूसी ट्रैक्टर की जांच ट्रैक्टर एण्ड टेस्टिंग स्टेशन, बुदनी में की गई है और वह भारत की स्थिति के लिये उपयुक्त पाया गया है।

(ख), (ग) और (घ) : डी०टी०-14 बी० रूसी ट्रैक्टर का सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार द्वारा चेकोस्लोवाकिया का एक उस प्रकार का ट्रैक्टर बनाने की परियोजना सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का निश्चय पहले ही किया जा चुका है जिसके लिये चेक अधिकारियों ने सहायता देने का प्रस्ताव किया है। यह परियोजना दोनों सरकारों के बीच किये गये आर्थिक सहयोग के दूसरे करार में शामिल की गई परियोजनाओं में से एक है।

रूसी ट्रैक्टर डी०टी०-14 बी० का निर्माण करने के लिये प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों को उपर्युक्त तथा कुछ अन्य कारणों से सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये दुर्लभ कच्चा माल

978. श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये दुर्लभ कच्चे माल के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या बड़े उद्योगों को ऐसे कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा नियत की गई है जिससे छोटे पैमाने के उद्योगों का अहित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली-अम्बाला लाइन को दोहरा करना

979. श्री यशपाल सिंह :

श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से पानीपत होते हुए अम्बाला तक रेलवे लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि रखी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दिल्ली और अम्बाला के बीच के 197 कि० मी० लम्बे सेक्शन में से दिल्ली और सब्जी मण्डी के बीच 3 कि० मी० के छोटे-से हिस्से में पहले से दोहरी लाइन मौजूद है। बाकी इकहरी ला न सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने का फ़िलहाल कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

रेलवे लाइन का जम्मू तक बढ़ाना

980. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अन्य भागों तक रेलवे लाईन को बढ़ाने के कार्य में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इस काम के पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ख) और (ग) : रेलवे लाइन को कठुआ से और आगे जम्मू तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण हो चुका है और सर्वेक्षण किये गये वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया जा रहा है। लाइन किस मार्ग से निकाली जाय अथवा इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल किया जाय या नहीं, इस सम्बन्ध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

आयात-निर्यात संगठन का मुख्य नियंत्रक

981. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामपुरे :
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 457 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात संगठन के मुख्य नियंत्रक के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये अध्ययन दल का भाग दो प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सहित सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : अध्ययन दल द्वारा अपने प्रतिवेदन के भाग (2) में दी गई सिफारिशें, इस उद्देश्य के लिये नियुक्त की गयी अधिकारियों की समिती के विचाराधीन है । समिती अपना कार्य शीघ्र ही समाप्त कर लेगी । इसके बाद प्रतिवेदन की एक प्रति, सिफारिशों पर सरकार के निर्णययुक्त संकल्प की एक प्रति के साथ सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

"फ्लांइग मेल" की दुर्घटना

982. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बाल्मीकी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री उटिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री 12 मई 1965 को संदल कलां स्टेशन पर हुई "फ्लाइंग मैल" की दुघटना के बारे में 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार को कब तक रिपोर्ट मिल जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : लखनऊ स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ग) और (घ) : चूंकि मामले के कुछ तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तृत जांच आवश्यक है जो अभी पूरी नहीं हुई है, इस लिए अभी तक रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना संभव नहीं हो सका है। रेल संरक्षा आयुक्त के संगठन से अनुरोध किया गया है कि जांच-रिपोर्ट को यथासंभव शीघ्र अंतिम रूप दिया जाय। अंतिम रिपोर्ट किस निश्चित तारीख तक मिल जायेगी, यह बताना संभव नहीं है।

आसाम मेल को पटरी से उतारने का प्रयत्न

983. श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मंत्री पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दुलियाजन स्टेशन के निकट आसाम मेल को **16** सितम्बर, 1965 को पटरी से उतारने का प्रयत्न करने के बारे में 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जांच सम्बन्धी रिपोर्ट मिल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

व्यापार आचार संहिता

984. श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के **उत्तर के** सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं तथा निर्यातकों के बीच व्यापार आचार संहिता सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) : 28 दिसम्बर, 1965 को बम्बई में हुई व्यापार बोर्ड की बाईसवीं बैठक में निर्माताओं तथा निर्यातकों के बीच व्यापार आचार-संहिता संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

बोर्ड ने निर्माताओं और निर्यातकों के बीच व्यावसायिक संबंध की सुदृढ़ परम्परा स्थापित करने पर बल दिया जिससे यह सुनिश्चित हो कि निर्यात के लिये वस्तुओं का सम्भरण बढ़ रहा है और विदेशों से प्राप्त आर्डर संतोषजनक रूप से और ठीक समय पर पूरे किये जा रहे हैं। उसने यह सुझाव भी दिया कि निर्माताओं/कच्चे माल के सम्भरणकर्ताओं और निर्यात के समापित उत्पादों के निर्माताओं के बीच तथा निर्यात उत्पादों के निर्माताओं और व्यापारी-निर्यातकों के बीच पैदा होने वाली समस्याओं के इन अतिरिक्त पहलुओं की ओर ध्यान देने के लिये समिति से कहा जाये। सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और वह समिति के विचारणीय विषय तथा उसके गठन का विस्तार करने पर विचार कर रही है।

आशा है कि समिति अपना परिशोधित प्रतिवेदन लगभग छः महीनों के भीतर प्रस्तुत कर सकेगी।

बम्बई-कल्याण बड़ी लाइन पर थाना स्टेशन पर दुर्घटना

985. श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के बम्बई-कल्याण बड़ी लाइन पर थाना स्टेशन पर हुई टक्कर के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 519 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों को उक्त दुर्घटना के लिये जिम्मेदार ठहराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : बम्बई-स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

कोयला खानों में मशीनों का प्रयोग

986. श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **खान और धातु** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेष 743 कोयला खानों में कब तक मशीनों का प्रयोग होने लगेगा; और

(ख) उसके लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) 743 कोयले की खानों में 51 अंशतः यंत्र संचालित हैं। शेष 692 खानों के यन्त्रीकरण के लिए अभी तक कोई योजना नहीं है। इनमें अधिकांश छोटे एकक हैं।

(ख) कुछ नहीं।

काटपाड़ी स्टेशन के निकट रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

987. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री काज ोलकर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में दक्षिण रेलवे के काटपाड़ी स्टेशन के निकट रेल-गाड़ी का इंजन तथा सात डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना में कोई यात्री घायल हुए अथवा मारे गये ;

(ग) क्या किसी तोड़-फोड़ की कार्यवाही की आशंका है ; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) संभवतः यह प्रश्न त्रिचुरापल्लि-रेनिगुन्ता तेज सवारी गाड़ी नं० 122 डाउन के साथ हुई दुर्घटना से सम्बन्धित है। इस गाड़ी का इंजन और 7 वोगीयां 10-12-65 को पूतलपट्टु और पाकाला स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गयी थीं।

(ख) इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) और (घ) : जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना फिश प्लेटों और इस्पाती चाभी को हटा कर रेल पटरी से छेड़-छाड़ करने के कारण हुई थी। अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस अभी छानबीन कर रही है।

रायपुर में रेलवे माल डिब्बा फैक्टरी

988. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री बाल्मीकी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर की रेलवे माल डिब्बा फैक्ट्री में कार्य कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार हो रहा है ;

(ख) इस फैक्ट्री में उत्पादन कब आरम्भ होगा; और

(ग) उत्पादन की पूर्ण क्षमता कब प्राप्त होगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1967 में।

(ग) दिसम्बर, 1969 तक।

हरिद्वार में फाउण्डरी फोर्ज प्रोजैक्ट (ढलाई गढ़ाई परियोजना)

989. **श्री बाल्मीकी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिद्वार में फाउण्डरी फोर्ज प्रोजेक्ट स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) सरकार ने किस देश से सहयोग लेना स्वीकार किया है ; और

(ग) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और उसके लिये कितना धन नियत किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : हरिद्वार में मुख्य रूप से बिजली के भारी सामान के लिये अपेक्षित इस्पात की विशेष ढलाई और इस्पात की गढ़ाई के लिए 15,000 मी० टन वार्षिक क्षमता का एक ढलाई कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत लगभग 21 करोड़ रु० है जिसमें से 6.3 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा लगेगी। पूरा उत्पादन होने लगने पर उसमें अनुमानतः 13.5 करोड़ रु० के मूल्य का उत्पादन होगा। विदेशी सहयोग की व्यवस्था संबंधी प्रस्तावों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

अमृतसर में ऊनी कपड़ा मिलों का बन्द होना

990. **श्री बड़े :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री महम्मद इलियास :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित कच्चे माल की कमी के कारण ऊनी कपड़े की बहुत सी मिलें बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के बन्द होने के फलस्वरूप कितने मजदूर बेरोज़गार हो गये हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : पता चला है कि आयातित ऊन की कमी के कारण तथा विदेशी मुद्रा के नियतन में कमी होने के फलस्वरूप कई संयुक्त ऊनी मिलों ने अपने उत्पादन में कटौती कर दी है और इनके कुछ मजदूरों की छंटनी हो गई है। ऊनी मिलों को राहत देने के लिए मानव-निर्मित रेशे/सूत से वस्त्र बनाने के लिये सरकार ने उन्हें अपनी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत भाग प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। कच्चे माल के सम्भरण में सुधार करने के लिये मिलें भी और अधिक परिणाम में स्वदेशी ऊन के प्रयोग करने का प्रयत्न कर रही हैं।

हवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

991. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी; और

(ख) 1965 के उत्पादन के आंकड़े 1964 के उत्पादन के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल में 1965 में वास्तविक उत्पादन 720.39 लाख रु० का हुआ। जबकि 1964 में 434.58 लाख रु० के मूल्य का उत्पादन हुआ था।

महाराष्ट्र में कपड़ा मिल

992. श्री रा० गि० दुबे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग में संकट को टालने के लिये महाराष्ट्र सरकार सरकारी क्षेत्र में तीन कपड़ा मिल स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना को अनुमोदन दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र में सुत कातने के तीन मिल्स स्थापित करने के औद्योगिक लायसेन्सों के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं। ये विचाराधीन हैं।

रूस को ऊनी होजरी सामान का निर्यात

993. श्री रा० गि० दुबे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने 1966 में भारी मात्रा में ऊनी स्वीटर, मोज़े आदि खरीदने के लिये क्रियादेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां। हाल में ही किये गये व्यापार करार के अनुसार सोवियत रूस भारत से 25 लाख रु० का ऊनी होजरी माल खरीदेगा और प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त मूल्य के क्रियादेश ऊनी होजरी माल के निर्माताओं को दिये जा चुके हैं।

खड़गपुर से दक्षिण की ओर रेलवे लाइन को दोहरा करना

994. श्री महेश्वर नायक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व क्षेत्र में खड़गपुर से रेलवे लाइन को दक्षिण की ओर दोहरा करने का काम कहां तक आरम्भ किया गया है और इस कार्य के किस तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : खड़गपुर और वाल्टेर के बीच 765 कि० मी० लम्बे खण्ड में से वाल्टेर और विजयानगरम् के बीच (60 कि० मी०) पहले से ही दोहरी लाइन मौजूद है और विजयानगरम तथा खड़गपुर के बीच बाकी 705 कि० मी० भाग में दोहरी लाइन बिछाने का काम 1961-62 से 1963-64 की अवधि में कई चरणों में शुरू किया गया है। इसमें से 42 कि० मी० में अर्थात् खुर्दा रोड से बारंग (35 कि० मी०) और रानीताल से भद्रक (7 कि० मी०) तक दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है और ये खण्ड यातायात के लिए खोल दिये गये हैं। बाकी काम को 1969 तक कई चरणों में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी

995. श्री गुलशन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी के रेलवे स्टेशन और रेलवे कालौनी की सप्लाई किये जाने वाले पीने के पानी को दो बार पीने के अयोग्य घोषित किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) पानी के दो नमूने जांच के लिए भेजे गये थे। नमूने के लिए पानी लेते समय शायद उसमें कुछ गंदगी चले जाने के कारण पहला नमूना असंतोषजनक पाया गया। दूसरा नमूना विसंक्रमित बोतलों में सही तरीके से लिया गया जो संतोषजनक पाया गया। दिल्ली कैन्ट में पानी की सप्लाई का स्त्रोत रेलवे का एक गहरा नल कूप है और इस स्त्रोत से पानी के दूषित होने की कोई संभावना नहीं है।

चलती रेलगाड़ियों का नियंत्रण

996. श्री गुलशन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने विभिन्न रेलों पर चलती रेलगाड़ियों को केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण कार्यालय से नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कुछ प्रयोग किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे (गोरखपुर-छपरा खण्ड) और पूर्वोत्तर सीमा रेलव (बांगाई गांव-चांगसारी) के केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण कार्यालयों से चलती गाड़ियों पर नियंत्रण रखने के लिए दो पायलट परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और इन पर काम शुरु कर दिया गया है।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-छपरा खण्ड के एक हिस्से में यह व्यवस्था चालू हो गयी है और काम संतोषजनक ढंग से हो रहा है। इस व्यवस्था का पूरा लाभ तभी प्राप्त होगा जब यह सारे खण्ड पर लागू हो जायेगी।

रूस को जूतों का निर्यात

997. श्री काजरोलकर :

श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम रूस को कई करोड़ रु० के मूल्य की चप्पल और जूते निर्यात करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते को अन्तिम रूप देने के लिये कोई प्रतिनिधि मंडल रूस गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले अवसरों पर रूस ने माल को अस्वीकार कर दिया था और इससे निर्यातकों को भारी हानि हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : सोवियत रूस आयात संगठन के साथ 1966 के जूतों के आर्डर पर वार्ता करके उसे अन्तिम रूप देने के लिए, राज्य व्यापार निगम के दो अधिकारियों एवं निगम के सहयोगी संभरणकर्त्ताओं के तीन प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमण्डल को दिसम्बर 1965 में रूस भेजा गया था। इस वार्ता के परिणामस्वरूप, निगम ने 14 जनवरी 1966 को मास्को में 2.34 करोड़ रु० मूल्य के 8.80 लाख जोड़े जूतों के एक संविदे पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जूतों का निर्यात

998. श्री काजरोलकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूतों और चप्पलों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य व्यापार निगम, दक्षिणी राज्यों में नये एकक खोल रहा है; और

(ख) क्या नये निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिये बंगलौर को एक केन्द्र बनाने के बारे में विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : भारत के राज्य व्यापार निगम ने निर्यात योग्य किस्म के जूतों के निर्माण के लिये दक्षिणी राज्यों में विद्यमान क्षमता का सर्वेक्षण किया है। अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने आदि जैसे उपायों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण के जांच परिणाम निगम के विचाराधीन है। अन्य केन्द्रों के साथ बंगलौर के दावे पर भी विचार किया जायगा।

चूड़ियों का निर्यात

999. श्री काजरोलकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 करोड़ रुपये के मूल्य की भारतीय डिज़ाइन की चूड़ियां पश्चिमी देशों को निर्यात की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो भारत के किस भाग से ये चूड़ियां निर्यात की गई ; और

(ग) क्या निर्यात की यह संभावना प्लास्टिक की चूड़ियों के सम्बन्ध में भी है अथवा केवल कांच की चूड़ियों के सम्बन्ध में ही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : 1964-65 में समस्त देशों को निर्यात की गई कांच की चूड़ियों का योग लगभग 30 लाख रु० था। इसमें से पश्चिमी देशों को, जिनमें संयुक्त राज्य अमरिका भी शामिल है, को हुए निर्यात का योग लगभग 4.19 लाख रु० है। प्लास्टिक की चूड़ियों के निर्यात की भी अच्छी सम्भावनाएं हैं।

स्कूटरों का निर्माण

1000. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री काजरोलकर : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री बसुमतारी :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर की एक फर्म ने पूर्णत : देशी स्कूटर, जिसका मूल्य 1850 रुपये होगा, बनाने का एक प्रस्ताव संघ सरकार को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) : प्रतिवर्ष 7,500 आटो साइकिल बनाने वाले एक उपक्रम की स्थापना करने के लिए एक योजना प्राप्त हो गई है। इसमें विदेशी सहयोग अथवा पूंजीगत वस्तुओं/कच्चे माल के आयात की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित विक्रय मूल्य 1848 रु० रखा गया है। इस योजना पर अन्य उद्यमियों से प्राप्त योजनाओं के साथ विचार किया जा रहा है।

आसाम को भेजे गये माल का पाकिस्तान द्वारा पकड़ा जाना

1001. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे से आसाम के लिये बुक किया गया कितना माल पाकिस्तान द्वारा मार्ग में पकड़ा गया ;

(ख) इस माल को छुड़ा कर आसाम में इसके गन्तव्य स्थानों पर भेजने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि माल भेजने वाले लोगों ने तथा जिन लोगों को यह माल भेजा गया था उन लोगों ने मुआवजे के दावे दायर कर दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन दावों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है तथा प्रभावित लोगों को कब तक राहत दी जायेगी।

रेल उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ग) और (घ) : इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा-पटल पर शीघ्र रख दी जायेगी।

(ख) ताशकन्द घोषणा के अनुसार भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच इस मामले पर बातचीत होने की संभावना है।

नंगल में अखबारी कागज का कारखाना

1002. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री काजरोलकर :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री किन्दर लाल :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री बड़े :

क्या **उद्योग** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नंगल में अकबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में भारी बिजली सामान का निर्माण

1003. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पंजाब सरकार की भारी बिजली सामान की भावी मांग के सम्बन्ध में अपेक्षित वर्तमान क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के लिए बिजली के भारी साज-सामान की संभावित मांग निर्धारित करने के सिलसिले में वर्तमान क्षमता और अपेक्षित अतिरिक्त क्षमता का अनुमान लगाने के लिए जिस समिति की नियुक्ति की गई थी उसकी सिफारिशें प्राप्त हो गई है और उन पर विचार किया जा रहा है। बिजली का साज-सामान बनाने के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने की पंजाब सरकार की योजना पर इन सिफारिशों पर किये गये निर्णय के आधार पर ही आगे विचार किया जायेगा।

मनमाड जंक्शन से गुजरने वाली रेलगाड़ियां

1004. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेज और डाक अथवा एक्सप्रेस रेलगाड़ियां सामान्यतः देरी से पहुंचती हैं और विभिन्न जंकशनों पर ब्रांच रेलगाड़ियों से उनका मेल नहीं हो सकता है जो कि नियमित समय पर चल पड़ती हैं और देरी से पहुंचने वाली गाड़ियों के यात्रियों को 12 घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मनमाड जंक्शन पर कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : (क) अगस्त, 1965 से जनवरी, 1966 तक भारतीय रेलों में विभिन्न जंक्शनों पर गाड़ियों के परस्पर मेल की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रही है। केवल सितम्बर, 1965 में पश्चिम रेलवे पर एसा नहीं हो सका क्योंकि उस समय टूट-फूट और आपातिक आवागमन के कारण वहां गाड़ियों के मेल में बाधा पड़ी थी ।

(ख) और (ग) : 26-11-65 और 15-12-65 को गाड़ियों का मेल न होने की दो शिकायत आयी थीं। जिन परिस्थितियों के कारण मेल नहीं हो सका था वे शिकायतें करने-वालों को बतायी गयी थीं और नं० 564 मनमाड-काचीगुड़ा सवारी गाड़ी के अधिकृत ठहराव को 20 मिनिट से बढ़ा कर 30 मिनिट कर देने के लिए कारवाई की गयी है, ताकि उसका 6 अप पंजाब डाक गाड़ी के साथ मेल हो सके ।

रेलों द्वारा इस बात पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है कि मनमाड और अन्य जंक्शनों पर गाड़ियों का मेल होता रहे।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की सम्पत्तियाँ

1005. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 487 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से उन सम्पत्तियों की सूची अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है जो कि, अब भी, विशेष रूप से मेरठ जिले में, पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की मिलकियत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की मिल्कियत वाली सम्पत्तियों का ब्यौरा जिला अधिकारियों द्वारा एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) ताश्कन्द घोषणा के अनुच्छेद 8 द्वारा दोनों सरकारों के बीच होने वाली मन्त्री स्तर की बैठक में प्रत्येक देश द्वारा जप्त की गई सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के पारस्परिक विनिमय के विषय में निश्चय किया जायगा।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

1006. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में बड़ी संख्या में विदेशी तकनीकी व्यक्तियों को लगाये रखना सरकार क्यों उचित समझती है;

(ख) पिछले दो वर्षों में अर्थात् 1964-65 और 1965-66 में अब तक इन व्यक्तियों के वेतन और भरण-पोषण पर कितना धन व्यय किया गया;

(ग) क्या उनके स्थान पर भारतीय तकनीकी व्यक्ति लगाने का कोई निर्धारित कार्यक्रम है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) इंग्लैंड के मे० एसोशियेटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ किये गये तकनकी परामर्शदाता करार के उपबन्धों के अधीन विदेशी कम्पनी को आपस में सहमत हुई शर्तों के अनुसार भारत में उतनी संख्या में तकनीकी विशेषज्ञ रखने पड़ते हैं जिनकी आवश्यकता कारखाने का निर्माण करने और उसे तथा चलाने प्रक्षिण केन्द्र के लिये होती

है। तकनीकी सहायता देने के लिये कितने तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति आवश्यकता होगी इस के बारे में समय-समय पर आपसी करार के द्वारा निश्चय किया जायगा। इस प्रकार समय-समय पर निर्धारित की गई संख्या कारखाने के उत्पादन कार्यक्रम तथा प्रत्येक वस्तु विशष की तकनीकी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। चूंकि प्रति वर्ष नई-नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिये जब तक इस प्रकार की वस्तुओं का सन्तोषजनक ढंग से उत्पादन नहीं होने लगता तब तक विदेशी तकनीकीयों को लगाये रहना आवश्यक होगा।

(ख) 1964-65 और 1965-66 में इस प्रकार के कर्मचारियों के वेतन और उनके भरण-पोषण पर निम्न प्रकार खर्च किया गया है :—

1964-65	41.91 लाख रु०
1965-66	28.50 लाख रु०

(31 जनवरी, 1966 तक)

(ग) और (घ) : जी, हां। प्रत्येक विदेशी तकनीशियन को एक विशेष अवधि के लिये लगाया जाता है और प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ सक्षम भारतीय इंजीनियर और तकनीशियन बदल के लिये लगा दिये जाते हैं। ये लोग उत्पादन/डिजाइन के वास्तविक काम में लगे हुए हैं। आशा है कि जब तक विदेशी विशेषज्ञों की अवधि समाप्त होने को आयेगी तब तक भारतीय कर्मचारी बिना किसी सहायता के कार्य करने योग्य हो जायेंगे। स्विचगियर, कंट्रोल-गियर तथा ट्रांसफार्मर विभागों में विदेशी विशेषज्ञों स्थान पर पहले ही भारतीय विशेषज्ञ रखे जा चुके हैं।

रूरकेला उर्वरक कारखाने

1007. श्री कर्णी सिंहजी : **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री रामपुरे :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन बढ़ाने के लिये रूरकेला उर्वरक कारखाने में जो परिवर्तन किये जाने थे क्या वे अब पूरे कर लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में उर्वरकों की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के कार्य की उच्च प्राथमिकता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) कई वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन थे और विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श किया जाना था। फिर भी दिसम्बर 1965 में यह निश्चय किया गया कि दो वैकल्पित योजनाओं के लिये क़ुटैशन मंगाये जायें तदनुसार टैंडर मांगे गये हैं। 31-3-66 तक टैंडरों के प्राप्त हो जाने की आशा है। जिसके पश्चात आवश्यक उपकरणों के लिए आर्डर देने के बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

(ग) चौथी योजना में उर्वरक के और कारखाने लगाकर तथा वर्तमान कारखानों की उपलब्ध उत्पादन सुविधाओं में वृद्धि करके उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ व्यापार

1008. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री कर्णी सिंहजी : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ व्यापार आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। चूंकि उस देश में हमारा कोई राजनयिक प्रतिनिधि नहीं, इसलिये वहां हमारा कोई वाणिज्यिक सलाहकार भी नहीं है। फिर भी हमारे आपसी व्यापार में सहायता देने के लिये राज्य व्यापार निगम वहां अपना एक कार्यालय खोलने और निगम का एक वरिष्ठ कार्यवाहक अधिकारी तथा पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करने का विचार कर रहा है।

लातीनी अमरीकी देशों के साथ व्यापार

1009. **श्री हेम बरुआ :**
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातीनी अमरीकी देशों में भारत के प्रति विद्यमान सद्भाव को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि रेलवे मंत्री ने अपने हाल के दौरे में अनुभव किया था, वे देश भारत के साथ व्यापारिक तथा राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : लातीनी अमरीकी देशों तथा भारत के बीच राजनयिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध पहले से ही विद्यमान हैं। रेल मन्त्री ने केवल इन सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने के लिए कहा था। इस क्षेत्र के देशों के साथ हमारे व्यापारिक तथा राजनयिक सम्बन्धों को बढ़ाने के प्रश्न का बराबर पुनरीक्षण होता रहता है।

दक्षिणपूर्व एशिया में चीन द्वारा प्रतियोगिता

1010. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व एशिया की मंड़ियों में चीन द्वारा जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा से भारत को उन मण्डियों से बाहर निकाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिरुवेरम्बूर के निकट "हाई प्रैशर बायलर" संयंत्र

1011. **श्रीमती मैमुना सुल्तान :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में तिरुवेरम्बूर के निकट "हाई प्रेशर बायलर" संयंत्र के विस्तार की योजना स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्य पर कितना खर्च आयेगा और इसका अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी नहीं, योजना अभी तैयार की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे डिव्हीजनों का पुनर्गठन

1012. श्री अ० व० राघवन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नवें 'जोन' के बनाये जाने पर दक्षिण रेलवे के विभिन्न' डिवीजनों' का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल में सभी रेलवे लाइनों को एक ही खण्ड में रखने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नये डिवीजन का प्रधान कार्यालय किस स्थान पर होगा ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

कोकिंग कोयले का निर्यात

1013. डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत से अन्य देशों को कोकिंग कोयले के निर्यात में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयात लाइसेंस नीति

1014. डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राज्यों के उद्योग निदेशकों का हाल ही में आयोजित सम्मेलन राज्यों के लिये एक आयात लाइसेंस नीति बनाने में असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार ही नहीं हुआ था और इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता के लिये वृत्ताकार (सर्कूलर) रेलवे

1015. **डा० रानेन सेन :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता महानगरी के लिये प्रस्तावित वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे के सम्बन्ध में सिफारिशें पेश करने के लिये केन्द्रीय सरकार के परामर्श से हाल ही में एक दल नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उसे क्या विशिष्ट निदेश दिए है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : कलकत्ता महानगर क्षेत्र में प्रस्तावित सर्कुलर रेलवे के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से कोई अध्ययन दल नियुक्त नहीं किया है। लेकिन योजना आयोग द्वारा नियुक्त महानगर परिवहन दल के सुझाव पर पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च स्तर के विशेषज्ञों की एक अध्ययन गोष्ठी स्थापित की है जो उक्त दल के साथ मिल कर काम करेगी। कलकत्ता महानगर परिवहन दल को सौंपे गये काम को सुकर बनाने क उद्देश्य से गोष्ठी उसे यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं, जमीन के उपयोग और आगामी 20–25 वर्षों की आवश्यकताओं और विकास के स्वरूप में सम्भावित परिवर्तन जैसी सभी आधारभूत जानकारी उपलब्ध करेगी। दिसम्बर, 1965 में जो विचार विमर्श हुआ था, उसमें राज्य अध्ययन गोष्ठी के अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ महानगर परिवहन दल का ध्यान सर्कुलर रेलवे योजना की ओर आकृष्ट कया था और यह सुझाव रखा था कि नगर में परिवहन की कठिन स्थिति को सं ालने के लिये एक ऐसी परियोजना योजना तयार की जा सकती है जिस पर अविलम्ब अमल किया जा सकता है। कलकत्ता में बडे पैमाने पर परिवहन की अधिक अच्छी सुविधा उपलब्ध करने की अन्य सम्भावित उपायों के साथ-साथ महानगर परिरवहन दल इस प्रस्ताव पर भी ध्यानपूर्वक विचार कर रहा है।

इंजीनियरी तथा होजियरी उद्योग

1016. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी तथा होजियरी उद्योग को विशेषत: छोटे पैमाने के क्षेत्र में, कच्चे माल की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कमी किस प्रकार की है और कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) बड़े ओर मझोले क्षेत्रों के कारखानों के सामान ही लघु उद्योग क्षेत्र के इंजिनियरी और होजरी कारखानों का कुछ प्रकार के कच्चे माल के अभाव का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र के इंजीनियरी-कारखानों को जिस कच्चे माल के अभाव का सामना करना पड़ रहा है, वह है आयातित लोहा और इस्पात और अलौह धातुएं। लघु उद्योग क्षेत्र के ऊनी और नकली रेशम के होजरी कारखानों को वर्स्टेड और नायलोन के नकली सूत के अभाव का सामना करना पड़ रहा है।

रक्षा और प्राथमिकता प्राप्त अन्य आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उपलब्ध माल का राष्ट्र-हित में अच्छे से अच्छा उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से तांबे, सीसे, जस्ते और रांगे के वितरण और उपभोग पर दुलभ औद्योगिक पदार्थ (नियंत्रण) आदेश, 1965 के अधीन नियंत्रण लगा दिया गया है। अन्तरिम सहायता के रूप में राज्यों को नवम्बर, 65 से अप्रैल 66 तक की अवधि के लिए अक्टबर 64—मार्च 65 की अवधि में आवंटित इन धातुओं के परिमाण के 50 प्रतिशत के बराबर आवंटन किया गया है। लघु क्षेत्र के लिय 1965-66 में लोहे और इस्पात का आयात करने के लिये 176 लाख रु० की विदेशी मुद्रा भी राज्यानुसार नियत कर दी गई है जिससे संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्दर अलग-अलग कारखानों के लिये आयात लाइसेंस जारी किये जा सकें। इन दुर्लभ कच्चे माल के आयात पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से सरकार उनके स्थान पर दुसरी वस्तुओं का आयात करने के प्रश्न पर जोरों से कार्य कर रही है।

राजस्थान बिजली बोर्ड द्वारा दी जाने वाली बिजली में कमी कर देने से देश के एकमात्र नाइ-लोन नकली सूत का निर्माण करने वाले कारखाने को अपने उत्पादन की आवश्यकता में 65 प्रतिशत कम कमी करनी पड़ी। इस कारखाने द्वारा बिजली की अपनी आधी आवश्यकता पूरी करने के लिये स्वयं बिजली उत्पन्न करने के संबंध में प्रयत्न किया जा रहा है और मार्च, 1966 के अन्त तक उस में पुनः सामान्य उत्पादन होने लगने की आशा है। जहाँ तक वर्स्टेड होजरी सूत का संबंध है, ऊन के आयात के लिय विदेशी मुद्रा सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण सरकार वर्स्टेड होजरी सूत के साथ कृत्रिम रेशी का उत्पादन करने की एक योजना पर विचार कर रही है। इससे वर्स्टेड होजरी में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी। संबंधित निर्यात संवर्धन योजनाओ के अन्तर्गत ऊनी और नकली रेशम होजरी उद्योग के लिये कच्चे माल का आयात करने की भी अनुमति प्राप्त है।

मशीनी औजारों की आवश्यकता

1017. श्री सुबोध हंसदा :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में मशीनी औजार उद्योग की आवश्यकताओ की जांच करने के लिये एक आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है : और

(ख) यदि हां, तो यह आयोग कब स्थापित किया जायगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) :(क) और (ख) : चौथी योजना की अवधि में विशद वर्गों की मशीनी औजारों की आवश्यकता का अनमान एक कार्यकारी दल द्वारा लगाया गया था। योजना बनाने के लिय विभिन्न किस्मों और आकारो के मशीनी औजारो की आवश्यकता का विस्तृत अनुमान लगाया आवश्यक समझा गया है। इस प्रकार का अनमान किस प्रकार तयार किया जाय और इस कार्य के लिये कौन सा उपाय किया जाय इस पर विचार किया जा रहा है।

रुदौली स्टेशन पर टक्कर

1018. **श्री शिवचरण माथर :**
श्री काजरोलकर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बसुमतारी :
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 दिसम्बर, 1965 को फजाबाद-लखनऊ सेक्शन में रुदौली स्टेशन पर जब सवारी गाड़ी की माल गाड़ी से टक्कर हुई थी तो चालीस व्यक्तियों को चोटें और तीन को गहरी चोट आई ;

(ख) अनुमानतः रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) अब तक हुई जांच के अनुसार इस दुघटना का क्या कारण मालूम हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, नहीं। केवल 7 व्यक्तियों को मामूली चोटें पहुंची ।

(ख) किसी की मृत्यु नहीं हुई । रेल-सम्पत्ति को लगभग 5,375 रुपये की क्षति का अनुमान है ।

(ग) जांच समिति की रिपोर्ट की छानबीन हो रही है ।

डाल्ली राजहारा-दांतेवाडा रेलवे लाइन

1019. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री वाडीया :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिले के वृहद् संसाधनों, विशेषकर लौह-अयस्क तथा चूने का पत्थर निकालने के लिये साधन जुटाने के उद्देश्य से डाल्ली राजहारा से दांतेवाडा या जयदलपुर तक रेलवे लाइन बिछाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : इस क्षेत्र की अन्य रेलवे लाइनों के साथ-साथ दिल्ली राजहारा-दांतेवाड़ा रेल परियोजना के बारे में साध्यता और लागत अध्ययन शुरू किया गया है। दण्डकारण्य क्षेत्र के औद्योगिक खनन और कृषि के मिले-जुले संभावित विकास के लिए अपेक्षित परिवहन-प्रणाली के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने की दिशा में यह अध्ययन अग्रिम कार्रवाई के रूप में है ।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को कोयले का सम्भरण

1020. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की यह नीति है कि राज्य सरकारें अपने संसाधनों की स्वयं व्यवस्था करें;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड राज्य खनन निगम के जरिये कोयले निकालना चाहता था जिससें लाभ निगम को मिलता परन्तु शाहडोल जिले में बाकी हो गांव में कोयला निकालने के हेतु खनन पट्टे के लिये निगम का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया जब कि भारत सरकार असम सरकार के राज्य निगम को खनन पट्टा देने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) राज्य सरकारें देश में कोयले के साधनों के विदोहन की आज्ञा भारतीय नीति के अनुरूप देती हैं तथा विकास योजना संयोजित कार्यक्रम का सारभूत अंग है ।

(ख) और (ग) देश में नानकोकिंग कोल के पर्याप्त मात्रा मे उत्पादन होने और आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण यह विचार किया गया कि इस क्षेत्र म नये खनन पट्टो की स्वीकृति देना उचित नहीं होगा । तथापि, इस विषय पर राज्य सरकार के साथ अब पुन: विचार किया जा रहा है । असम सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यतया क्षेत्रीय मांग और परिवहन सम्बन्धी दिक्कतों के कारण ही किया गया है ।

छोटे पैमान के उद्योगों के लिये टीन का नियतन

1021. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1962 मार्च, 1963 की अवधि की तुलना में अप्रैल 1963 सितम्बर, 1963 की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र के लिये टीन के नियतन में 22 प्रतिशत की कमी की गयी;

(ख) क्या यह कमी सभी राज्यों में समान रूप से की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका आ ार क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अक्तुबर 1962 से मार्च 1963 तक की अवधि की तूलना मे अप्रैल से सितम्बर 1963 की अवधि मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए (कपड़ की मशीनों के पुर्जे बनाने वाले कारखानों तथा काजू उद्योग समेत) टिन के नियतन में लगभग 14 प्रतिशत की कमी हुई थी ।

(ख) अप्रैल-सितम्बर 1963 की अवधि में राज्यों तथा कपड़ा बनाने की मशीनों के पुर्जों और काजू उद्योग के लिए किये जाने वाले नियतन में, अप्रैल-सितम्बर 1963 की अवधि के लिए जम्मू-काश्मीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो पहली बार प्राप्त हुई थीं, समान रूप से कमी की गई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Khadi and Village Industries Commission

1022. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred State-wise by the Khadi and Village Industries Commission during 1965 on khadi and village industries;

(b) the amount of assistance given State-wise by the Commission during the same period; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to popularise the products of khadi and village industries among the villagers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a)

Sl. No.	State	Expenditure incurred (Rs. Lakhs)
1	Andhra	3·05
2	Assam	0·85
3	Bihar	0·89
4	Gujarat	0·48
5	Jammu and Kashmir	0·43
6	Kerala	1·14
7	Madhya Pradesh	1·28
8	Madras	1·53
9	Maharashtra	1·44
10	Mysore	2·17
11	Orissa	0·74
12	Punjab	2·48
13	Rajasthan	2·60
14	Uttar Pradesh	3·94
15	West Bengal	1·81
16	Goa	0·08
17	Hill & Border Areas	8·48
	TOTAL	33·39

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(c) (1) Introduction of "Free Weaving Scheme".

(2) Introduction of improved implements to improve both quality and quantity.

(3) Speical assistance to self-spinners.

U. P. Export Promotion Corporation

1023. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government have obtained the approval of Central Government in regard to the establishment of Uttar Pradesh Export Promotion Corporation in the State;

(b) if so, on what condtions; and

(c) the main features of this Export Promotion Corporation

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). No, Sir. Approval of the Central Government is not required for setting up such a Corporation. However, we have appreciated this effort and step for export promotion.

(c) The U.P. Export Corporation has been incorporated under the Companies Act, 1956, on the 20th January, 1966 with an authorised capital of Rs. 50 lakhs, 51% of which is to be held by the Government of U.P. and the rest 49% by private shareholders.

2. The Corporation has been set-up with the following main objects :—

(a) to serve as a channel for the outflow of goods from Uttar Pradesh's medium and small scale industries to the export markets;

(b) to re-orient industries in U.P. in relation to export markets and to establish institutions for promotion of scientific research in respect of such industries;

(c) to coordinate the activities of exporters with the various Export Promotion Councils and Commodity Boards in respect of import entitlements, drawback etc. so that lack of knowledge or lack of availability of these facilities does not come in the way of export promotion activity;

(d) to promote the sale of products made in U.P. by conducting market surveys and also through opening of offices, warehouses, etc. both in India and abroad;

(e) to arrange supply of finance to exporters against confirmed orders and also to start, finance or participate in export based industries; and

(f) to start common facility centres for various industries where exporters can get drawings, designs, tools, etc.

3. The Corporation is expected to play an effective role in our export drive by creating an export climate in the State of U.P. and also by serving as a channel for export of goods from that State.

गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने का कारखाना

1024. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में एक कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने की योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की कब तक हथापित करने का बिचार है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख): निजी क्षेत्र में धावनशालाएं स्थापित करने के लिए हाल में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

विद्युत चालित करघा जांच समिति

1025. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मानसिंह पु० पटेल :
श्री सें० वे० रामस्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् चालित करघा समिति, जिसके अध्यक्ष श्री अशोक मेहता थे, द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : इस पर सरकार के निश्चयों के शीघ्र घोषित किये जाने की आशा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

1026. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये इस्पात-उत्पादन का लक्ष्य अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) इसको किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, अभी नहीं। चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए इस्पात उत्पादन के लक्ष्य के बारे में अभी तक योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस के बारे में निश्चय चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात-उत्पादन का लक्ष्य अन्तिम रूप से निश्चित हो जाने के पश्चात् किया जा सकेगा।

भारत में लुग्दी, कागज और अखबारी कागज के कारखाने

1027. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में लुग्दी, कागज तथा अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने के बारे में प्रतिवेदनों की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख): इंग्लैण्ड के मेसर्स साइमन इंजीनियरिंग तथा मैक्सिको के लिया इण्डस्ट्रियल डी सान क्रस्टोहाल के विशेषज्ञों के एक दल को इस मंत्रालय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा तकनीकी विकास के सहा निदेशालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश, बिहार के लिये गन्ने की खोई पर आधारित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन का इस्तेमाल इस दल द्वारा मूलभूत आंकड़ों के रूप में किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट के अप्रैल-मई, 1966 तक मिल जाने की सम्भावना है।

तीसरे दर्जे के स्लीपर डिब्बे

1028. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 2 अप्रैल, 1966 से उत्तर-पूर्व रेलवे की प्रमुख गाड़ियों के साथ अधिक स्लीपर डिब्बे (कोच) लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन गाड़ियों की संख्या कितनी है तथा नाम क्या क्या है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): पहली मार्च, 1966 से सिलिगुड़ी जंक्शन और लखनऊ के बीच चलने वाली 15 आप/16 डाउन एकसप्रेस गाड़ियों में तीन शायिका वाले शयन यानों और इलाहाबाद के बीच चलने वाली 37 आप/38 डाउन तेज सवारी गाड़ियों में दो शायिकावाले शयन यानों की व्यवस्था करने का विचार है। पहली अप्रेल, 1966 से पूर्वोत्तर रेलवे पर तीसरे दर्जे के और शयन यानों का व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है।

रेलवे दुर्घटनायें

1029. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1965 मे जोनवार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई है;

(ख) उनके कारण क्या थे;

(ग) रेलवे को, जोनवार जन तथा माल की कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(घ) रेलवे ने जोनवार कितना प्रतिकर दिया है ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग): 1-10-65 से 31-12-65 तक की अवधि में भारतीय रेलों पर टक्कर, पटरी से उतरने, समपारों पर सड़क-यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में जितनी दुर्घटनाएं हुई उनका विवरण संलग्न बयान में दिया गया है। इस विवरण में यह भी बताया गया है कि दुर्घटनाएं क्यों हुई और उन से जन तथा रेल सम्पति को कितनी हानि हुई। [**पुस्तकालय मे रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5599/66**]

(घ) जो व्यक्ति उन दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं उन्हें मुआवज़ा देने के सम्बन्ध में कार्रवाही की जा रही है। अनुग्रह के रूप में 1,900 रुपये का भुगतान किया गया है।

सिंगरेनी कोयला खान

1031. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सिंगरेनी कोयला खानों को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक की वह सारी सहायता दे दी है; जिसका वायदा किया गया था; और

(ख) यदि नहीं तो ऐसा न करने के क्या कारण है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख): सिंगरेनी कोलरीज़ को तृतीय योजना के अंत तक दी जाने वाली सहायता की प्रमात्रा के सम्बन्ध में कोई दृढ़ आश्वासन नहीं दिया गया था। तृतीय योजना के अंत तक कम्पनी को 17.73 करोड़ रूपये की राशि दी जाने की आशा है जिसमें कम्पनी की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित योजना काल में ही लिए जाने वाली 13.68 रुपये की राशि सम्मिलित है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा निवेली लिग्नाइट परियोजना

1032. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा निवेली लिग्नाइट परियोजना की तीसरी योजना के अन्त तक कितनी सहायता दी गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और नयवेली लिग-नाइट परियोजना को तीसरी योजना के अन्त तकदी गई धनराशि इस प्रकार है :—

(1) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम . . . . 127.63 करोड़ रु०

(2) नयवेली लिगनाइट परियोजना . . . . 143.73 करोड़ रु०

उत्तर अर्काट जिले में खनिज निक्षेप

1033. **श्री बालकृष्णन :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर अर्काट जिले के मामंडूर क्षेत्र में उपलब्ध जस्ते तथा अन्य खनिज अयस्कों के निक्षपों का अनुमान लगाने के लिये आगे जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितना खनिज निक्षेप मिलने का अनुमान है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय शिशु कल्याण परिषद्

1034. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री 30 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 552 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिशु कल्याण परिषद् ने सभी अनुदानों के बारे में अब हिसाब किताब पेश कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) 1963–64 की 9,663.50 रुपये की और राशियों के तथा 1964–65 की 81,874 रुपये की राशियों के बारे में लेखे प्राप्त हो गय ह । 1963–64 से सम्बधित 8,431.60 रुपये की तथा 1964–65 से सम्बंधित, 1,92,779 रुपय की राशियों के बारे में लेखों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) पूरी रशियों के बारे में हिसाब किताब इसलिये पेश नहीं किया गया क्योंकि कुछ अवस्थाओं में मजूरियों के समक्ष खर्च 1965–66 में किया गया है तथा कुछ अवस्थाओं में राज्य बोर्डों से अभी लेखों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Welfare of People in Border Areas

1035. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri Rameshwar Tantia :**
Shri D. J. Naik : **Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Social Welfare Board at its meeting held on the 7th December, 1965 had decided to take various steps for the welfare of the people living in the border areas; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) Yes, Sir. The intensification of welfare work in the border areas was approved in principle in the meeting of the Standing Committee of the Central Social Welfare Board, held on the 3rd December, 1965 and also in the meeting of the Board, held on 27th and 28th December, 1965.

(b) The detailed schemes, which may be taken up in addition to the existing schemes for border areas, are being worked out in consultation with the State Boards.

Derailment on Darbhanga-Nirmali Section

1036. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six bogies of a goods train derailed on December 28-29, 1965 between Tamuria and Chikna stations on Darbhanga-Nirmali Section (North-Eastern Railway);

(b) whether it is also a fact that the relief train which went from Samastipur also derailed between Sakri and Manigachhi stations and the railway staff received injuries;

(c) if so, the causes of the derailment; and

(d) the steps being taken by Government to prevent such accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The accident occurred on 29-12-65. In this accident 11 wagons and a brake-van derailed.

(b) Yes.

(c) The derailment of the goods train was due to the failure of railway staff. The report of the enquiry committee on the derailment of the breakdown train is under scrutiny.

(d) Various measures adopted by the railway administration to minimise the incidence of accidents have been outlined in Chapter IV of the pamphlet entitled "A Review of Accidents on Indian Government Railways—1964-65" which was circulated along with other Budget papers.

समाज बोर्ड कल्याण

1037. श्री हरि विष्णु कामत :

श्री राम सेवक यादव :

श्री बागड़ी :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र तथा राज्यों में सामाजिक कल्याण बोर्डों की प्रधान महिलायें ही है;

(ख) राज्य बोर्डों के प्रधानों की नियुक्ति कौन करता है ;

(ग) क्या राज्य बोर्ड सन्तोष जनक रूप में कार्य करते रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या राज्य स्तर पर इनके ढ़ाचे में कोई परिवर्तन करने का विचार किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य बोर्ड़ों के प्रधानों की नियुक्ति राज्य सरकारें केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के प्रधान की सलाह से करती है ।

(ग) राज्य बोर्डों का काम साधारणतया संतोषजनक रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Tea to Nepal

1038. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value in rupee of tea exported to Nepal during 1965-66 so far;

(b) whether it is a fact that Nepal has started growing tea plantations and that the export of tea to Nepal would be stopped by 1967; and

(c) if so, the steps being taken by Government to explore new markets for the export of tea ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) The value of tea exported to Nepal during April—November, 1965 is Rs. 14,58,753.

(b) A small quantity of tea is grown in Nepal and it is understood that efforts are being made to increase production. It is not, however, expected that export of tea to Nepal will be stopped by 1967, or, for that matter, for some years to come.

(c) Does not arise.

विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना

1039. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1898 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी

1040. श्री जसवन्त मेहता : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर डिवीज़न की पश्चिम रेलवे पेंशन प्राप्त संस्था ने मांग की है कि सेवा निवृत रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्त तथा पेंशन में वृद्धि की जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि उदारकृत पेंशन योजना के लागू होने के पश्चात् पेंशन नियमों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने का विचार किया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां। सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। लेकिन, जिन लोगों को थोड़ी पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन में तदर्थ वृद्धि कर दी गयी थी, जो अक्तूबर, 1963 की पेंशन से लागू हुई । कठिन वित्तीय स्थिति होने के कारण और अधिक तदर्थ वृद्धि करना संभव नहीं हो सका है ।

(ख) पेंशन नियम 1950 में लागू किये गये थे । तब से इनका कई बार उदारीकरण किया जा चुका है ।

(ग) जी हां, यह मामला विचाराधीन है ।

मध्य रेलवे पर बस और मालगाड़ी की टक्कर

1041. **श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री बागड़ी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री किन्दर लाल :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1966 को मध्य रेलवे के द्रोणाचलम्-सिकंदराबाद मीटर गैज सैक्शन के आलमपुर रोड और मनोपाद स्टैशनों के बीच चौकीदार द्वारा रक्षित एक रेलवे फाटक पर एक बस एक माल गाड़ी से टकरा गई;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) दुर्घटना का कारण क्या था; और

(घ) 1964 की अपेक्षा 1965 में रेलवे फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई, और उनको कम करने के लिय क्या कदम उठाये गये है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) इस दुर्घटना को कारण चार व्यक्ति मारे गये और बाइस व्यक्तियों को चोटें आयीं ।

(ग) जांच समिति की रिपोर्ट की छान-बीन की जा रही है ।

(घ) 1965 में भारत की सरकारी रेलों में समपारों पर 123 दुर्घटनाएं हुई, जबकि 1964 में 146 दुर्घटनाएं हुई थीं ।

समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलों द्वारा जो विभिन्न उपाय किये गये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है : फाटकवालों को प्रशिक्षित और शिक्षित करना, इंजन ड्राइवरों पर इस बात का जोर देना कि समपार पर पहुंचते समय सीटी बजायें ; समपारों पर उत्तरोत्तर चौकीदारों की व्यवस्था करना, समपारों पर उठने-गिरने वाले अवरोधक लगाना और जहां ज़रूरत हो फाटकों को सिगनल के साथ अन्तर्पाशित करना, और विभिन्न माध्यमों के जरिए सड़क उपयोगकर्ताओं को उन खतरों से आगाह करना जो समपार पर लापरवाही से लाइन पार करते समय हो सकते हैं, आदि ।

कालूपारा घाट में माल-डिब्बों में मछली का चढ़ाया जाना

1042. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यका दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों को कालूपारा घाट स्टेशन पर माल गाड़ी के डब्बो में कम स्थान होने तथा 326 डाउन गाड़ी में मछली लादने के लिये कम समय मिलने के बारे में शिकायतें मिली है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) कालूपारा घाट स्टेशन पर मछली के लदान के लिए जितना कोटा नियत है उसे बढ़ाने के सम्बन्ध में खुर्दा रोड के मंडल अधीक्षक को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं । एक स्थानीय समाचार पत्र में यह शिकायत भी छपी थी कि मछली के टोकरों की निकासी देर से होती है तथा कई अनियमितताएं बरती जाती हैं । इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है कि मछली के लदान के लिए अभी जितने समय तक गाड़ी इस स्टेशन पर रुकती है, वह अपर्याप्त है ।

(ख) केवल हवड़ा के लिए कालूपारा घाट स्टेशन पर 326 डाउन गाड़ी के वातानुकूल मछली यान में मछली के 100 टोकरों के लदान का कोटा नियत है । इस सेक्शन पर जितने स्टेशनों से मछली का लदान होता है, उनमें इस स्टेशन का कोटा सबसे अधिक है । पिछले स्टेशनों पर हुए लदान के बाद यान में जगह रहने पर, व्यापारियों की सलाह से कई दिन 100 टोकरों से अधिक टोकरे बुक किये गये और लादे गये । जहां तक दूसरे स्टेशनों के लिए लदान का सम्बन्ध है उस पर कोई पाबन्दी नहीं है और न दूसरी गाड़ियों से लदान पर ही कोई पाबन्दी है । इस स्थिति पर पुनर्विचार किया गया है और वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ।

केरल में कालमैसरी मशीनी औजार का कारखाना

1043. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या **उद्योग** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2778 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कालमैसरी मशीनी औजार कारखाने का विस्तार करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा के विशेष संदर्भ में लागत प्राक्कलनों की जांच कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

1044. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :

क्या **रेलवे** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट में नगरपालिका के क्षेत्र के बाहर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों द्वारा भेजे गये मकान किराया भत्ता के बारे में अभ्यावेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह भत्ता किस तिथि से मिलेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

अकोककर (नान-कोकिंग) कोयले की मांग

1046. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अकोककर कोयले की कुल कितनी अनुमानित मांग होगी; और

(ख) उस अवधि तक कुल कितना अनुमानित उत्पादन होगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख): जुलाई 1965 में विभिन्न उपभोगी उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रमों के आधार पर लगाए गए अनुमानों के अनुसार चतुर्थ योजना के अंत में नान-कोकिंग कोल की मांग 77 मि० मीटरी टन की है । तथापि उपभोगी उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रमों के विकास के अनुसार इस अनुमान की सामयिक समीक्षा की जाती है और कोयले का उत्पादन वास्तविक मांग के साथ व्यवस्थापित किया जायगा ।

निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र

1047. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने निम्न ताप कार्बनी करण संयंत्र स्थापित किये गये हैं; और

(ख) ये संयंत्र किस किस स्थान पर लगाये गये हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : अभी तक नेवेली में केवल एक लिग्नाइट आधृत मन्द तापीय प्रांगारण-संयंत्र स्थापित किया गया है ।

मध्य प्रदेश में सहकारी कताई मिल

1048. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस मंजूर करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या उन पर विचार कर लिया गया है और राज्य सरकार को निर्णय सूचित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : (1) जबलपुर, (2) उज्जैन, (3) छिन्दवाडा, और (4) रतलाम में 4 नई सूती सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइससों की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । चूंकि सहकारी कताई मिलों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में भारी धन-राशि की आवश्यकता होती है, इस लिये मध्य प्रदेश सरकार को यह सलाह दी गई कि उसे राज्य योजना परिव्यय में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के लिये पहले योजना आयोग से निर्बाधिता पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए । तीसरी योजना के कार्यक्रम में सहकारी कताई मिलों की नए प्रायोजनाओं को शामिल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझाव को योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया और आयोग ने राज्य सरकार को इस आशय की सूचना दे दी है । इस अवस्था में इन मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना सम्भव नहीं हुआ है । राज्य की योजना में सहकारी मिलों को सामिल करने की संख्या के विषय में ज्यों ही योजना आयोग की स्वीकृति मिल जायगी त्यों ही उन्हें औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दि जायेंगे ।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए मिश्रित इस्पात

1049. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महेश्वर नायक :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री मधु लिमये :
श्री हेम बरुआ :

क्या **लोहा** तथा **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार ने मिश्रित इस्पात तथा अन्य प्रकार के इस्पात का उत्पादन करने के लिए एक प्राथमिकता कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप में तैयार किये गये कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस्पात उत्पादन का कितना कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है ।

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) देश के प्रमुख इस्पात कारखानों और इस्पात के अन्य उत्पादकों को प्रतिरक्षा मंत्रालय की विशेष इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा देश के इंजीनियरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण सामान का निर्माण करने के लिए जोर डालने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं । इन्होंने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है । दुर्गापुर मिश्र-इस्पात के कारखाने को जल्दी पूरा करने के लिए कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिए एक तकनीकी अध्ययन दल नियुक्त किया गया है ।

(ग) 570,000 टन के लगभग मिश्र और विशेष इस्पात की क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है जिसमें से 433,000 टन के लगभग निजी क्षेत्र के लिए है ।

असम में सहकारी पटसन मिल

1050. श्री लीलाधर कटकी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में स्थापित किये जाने के लिये लाइसेंस-प्राप्त सहकारी पटसन मिल को औद्योगिक ऋण और आवश्यक विदेशी मुद्रा देने में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं : और

(ख) इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख): असम सहकारी पटसन मिल के ऋण के आवेदनपत्र पर औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया जा रहा है, किन्तु मिल को आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने में विलम्ब का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिनाइयां हैं । आवश्यक विदेशी मुद्रा की पूर्ति करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और आशा है इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जायगा ।

सीमेन्ट बनाने वाली मशीनों के पुर्जे

1051. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग कारखाने में सीमेंट बनाने वाली मशीनों के पुर्जे बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख): हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची में सीमेंट बनाने की मशीनों के लिए अपेक्षित विभिन्न किस्मों के साज-सामान बनाने की सुविधाएं मौजूद हैं । इस समय जिन उपकरणों के उत्पादन का प्रस्ताव है वे हैं : टायर (प्रत्येक लगभग 15 मी० टन), गिर्थ गियर ब्हील तथा विनियन (प्रत्येक लगभग 20 मी० टन) मिल हैड (प्रत्येक लगभग 10 मी० टन) तथा गियर बक्स ।

दुर्गापुर कारखाने के डिजाइन सम्बन्धी कार्य

1052. **श्री मुहम्मद इलियास :**

श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों के इस सुझाव पर कोई निर्णय किया है कि मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार का कार्य केन्द्रीय इंजीनियरी डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने प्राधिकारियों ने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है और न ही कोई सुझाव दिया है जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है परन्तु हिन्दुस्तान स्टील ने कुछ प्रस्ताव किये हैं जिनपर सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय किये जाने की संभावना है ।

इस्पात उद्योग के लिये दस-वर्षीय योजना

1053. **श्री दे० जी० नायक :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री लिंग रेड्डी :

श्री रा० बरुआ :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री रामपुरे :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री 3 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी दो योजनाओं की अवधियों के अपने कार्यक्रम में बोकारों कारखाने के अतिरिक्त तीन नये इस्पात कारखानों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) उत्पादन का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : लोहा और इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक 10–15 वर्षीय योजना अभी तक तैयार की जा रही है । इस कार्यक्रम के ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कोयों से निकाला हुआ रेशम

1054. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 26 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कोयों से रेशम निकाल कर उसे चरखी पर लपेटने के काम (फिलेचर सिल्क) में हुई हानि के सम्बन्ध में मैसूर राज्य सरकार के अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह कहा है कि यदि इस उद्योग को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायगी तो वह कोयों से रेशम निकाल कर उसे चरखी पर लपेटने के काम को (फिलेचर्स) बन्द कर देगी;

(ग) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारत सरकार को मैसूर फिलेचर्स में उत्पादित रेशम को खरीदकर उसे राज्य व्यापार निगम के जरिये बेचने की राय दी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : मैसूर राज्य सरकार के अभ्यावेदन की जांच के लिये, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बनाई गई विशिष्ट समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि राज्य व्यापार निगम अथवा हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम को मैसूर राज्य सरकार के पास एकत्रित फिलेचर कच्चे रेशम के भण्डारों को खरीद लेना चाहिए । चूंकि दिसम्बर 1965 के मध्य तक इन भण्डारों की वस्तुत: निकासी हो चुकी थी, इस लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी ।

"कार्बन ब्लैक रबड़" का आयात

1055. श्री कपूर सिंह :

श्री प्र० के० देव :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दि इकानामिक्स टाइम्स" (27-12-1965, पृष्ठ 1) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "कार्बन ब्लैक रबड़" के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की उपलब्धि न होने के कारण निर्माण उपक्रमों को विवश हो कर अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्यत: विदेशी मुद्रा का कुल आवश्यकता का क्या ब्यौरा है और अब भारत सरकार ने कितनी धनराशि दी है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई सहायता-कार्य किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां । यद्यपि टायर तथा रबड़ की अन्य वस्तुएं बनाने वाले उद्योग के लिए आवश्यक कार्बन ब्लैक और अन्य सामान के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के नियतन में विलम्ब हुआ है लेकिन इनके उत्पादन में कोई विशेष कमी नहीं हुई है ।

(ख) 1965-66 के वर्ष में कार्बन ब्लैक, रबड़ तथा अन्य सामान के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की सामान्य अनुमानित आवश्यकता 8 करोड़ रु० की है । चालू लाइसेंस अवधि के शुरू में 1.25 करोड़ रु० (ए० आई० डी० तथा मुक्त साधनों से) का तदर्थ नियतन किया गया था जिसका पूरा उपयोग कर लिया गया है । हाल ही में मुक्त साधनों से 92 लाख रु० का और नियतन किया गया है तथा उसका उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) 92 लाख रु० के अतिरिक्त नियतन से, जो अब किया गया है, कार्बन ब्लैक तथा अन्य सामान का आयात करने की अनुमति देकर इस उद्योग को कुछ राहत देना सम्भव हो सकेगा ।

Import of Foreign Films

1057. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has spent 40 lakh dollars for importing Foreign Films from U.S.A. during the year 1964;

(b) the value of Indian films imported by U.S.A. during the above period; and

(c) the names of the countries, other than U.S.A., to whom India paid foreign exchange for importing foreign films and the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir. The value of films imported from U.S.A. during 1964 was about Rs. 11.98 lakhs equivalent to 2.52 lakh U.S. dollars only.

(b) The value of exports of Indian films to U.S.A. during 1964 was Rs. 2.84 lakhs approximately equivalent to 0.60 lakh U.S. dollars.

(c) The names of the countries other than U.S.A. in the free foreign exchange area and the value of films imported during 1964 are as follows :

Country	Value in '000 of Rs.
U.K.	1,483
Hongkong	105
Afghanistan	79
Aden	98
Japan	64
Switzerland	9
France	14
Germany West	61
Others	286

परादीप पत्तन से लोह अयस्क का निर्यात

1058. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी अक्तूबर में परादीप पत्तन के चालू हो जाने के बाद वहां से प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में लोह अयस्क का निर्यात होने का अनुमान है;

(ख) दायितिरी खानों में अब कितने लोह अयस्क का उत्पादन हो रहा है तथा आगामी अक्तूबर तक कितना उत्पादन होने लगेगा; और

(ग) निर्यात संबंधी मांग को पूरा करने के लिये अपेक्षित मात्रा में लोह अयस्क ढोने के लिये किन-किन अभिकरणों का प्रबन्ध किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) 1967 से दो मिलियन मीटरी टन कच्चे लोहे के वार्षिक हस्तन के लिये प्रदीप पत्तन का विकास किया जा रहा है । आशा है कि यहां से मई 1967 से देतारी खानों से 1.5 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष कच्चे लोहे का प्रबन्ध हो सकेगा ।

(ख) वर्तमान समय में देतारी खानों से कच्चे लोहे का लगातार उत्पादन नहीं हो रहा है । मार्च 1967 से अयस्क हस्तन प्लांट चालू होने पर विस्तृत मात्रा में उत्पादन आरम्भ हो जायगा । खानों से दो मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने की योजना बनाई जा रही है ।

(ग) एक सरकारी क्षेत्र संस्था उड़ीसा स्टेट कौमरशियल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन राज्य सरकार के अधीन देतारी खानों से प्रदीप पत्तन को निर्यात के लिए कच्चा लोहा ले जाने के लिय उत्तरदायी होगी ।

रेलवे अस्पतालों की नर्सें तथा कर्मचारी

1059. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे के अस्पतालों की नर्सों तथा सामान्य कर्मचारियों, जिन में रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी संघों के पदाधिकारी भी है, उनके बहुत बड़ी संख्या में स्थानान्तरण के क्या कारण हैं; और

(ख) इन में से कितने रेलवे सेवाओं के वर्ग एक (क्लास 1) और कितने वर्ग दो (क्लास 2) में से हैं ?

रेलवें मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) न तो पूर्व और ना ही दक्षिण-पूर्व रेलों पर कोई बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है । कर्मचारियों, जिनमें ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता शामिल हैं, का स्थानान्तरण वर्तमान आदेशों के अनुसार आवधिक स्थानान्तरण के रूप में किया गया है ।

सेवा के हित में प्रशासी कारणों से कुछ नर्सों को भी कलकत्ता क्षेत्र से अन्य मण्डलों को स्थानान्तरित किया गया है ।

(ख) कोई नहीं ।

मालेगांव पावरलूम कोआपरेटिव एसोशियेशन

1060. **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में मालेगांव पावरलूम कोआपरेटिव एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अन्तर्गत जारी किय गय लाइसेंसों तथा अनधिकृत शक्ति-चालित करघे बन्द किये जाने के विषय में मालेगांव पावरलूम कोआपरेटिव एसोसियेशन से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) ये विचाराधीन हैं ।

अनुसूचित (डिनोटीफाइड) आदिम जातियों के लिये कल्याण योजनायें

1061. **श्री किन्दर लाल :** **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री लक्ष्मी दास :**

श्री कोल्ला वैंकया :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये व्यापक योजनायें बनाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) इन आदिम जातियों का शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिये राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनायें बनाई हैं । इन योजनाओं की दृष्टांत-सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । इन योजनाओं का कार्यकारी दलों की बैठकों में, जिनमें सम्बंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, योजना आयोग तथा सम्बंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेते है, प्रति वर्ष पुनर्विलोकन किया जाता है तथा अनुभव द्वारा जो रूपांतरण आवश्यक समझे जाते हैं, वे कार्यक्रम में कर लिये जाते हैं।

अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें

1. शिक्षा :

(1) छात्रवृत्तियां, वजीफे तथा शिक्षा और परीक्षा फीस इत्यादि देना ।

(2) दोपहर को खाना देना ।

(3) आश्रम स्कूल/आवासीय स्कूल/विशेष स्कल ।

(4) छात्रवास (भवन समेत)/भोजन अनुदान ।

(5) स्वैच्छिक एजेंसियों को (शिक्षा प्रसार के लिये) सहायता ।

2. अन्य योजनायें :

(क) कृषि

(1) बैल, हल, गाड़ियां तथा सीड देना ।

(2) छोटे सिंचाई साधन (सिंचाई कुये भी शामिल) ।

(3) परती भूमि में बुआई ।

(4) समोच्च बंध बनाना ।

(5) सहकारी खेती संस्थायें ।

(6) खेती की भूमि खरीदने के लिये उपदान ।

(ख) पशुपालन/मुर्गी पालन

(ग) कुटीर उद्योग

(1) उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण केन्द्र औद्योगिक प्रशिक्षण ।

(2) औद्योगिक सहकारी संस्थायें ।

(3) प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे, उपदान तथा कर्ज़ें देना ।

(4) शिल्प केन्द्र ।

(घ) सहकारी संस्थायें

(ड़) पुनर्वास/उपनिवेशन/आवास

(प) सामुदायिका कल्याण केन्द्र/बालवाडियां/संस्कार केन्द्र

(फ) चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

(1) पीने के पानी के कुएं ।

(2) दाइयों का प्रशिक्षण ।

Persons rendered Homeless because of Bokaro Project

1062. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 75,000 persons have been rendered homeless on account of Bokaro Project; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government for providing land and employment to them ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) No, Sir. In all, about 41,300 persons are expected to be displaced due to acquisition of land for the Bokaro Steel Project. 4,515 persons have been displaced till the end of January, 1966.

(b) The rehabilitation of displaced persons is the responsibility of the State Government of Bihar. The Government of Bihar have drawn up a scheme for setting up Rehabilitation Colonies which will be partly assisted by the Central Government. Bokaro Steel Limited have also planned the technical training of a certain number of displaced persons (not more than one from the same family) so as to provide them employment on the operational side. The training for the selected candidates who have passed VIII Standard and are between 17 and 25 years of age has been arranged at the Industrial Training Institutes run by the State Government. 176 displaced persons are already under training and another batch of 100 trainees is to be recruited shortly.

कोयों से निकाला हुए कच्चे रेशम का निर्यात

1063. श्री लिंग रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य से कोयों से निकाले हुए कच्चे रेशम के निर्यात करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा तक निर्यात किया जा सकता है;

(ग) राज्य में संचित माल (स्टाक्स) में से अभी निर्यात के लिये और कितनी मात्रा बाकी है ; और

(घ) अभी तक उठाई गई हानि पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) 5,000 कि० ग्रा० ।

(ग) तथा (घ) : निर्यात के लिये अनुमति प्राप्त परिमाण में से केवल 40 कि० ग्रा० लपेटे हुए रेशम का अब तक निर्यात किया गया है । इस रेशम का इस समय राज्य में कोई स्टाक संचित नहीं हुआ है ।

Industrial Estates in Kenya and Tanzania

1064. Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bagri :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Yashpal Singh :
Shri Sham Lal Saraf :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of India propose to establish some Industrial Estates in Kenya and Tanzania ;

(b) if so, the total amount likely to be invested thereon ; and

(c) the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes Sir. The Government of India has agreed to give technical assistance for the setting up of an Industrial Estate in Kenya and another in Tanzania.

(b) and (c). A Team of three Indian Technical Experts is already in Kenya for working out the details of the proposed Industrial Estate in Kenya. On completion of its work in Kenya, the team will go to Tanzania for a similar survey.

The Industrial Estate in each of the countries will contain 25 factory sheds with a Training-cum-Common Service Centre. The machinery and equipment required for the Training-cum-Common Service Centre will be gifted by the Government of India.

Industries approved by the Governments concerned will be established in the Industrial Estate by local industrialists by themselves or in collaboration with such parties as they may select.

Foreign Exchange earned by the Bhilai Steel Plant

1065. Shri Basumatari :

Shri Bagri :

Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bhilai Steel Plant has earned a large amount of foreign exchange in 1964-65;

(b) if so, the total amount thereof;

(c) the total amount of foreign exchange likely to be earned by the Bhilai Steel Plant in 1965-66;

(d) whether Government propose to formulate some new scheme to earn more foreign exchange through this plant ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) & (b) : The value of exports from Bhilai Steel Plant during 1964-65 amounted to Rupees 8·26 million.

(c) The likely amount of foreign exchange to be earned by the Bhilai Steel Plant on the export of steel during 1965-66 is expected to be of the order of Rs. 15·5 million of which the foreign exchange earned up to January, 1966 was Rs. 10.4 million.

(d) & (e) : Every effort is being made to boost up the export of steel from Bhilai. Possibility of exporting various types of steel, mainly rails and structurals, to serveral countries in Africa and the Middle East is being explored.

विदेशी फिल्मों का आयात

1066. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

डा० रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फिल्मों के आयात के संबंध में कोई नई योजनायें बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीनगर एक्सप्रेस

1067. श्री हेमराज : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे अधिकारियों ने श्रीनगर एक्सप्रैस में जो 1 जनवरी, 1966 को रात 9 बजकर 10 मिनट पर नई दिल्ली स्टेशन से चली, दो शायिका वाले शयन-डिब्बे (टू-टायर स्लीपर कौच) का आरक्षण किया था;

(ख) क्या यह सच है कि दो शायिकाओं वाला कोई शयन-डिब्बा गाड़ी में नहीं लगाया गया और यात्रियों को गाड़ी में स्थान न मिलने के कारण असुविधा हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आरक्षण शुल्क यात्रियों को वापस नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इन डिब्बों में कितने स्थानों का आरक्षण किया गया था, कितनी राशि वापस की गई तथा कितनी राशि वापस नहीं की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): दो शायिका वाला जो शयन यान 59 अप श्रीनगर एक्सप्रेस में लगाया जाना था वह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी जगह एक तीसरे दर्जे का सामान्य डिब्बा लगाया गया था । उन सभी यात्रियों को जिन्होंने शायिकाओं और सीटों दोनो के लिए अग्रिम आरक्षण कराया था आरक्षित सीटें दे दी गयीं । इस प्रकार आरक्षण-शुल्क वापस करने का प्रश्न नहीं उठा ।

(घ) सोने और बैठने के स्थानों के लिए किये गय आरक्षणों की संख्या क्रमश: 18 और 45 थी । इसमें से पहले के संबन्ध में 4 यात्रियों ने सोने के स्थान के लिए अधिभार टिकट की वापसी का दावा टिकट खिड़की पर ही किया और कुल 14 रु० 00 पै० वापस किया गया । सोने के स्थान के सम्बन्ध में शेष अधिभार की 49 रु० की रकम अभी वापस करना बाकी है ।

लोहे और इस्पात के प्रयोग में कम खर्च

1068. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

श्री बड़े :

श्री विभूति मिश्र :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात के प्रयोग में कम खर्च करने के बारे में सिफारिश करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है और उसे लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के साथ सम्बद्ध किया गया है ;

(ख) क्या समिति ने उसे सौंपा गया कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) समिति के पदाधिकारी कौन है तथा विचारार्थ विषय क्या हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) उप-समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :

(i) श्री नागेन्द्र बहादुर–लोहा और इस्पात नियंत्रक, अध्यक्ष, डा० बी० डी० कलेलकर, तकनीकी विकास के महानिदेशालय के सीनियर औद्योगिक सलाहकार ।

(ii) मुख्य उत्पादकों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि ।

(iii) फेबरीकेशन इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडियन ।

(iv) इंजीनियरिंग असोसीएशन के चार प्रतिनिधि ।

(v) रेलवे/सेंट्रल डिजायन ब्युरो/हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेंड/सैंट्रल वाटर एण्ड पावर कमिशन का एक एक प्रतिनिधि तथा मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी जो डिजायनरों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(vi) भारतीय मानक संस्था का एक प्रतिनिधि ।

(vii) संयुक्त संयंत्र समिति के कार्यकारी सचिव ।

(viii) श्री एम० एम० सूरी, निदेशक, सैंट्रल मकैनिकल एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट ।

(ix) श्री ए० सी० चटर्जी, संयुक्त निदेशक पदेन लोहा और इस्पात उप-नियंत्रक-सचिव ।

औपचारिक रूप से समिति को कोई विचारार्थ विषय नहीं दिये गये हैं । समिती को व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा जारी की गई निपोर्ट की ब्यौरेवार जांच करने के लिए कहा गया है जिसमें संरचनात्मक इस्पात की खपत में मितव्ययिता लाने के लिए कहा गया है ।

बीकानेर के निकट लिगनाइट निकालना

1069. **श्री हेडा :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बीकानेर के निकट लिगनाइट निकालने के सम्बन्ध में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सरकार के साथ बातचीत में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सम्पूर्ण परियोजना के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार के साथ लिग्नाइट के विदोहन के बारे में कोई निश्चित वार्ता नहीं की गई है ।

(ख) हां महोदय । रूसी विशेषज्ञों द्वारा लिग्नाइट के विवृत खनन पर दी गई रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ।

रूई का आयात

1070. श्री रा० बरुआ :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश की विभिन्न मिलों को रूई के आयात के लिये लाइसेंस देते समय किन आधारभूत बातों का ध्यान रखा है ; और

(ख) उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें 1965 में प्रयोग-कर्ताओं के लाइसेंसों के प्रति आयात 'कोटे' दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित किय गय कोटों के आधार पर सूती कपडा मिलों को विदेशी रूई का आयात करने के लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियन्त्रक आयात तथा निर्यात बम्बई द्वारा जारी किये जाते हैं ।

स्वयं प्रयोग करने वाले मिलों को उन की पिछली खपत के आधार पर कोटे दिये जाते हैं । इसके लिये 1960 के केलेण्डर वर्ष में प्रत्येक मिल द्वारा खपाई गई विदेशी रुई को आधार माना जाता है । बाद को चालू होने वाले मिलों को बाद के वर्षों में खपाई गई विदेशी रुई के आधार पर आयात के कोटे निर्धारित किये जाते हैं ।

सूती कपड़ों तथा सूत का निर्यात करने वाले मिलों को भी उन के निर्यात के आधार पर विदेशी रुई के कोटे दिये जाते हैं । मिल इस रूई को अपने पास रखते हैं और यथाशक्ति खपाते हैं । शेष को वे अन्य मिलों को बेच अथवा स्थानान्तर कर देते हैं । ऐसे प्रत्येक मिल को जो तकनीकी दृष्टि से विदेशी रुई खपाने के योग्य होता है, किसी न किसी परिमाण में विदेशी रुई दी जाती है । आयातित रुई को मिलों को समय समय पर बांटने का आधार निश्चित करने के लिय वस्त्र आयुक्त भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ के साथ मोटे तौर पर बातचीत कर लिया कर लिया करता है ।

प्रयोग कर्त्ताओं के लाइसेंसों के आधार पर दिये गये आयात कोटों के आंकड़े अथवा ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते । किन्तु जिन मिलों को विदेशी रुई के आयात लाइसेंस मिले हैं उन सब के नाम आयात लाइससों के साप्ताहिक बुलैटिन में दिये गये हैं जिसे मुख्य नियन्त्रक आयात तथा निर्यात का संगठन प्रति सप्ताह प्रकाशित करता है ।

Bhaptiahi Railway Line

†**1071. Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the residents and the Members of Parliament from Saharsa District have demanded the revival of the Bhaptiahi line ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes. Representations have been received from time to time, from the people of Saharsa District including Members of Parliament, for restoration of Supaul-Bhaptiahi and other dismantled lines in this area. Recently, some Members of Parliament made a suggestion that if it was not possible to restore the whole of the section from Supaul to Bhaptiahi, a portion of it from Supaul upto Kuarganj should be restored in the first instance.

(b) In pursuance of this suggestion, the North-Eastern Railway were asked to carry out a quick reconnaissance engineering and traffic survey for Supaul-Kuarganj restoration. The surveys have been completed, and while the traffic survey report is awaited, the reconnaissance engineering survey report submitted by the Railway a short while ago is under scrutiny in the Railway Board's office. A decision on this restoration is expected to be taken shortly.

रेल की पटरी के साथ वाली भूमि

1072. डा० श्रीनिवासन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अधिक अन्न उपजाओं' योजना के अन्तर्गत अधिक अनाज उगाने के लिये पिछले तीन महीनों में रेल की पटरियों के साथ वाली कितनी भूमि नियत की गई ; और

(ख) वहां पर कैसी फसल होने की आशा है और भूमि किन शर्तों पर दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : 30-6-1966 तक के वर्तमान रबी के मौसम के लिए रेलवे लाइन के साथ-साथ लगभग 4902 एकड़ रेलवे की भूमि "अधिक अन्न उपजाओं" योजना को प्रोत्साहन देने के लिए सीधे खेतिहरों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है। इस भूमि पर फसल की संभावना के बारे में अनुमान लगाना अभी असामयिक होगा ।

उड़ीसा में नमक का उत्पादन

1073. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा में नमक के उत्पादन की मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या 1965-66 में उड़ीसा के सादा नमक उद्योगों को केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 1965 के कलेण्डर वर्ष में नमक का उत्पादन 49.7 हजार मीट्रीक टन हुआ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में निर्मित करघा उत्पाद

1074. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 के दौरान उड़ीसा में हथकरघे से बनी वस्तुओं का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि में सूत की कुल कितनी खपत हुई; और

(ग) उक्त अवधि में उड़ीसा को राज्य में करघा उद्योगों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) अप्रैल से अक्तूबर 1965 तक उड़ीसा में हथकरघा उत्पादों का कुल उत्पादन 643.80 लाख मीटर था ।

(ख) 40.90 लाख कि० ग्रा० ।

(ग) राज्य सरकारों को मार्च 1966 में किसी समय केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जायेगी। फिर भी 1965–66 के लिये उड़ीसा को 28.87 लाख रु० की धनराशि निर्धारित की गई है ।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

1075. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में उड़ीसा में स्थापित की गई औद्योगिक बस्तियों की संख्या क्या है और वे किन-किन जिलों में स्थापित की गई थीं; और

(ख) इसी अवधि में केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की थी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) चालू वर्ष में अब तक किसी औद्योगिक बस्ती की स्थापना नहीं की गई है । 66 ग्रामीण वर्कशैड अभी बन रहे हैं ।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त, अर्थात मार्च के महीने में भुगतान के लिए अस्थायी स्वीकृतियां दी जाती है । ये स्वीकृतियां राज्य सरकारों के नौमास के वास्तविक व्यय और तीन मास के संभावित व्यय के आधार पर दी जाती हैं । उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए योजना आयोग ने 1965–66 के लिए 30 लाख रु० की राशि नियत की है। यही राशि ग्रामीण औद्योगिक वर्कशैडों के भी काम आयेगी ।

उड़ीसा में अम्बर चरखे

1076. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में अब तक उड़ीसा को वास्तव में कितने अम्बर चरखे दिये गये ;

(ख) उक्त अवधि में उनमें से कितने चर्खों पर वास्तव में काम हो रहा है; और

(ग) उक्त अवधि में कुल कितने सूत का उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 178 (31-12-1965 तक)

(ख) 143.

(ग) (1) 1964-65 तक वितरित किये गये चर्खों से	.	49,863 कि० ग्रा०
(2) ऊपर (ख) में उल्लिखित चर्खों से		2,268 कि० ग्रा०
योग	.	52,131 कि० ग्रा०

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां

1077. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घलेश्वर मीना:

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में अब तक उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी गई;

(ख) उक्त अवधि में उड़ीसा के कितने विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र दिये ; और

(ग) छात्रो को किन किन तारिखों को छात्रवृत्तियां दी गई ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क), (ख) और (ग) : राज्य-सरकारों से सूचना मांगी गई है और जैसे ही यह प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में अम्बर चर्खे

1078. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में राजस्थान को वास्तव में कितने अम्बर चर्खे दिये गये ; और

(ख) इनमें से कितने चर्खे इसी अवधि में उस राज्य में वास्तव में काम कर रहे थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 137 (30-9-1965 तक)

(ख) 137 (जैसा कि 30-9-1965 तक था)

राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा उपरान्त अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

1019. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा उपरान्त अध्ययन के लिये 1965–66 में कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गई; और

(ख) इन छात्रवृत्तियों की राशि का विद्यार्थियों को किन किन तिथियों को भुगतान किया गया ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : राजस्थान सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और जैसे ही यह प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद

1080. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में लोअर गजेटेड सर्विस में 1965–66 में, अब तक कितने पद भरे गये हैं;

(ख) उन में से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित किये गये हैं; और

(ग) उक्त अवधि में अब तक कितने आरक्षित पद भरे गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 18 ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

1081. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जो हानि उठाई है उसका क्या ब्यौरा है;

(ख) उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार इस हानि को किस प्रकार पूरा करेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम की 1965–66 की अवधि सम्बन्धी लेखा वर्ष का अन्त 31–3–1966 को होगी । इस लिये निगम के कार्यांचालन की उस अवधि के, वित्तीय विवरणों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिमी बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योग

1082. **श्री त्रिदिबकु मार चौधरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में अलोह धातुओं की अधिकतम मात्रा जो 1964–65 में एक करोड़ 30 लाख रुपये के बराबर थी, 1965–66 में कम कर के 23 लाख रुपये के बराबर कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन बातों और नियमों के आधार पर यह किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) लघु उद्योगों को अलौह धातुओं का आयात करने के बारे में राज्यों के लिये विदेशी मुद्रा की कोई अधिकतम सीमा नियत नहीं की गई है । लघु क्षेत्र में वितरण किये जाने के लिये अलौह धातुओं का कितना कुल परिमाण उपलब्ध होता है उसका आवंटन राज्यानुसार टनों में किया जाता है । पश्चिम बंगाल को 1964–65 और 1965–66 में इनका निम्न प्रकार आवंटन किया गया था :

(मीट्रिक टनों में)

	1964–65	1965–66
तांबा	1168.0	210.0*
जस्ता	901.0	222.0*
सीसा	292.3	102.0*
टीन	184.0	45.0*
गिलट	170.0‡ कि० ग्रा०	कुछ नहीं
आयातित ई० सी० ग्रेड की अल्युमिनियम के तार की छड़े.	110.0	70.0†

*नवम्बर, 1965 से अप्रैल, 1966 के लिये किया गया आवंटन जो अक्तूबर, 1964 से मार्च, 1965 की अवधि में किये गये आवंटन का 50 प्रतिशत है ।

† 1965–66 की अवधि के लिये ।

‡ अक्तूबर, 1964 से मार्च 1965 की अवधि के लिये ।

पश्चिम बंगाल को 1965–66 के लिये तांबे, सीसे, जस्ते और टीन के आवटंन में जो कमी की गई है वह अन्य राज्यों के लिये सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध परिणाम के अनुपात में थी । जहां तक अल्युमिनियम के तार की छड़ों के आवंटन का संबंध है, राज्यों को 1965–66 में उनसे प्राप्त पुनरीक्षित मांग के अनुपात के अनुसार ही किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काजू बोर्ड

1083. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) काजू विकास परिषद बनाने का निश्चय किया गया है ।

भारतीय ऊनी मिलें तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

1084. श्री दे० द० पुरी: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, किस्म और मूल्य दोनों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने में भारतीय ऊनी मिलों की सहायता करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय द्वारा नियुक्त किये गये दो विशेषज्ञों के कार्य से संबंधित है;

(ख) क्या कच्चे ऊन के आयात में की गई कटौती द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव समझा जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : निर्यात के लिए ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने में उत्पादन तथा लागत सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने के लिए बम्बई की एक ऊनी मिल की प्रार्थना पर अन्तर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय ने दो विशेषज्ञों को नियुक्त किया है । सरकार इन दो विशेषज्ञों के कार्य से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि इनका कार्य मुख्य रूप से एक मिल विशेष की समस्याओं के बारे में था । इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन भी नहीं मिला है ।

Black-Marketing of Russian Tractors

1085. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints about black-marketing of Russian tractors by the Ghaziabad Engineering Company ; and

(b) If so, the action being taken by Government to stop it?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir.

(b) does not arise.

Gorakhpur-Barabanki B. G. Rail Line

1086. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 920 on the 27th August, 965 and state :

(a) the present position of the proposed scheme for laying broad gauge line from Gorakhpur to Barabanki ; and

(b) the time by which work on the scheme will commence?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The preliminary studies to assess the financial viability and cost of conversion of Barabanki-Gonda-Gorakhpur metre gauge section, mentioned in the reply given to the Unstarred Question No. 920 on 27-8-1965, are still in progress. A decision on whether to take up this conversion or not, can naturally be taken only after these studies are completed and their result considered by the Railway Board, in the light of overall funds made available for the Railways' development.

(b) Does not arise.

Manufacture of agricultural Tractors with Czech assistance

1087. Shri Sarjoo Pandey :
Shri P. C. Borooah :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 950 on the 19th November, 1965 and state :

(a) the progress so far made regarding the scheme to build agricultural tractors with Czech assistance;

(b) whether Government intend to take some immediate decisions in this connection in view of the demand for tractors ; and

(c) If so, the time by which it will be possible to complete the said scheme?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c) : The project report being prepared by M/s. Motokov of Czechoslovakia is expected by the end of 1966. In order to acquaint the farmers with the type of tractors proposed to be manufactured in the proposed project , the question of importing a limited number of such tractors in c.k.d. condition is under examination.

Local production of agricultural tractors by existing units has also been stepped up as shown below :

Year	Production Nos.
1963	1610
1964	3172
1965	6318

Quotas of Ivory

1088. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Commerce** be please to state :

(a) the particulars of the dealers in Rajasthan to whom quotas of ivory were issued during 1965;

(b) whether it is a fact that the dealers to whom the quotas were issued have obtained their respective quotas; and

(c) the quantity of ivory supplied to each dealer along with the value thereof

The Deputy Minister to the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) & (c) : A statement is attached **[Placed in Library, see No. LT/5600/66]**

(b) Yes, Sir.

आयात अधिकार

1089. श्री मलाइछामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962–63 और 1963–64 में आयात सम्बन्धी अधिकार दिये जाने पर भी निर्यात व्यापार में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये आयात लाइसेंसों के अनुपात में निर्यात में वृद्धि हो, इस के लिए सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है अथवा करने वाली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की सहायता प्राप्त हमारे निर्मित माल के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है । निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये लाइसेन्सों के मूल्य 1962–63 में 33.69 करोड रुपये तथा 1963–64 में 53.39 करोड़ रुपये थे जबकि इन वर्षों में निर्यात का कुल मूल्य क्रमशः 713.61 तथा 793.25 करोड़ रुपये था ।

कुल निर्यातों का यह ऊर्ध्वमुखी रुख अगले वर्ष (1964–65) में भी बना रहा जिससे कुल निर्यात 814.56 करोड़ रुपये तथा निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये लाइसेन्सों का मूल्य 56.12 करोड़ रुपये था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हथकरघा से उत्पादित माल का संग्रह

1090. **श्री मलाइछामी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1965 को "हिन्दू" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मद्रास राज्य सरकार को एक से अधिक स्थानों पर बिक्री कर लगाना पड़ता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार पहली बिक्री के बाद किसी स्थान पर उसके घाटे को पूरा करने के लिए सहमत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक से अधिक स्थानों पर बिक्री कर लगाये जाने के परिणामस्वरूप हथकरघा से उत्पादित माल विदेशी बाजारों में प्रचुर मात्रा में पड़ा हुआ है; और

(ग) उद्योग को गतिरोध से तथा श्रमिकों को बेकार हो जाने से बचाने के उद्देश्य से जमा हुए हथकरघा उत्पादित स्टाक की विकासी करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं ।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने मद्रास स्टेट एपेक्स सोसायटी को हथकरघा कपड़े का विपणन करने के लिए 100 लाख रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं दी हैं जबकि इसकी पहली सीमा 70 लाख रु० ही थी । प्रारम्भिक सोसायटियों से बढ़ी हुई अधिप्राप्ति के लिए मद्रास सरकार ने एपेक्स सोसायटी को 50 लाख रु० की अग्रिम धन-राशि दी है । सहकारी सोसायटियों द्वारा हथकरघा कपड़े की थोक बिक्री पर राज्य सरकार ने 1–6–'65 से चार महीने तक की अवधि के लिए अतिरिक्त छूट की अनुज्ञा भी दी है ।

मद्रास तथा तूतीकोरिन में बड़ी लाइन द्वारा सम्पर्क

1091. **श्री मलाइछामी :**

श्री से० वें० रामस्वामी ।

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान 31–12–65 को "हिन्दू" में छपे इस समाचार की ओर गया है कि 1975–76 तक तूतीकोरिन में माल परिवहन की मात्रा बढ़ कर 27 लाख टन हो जायेगी और इस बढ़े हुए यातायात के कारण मद्रास से तिरुच्चिरापल्ली और मदुराई होते हुए तूतीकोरिन तक बड़ी लाइन बनाने की योजना तर्कसंगत होगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी लाइन का निर्माण कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में हाथ में ले लिया जायेगा ताकि तूतीकोरिन बन्दरगाह तक अनुमानित मात्रा में माल का जाना सुनिश्चित किया जा सके ?

रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) तूतीकोरिन बन्दरगाह से सम्बन्धित मीटर लाइनों पर इस समय पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है और डीज़ल इंजनों का इस्तेमाल कर के तथा सिगनल व्यवस्था में सुधार कर के इस क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है । फिर भी तूतीकोरिन बन्दरगाह तथा इस क्षेत्र में होने वाले अन्य विकास कार्यों के लिए यातायात की दीर्घकालीन आवश्यकताओं का इस दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है कि वहां किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में यातायात होगा तथा उसकी वृद्धि की गति और वहन-दूरी (अर्थात् यातायात अधिक दूरी का होगा या मध्यम या कम दूरी की) क्या होगी । इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर इस बन्दरगाह के लिए अपेक्षित अतिरिक्त रेल क्षमता मुहैया करने के सर्वोत्तम साधनों का निर्णय नयी सुविधाओं के वास्तविक निर्माण के लिए आवश्यक समय का ध्यान रखते हुए, किया जायेगा ।

बम्बई में इंजीनियरिंग उद्योग

1092. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **संभरण** तथा **तकनीकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हजारों श्रमिकों को जबरी छुट्टी से बचाने के लिए बम्बई में कामनिस ग्रुप आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को जस्ता तथा अन्य दुर्लभ माल की सप्लाई करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ख) सरकार ने इस अत्याधिक विकसित मशिनरी तथा तकनीकी जानकारी वाले उद्योग समूह को उसके कुशल कर्मचारियों सहित आयुध कारखानों विशेषत: धातु तथा मिश्रित धातु अनुभाग में उत्पादन के लिए अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया ?

संभरण, तकनिकी विकास तथा सामुग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : (क) कामनिस ग्रुप आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और ऐसी अन्य यूनिटों को जस्ता तथा अन्य दुलभ माल की सप्लाई, दुलभ औद्योगिक माल (कन्ट्रोल) आर्डर 1965 के अधीन नियन्त्रित की जा रही है। इस माल की चालू कमी की दृष्टि से, उपभोगीय यूनिटों को एकरूपता के आधार पर, इसकी निर्मुक्ति और उपयोग की अनुज्ञा दी जा रही है । जब तक कमी रहती है, कामनिस ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज के साथ साथ तमाम यूनिटों को इसे आनुपातिक रूप से बांटना है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति की दृष्टि से, सरकार द्वारा मशिनरी तथा तकनीकी जानकारी अथवा कुशल कर्मचारियों को किसी भी यूनिट से लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल में कागज का कारखाना

1093. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन द्वारा नेपाल में कागज के कारखाने के बनाने के प्रस्ताव को छोड देने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नेपाल को इस परियोजना के लिये सहायता की पेशकश की है या करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : सरकार ने नेपाल को कागज का एक कारखाना लगाने में सहायता देने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं किया है । इस प्रकार की सहायता के लिये नेपाल के महामहिम की सरकार से जब कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर यथोचित विचार किया जायेगा ।

Fire Extinguishers

1094. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the fire, extinguishers installed in the show room of Indian Cooperative Union in New Delhi did not function when a fire broke out in that show room sometime ago;

(b) whether there is any arrangement, for frequent inspection of fire extinguishers installed in Government and semi-government institutions and buildings ;

(c) whether the fire extinguishers installed in the said show room had been inspected; and

(d) if so, how many days before the fire accident the inspection had been made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. Presumably the reference is to the Central Cottage Industries Emporium which was previously managed by the Indian Cooperative Union :

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) Four months and two days.

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

1095. श्री बसुमतारी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल में जिसे बने अब पूरे पांच वर्ष हो गये हैं, 50 करोड़ रुपये का जलीय तथा तापीय बिजली उत्पादन उपकरण बनाया जा रहा है; और

(ख) फैक्टरी में इस समय अन्य किन चीजों का निर्माण हो रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में दिये जाने के लिये लगभग 50 करोड़ रु० के मूल्य के जल और तापीय विद्युत उत्पन्न करने के उपकरणों का निर्माण करने के कार्यक्रम को चला रहा है ।

(ख) भोपाल संयंत्र में इस समय बिजली की विभिन्न वस्तुओं जैसे स्विचगियर, कंट्रोलगियर, ट्रांसफार्मर, केपेसिटर, ट्रक्शन मोटर, जेनरेटर और सहायक मशीने, औद्योगिक मोटर तथा इस्पात संयंत्रों और रेक्टीफायरों के लिये मोटर बनाने की व्यवस्था है ।

श्रीलंका को पशुओं का निर्यात

1096. श्री बसुमतारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका की सरकार भारत से पशुओं का आयात करेगी; और

(ख) पशुवध के हेतु पशुओं का आयात करने के लिये कितने आवेदन पत्र वाणिज्य मन्त्रालय को दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चालू वर्ष में भारत से पशुओं का आयात करने के लिये लंका की सरकार ने कोई आवेदन नहीं किया है ।

(ख) चालू वर्ष में वध करने के लिये पशुओं के निर्यात का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

सरकारी क्षेत्र में जूते बनाने का कारखाना

1097. श्री बसुमतारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षत्र के सरकारी क्षेत्र में एक जूता बनाने का कारखाना स्थापित करने के भारत सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपने पक्ष में क्या दलील दी हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सरकारी क्षेत्र में चमड़े के जूते बनाने का कारखाना खोलने के प्रस्ताव के विरुद्ध कोई गम्भीर आलोचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे बोर्ड में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

1098. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय के सेक्शन आफिसरों, सहायक निदेशकों, उपनिदेशकों, युक्त निदेशकों, निदेशकों तथा इस से ऊपर के पदों के उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या-क्या है जिन्हें चालू वर्ष में सेवा निवृत्त हो जाना था अथवा हो जाना है और जिन्हें सेवा निवृति-पूर्व अवकाश नहीं दिया गया है; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितने-कितने दिन की छुट्टी नामंजूर की गई और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नीचे लिखे अफसरों के मामले में सेवा-निवत्ति-पूर्व अवकाश अस्वीकृत किया गया है :

(1) श्री एम० एम० खान . .	यांत्रिक इंजीनियरिंग, सदस्य ।
(2) श्री शान्ति नाथ . .	उप-निदेशक, रेलवे भण्डार (विकार)
(3) श्री एम० आर० वधावन .	उप-निदेशक, यांत्रिक इंजिनियरिंग (उत्पादन) I
(4) श्री अमर नाथ कपूर . .	उप-निदेशक, यातायात (विशेष कार्य)
(5) श्री गोपाल दास	अनुभाग अफसर
(6) श्री एल० सी० ढींगरा . .	अनुभाग अफसर

(ख)

श्री एम० एम० खान	8 महीने
श्री शान्ति नाथ	6 महीने
श्री एम० आर० वधावन	6 महीने
श्री अमर नाथ कपूर . . .	4 महीने
श्री गोपाल दास	6 महीने
श्री एल० सी० ढींगरा	2 महीने

सेवा-निवृत्ति-पूर्व अवकाश जनहित में अस्वीकृत किया गया ।

बढ़िया किस्म की बायलर की प्लेटें

1099. **श्री दे० द० पुरी :** क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र में बनने वाली बढ़िया किस्म की बायलर की प्लेटों में से बहुत सी प्लेटें ठीक न होने के कारण रद्दी घोषित कर दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन प्लेटों को बनाने के काम में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

हिम्मतनगर-उदयपुर रेल सम्पर्क

1100. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिम्मतनगर-उदयपुर रेलवे लाइन को कब तक यात्री यातायात के लिये खोल दिया जायेगा; और

(ख) क्या सरकार ने इस रेलवे लाइन को हिम्मतनगर से बीजापुर तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) आशा है उदयपुर-हिम्मतनगर रेलवे लाइन मार्च, 1966 के अंत तक यात्री यातायात के लिये खोल दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

नई दिल्ली स्टेशन के पास तैरने का तालाब

1101. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास तैरने के तालाब के निर्माण के लिये कितनी राशि नियत की गई थी और वास्तव में कितना धन व्यय किया गया था;

(ख) इस तैरने के तालाब में स्नान करने के लिये अधिकारियों श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों से अलग अलग क्या शुल्क लिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों के वेतन के आधार पर शुल्क में परिवर्तन करने पर विचार करना चाहती है ताकि सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये शुल्क देना संभव हो सके ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तैरने के तालाब की व्यवस्था के लिये शुरू में लगभग 4,22,300 रुपये की लागत का अनुमान था। तैरने के तालाब और इससे संबंध कार्यों की लागत का संशोधित अनुमान लगभग 6.75 लाख रुपये है।

(ख) यदि कर्मचारी सदस्य बनना चाहें, तो पुरे सीजन के लिए कर्मचारियों से 15 रुपये और उनके आश्रितों से 10 रुपये लिये जायेंगे। अधिकारियों तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दर निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1102. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में अनिवार्य तथा गैर-अनिवार्य श्रेणी में पृथक-पृथक कितने कर्मचारियों के नाम क्वार्टर दिये जाने वाली प्रतीक्षा सूची में हैं तथा वे कब से क्वाटरों के दिये जाने की प्रतीक्षा कर रहे है; और

(ख) भविष्य में दिल्ली में क्वार्टरों के निर्माण का क्या कार्यक्रम है और क्या सरकार ने दिल्ली क्षेत्र में मकानों की भारी कमी को देखते हुये बिना मकान वाले कर्मचारियों को मकान देने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)

सारभूत			प्रतीक्षा सूची की तारीख		
दर्जा III	दर्जा III कारीगर	दर्जा IV	दर्जा III	दर्जा III कारीगर	दर्जा IV
456	222	137	19-2-63	30-6-58	25-11-59

असारभूत		प्रतीक्षा सूची की तारीख	
दर्जा III	दर्जा IV	दर्जा III	दर्जा IV
8308	1179	2-12-52	28-12-53

(ख) दिल्ली क्षेत्र में चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए टाइप I के 113 यूनिट क्वार्टर और तीसरे दर्जे के कर्मचारियों के लिए टाइप II के 121 यूनिट क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ।

1966-67 में चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए टाइप I के 126 यूनिट क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है। आगामी वर्षों में इस क्षेत्र के लिए रकम मिलने की अनिश्चितता के कारण बिना मकान वाले कर्मचारियों के लिए मकान की व्यवस्था करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये चिकित्सा की सुविधायें

1103. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा उत्तर रेलवे केन्द्रीय अस्पताल से चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली में काम करने वाले रेलवे के अन्य कर्मचारियों को भी यही सुविधा देने का सरकार का विचार हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) रेलवे बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं पाने के हकदार हैं। रेलवे के पहले और दुसरे दर्जे के अधिकारी जब रेलवे बोर्ड के कार्यालय में अस्थायी तौर पर स्थानान्तरित हो कर आते हैं तो उनके लिए यह विकल्प हैं कि जब तक वे बोर्ड के कार्यालय में काम करते हैं तब तक के लिए वे रेलवे चिकित्सा नियमों या केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) रेलों पर नियुक्त कर्मचारी रेलवे चिकित्सा नियमों द्वारा शासित होते हैं। केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना को रेलों पर लागू नहीं किया गया है।

जस्ता तांबा तथा टिन प्लेटों की आवश्यकता

1104. श्री शिव चरण गुप्त : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जस्ता, तांबा तथा टिन प्लेटों की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता क्या है;

(ख) 31 जनवरी, 1966 को इन में से प्रत्येक धातु का देश में कितना स्टाक था; और

(ग) सरकार का उन उद्योगों की, जिन्हें अपने तैयार माल के लिये इन धातुओं की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता को कैसे पूरा करने का विचार है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) वर्तमान वार्षिक आवश्यकताएं निम्न प्रकार हैं :—

(1)	तांबा	1,20,000 मी० टन
(2)	जस्ता	1,00,000 मी० टन
(3)	टीन प्लेटें	2,00,000 मी० टन

1964-65 में वास्तविक आयात निम्न प्रकार हैं :—

(1)	तांबा	52,635 मी० टन
(2)	जस्ता	69,952 मी० टन
(3)	टीन प्लेट	52,416 मी० टन

(ख) मंत्रालय में 31-1-66 को प्राप्त विवरणों के अनुसार इन धातुओं के संचय निम्न प्रकार थे :—

(1)	तांबा	4,750 मी० टन
(2)	जस्ता	13,826 मी० टन
(3)	टीन प्लेटें	सूचना सुलभ नहीं क्योंकि यह पद दुष्प्राप्य औद्योगिक पदार्थ (नियंत्रण) आदेश में सम्मिलित नहीं ।

(ग) तांबा का देशीय उत्पादन लगभग 10,000 मी० टन प्रतिवर्ष है। जस्ता तथा टीन का देशीय उत्पादन नहीं है। अतः तांबा, जस्ता और टीन की शेष मात्रा की आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है। किसी अवधि में आयात की वास्तविक मात्रा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति पर निर्भर होता है ।

मीटर-गेज लाईनों पर वातानुकूलित डीलक्स गाड़ियां

1105. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मीटर गेज रेलवे लाइनों पर वातानुकुलित डीलक्स गाड़ियां चलाना आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यदि वातानुकुल उपस्कर के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुई, तो मीटर लाइन के एक या दो ट्रंक मार्गों पर सप्ताह में दो बार वातानुकुल एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के लिये कोचिंग स्टाक प्राप्त करने का विचार है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग

1106. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए है; और

(ख) ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अनेक लघु उद्योगों जसे ग्रामोद्योग खादी, रेशम उत्पादन और नारियल जटा उद्योग और काफी हद तक हथकरघा उद्योग पहले से ही ग्रामीण क्षत्रों में स्थित हैं। जहां तक "लघु उद्योगों" का संबंध है, उनका विकास कमोबेश नगरों और बड़े शहरों में या उनके आस-पास ही हुआ है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कार्यवाही की गयी है।

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक जिस प्रकार के कच्चे माल और हिस्सों-पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस देते हैं उनके आयात के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों की सहायता के विचार से अप्रैल, 1964-मार्च 1965 की अवधि के लिए 50 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा स्वतंत्र रूप से नियत कर दी थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों के लिए इसपात का आयात करने के लिए 1,79,000 रु० की विदेशी मुद्रा और नियत की गयी थी।

अधिकांश राज्य सरकारों ने उद्योगों को सरकारी सहायता अधिनियम के अधीन किये जाने वाले आवंटन का 50 प्रतिशत अंश ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों के उद्योगों को अनुदान और ऋण देने के लिए नियत कर दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकरण करने के लिए विशेष योजनाएं भी चलायी हैं। इस संबंध में उड़ीसा की पंचायत समिति उद्योग योजना ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को राज-सहायता देने की पंजाब सरकार की योजना और ग्रामीण औद्योगिक मण्डल गठित करने की महाराष्ट्र राज्य सरकार की योजनाएं उल्लेखनीय हैं ।

इनके अतिरिक्त, योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करने, उनके संबंध में नीति और आयोजन की समस्याओं के बारे में सलाह देने और विकास तथा प्रयोगात्मक परियोजनाओं की समेकित क्षेत्रीय और प्रादेशिक योजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उनके विकास के गहन कार्यक्रमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए अप्रैल, 1962 में एक उच्च स्तरीय ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति नियुक्त की थी। इस समिति की

सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यों के चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 49 ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ की गयी हैं जिससे कारगर कार्यविधियां, रीतियां और कार्यक्रम तैयार करके उत्तरोत्तर ऐसे दूसरे क्षेत्रों में लागू किये जा सकें जहां अधिक बेरोजगारी हो या अपूर्ण रोजगार हो। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र की आबादी 3 से 5 लाख तक है और उसमें तीन से पांच तक सम्पूर्ण विकास खण्ड सम्मिलित हैं। इन परियोजना क्षेत्रों में से 45 के शीघ्र सर्वेक्षण तो पूरे भी हो चुके हैं और उनमें विकास कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है जो अधिकतर कृषि संबंधी अथवा स्थानीय साधनों पर आधारित हों जिससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का आधार बढ़ाकर उसमें विविधता लायी जा सके।

गैर-शहरी क्षेत्रों में इस्पात अल्युमिनियम, कास्टिक सोडा आदि कतिपय प्रमुख उद्योगों की स्थापना की गयी है जिससे अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे औद्योगिक उपनगरों का आविर्भाव हो गया है। अनेक चीनी के कारखाने भी ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो अनिवार्य रूप से गैर-शहरी क्षेत्रों में आते हैं। हाल ही में बम्बई आदि अत्याधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिये गये हैं।

(ख) ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के कार्य में 30 सितम्बर, 1965 तक हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है:—

चालू औद्योगिक बस्तियों की संख्या	35
पूरी हो चुकी ऐसी औद्योगिक बस्तियों की संख्या जो निकट भविष्य में काम शुरू कर देगी।	22
उन औद्योगिक बस्तियों की संख्या जो अभी बन रही है। . . .	30
योग .	87

रूस से ट्रैक्टरों का आयात

1107. **श्री धर्मलिंगम्:**

श्री वैं० तेवर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस भारत को 2,000 ट्रैक्टर देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ये किस प्रकार के ट्रैक्टर होंगे;

(ग) इनका प्रयोग कैसे होगा; और

(घ) इन ट्रैक्टरों को दिये जाने के बारे में शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) सोवियत रूस के साथ हाल में ही किये गये व्यापार करार के अंतर्गत सोवियत रूस ने 1966 में 1.5 से 2.9 करोड़ रु० तक मूल्य के क्रालर-ट्रैक्टर, पहिये वाले ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनें, हिस्से तथा फालतू पुर्जे देना स्वीकार किया है। देश में कृषि के लिये विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर भारत सरकार यह ठीक ठीक निश्चय करेगी कि प्रत्येक किस्म के ट्रैक्टर कितनी संख्या में आयात किये जायेंगे।

(ख) हमने केवल उसी किस्म के ट्रैक्टरों का आयात करना स्वीकार किया है जो देश में नहीं बनते। पुर्जे जोड़ कर तैयार नहीं होते और जहां तक पहिये वाले ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है उनका संभरण मुख्यतः 14 अश्वशक्ति की श्रेणी का होगा।

(ग) आयात होने के पश्चात ये ट्रैक्टर केवल कृषि कार्यों में ही प्रयुक्त होंगे।

(घ) सोवियत रूस में ट्रैक्टर तथा कृषि मशीनों का संभरण अस्थगित भुगतान की शर्तों पर करना स्वीकार किया है जो 8 वर्ष तक में किया जायगा।

भारी इंजीनियरी निगम रांची में आग लगने की घटनाएं

1108. **श्री दशरथ देव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरी निगम रांची में 1964 में लगी आग के सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप-पत्र तैयार कर लिये गये हैं जिन्हें उक्त आग के मामले के सम्बन्ध में इस समय हिरासत में रखा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो आरोपित व्यक्तियों को इस प्रकार हिरासत में कब तक रखा जायेगा; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) उन्नीस।

(ख) से (घ) : इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सहयोग से बिहार के खुफिया विभाग द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी करने और यथाशीघ्र आरोप-पत्र तैयार करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

धर्मानगर-अगरतला रेलवे लाइन

1109. **श्री दशरथ देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में धर्मानगर से अगरतला शहर तक रेलवे लाइन का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) काम के कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : रेलवे लाइन का विस्तार धर्मानगर से आगे करने के लिए त्रिपुरा के मुख्य मंत्री जोर देते आ रहे हैं। इस बात को तथा अन्य मांगों को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने त्रिपुरा, मणिपुर और उत्तरी असम का परिवहन सर्वेक्षण आयोजित किया है। इस सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर चौथी योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रुप देते समय, योजना आयोग के साथ मिलकर त्रिपुरा के अन्दर रेलवे लाइन का और विस्तार करने के प्रस्ताव पर समुचित विचार किया जायेगा।

औजारों का निर्माण

1111. **श्री रामपुरे :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन के निदेशक द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण करने वाले फर्मों को उन विदेशी फर्मों का सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है जो स्वतः भारत से वस्तुओं का आयात कर रहे हैं;

(ख) क्या उन वैज्ञानिक यंत्रों सम्बन्धी वस्तुओं का भी आयात करने की अनुमति दे दी गई है जिन का भारत में केवल उत्पादन ही नहीं अपितु भारत से निर्यात भी किया जा रहा है; और

(ग) लाइसेंस जारी किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पर्वतीय क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

1112. **श्री रामपुरे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्वतीय जिला आयोग ने यह सुझाव दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐसी अलग निकाय, जिस में (एक) केन्द्रीय सरकार के (दो) आसाम सरकार के तथा (तीन) पर्वतीय जिलों के प्रतिनिधि हों, गठित की जानी चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : संबंधित विभागों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी।

बम्बई के निकट मालगाड़ियों में टक्कर

1113. **श्री काजरोलकर :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 जनवरी, 1966 को बंबई के निकट दो माल गाड़ियों के बीच हुई दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ख) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर देने का है ?

रेलवे मंत्रायल में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) इस दुर्घटना के कारण दो व्यक्ति घटना स्थल पर ही मर गये और अन्य दो व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें से एक बाद में मर गया ।

(ख) और (ग) : दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

(घ) दुर्घटना में मारे गये हर व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह के रूप में तुरन्त 500 रुपये का भुगतान किया गया था। पूरा मुआवजा देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन

1114. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 935 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सेलम-बंगलोर रेलवे लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : लाइन में मिट्टी डालने और पुल बनाने के काम में अच्छी प्रगति हो रही है। रेल पथ को मिलाने का काम भी शुरू हो गया:

है । जनवरी, 1966 के अन्त तक इस परियोजना पर कुल मिलाकर 60 प्रतिशत काम हो चुका है ।

तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी-त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन

1115. श्री सें० वें० रामस्वामी :

श्री मुथिया :

क्या **रेलवे** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 523 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच रेलवे बोर्ड ने तिरुनेलवली से कन्याकुमारी और उस से आग त्रिवेंप्रेम तक रेलवे लाइन बनाने के बारे में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया; और

(ग) क्या इस लाइन को चौथी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ख) और (ग) : आशा है इस लाइन से सम्बन्धित सर्वेक्षण रिपोर्ट जल्द ही रेलवे बोर्ड को पेश कर दी जायेगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट की छानबीन के बाद इसके निर्माण के बारे में निर्णय किया जायगा। चौथी योजना में यह लाइन बनेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए कितना धन उपलब्ध होगा और नयी लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्ताओं में इस लाइन को क्या अग्रता मिलती है।

कपास की कमी

1116. श्री सें० वें० रामस्वामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या इस वर्ष अनावृष्टि के परिणामस्वरुप भारत में कच्चे कपास के उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की कठिनाई के फलस्वरुप विदेशों से कपास का कम आयात किया जायगा ;

(ग) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत इस वर्ष कोई कच्चा कपास भारत आ रहा है ;

(घ) यदि कपास की कोई कमी हो, तो सरकार का उसे किस प्रकार पूरा करने का विचार है; और

(ङ) क्या ऐसी कमी के परिणामस्वरुप सूत तथा कपड़े के उत्पादन को हानि पहुंचाने की आशंका है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) अधुनातम व्यापारी प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष (1965-66) में कपास का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में कुछ कम होने की सम्भावना है। 1964-65 की 57.50 लाख गांठों की तुलना में, 1965-66 में व्यापार द्वारा किया गया उत्पादन का अनुमान 56 लाख गांठें है।

(ख) जी, हां ।

(ग) पी० एल० 480 के अन्तर्गत रुई के आयात के लिये अब तक कोई करार नहीं किया गया है ।

(घ) तथा (ङ) : कपास की उपलब्धता में थोडी कमी को, यदि आवश्यक हुआ, तो पूर्वाविष्ट स्टाक से पूरा करना पड़ेगा ।

रेलवे के सेवानिवृत्त पेंशन भोगी

1117. **श्री दशरथ देव :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के पेंशन भोगी अपनी पेंशन लेने में बड़ी कठिनाइयां अनुभव करते रहे हैं क्योंकि उन को अपनी पेंशन महालेखापाल के कार्यालय और राजकोष से बैंकों के द्वारा प्राप्त करनी होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रेलवे के पेंशन चाहने वाली व्यक्तियों को निकटवर्ती रेलवे स्टेशन या डाकघर से पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देना चाहती है ; और

(ग) पेंशन भोगियों को यह सुविधा कब दी जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

जूतों का निर्यात

1118. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में भारत में बने जूतों के निर्यात के लिये विदेशों से किय गए नये व्यापार समझौतों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) किन किन देशों से समझौता पहली बार किया गया; और

(ग) भारत के उन प्रमुख समवायों के क्या नाम है जिन्हे जुतों का सम्भरण करने के क्रयादेश मिले हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों के साथ तय हुई वस्तुओं को सूची में सरकार ने चमड़े के जूते शामिल किये हैं । सोवियत रूसको होने वाले जूतों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम क्रया-देशों को विभिन्न उत्पादकों तथा 6 अन्य फर्मों को भी भेजा करता है ।

रेलवे बोर्ड में अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा

1119. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के कई कर्मचारियों को, जो मई, 1965 में अनुभाग अधिकारियों की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे थे और जिन्होंने 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे और जिन की 10 वर्ष की सेवा थी, चुना नहीं गया है अथवा तालिका में नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चुने हुए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिये भेजने के परिणाम-स्वरुप हुई रिक्तियों की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा जा रहा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन रिक्त स्थानों को भरना चाहती हैं और चुने गये उम्मीदवारों की सूची को बढ़ा कर जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की हैं उनको रिक्त स्थानों पर काम करने का अवसर देना चाहती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : रेलवे बोर्ड के कार्यालय में अनुभाग अफसरों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अनुभाग अफसर ग्रेड के 30 रिक्त स्थानों की पूर्ति, मई 1965 में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा

के आधार पर होनी थी। क्योंकि यह वरण प्रतियोगिता के आधार पर किया गया था, इस लिए ऐसे कुछ कर्मचारियों के नाम वरण-सूची में नहीं आ पाये जिन्होंने कुल मिला कर 66 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे। ऐसे कर्मचारियों ने इस आशय के अभ्यावेदन दिये हैं कि भविष्य में खाली होने वाले स्थानों के लिए जो नामिका बनायी जायेगी उसमें उनका नाम रखने के सम्बन्ध में विचार किया जाये। इस प्रकार की नामिका बनाने के विरुद्ध भी कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। इन सब पर विचार हो रहा है।

(ग) जिन स्टेनोग्राफरों ने अनुभाग अफसर के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त की है, केवल उन्हें प्रशिक्षार्थी पदों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसके फलस्वरुप अनुभाग अफसर ग्रेड में कोई स्थान खाली नहीं हुआ है।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

बोरगचिया स्टेशन के समीप दुर्घटना

1120. **श्री धर्मलिंगम:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 29 जनवरी, 1966 को कलकत्ता के निकट बोरगचिया स्टेशन के समीप मार्टिन बर्न लाइट रेलवे को एक गाड़ी के एक और गाड़ी से टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्तियों को चोटे लगी और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(घ) क्या अदालती जांच का कोई आदेश दिया गया है?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख) : 29-1-1966 को जब 9 अप सवारी गाड़ी बड़गछिया स्टेशन के बाहरी सिगनल पर रुकी हुई थी, तो उसके पीछे आने वाली 11 अप सवारी गाड़ी उससे टकरा गयी ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 18 व्यक्तियों को मामूली चोटें पहुंची।

(घ) रेलवे के विभागाध्यक्षों के एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की।

कालीकट और पालघाट में परियोजनायें

1121. **श्री प० कुन्हन:** क्या **उद्योग** मंत्री हि बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में भूतत्वीय विभाग द्वारा वर्ष 1965-66 में किये गये सर्वेक्षण की दृष्टि से कालीकट और पालघाट जिलों में कोई नई परियोजनाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हथकरघे के कपड़े का निर्यात

1122. **श्री प० कुन्हन:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण हथकरघे के कपड़े के निर्यात में कमी हुई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक बस्तियां

1123. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी औद्योगिक बस्तियां है;

(ख) उन में से कितनी स्वावलम्बी हैं;

(ग) उन में से कितनी सरकारी क्षेत्र और कितनी गैर-सरकारी क्षेत्र में पंजीकृत हैं; और

(घ) देश में ऐसी बस्तियां बनाने के लिये राज्यवार कुल कितना घर्च किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क)

राज्य	30-9-1965 को जो औद्योगिक बस्तियां कार्य कर कर रही थीं।
आंध्र प्रदेश	16
आसाम	2
बिहार	4
दिल्ली	2
गुजरात	8
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू काश्मीर	15
केरल	8
महाराष्ट्र	22
मध्यप्रदेश	11
मद्रास	21
मैसूर	9
उड़ीसा	6
पांडिचेरी	1
पंजाब	18
राजस्थान	13
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	20
पश्चिम बंगाल	3
कुल	182

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सभी बस्तियों को सरकारी सहायता मिल रही है।

(ग) हर वर्ग की औद्योगिक बस्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

सरकारी बस्तियां	सहकारी समितियों द्वारा स्थापित तथा निजी बस्तियों द्वारा सहायता प्राप्त बस्तियां	सरकारी उपक्रमों द्वारा बसाई गई सहायक औद्योगिक बस्तियां	ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों द्वारा बसाई गई बस्तियां
151	25	2	4

(घ) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

दक्षिण-मध्य जोन

1124. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये बनाये गये दक्षिण-मध्य जोन में कितनी लाइनें शामिल की गयी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हुबली डिवीजन तथा सिकन्दराबाद डिवीजन से भी कोई परस्पर सम्पर्क कड़ी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इन दो द्वीपीय जोनों को मिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे नाम से जो नयी रेलवे बन रही है उसमें मध्य रेलवे के शोलापुर डिवीजन का भाग (बड़ी लाइन और छोटी लाइन), पूरा सिकन्दराबाद डीवीजन (बड़ी लाइन और मीटर लाइन), दक्षिण रेलवे के हुबली (मीटर लाइन) और विजयवाड़ा (बड़ी लाइन और मीटर लाइन) डिवीजनों के अधिकांश भाग और दक्षिण रेलवे के गुंतकल्लु डिवीजन (मीटर लाइन) का एक भाग शामिल करने का विचार हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

छठा इस्पात संयंत्र

1125. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में आंग्ल-अमरीकी विशेषज्ञों ने क्या सिफारिशें की हैं और उन में से कौन कौन सी सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं;

(ख) क्या छठे संयंत्र की स्थापना के लिए स्थान का निश्चय कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कब किया जायेगा; और

(घ) देश की इस्पात की आंतरिक जरुरत पूरी करने के लिये कितने संयंत्रों की आवश्यकता होगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) संभवत: माननीय सदस्य पांचवें इस्पात कारखाने का जिक्र कर रहे हैं। आंग्ल-अमरीकी विशेषज्ञों ने विशाखापतनम स्थल को अधिक पसन्द किया है। सरकार उनके प्रतिवेदन पर विचार कर रही है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अभी निश्चित किया जा रहा है। कारखानों की संख्या अन्तिम लक्ष्य पर निर्भर करती है।

आयात तथा निर्यात

1126. श्री शिवचरण गुप्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950-51, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 (जनवरी, 1966 तक) कुल कितना आयात तथा निर्यात किया गया; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितना प्रतिशत निर्यात/आयात किया गया?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : 1950-51 और 1960-61 से 1965-66 (अक्तूबर, 1965 तक) तक की अवधि में हुये कुल आयात और निर्यात तथा स्थूल श्रेणियों में उनके प्रतिशत को प्रकट करने वाले दो विवरण संलग्न हैं। अक्तूबर 1965 के बाद के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। विशिष्ट श्रेणियों, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं आदि के अनुसार आयात का ब्यौरा उपलब्ध है। इस आधार के अनुसार निर्यात का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और वह विवरण में आर्थिक श्रेणियों अर्थात् "खाद्य, पेय तथा तम्बाक", "कच्चा माल तथा मुख्यत: अनिर्मित उत्पाद और वस्तुएं" "पूर्णत: अथवा मुख्यत: निर्मित वस्तुएं", आदि के अनुसार दिया गया है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रकाशनों के नमुने के अनुरूप है। **[पुस्तकालय म रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5601/66।]**

मद्रास में कुटीर दियासलाई उद्योग

1127. श्री सेझियान :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फासफोरस तथा पोटास के क्लोरेट (क्लोरोन के तेजाब का एक लवण) की कमी के कारण मद्रास राज्य में सतूर और कोविलपट्टी में स्थित कुटीर दियासलाई उद्योग में उत्पन्न स्थिति के बारे में पता है;

(ख) क्या सरकार द्वारा कोई राहत दी गई है; और

(ग) कुटीर दियासलाई उद्योग के लिये आवश्यक सामान की फिर से सामान्य सप्लाई कायम करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : उद्योग की सहायता के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1966—इन तीन महीनों में प्रति मास 130 मी० टन क्लोरेट आफ पोटास के वितरण संबंधी प्रबंध को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(2) राज्य व्यापार निगम द्वारा रुपया क्षेत्र के देशों से 300 मी० टन क्लोरेट आफ पोटास का आयात करने के लिए भी प्रबन्ध कर लिया गया है।

(3) दक्षिण भारत के दियासलाई के कारखानों को कुल 1,67,612 रु० के मूल्य के लाल फास्फोरस का आयात करने के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

1128. **श्री हेम बरुआ :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 फरवरी, 1966 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के माईवांग और दाथोतुहाजा स्टेशनों के बीच लमडिंग शिलचर सवारी गाड़ी पटरी से उतर गई;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण धन और जन की कितनी हानि हुई तथा इसके क्या संभव कारण थे; और

(ग) क्या अब तक इस मामले की कोई जांच की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह दुर्घटना 4-2-66 को दाओतुहाजा और वडरगडीसा स्टेशनों के बीच हुई।

(ख) और (ग) : इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई। रेल-सम्पत्ति को लगभग 58,000 रुपये की क्षति का अनुमान है।

कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की जांच की है। उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार पटरी से उतरने की यह दुर्घटना किसी अज्ञात व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा पुल को उड़ा दिये जाने के कारण हुई और यह तोड़-फोड़ की कार्रवाई है जो जानबूझ कर की गयी थी।

ईंधन के निक्षेप

1129. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री ईंधन के निक्षेपों के बारे में 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व तथा भारत में तेल और कोयले के निक्षेपों के बारे में क्या तथ्य हैं; और

(ख) क्या निक्षेपों की मात्रा और किस्म के सम्बन्ध में वर्तमान जानकारी को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही करना आवश्यक है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) भारतीय भौमिकी विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार संसार में कोयले के संचयों का अनुमान लगभग 5 मिलियन मीटरी टन तथा तेल के संचयों का अनुमान लगभग 77,000 मिलियन टन है। भारत में कोयले के संचयों का अनुमान लगभग 1,20,000 मिलियन टन तथा तेल के सिद्ध संचयों का अनुमान 110 मिलियन टन है।

(ख) भारत में अधातुयुक्त कोयले के संचय पर्याप्त मात्रा में हैं और इस विषय में विशेष कार्रवाई की जरूरत नहीं है। तथापि धातुयुक्त कोयले के संचय सीमित हैं अतः इन्हें यथासम्भव धोने तथा सम्मिश्रण आदि उपाय अपना कर संरक्षित किया जाता है। धातु-युक्त कोयले के नये संचयों को सिद्ध करने के लिये अन्वेषणात्मक काम हाथ में लिया गया है।

कोयले का निर्यात

1130. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के निर्यात सम्बन्धी डा० लोकनाथन् के अध्ययन दल ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो अध्ययन दल कब तक प्रतिवेदन देगा ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : अध्ययन दल ने अपनी अन्तरिम सिफारिशें 18-5-65 को दी। उसका अन्तिम प्रतिवेदन अभी तयार हो रहा है तथा अप्रैल, 1966 तक उसके मिलने की आशा है। अन्तरिम सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप लंका के बाजार को पुन: प्राप्त कर लिया गया है। बर्मा के बाजार को इससे पहिले ही प्राप्त कर लिया गया था।

कोयले के नमूने भरना तथा उसका रेल किराया

1131. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक के "ब्लेक रैकों" में ढोये जाने वाले कोयले के रेल किराये को कम करने तथा कोयले के अधिक व्यापक नमूने सम्बन्धी कार्य के सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : यह विषय अभी भी विचाराधीन है।

बादली औद्योगिक बस्ती

1132. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गत दो वर्ष से बादली औद्योगिक बस्ती (दिल्ली) में स्थित औद्योगिक एककों से "लाभप्रद किराया" ले रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन एककों को किराया-खरीद आधार पर शेड देने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इन एककों ने इस समय दे रहे किराया कम करने के लिये कोई अभ्या-वेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां ।

(ङ) मामला अभी विचाराधीन है ।

बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली

1133. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली के कारखानों से इस आशय के कोई प्रार्थनापत्र मिले हैं कि उन्हें अपने उद्योगों का विस्तार करने के लिये और भूमि दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) निकटवर्ती भूमि अभी विकसित नहीं हुई है। वर्तमान बादली औद्योगिक बस्ती के साथ की अतिरिक्त 36 एकड़ भूमि को विकसित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। भूमि विकसित हो जाने के बाद उसका आवंटन करते समय इन कारखानों के आवेदन-पत्रों पर समुचित रूप से विचार किया जायेगा।

Blowing up of Railway track near Dhansiri Railway Station by Hostile Nagas

1134. Shri Hem Barua :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri P. C. Borooah :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri M. N. Swamy :
Shrimati Renuka Barkataki :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the hostile Nagas blew up a portion of the Railway line on the night of 9th February, 1966 near Dhansiri Railway Station on North-East Frontier Railway;

(b) if so, the reasons for not checking such subversive acts ; and

(c) the effective measures that have been taken for the safety of railway tracks in future ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) and (c). The whole area is under the operational control of the Army authorities who are responsible for the safety of train operation on the Lumding-Badarpur-Silchar and Lumding-Simalguri Sections of the Northeast Frontier Railway. Two Battalions of the Special Emergency Force of the Railway Protection Force have also been placed at the disposal of Army authorities. The Army authorities are taking effective measures in this regard and it will not be in the public interest to divulge the same.

रेलवे कर्मचारियों के नौकरों को चिकित्सा सुविधायें

1135. श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के नौकरों को रेलवे अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवाने की सुविधा प्राप्त है किन्तु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में उक्त सुविधा उनकी विधवा माता के अतिरिक्त उनके बुढे मां-बाप को प्राप्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें यह सुविधा प्रदान करने के बारें में विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । रेल कर्मचारियों के निजी नौकरों, जिनपर सम्बधित पास नियम लागू होते हैं, चिकित्सा की सुविधा पाने के पात्र हैं। लेकिन यह सुविधा रेलवे अस्पतालों में आउटडोर इलाज तक ही सीमित है ।

(ख) जी नहीं ।

Hindi Addresses on Letters Sent from Railway Board

1136. Shri Rajdeo Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that addresses are not written in Hindi even on letters sent from the Railway Board to the Hindi-speaking areas ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). At present addresses on outgoing communications in Hindi are generally written in Hindi. As more and more staff acquire a working knowledge of Hindi, this practice will be gradually extended to outgoing communications in English also meant for delivery in Hindi speaking areas.

कपास और रेशम का आयात

1137. श्रीमती रेणुका राय: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ किस्मों की कपास और रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरुप वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य मंत्रालय म उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) आयात होने वाले कपास और रेशम की जिन किस्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उनका वस्त्र उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात परियोजना के लिये भारतीय इंजीनियरी सलाहकार

1138. श्री रामपुरे :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 8 दिसम्बर, 1965 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि बोकारों इस्पात परियोजना में देश में से ही और अधिक इस्पात और इंजीनियरी के सलाहकार रखे जायें; और

(ख) यदि हां, तो मामले में सरकार का क्या फैसला है और इस सम्बन्ध में इस के सहयोग देने वाले की क्या राय है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : जैसा कि लोक-सभा में 8 दिसम्बर, 1965 को अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है सरकार का इरादा मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को बोकारों के रूपांकन के ऐसे काम में सम्मिलित करने का है जो भारतीय संगठनों द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि फीस के बारे में सन्तोषजनक समझौता हो जाए। काम के ठीक ठीक क्षेत्र के बारे में आजकल सम्बद्ध सोवियत संगठन के साथ बातचीत की जा रही है जिन्हें भारतीयों द्वारा किए जाने वाले काम को दस्तूर एण्ड कम्पनी को सौंपे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रों में अत्युत्पादन

1139. **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री महेश्वर नायक :

श्री मलाइछामी :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रों के सामने अत्युत्पादन पूरी क्षमता के उपयोग न किये जाने और उत्पादों के जमा हो जाने की समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह समस्या पैदा हुई है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (त्रि० ना० सिंह) : (क) पिछले कुछ दिनों से लोहा और इस्पात की कुछ वस्तुओं की मांग कम हो गई है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीनों संयंत्र लगभग निर्धारित क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं और विस्तार की भी कुछ इकाईयों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। इसके कारण कुछ वस्तुओं का स्टाक जमा हो गया है। पाइप जैसी कुछ एसी भी वस्तुएं हैं जिनकी आन्तरिक मांग अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता से कम है।

(ख) मांग के कम होने के बहुत से कारण है जैसे आवश्यक कच्चे माल पूर्जों आदि के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर प्रतिबन्ध, जस्त के आयात पर प्रतिबन्ध, वर्तमान आर्थिक कठिनाई और मार्केट में उधार मिलने में कठिनाई, रेलवे के विस्तार कार्यक्रम में कमी आदि आदि।

आशा है कि यह कठिनाइयां थोड़े दिनों के लिए हैं स्थिति पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे मामलों में जहां उत्पादन अधिकतम मांग से भी बढ़ जाने की आशा है वहां निर्यात की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

पोकारन-जैसलमेर रेलवे लाइन

1140. **डा० रानेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोकारन से रेलवे लाइन को जैसलमेर शहर (उत्तर रेलवे) तक रेलवे लाइन को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : यह निर्णय किया गया है कि 1966-67 के निर्माण कार्यक्रम में पोकरन से जैसलमेर तक 105 कि० मी० लम्बी मीटर लाइन के निर्माण का काम शुरू किया जाय। आशा है, निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से लगभग 15 महीने के अन्दर यह लाइन पूरी हो जायेगी।

औषधियों का आयात

1141. श्री म० ना० स्वामी :
डा० रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधियों के आयात पर हाल ही में प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; और

(ग) इन प्रतिबन्धों को लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) चालू अवधि के लिये आयात नीति पुस्तक (रेड बुक) के परिशिष्ट 19 की सूची 1 (भेषज तथा औषधियों की आवश्यक सूची) सार्वजनिक सूचना सं० 101-आई० टी० सी० (पी० एन०)। 65 दिनांक 24-11-65 (प्रतिलिपि संलग्न) है, द्वारा संशोधित कर दी गई है। **[पुस्तकालय में रखो गई। देखिए संख्या एल० टी० 5602/66।]**

(ग) यह इस लिये किया गया है, जिससे भेषज तथा औषधियों के आयात के लिये उपलब्ध विदेशी मुद्रा को भेषजों के देशी उत्पादन के लिये आवश्यक आधारभूत कच्चे माल तथा मध्यवर्ती पदार्थों के आयात में अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

दक्षिण-पूर्व एशिया में कागज-लुगदी उद्योग

1142. श्री मुहम्मद इलियास :
डा० रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों ने वहां कागज-लुगदी उद्योग स्थापित करने के लिए तकनीकी जानकारी तथा अन्य सामान देने के सम्बन्ध में अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में स्टेनलेस स्टील कारखाना

1143. श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स को 60 करोड़ रुपये की लागत पर बिहार में हजारी बाग में पत्राता में एक स्टेनलेस स्टील कारखाना खोलने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : मैसर्स बिड़ला ग्वालियर्स लिमिटेड को 36,000 टन अलाए कंस्ट्रक्शनल स्टील और 4,000 टन अलाए टूल स्टीलस तथा हाई स्पीड टूल स्टील्स का उत्पादन करने के लिए इन्डेन्ट-पत्र दिए गए हैं। कारखाना बिहार में पत्रात के स्थान पर लगाय जाएगा। प्रायोजना की कुल लागत 16 करोड़ 50 लाख रुपये के लगभग होने का अनुमान है। तकनीकी सहयोगकर्ता है मैसर्स सोसाइट डेस फार्जिस एट एटलाइर्स डयू क्रियोसोट (यूसिनेस शनैडर)। (M/s. Societe Des Forges Et Ateliers Du Creusot (Usines Schneider)

Assistant Engineers on N. E. Railway

1144. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to State:

(a) Whether it is a fact that in June, 1965, a departmental examination was held by the North-Eastern Railway Administration for promotion from the post of Inspector of Works to the post of Assistant Engineers;

(b) if so, the number of persons selected and whether the persons so selected have since been promoted; and

(c) whether it is also a fact that certain persons who have not passed the said examination are also holding the posts of Assistant Engineers?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A selection of Class III employees of the Civil Engineering Department for regular promotion to Class II was completed in the latter half of 1965.

(b) Nine persons were placed on the panel of these, 5 have so for been promoted.

(c) One such person is continuing temporarily as Assistant Engineeer on basis of his earlier selection to a special panel for temporary promotion. He is being reverted.

उत्तर प्रदेश में कागज की मिल

1145. श्री राम सेवक यादव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कागज की एक मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित मिल को स्थाविपत करने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड में सैक्शन आफिसर

1146. श्री सेझियान :

श्री राजाराम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने दिसम्बर, 1965 में एक प्रतियोगिता परीक्षा के बाद रेलवे बोर्ड के सेक्शन आफिसर्स के पदों के लिए, जो आयोग को अधिसूचित किये गये थे, 30 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया था;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या यस सच है कि रेलवे बोर्ड ने इन रिक्त स्थानों में तदर्थ नियुक्तियां कर दी हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) : सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होने तथा उसका परणाम घोषित किये जाने तक अनुभाग अफसरों के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति कर दी गयी थीं। परीक्षा का परिणाम मिलने पर अनुभाक अफसरों के संवर्ग में अनुवर्ती समंजन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। वास्तव में सफल उम्मीदवार में से कई लोग अनुभाग अफसर के पद पर पदोन्नत किये जा चुके हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पल्लाथरा ब्रिक्स एण्ड टाइल्स लिमिटेड, शेरतल्लय (केरल), केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965, को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनो अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पल्लाथा ब्रिक्स एण्ड टाइल्स लिमिटेड, शेरतल्लय (केरल) का 31 मार्च, 1965, को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5576/66।]**

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965, को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1964-65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5577/66।]**

(5) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के वर्ष 1963-64 और 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेतन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-5578/66।]**

वायदा बाजार आयोग निर्यात संवर्धन परिषदों तथा प्रशुल्क आयोग के बारे में संकल्प

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्न लिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) दिनांक 16 फरवरी, 1966, के सरकारी संकल्प संख्या 35 (2)—कॉम (जनरल) (एफ एमसी) 165 की एक प्रति जिस के द्वारा वायदा बाजार आयोग, बम्बई, के कार्य की समीक्षा करने के लिए एक समिति स्थापित की गई [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5579/66।**]

(2) निर्यात संवर्द्धन परिषदों के कार्य की समीक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर दिनांक 21 दिसम्बर, 1965, के सरकारी संकल्प संख्या 11(33) 65–ईएसी की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5580/66।**]

(3) दिनांक 19 फरवरी, 1966, के सरकारी संकल्प संख्या 26(1)–टार/63 की एक प्रति, जिसके द्वारा प्रशुल्क आयोग, बम्बई, के कार्य की समीक्षा करने के लिए एक समिति स्थापित की गई। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5581/66।**]

खान तथा खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोयला बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं निम्न पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) खान तथा खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957, की धारा, 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत दो अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति।

(एक) दिनांक 1 जनवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 81।

(दो) दिनांक 29 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित ए० ओ० 341 [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5582/66।**]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची, का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5583/66।**]

(3) कोयला बोर्ड के वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी० 5584/66।**]

संभरण तथा निपटान महानिदेशालय संबंधी अध्ययन दल का अन्तिम प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं श्री रघुरमैया की ओर से सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय सम्बन्धी अध्ययन दल के अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हुं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5585/66।**]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसकी समीक्षा

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5586/66।]**

हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइडस लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, सरकार द्वारा उसकी समीक्षा तथा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिकस लिमिटेड, पिम्परी का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसकी समीक्षा

श्री मनुभाई शाह : श्री इकबाल सिंह की ओर से मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्, नई दिल्ली, का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5587/66।]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी (पूना), का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5588/66।]**

चाय बोर्ड का प्रशासन प्रतिवेदन, काफी (तीसरा संशोधन) नियम, 1965 तथा वर्ष 1961-62 के लिए काफी बोर्ड के लेखों पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं सभापटल पर निम्नपत्र रखता हूं :–

(1) चाय बोर्ड के 1 अप्रैल, 1964 से 31, मार्च, 1965 तक की अवधि के के लिए प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5589।66।]**

(2) कहवा (क़ॉफी) अधिनियम, 1942, की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कहवा (क़ॉफी) (तीसरा संशोधन) नियम, 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1965, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1835 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5590/66।]**

(3) कहवा (क़ॉफी) बोर्ड के वर्ष 1961–62 के लेखों पर परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5591/66]**।

उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड बरहामपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, उसपर संचालकों का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, बहरामपुर, का वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-5592/66]।**

(2) उड़ीसा रोड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर का वर्ष 1963–64 का संचालकों का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-5593/66]।**

मंत्रियों की अनुपस्थिति के बारे में
RE: ABSENCE OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह, श्री ज० रा० मेहता क्या प्राक्कलन समिति का प्रतिवदन पेश करने के लिये कोई भी नहीं है ? **(अन्तर्बाधा)।**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रतिवेदन का क्या होगा ?

श्री दाजी (इन्दौर) : बार बार ऐसा हो रहा है। मंत्रियों के पास प्रश्नों के उत्तर तैयार नहीं होते हैं, उनके पास सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री से और सभा के नेता से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें कि मंत्रियों को अपनी जानकारी के साथ तैयार रहना चाहिये और यदि वे स्वयं यहां उपस्थित न हों तो कम से कम अपने साथियों को वे अनुदेश दे जायें कि वे उनकी ओर से उत्तर दें।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्रीमन्, ऐसा आज कोई पहली बार ही नहीं हुआ है। कल जब कि उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो कोई भी केबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं था और इस पर हमने कड़ी आपत्ति उठाई थी। मुख्य सचेतक भी यहीं थे परन्तु वह विवश थे। केबिनेट के इस रवैये पर सारे प्रतिपक्षी सदस्य सदन का त्याग कर के चले गये। सरकार संसद् और प्रतिपक्षी दलों की बिल्कुल परवाह नहीं करती है। इस ओर पहले भी मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। सभा के नेता को चाहिये कि वह आकर आप से क्षमायाचना करे और आश्वासन द कि फिर ऐसा कभी न होगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : A school should be opened where all of them may be tought.

Shri Bagri (Hissar) : Actually it is not clear whose responsibility it is, whether of the Prime Minister or of the leader of the House.

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन्, हमें खेद है। मैं अपनी गलती को मानता हूं और क्षमायाचना करता हूं। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। कल मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि यदि आप और सभा सहमत हो तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय यदि राज्य मंत्री.....

श्री रंगा : नहीं, नहीं। एक केबिनेट मंत्री को उपस्थित होना ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा के लिये यह आशा करना कोई बहुत बड़ी बात है कि 15 केबिनेट मंत्रियों में से एक तो यहां उपस्थित हो।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : श्रीमन् सरकार को इस सभा का जितना आदर और सम्मान करना चाहिये उतना नहीं करती है। जब सभा में कोई केबिनेट मंत्री नहीं होता है तो कोई भी स्वाभिमानी सदस्य भाषण देना या सुझाव देना पसंद नहीं करता। और यही कारण है कि सभा में प्रायःगणपूर्ति नहीं होती है। मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिये। विशेषत : जब कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो अथवा बजट पर चर्चा हो रही हो, यदि योजना मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री उपस्थित न हों तो कोई भी स्वाभिमानी सदस्य इस सभा को गंभीरता से नही लेगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमन्, केबिनेट के 15 सदस्य है और एक सप्ताह में हमें प्रश्नकाल के अतिरिक्त 25 घंटे बैठना पड़ता है। यदि वे सब बारी बारी केवल 2 घंटे के लिये भी बैठें तो इस प्रकार की कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : श्री जवाहरलाल नेहरू अपने उत्तराधिकारियों की अपेक्षा इस सभा में अधिक समय के लिये उपस्थित रहते थे। पहली संसद के वित्त मंत्री श्री देशमुख बजट के दौरान इस सभा की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से उपस्थित रहते थे। मंत्री लोग यहां आकर चर्चा को सुनने का प्रयत्न नहीं करते है। कल प्रश्न काल के दौरान आपसे आग्रह किया गया था कि कार्यवाही को आधे घंटे से अधिक समय के लिये रोका जाय ताकि एक विशिष्ट प्रश्न पूछा जा सके और उसका उत्तर दिया जा सके। परन्तु मंत्री महोदय नहीं आये। देश की सारी जनता मंत्रियों पर दोषारोपण करती है। जब मंत्रीगण संसद् में ही नहीं आते तो लोगों के पास जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। यह एक गंभीर मामला है और संसदीय शिष्टाचार के हित में इसको सहन नहीं किया जा सकता।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया गया है। इसलिये सरकार का कोई न कोई प्रतिनिधि होना आवश्यक है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Prestige of this House is at stake, as the Present Cabinet has majority of Rajya Sabha members. The Prime Minister also belongs to the upper House. I have no objection, if Shri Satya Narain Singh becomes the leader of the House, I want to stress that the leader of the House should be present in the House during all important discussions. In question hour the Prime Minister should be present in the House.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मेरा निवेदन यह है कि मंत्रियों पर जब कोई आरोप लगाये जाय तो उन्हें यह बात ध्यान से सुननी चाहिए कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। यह बहुत बड़ी ज्यादती है।

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : यदि हम इसी तरह चलते रहे तो मुझे मद है कि आने वाले 10, 12 सप्ताह में बहुत ही बुरी हालत होगी। सरकारी बेंचों पर बैठे लोग किसी की बात सुनते ही नहीं। यह संसद् लोक तंत्रीय कोरम है, अतः पदासीन दल के लोगों को अपना उत्तरदायित्व महसूस करना चाहिए। मुझे यह भी आशा करनी चाहिए प्रधान मंत्री अपने सब साथियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेगी। अच्छा हो यदि वह कोई उपचुनाव लड़ कर इसी सदन की सदस्या बन कर आ जाय यह दुःख की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर महत्व पूर्ण चर्चा हो रही है और कोई भी मंत्री सदन

में मौजूद न हो। इसके लिए उन्हें कुछ सजा मिलनी चाहिए यह भी देखने में आया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य पूर्ण सावधानी की स्थिति में नहीं बैठते, अंधते रहते हैं। जिन बातों के बारे में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके व नोट इत्यादि भी कभी नहीं लेते।

श्रीमती सावित्री निगम : क्योंकि नेता ने क्षमायाचना कर दी हैं, इस विषय को विवाद का विषय न बनाया जाय।

श्री नी० श्रीकान्तन् नायर (क्विलोन) : मुझे किसी के दोष नहीं निकालने, परन्तु इतना जरूर कहना है कि प्रधान मंत्री को कई बार बाहर विदेशी अतिथियों के स्वागत के लिए जाना होता है। परन्तु इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि सदन में किसी वरिष्ठ मंत्री को रहना जरूर चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री सिंह ने क्षमायाचना कर दी है। उनका यह प्रयास होगा कि इस प्रकार की स्थिति फिर पैदा न हो। परन्तु बहुत सी बातें यहां ऐसी कही गयी है जिनका कुछ भी औचित्य नहीं है। हमारे दिल संसद् के प्रति पूरा आदर है, परन्तु फिर भी कई बार मन्त्रियों को भी तो बाहर जाना ही पड़ जाता है। हम विरोधी पक्ष के सदस्यों का भी आदर करते हैं और जो कुछ वे कहते हैं उसके पूरे नोट रखते हैं। हम सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि यदि आधारहीन और सारहीन आरोप लगाये जाये तो उससे भी लोकतंत्र की शान में कोई वृद्धि नहीं होती।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : अपनी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 28 फरवरी, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा।

(2) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधयक, 1966। दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1966। आयात तथा निर्यात नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1966। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक, 1966।

(3) वर्ष 1966–67 के रेलवे बजट पर 1 मार्च से सामान्य चर्चा।

(4) वर्ष 1966–67 के रेलवे की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

जैसा कि सदस्यों को विदित है, 1966–67 का सामान्य सोमवार 28 फरवरी, 1966 को 5 बजे म० प० पेश किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want that you should clear the position that in what Capacity Shri Satya Narain Singh is placing before the House the Statement of Government Business whether he is acting as Minister of Parliamentary Affairs or leader of the House. According to the Parliamentary practice the leader of the House has to perform the three duties. During the Session he leads the House. I think this work is done by the Speaker. Second work is to conduct the Government Business. The third thing that is done by the leader is reply all sorts of questions and objections that are raised before the House. But these functions have been allocated to the department of Parliamentary Affairs under article 77 (3) of the Constitution of India. If Shri Satya Narain Singh will speak as Minister of Parliamentary Affairs, we shall listen to him. But he cannot present

[Shri Madhu Limaye]

the statement of Government Business as leader of the House. Under rules 25 and 258 the government business is fixed with the consultation of the speaker and the leader of the House.

My submission is that the duties of the leader of the House should not be mingled with the duties of the Minister of Parliamentary Affairs.

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : नियम 25 के अन्तर्गत सदन के नेता भी अनुच्छेद 77(3) के अन्तर्गत आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में भी कार्य कर सकते हैं। इस बारे में जरुर नियम मौन है कि सूची को कौन सदन के समक्ष रखे। वैसे भी कार्य सूची मुख्य सचेतक के साथ परामर्श करके बनाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि नियम इसके बारे में मौन है, अतः जब तक कोई अन्य नियम न बनाया जाय सदन के नेता यदि चाहे तो कार्यसूची की सदन के समक्ष घोषणा कर सकते हैं।

Shri Satya Narain Singh : So many things have been said by the honourable members. I cannot reply anything off hand. At the proper time all the questions will be adequately replied.

समिति के लिये निर्वाचन इलायची बोर्ड
ELECTION TO COMMITTEE

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रस्ताव करता हुं —

"कि इलायची अधिनियम, 1965, की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित किये जाने इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित किये जाने इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

अनुदानों की अनुपुरक मांगे (सामान्य)
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से मैं वर्ष 1965–66 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (केरल)
SUPPLEMTARY DEMANDS FOR GRANTS (KERALA)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से वर्ष 1965–66 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (केरल) के बारे में विवरण प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

इक्यानवेवां प्रतिवेदन

श्री अ० च० गुह (बरसार) : मैं दक्षिण पूर्व रेलवे के बारे में प्राक्कलन समिति का 91 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक-पुरःस्थापित
ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) AMENDMENT BILL—INTRODUCED

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं श्री स्वर्ण सिंह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनियमन 1958 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सशस्त्र सेना (विशे शक्तियां) विनियमन 1958 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करनें की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *! The motion was adopted.*

श्री दिनेश सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापति करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव
MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त मेहता अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री जसवन्त मेहता (भाव नगर) : जैसे कि मैं कल कह रहा था कि सदन के दोनों पक्षों की ओर से देश की बिकट परिस्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी है की देश संकट से गुजर रहा है। हमारे सामने कठिन आर्थिक स्थिति है। देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई है। खाद्यान्नों का सर्वत्र अभाव महसूस किया जा रहा है। निराशा और हारी हुई मनोवृत्ति का बोलबाला हो रहा है। सर्वत्र गड़बड़ी हो रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।** / MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

बंगाल विधान सभा में जो कुछ हुआ है उससे कोई देश की शान नहीं बढ़ी है। इससे हमारे समाज का स्तर गिरेगा ही बढ़ेगा नहीं। हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। भ्रष्टाचार से हमारे राष्ट्रीय चरित्र का भी पतन हो रहा है। इस अवसर संसद् के सदस्यों को इस गम्भीर समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

एक बड़े दुःख की बात यह है कि देश में कोई मजबूत विरोधी दल नहीं है। आज देश के समक्ष एक चनौती है कि इन समस्याओं को किस प्रकार से लोकतंत्रीय ढंग से सुलझाया जाये। इसी प्रकार आर्थिक स्थिति के बारे में भी स्थिति चिन्ताजनक कही जा सकती है। मेरा निवेदन है कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा समाज में परिवर्तन करने के लिये एक नया ढंग अपनाने की आवश्यकता है। आम लोगों को यह महसूस होना चाहिये कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है।

[श्री जसवन्त मेहता]

खाद्य समस्या के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरा निवेदन यह है कि खाद्य समस्या को दो दिशाओं में सुलझाये जाने की ज़रूरत है। एक उत्पादन है और दूसरा वितरण। उत्पादन के क्षेत्र में सरकार सिंचाई कार्यों, उर्वरक समस्या, बीजों के वितरण आदि सम्बन्धी कार्यों के बारे में विचार कर रही है परन्तु हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है। सम्बन्धित राज्यों में मतभेद के कारण कुछ उपयोगी परियोजनायें क्रियान्वित नहीं हो सकी हैं। बहु-प्रयोजनीय नर्मदा परियोजना के बारे में निर्णय करने के लिए प्रधान मंत्री तथा योजना मंत्री को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक तुरन्त बुलानी चाहिये और इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में हमारी मांग यह है कि खोसला समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इसकी वित्तीय जिम्मेदारी उठानी चाहिये। मेरे विचार में ऐसा हो जाये तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह बड़ा जबरदस्त कार्य होगा। इस कार्य में देर नहीं की जानी चाहिये।

खाद्य मंत्री महोदय द्वारा खाद्य समस्या के बारे में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गयी है। इस पुस्तिका में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। मेरे विचार में खाद्य उत्पादन सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी करने की प्रणाली पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने कृषकों को लाभप्रद मूल्य देने की नीति की जो घोषणा की है, उसे उचित रूप से लागू करना चाहिये। कृषि ऋण प्रणाली में क्रान्ति लाई जानी चाहिये। अल्प अवधि के तथा लम्बी अवधि के ऋणों सम्बन्धी कार्यक्रम की समेकित प्रणाली बनाई जानी चाहिये। फसल बीमा योजना, जिसे सरकार ने सिद्धान्तत: स्वीकार कर लिया है, लागू की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं उस बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरा मतलब खाद्य क्षेत्र समाप्त किये जाने की ओर है। हमारी यह मांग रही है कि खाद्य क्षेत्र समाप्त कर दिये जायें। कमी वाले राज्यों का शोषण नहीं किया जाना चाहिये। देश को आज राष्ट्रीय खाद्य नीति की आवश्यकता है अत: इस नीति को निर्धारित करने की दिशा में पग उठाये जाने चाहिये। राज्य कमी वाला हो अथवा बचत वाला सब को एक ही मात्रा में खाद्यान्न मिलने चाहिये। यह नीति केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिये। जो मुख्य मंत्री इस नीति को स्वीकार न करे उन्हें इसके लिये बाध्य किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त फसल, बीमा योजना को भी चालू किया जाना चाहिये। मैं उन माननीय सदस्यों की मांग का भी समर्थन करता हूं जिन्होंने आपात को समाप्त करने की बात कही है। आपात को समाप्त किया जाना चाहिये और भारत रक्षा नियमों को भी लागू नहीं करना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The President's Address is a mirror of Governments' past and future policies but in the recent Address, President has made no mention at all about the establishment of an Administrative Reforms Commission. This is an important decision of the Government. This was also endorsed by the late Shri Lal Bahadur Shastri also during his speech on a motion of no-confidence. The whole administrative machinery rests on the Administrative Reforms, Commission and on the decisions reached there under. In this connection I would suggest that a Cabinet Reforms Commission, on the lines of the Administrative Reforms Commission, also be set up so that the Ministers do not make contradictory statements and the decision of one Minister is such that rest of the Ministers in the Cabinet also agree upon and support it. Recently Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, had declared that Kashmir is an integral part of India and there is no question of going back on this matter but some time after another Minister said that the present cease-fire line should be recognised as the

international line. Similarly, while one Minister says that the banks should be nationalised, Shri Chaudhuri, the Finance Minister, says that no decision in this behalf has so far been taken. Such contradictory talks by different members of the Cabinet only show that they do not realise their responsibilities.

I understand that the Government and the Cabinet can never afford to disregard the provisions of the Constitution. Recently, the Governor of Kerala continued to be a member of the All-India Congress Committee also for some time which the Constitution provides that a Governor of a State should not be associated with any political party while in office. Thus the Constitution has been violated and the Home Ministry is responsible for this. Any citizen could have challenged in the supreme court the Kerala Governors decisions which he might have taken during the period he was both governor and member of the All-India Congress Committee and a good deal of trouble might have arisen. If the Home Ministry does not follow healthy traditions in future and again allows a Governor to be associated with a political party, a very critical situation can be created.

Now I would dwell on the shortcomings of the Government whose policy of appeasement was responsible for the partition of the country. Now again the same tendency seems to be germinating. The decision of the Government to keep the strength of the military force in Kashmir equal to what it was back in 1948 is a suicidal decision. Previously also when a similar decision was to be taken it was decided *inter alia* that Government could reduce the strength of its own forces only when the Pakistani forces had vacated Kashmir and the situation had returned to normal. At that time it was thought that only that much of police and military force was needed. There as was essential for maintaining law and order. Today, when there is constant danger from Pakistan and China and the State Government of Kashmir also is not able to fully control the internal situation, the decision to keep military force reduced to 1948 level, becomes even more suicidal.

As the situation is Kashmir has been worsening, so also the situation in Nagaland getting worse and worse still. In regard to the peaceful efforts that were undertaken for a solution of the Nagaland problem, the late Prime Minister Lal Bahadur Shashtri had declared that if no suitable decision could be reached within six mohths, government would be free to take any action that they deemed fit. This period has since been extended again and again with the result that now the Government is in a great fix.

While the Government is holding talks with the Naga delegation, the Nagas say that the Government of Nagaland has come over to talk to Indian Government and that they want nothing except and short of an independent Naga State. While talkes are going on here trains are being blown up and planes exploded there. If Government, after an expenditure of crores of rupees all along cannot control on handful of Nagas, how can the Country feel confident that it can protect the country in case of a grave calamity

Another new off shoot of Government's policy of appeasement is the Home Minister's announcement regarding appointment of Parliamentary and Cabinet Committees to go into the matter of establishing a separate State on the basis of language within twentyfour hours of the Indo-Pak. cease fire. This has resulted in dis unity among the Sikhs and the Hindus of Punjab who both had once fought the Pakistani aggression unitedly. Both Hindus and Sikhs have since been preparing themselves to Sind in their respective memoranda on the question. Now they are preparing themselves to offer threats also. The result has been that not

[Shri Prakhsh Vir Shastri]

only the unity of the Sikhs and Hindus in the Punjab has been adversely affected, the public no more respect the Government of that State. The Government cannot shirk its responsibility due to blood-shed and agitation there. This question could only be solved if Government had followed the line of action which the late Sardar Patel had once adopted. On account of the weak-mindedness of the Government, the people in the hilly areas have started agitation to demand that they should be separated from Punjab. Similarly, the Hindi speaking area of Hariyana and other neighbouring places and saying that if Punjab is under a unilingual State then they would not relish the idea of a particular language being thrust upon them. All languages should be equally welcomed and no language should be thrust upon a particular people. If on account of Government's policy of appeasement, any one language will be forced upon the whole of Punjab, the results can be very well imagined. All the Hindi speaking areas, Rohtak, Karnal, Mohandragarh and Gurgaon districts of Hariana will flare up and the situation will become uncontrollable. Government should be very careful while taking decision in this regard. While satisfying one section of the people, Government should not sow discontentment in the other. If Government does like this, it will be not only be an act of injustice against Punjab but the country as a whole, will be in such a state of agitation that they may not have again to establish a Commission like the old States Re-organisation Commission. By following wrong policies in regard to Kashmir, Nagaland and Punjab, Government has brought the country at the doors of bloodshed and strife at a time when unity is extremely necessary in the country.

I would now want to know why there has been so much laxity in implementing the constitutional decision in regard to the official language. Government fear that agitation will start in certain States upon Hindi being introduced, then they should deal with the situation in three parts. There are three types of State in India—Hindi speaking, partially Hindi speaking and non-Hindi speaking States. if the Government applies the Constitutional provisions pertaining to the official language in the Hindi speaking States first, then in no time other States can also take to Hindi. Jammu and Kashmir, Gujarat, Maharashtra and Orissa are the partially Hindi-speaking States and they can later follow suit. By then, non-Hindi speaking states will have been sufficiently prepared to justify the Constitutional provisions being applied there also .

Besides, when the official Languages Commission recommends that bills etc. in parliament should be in both English and Hindi, why the bills and amendments etc. are not being issued in Hindi also? Why is Government not making a firm declaration in regard to their policy on official language so that they may see the reaction of the people? Is it one to some weakness on their part? How long will this state of affairs continue?

In fine, I would like to say a few more things. We remember Lal Bahadur Shastri when we speak of and praise the Tashkent Declaration. But what has Government done in memory of the late Shastriji who in a short period of 18 months, brought for the country so much of prestige and high esteem in the eyes of the world? His Samadhi has not even been plastered yet. Was Shastriji wanting in any sacrifice that the Government is so indifferent towards him? When a memorial can be erected for the late Jawaharlal Nehru, why one cannot be put up in memory of the late Shastriji who was the second Prime Minister of India ? Foreign visitors pay homages only at the Samadhis' of Gandhiji and Nehruji but Shastriji is remembered in connection with the Tashkent declaration alone !

To end, I would say a few words regarding foreign loans. We are under foreign debt to the tune of 550 millions rupees or more.

It means that every Indian is under foreign debt at the rate of Rs. 126-99 per head. In the *Neeti*, it is mentioned that the father who leaves behind a debt for his son to repay, is his great enemy. Government should therefore, have care that they do not leave behind debts for the posterity to pay off.

श्री कु० शिवप्रघासन (पांडिचेरी) : राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के लिये बड़े मार्मिक श्रद्धा के फूल प्रस्तुत किये हैं। शास्त्री जी को अपने अल्पकाल की अवधि में बड़े बड़े दायित्वों का भार संभालना पड़ा और उन्होंने उन सब मामलों को बड़ी सफलता और प्रसन्नता से निपटाया था। इतने उच्चपद पर पहुंच कर भी वे बड़े विनम्र थे। सत्ता का उन्हें कोई गुमान तक न था। सारे देश को विशेषत: मेरे राज्य को, उनके निधन पर बहुत दुःख हुआ है। संसार के सब शान्तिप्रिय लोग उनको सदा याद रखेंगे।

पांडिचेरी राज्य के सम्बन्ध में मुझे अनेक गम्भीर समस्याओं पर बहुत कुछ कहना है।

भारत मिल के जोकि पांडिचेरी में तीन कपड़ा मिलों में से एक है बन्द हो जाने से करीब 1600 श्रमिकों तथा उनके परिवारों को चार महीनों से भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास बराबर तार व पत्र आ रहे हैं जिन में श्रमिकों की यातनाओं और कठिनाइयों का ही वर्णन है। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। श्रमिकों को कम से कम अन्तरिम सहायता के रूप में कुछ निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिये था। ऐसा कहा जाता है कि राज्य सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। परन्तु एक जांच आयोग इस मामले की जांच करके प्रतिवेदन देगा और फिर वाणिज्य मंत्री अपनी कार्यवाही करेंगे। परन्तु वहां कपड़ा उद्योग श्रमिकों का एक संघ बन गया है जो सीधी कार्यवाही करने की धमकी दे रहा है। मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शीघ्र ही करे।

दूसरी बात यह है कि पांडिचेरी राज्य के सरकारी कर्मचारी वर्ग पर जिस में विलयन से पहले और बाद के दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यह ठीक है कि विलयन के पश्चात् कुछ समय तक कठिनाइयां बनी रहती हैं और विदेशी राज के बाद पांडिचेरी को देश के दूसरे भागों के स्तर तक आने में कुछ समय लगेगा। 11 वर्ष पहले इस राज्य का विलयन हुआ था परन्तु अभी तक सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक बड़े हुये मंहगाई भत्ते का लाभ विलयन से पूर्व भर्ती किये गये कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। विलयन के पश्चात् जिन कर्मचारियों की 10 साल से अधिक सेवा हो चुकी है उनके स्थायीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। करीब 50 से 60 अस्थायी कर्मचारियों को जो यदि विदेशी राज में होते तो अभी तक वेतन-वृद्धि पा लेते, अभी तक कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। न वे स्थायी किये गये हैं और न 1954 से उनकी वेतन वृद्धि ही की गई है। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे और इन गरीब कर्मचारियों के साथ न्याय करायेंगे।

स्वर्गीय पंडितजी पांडीचेरी की प्रगति और उत्थान के लिये बहुत ध्यान देते थे। उनके नाम पर जो भिषग् महाविद्यालय है वह इसी स्नेह का प्रतीक है। भारत सरकार भी आर्थिक उत्थान के लिये सहायता दे रही है ताकि पांडिचेरी देश के दूसरे भागों के विकसित स्तर पर शीघ्र आजाये। परन्तु मेरे राज्य के औद्योगीकरण के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जा रही है। बड़े पैमाने पर उद्योगों के स्थापित करने की बात केन्द्रीय सरकार सदैव रद्द करती आई है। सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की बात थी और विशषज्ञों ने सिफारिश भी की थी परन्तु शायद इस लिये कि पांडिचेरी एक छोटा राज्य है अभी शिशु ही है, वहां वह कारखाना स्थापित नहीं किया गया। परन्तु सरकार को पांडिचेरी पर विशेष

[श्री. कु० शिवप्रघासन]

ध्यान देना चाहिये क्योंकि एक तो वह छोटा और पिछड़ा हुआ राज्य है दूसरे अब वह मुल्क बन्दरगाह नहीं है जिससे रोजगार के अवसर भी कम हो गये हैं। स्वतंत्रता से पूर्व लोग मुक्त बन्दगाह होने के कारण अच्छा रोजगार पा लेते थे और उनका निर्वाह हो जाता था। परन्तु अब किसी बड़े उद्योग के बिना स्थापित किये गये वहां रोज़गारों की कमी दूर नहीं हो सकती । अभी एक स्कूटर कारखाने के बारे में बात चल रही है कि वहां फ्रांस के सहयोग से एक स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित किया जाये। राज्य सरकार ने इस पर अपनी सिफारिशें भेज दी हैं और केवल केन्द्रीय सरकार का अंतिम निर्णय आना बाक़ी है। वहां इस उद्योग के लिये पर्याप्त सुविधायें जैसे फ्रेंच भाषा जानने वाले कुशल कारीगर, बिजली, पानी तथा यातायात, बन्दगाह इत्यादि उपलब्ध हैं। अतः वहां स्कूटर उद्योग की स्थापना के लिये सरकार को शीघ्र अनुमति देनी चाहिये। इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकेगा और उसका विकास हो सकेगा।

Dr. Mahadeva Prasad (Maharajganj) : The foregoing year was a year of test for India. In August, Pakistan attacked Kashmir and we defended our mother land with all our might and fought back the enemy. Pakistani aggression was not a were attack on a part of India, but it was an attack to annihilate our traditions, conceptions and beliefs. From the very ancient times people having different religious beliefs, have been living in India. Since there is a majority of muslims in Kashmir, Pakistan seems to have thought it desirable that it should be a part of Pakistan. Since Pakistan wanted to solve her problems by taking recourse to force it was yet another violation of our beliefs. Thirdly, Pakistani attempt to interfere in our internal matters as a violation of the provisions of the U. N. charter. Fortunately, the rulers of Pakistan came to their senses and reached an agreement at Taskents and thus our convictions received yet more honour and respect.

As to lifting of emergency about which Acharya Kripalani spoke before the members of the opposition the other day and in regard to the Tashkent Declaration, said that "in a few months you will know where your Tashkent spirit lies." I would say that if the danger is still there, how can we afford to have the emergency lifted. Acharya Kripalani also mentioned about Shri Noolani's book 'The Tashkent Question' wherein the writer says that the problem of Kashmir is not yet solved and that what Sheikh Abdullah says is largely the truth and the truth is that there can never be peace in Kashmir so long as India Pakistan quarrel over the unsettled issue of Kashmir. Mr. Noorani further says that these truths my be unpleasant but so long as they are ignored, Kashmir "will continue to be a fostering sore in the body politic of India". Should a man like Shri Noorani not be sent behind the bars under the D.I.R. for his challenging the fact that Kashmir is an integral part of India.

We have always worked for peace. The President says peace is essential both for the well being of the world and our own country. Even Lord Krishna, knowing full well that Duryodhana was a mean and wretched follow and would not listen to him, did not submit to doubts. He said that in spite of Duryodhana's meanness, he would meet him and show the world that he was in no way wanting in the desire for establishing peace. Some time back Dr. Lohia had mentioned about an article by Edgar Snow. I have come across an article by the said another published in the "Republic" of 27th February 1965. Mr. Snow quotes about his interview with Mao Tse Tung and says "it was said that unless Indian troops again crossed Chinas' frontiers there would be no conflict there". Can anybody trust these words of Mao Tse Tung? The reply will be "Never". Does Dr. Lohia find truth in these words of Mao Tse Tung?

Shri Prakash Vir Shastri has tried to hint about the attitude and psychology of the late Shastriji at the time of signing of the Tashkent Agreement. But the late Shastriji's Statements on reaching Tashkent clearly show what he had in mind. In a concluding paragraph of one of his speeches, the late Prime Minister had declared that if India and Pakistan had to progress and prosper it was essential for them both to live in peace and that instead of fighting each other, they had better started fighting poverty, disease and ignorance and further both countries needed food, clothing, and shelter and not war and conflict. According to him, "if we are to fulfil this obligation to our peoples, we should, in this meeting, try to achieve something specific and positive".

And as everybody knows he did achieve "something specific and positive" so that today the tension between the two countries has been very much lessened.

Both the late Jawaharlal Nehru, at a press conference on 15th August, 1947 and Shrimati Indira Gandhi, on 24 September, 1964, had declared that freedom was a meaningless word if it did not guarantee freedom of opportunity for everyone and did not put an end to poverty, ignorance and disease. With this end in view, the concept of planning and socialism were and are still necessary. Only thus can we hope to have a social order wherein economic and political equality and justice and full development of life are possible.

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : यह हर्ष का विषय है कि शासन की बागडोर नई पीढ़ी के हाथों में आ गई है। हमें आशा है कि यह पीढ़ी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की नीतियों का पालन करते हुए देश की एकता को सुदृढ़ बनाने में सफल होगी। दुर्भाग्यवश श्री शास्त्री जी के समय देश को पाकिस्तान के साथ सशस्त्र संघर्ष में उलझना पड़ा। परन्तु शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व, हमारी सेनाओं के अपूर्व साहस और देशवासियों की पूर्ण एकता के फलस्वरूप देश के इतिहास में एक नया गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया। देश में एकता की लहर दौड़ गई और लोक अपने साम्प्रदायिक भेदभाव भूल गये। मजदूरों ने उदाहरणीय कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। श्री शास्त्री जी ऐसे समय देश से चले गये जब देश में पूर्ण एकता थी। अतः वर्तमान सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस एकता को न केवल बनाया रखा जाये अपितु इसको सुदृढ़ किया जाये। सरकार को कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिस से समाज के विभिन्न वर्गों की एकता नष्ट हो।

यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि देश में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का राष्ट्रपति के अभिभाषण में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। उनमें एक यह है कि गृह-कार्य मंत्री द्वारा पंजाबी सूबे के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया है। इस प्रश्न की जांच के लिये एक संसदीय समिति भी नियुक्त की गई है। वास्तविकता यह है कि लोग वर्तमान राज्यों से प्रसन्न नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने यह इच्छा प्रगट की है कि उन्हें हरियाणा के साथ मिलाया जाये। इसी प्रकार अन्य राज्यों के लोग भी अपने लिये पृथक् राज्यों की कामना कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन सिद्धांत रूप में स्वीकार किया हुआ है, तथापि सरकार सदा इस बारे में दबाव में आकर कार्यवाही करती रही है और जहां के लोग दबाव डालते हैं, उनके लिये राज्य बना दिया जाता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात का बनाया जाना इस बात के परिणाम हैं।

लोगों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण राज्यों की असमानता है। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से तीन गुने बड़े हैं। इस का परिणाम यह होता है कि एक अथवा दो राज्य केन्द्र में अधिक मत होने के कारण दूसरे छोटे राज्यों पर सदा शासन करते रहते हैं। यह असंतोष दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और यह भावना इस सभा में भी व्यक्त की गई है। पंजाबी सूबे का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। अतः यह आशा की जाती है कि जब इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होगी, तो सभा इस पर पूरी तरह विचार करेगी।

[डा० मा० श्री० अणे]

दूसरी महत्वपूर्ण घटना बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के बारे में है, जिस का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 4 तारीख को राष्ट्रपति जी ने दीक्षांत भाषण देना था, परन्तु 3 तारीख को वहां हुई गड़बड़ी के कारण दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया गया। वहां हुई गड़बड़ी को कुचलने के लिये बहुत ज्यादतियां की गई हैं। पुलिस ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में घुस कर अनेक अत्याचार किये हैं तथा इस प्रकार विश्वविद्यालय के स्वायत्त अधिकारों को कुचला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन घटनाओं की जांच करने के लिये एक न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय किया है। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने इन घटनाओं की जांच करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करना चाहिये था।

तीसरी बात मैं खाद्यान्न स्थिति के बारे में कहूंगा। राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इस का उल्लेख किया है। गत पन्द्रह वर्षों में यदि सरकार ने विदेशी सहायता से भारी उद्योग स्थापित करने की तुलना में खाद्य समस्या पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो वर्तमान स्थिति पैदा न हुई होती। वास्तव में इस समस्या पर जिस पर सारे राष्ट्र का जीवन आधारित है कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने बड़ी बड़ी योजनायें तो अवश्य बनाई और जिला परिषद् तथा पंचायतों आदि का गठन इसी उद्देश्य से किया गया, कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो और कृषकों को अधिक सुविधायें उपलब्ध की जा सकें, परन्तु इनका लाभ कुछ नहीं हुआ। पिछले वर्षों में हमारे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तो अवश्य हुई है, परन्तु यह वृद्धि इतनी नगण्य है कि केवल एक वर्ष की अकाल की स्थिति ने इसे बिलकुल प्रभावहीन कर दिया है। यद्यपि अस्थायी रूप से हमें विदेशों से तुरन्त सहायता की आवश्यकता है, तथापि अन्ततः हमें आत्मनिर्भर होना होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने खाद्य मंत्री के त्यागपत्र की मांग की है। परन्तु उससे हमें खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर खाद्यान्न स्थिति का सुधार करना चाहिये। खाद्यान्न के भण्डार और वितरण के संबंध में व्यावहारिक कदम तुरन्त उठाये जाने चाहियें। सरकार को बड़ी योजनाओं की अपेक्षा सिंचाई की छोटी योजनाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि इस से तुरन्त लाभ हो सके तथा खाद्य स्थिति में सुधार हो सके।

***श्री अच्युतन** (मावलिक्करा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये, मैं देश की खाद्य स्थिति और विशेषतः केरल की खाद्य स्थिति का उल्लेख करूंगा।

केरल हमारे देश का सब से छोटा राज्य है, परन्तु इसे अधिकतम समस्यों ओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्यायें केरल में स्वयं उत्पन्न नहीं हुई हैं, अपितु अन्य राज्य सरकारों और विशेषतः केन्द्रीय सरकार द्वारा खड़ी की गई हैं। केन्द्रीय सरकार केरल की सदा उपेक्षा करती रही है। इसका कारण संभवतः केरल के राजनैतिक ढांचे में निरन्तर परिवर्तनों का होते रहना है। केरल देश का सब से बड़ा डालर कमाने वाला राज्य है, परन्तु यह खेद की बात है कि इसे पर्याप्त खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। जब हम सारे देश के लाभ के लिये काली मिर्च, रबड़ तथा काजू आदि मल्यवान पदार्थों का उत्पादन करते हैं, तो केन्द्र तथा फालतू अन्न वाले राज्य को हमें अन्न देने से नहीं हिचकिचाना चाहिये। मुझे सभा को यह बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि केरल ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों को जन्म देता है जो समस्त राज्यों तथा केन्द्र का प्रशासन चलाने में बहुत महत्वपूर्ण योग देते ह। यदि केरल ऐसे व्यक्ति पैदा न करे, तो देश का प्रशासन चलाना असंभव हो जाये। अतः यह घोर अन्याय है कि उन व्यक्तियों को भूखा मारा जा रहा है। सरकार की यह पहली जिम्मेदारी है कि केरल के लोगों को पर्याप्त भोजन अथवा कपड़ा दिया जाये।

खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम केरल की स्थिति से पूर्णतः परिचित हैं। अतः वह इस बात को भी जानते हैं कि मद्रास को पानी देने के बारे में केरल ने कितना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। उन्हें यह मालूम है कि मद्रास में उगाये जाने वाले चावल के एक बड़े भाग के लिय केरल की नदियों और तलाबों से पानी

*मूल भाषण मलयालम में।

दिया जाता है। यदि केरल मद्रास के रामनद जिले को पानी न देता, तो आज यह हरा भरा क्षेत्र न होकर बंजर क्षेत्र होता। यह बड़े खेद की बात है कि खाद्य मंत्री का केरल और मद्रास के प्रति रवैया भिन्न भिन्न है। खाद्य संकट के कारण जब हमने खाद्य मंत्री से केरल को चावल भेजने को कहा तो उन्होंने चावल भेजने की बजाय मद्रास तथा केरल में चावल का आना जाना बन्द कर दिया। हमारे राज्य में अधिकांश कठिनाइयां दक्षिण क्षेत्र को समाप्त करने और इस के स्थान पर राज्य क्षेत्र बनाने के कारण हुई हैं। राज्य खाद्यान्न क्षेत्र तुरन्त समाप्त कर देने चाहियें और यदि इन क्षेत्रों की आवश्यकता समझी जाये तो आंध्र, मद्रास, मैसूर और केरल को मिलाकर एक दक्षिण क्षेत्र पुनः बनाया जाये।

अनुसूचित जातियों का सदस्य होने के नाते मैं सभा का ध्यान देश भर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करता हूं। यह बड़े खेद की बात है कि कानून द्वारा अपराध होने के बाद भी अस्पृश्यता देश के अधिकांश भागों में एक अथवा दूसरे रूप में विद्यमान है। ऐसा अपराध करने वालों के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही बिल्कुल अपर्याप्त दिखाई देती है। अपराधियों को दंड देने के जिम्मेवार कई सरकारी अधिकारियों की इस उद्देश्य के साथ बिल्कुल सहानुभूति नहीं है। जब तक ठीक दृष्टिकोण और समस्या को ठीक प्रकार से समझने वाले व्यक्ति इस काम पर नहीं लगाये जायेंगे, तो अस्पृश्यता का सारे देश से समाप्त करने में अनुमान से बहुत अधिक समय लगेगा। खेद की बात है कि सरकार सेवाओं और संविधान के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में दिये गये संरक्षणों को शीघ्र समाप्त करना चाहती है।

डा० अम्बेडकर ने राष्ट्र की जो महान सेवायें की हैं, सरकार ने उन्हें भुला दिया है। यह आश्चर्यजनक बात है कि संसद् भवन के सेंट्रल हाल में संविधान के इस निर्माता का कोई चित्र नहीं है। ब्रिटिश शासकों की मूर्त्तियों के स्थान पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को लगाने में डा० अम्बेडकर को सम्मानीय स्थान दिया जाना चाहिये। दिल्ली में जहां उन्होंने संविधान के निर्माण का महान कार्य किया, तथा जहां उन्होंने इस असार संसार को छोड़ा, हमें किसी सार्वजनिक मार्ग, बाजार अथवा सार्वजनिक भवन का नाम, उनके नाम पर रख कर उनकी याद सुरक्षित रखनी चाहिये।

देश में हो रहे हरिजन कल्याण कार्यों के बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। यह बड़े दुःख की बात है कि जो लोग हरिजनों की कठिनाईयों से परिचित नहीं होते उन को हरिजन कल्याण संबंधी कार्य सौंपा जाता है। अतः इससे हरिजनों का हित होने की बजाय अहित ही अधिक होता है। जो धन हरिजनों के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाता है, उसको सामान्यतः कुछ लोगों को रोजगार देने पर खर्च किया जाता है। इस से हरिजनों को अधिक लाभ नहीं होता है। हरिजनों के कल्याण के लिये समितियां भी नियुक्त की जाती हैं, और वे अपने प्रतिवेदन भी पेश करती हैं, परन्तु उनकी सिफारिशों को कभी क्रियान्वित नहीं किया जाता।

श्री नारायण गुरु एक महान समाज सुधारक हुये हैं परन्तु सरकार ने उनकी याद में कोई टिकट जारी नहीं किया। संसद् में तथा संसद् के बाहर भी कई दफा यह मांग की गई है कि श्री नारायण गुरु की याद में टिकट जारी किया जाना चाहिये। जब उन लोगों की याद में टिकटें जारी किये गये हैं, जिन्होंने राष्ट्र की एकता और मजबूती के लिये निश्चय ही श्री नारायण गुरु से कम सेवायें की हैं, तो इस का यह अर्थ है कि सरकार सुधारक की महान सेवाओं से अपरिचित है। वास्तव में श्री नारायण गुरु की सेवायें महान हैं, तथा ऐसे आदमी को इस प्रकार नहीं भुलाया जाना चाहिये।

इस समय जब कि विश्व के सभी भागों में परिवर्तन हो रहा है तो हमें राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिये एकता बनाने वाली सभी शक्तियों को इकट्ठा करके अपनी आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिये ताकि हम आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का मुकाबला कर सकें।

श्री पोट्टेकाट्ट : (टेलीचेरी) : यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपात को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में आपात को अब एक दिन भी और जारी रखने का औचित्य नहीं है, विशेषकर ताशकंद समझौते के बाद। इससे प्रजातंत्र का दम घुट रहा है।

[श्री पोट्टेकाट्ट]

भारतीय रक्षा नियमों के अन्तर्गत अधिकारीगण शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे भारतीय रक्षा नियमों को अपने मनमाने ढंग से लागू कर रहे ह तथा केरल में एक मिट्टी के तेल के व्यापारी को केवल इसलिये गिरफ्तार किया गया कि, संबंधित पुलिस अधिकारी अपने रिश्तेदार को लाइसेंस दिलाना चाहता था। भारत में संसदीय लोकतंत्र एक तमाशा बन गया है। जब केरल में खाद्य आन्दोलन हुआ था, तब श्री नम्बूदिरिपाद वहां नहीं थे, तो भी उन्हें विमान से उतरते ही त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया।

मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपात के बनाये रखने का क्या उद्देश्य है? क्या इस का उद्देश्य केवल यह है कि सत्ता को हमेशा के लिये सत्ताधारी दल के हाथ में रखा जाये देश की सीमाओं की रक्षा के लिये तो यह आवश्यक नहीं है कि लोगों को नागरिक स्वतंत्रता न दी जाये। इस प्रकार आपातकाल पर आश्रित रहना देश में संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना है। न्यायपालिका का कोई प्रभाव नहीं होगा और यह देश के लिये बहुत बुरा होगा।

अब मैं देश की गंभीरतम समस्या—खाद्य समस्या के बारे में करना चाहूंगा। स्वतंत्रता के 18 वर्ष बाद भी कांग्रेस सरकार लोगों को भरपेट भोजन देने की अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है। हर रोज 'समाजवादी समाज' 'भावात्मक एकता' तथा 'एक समय भोजन न खाओ' आदि के नये नये नारे लगाये जाते हैं। परन्तु इनसे तो लोगों का पेट नहीं भर सकता। जो राशन दिया जाता है, वह लोगों का पेट भरने के लिये अपर्याप्त है। मुझे डर है कि राशन की अपर्याप्त मात्रा का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा और वह एक कमजोर पीढ़ी होगी।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। इन योजनाओं के बावजूद हमारा उत्पादन इन वर्ष में लगभग उतना ही रहा है। इस समस्या को जिस प्रकार हल किया जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उसमें कोई त्रुटि है या हमारे खाद्य मंत्री को अनाज के लिये वाशिंगटन जाने की आदत पड़ गयी है।

केरल की एक सुज्ञात समस्या शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की है। इसे अधिक उद्योगीकरण द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। परन्तु इस मामले में भारत के इस राज्य के साथ अत्याधिक भेदभाव बरता जा रहा है। बिजली की कमी के कारण चालू उद्योग भी बन्द हो गये हैं। विदेशी मुद्रा के अर्जन में केरल का सबसे बड़ा हाथ है। केरल में उत्पादित रबड़, काली मिर्चे, काजू आदि मूल्यवान विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। परन्तु इस विदेशी मुद्रा का देश के अन्य भागों की औद्योगिक विस्तार के लिये उपयोग किया जाता है। कम से कम उस में से कुछ विदेशी मुद्रा केरल में उद्योगिकरण पर खर्च की जानी चाहिये।

विदेशी मुद्रा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि केरल और भी अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकता है। इसके लिये मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। यदि कुछ करोड़ रुपये लगाकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की एक व्यापक योजना क्रियान्वित की जाये तो केरल के तटवर्ती जल में इतनी मछली पकड़ी जा सकती है कि हम काफी संख्या में उनका निर्यात कर सकें। इससे विदेशी मुद्रा का और अधिक अर्जन होगा। इस का दूसरा लाभ यह होगा कि लोगों को खाद्यान्नों के स्थान पर अन्य प्रकार का भोजन मिल सकेगा। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की वर्तमान व्यवस्था में बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाना चाहिये।

केरल में हुये खाद्य सम्बन्धी आन्दोलन के फलस्वरूप निरुद्ध किये गये सभी विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों को तुरन्त रिहा किया जाना चाहिये। पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की जाये। यह बड़े चिन्ता की बात है कि पुलिस द्वारा की जाने वाली ज्यादतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में की गई पुलिस की ज्यादतियां किसी से छुपी हुई नहीं हैं। इस में न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों आदि भी पीटा है। यदि पुलिस द्वारा की जाने वाली

इन ज्यादतियों पर रोक नहीं लगाई गई, तो पुलिस को मनमानी ज्यादतियां करने का लाइसेंस मिल जायेगा। अतः मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि केरल में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच करायी जाय।

अन्त में मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि केरल के लोगों में केन्द्र के विरुद्ध दिन-प्रति दिन क्षोभ बढ़ता जा रहा है। राष्ट्र के भविष्य के लिये यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस के दूरगामी परिणाम होंगे। केरल के लोगों का जो क्षोभ है उसे अधिक समय तक नहीं रहने देना चाहिये। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी स्थिति पैदा न करे जिस से लोग केन्द्र की अवहेलना करके अपना भविष्य बनाने की बात सोचने लग जायें। इस से राष्ट्रीय एकता तथा संविधान और भारत संघ को हानि होगी।

श्री मलाईछामी (परियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का समर्थन करता हूं। वर्ष 1965–66 एक ऐसा वर्ष है जिसमें हमने दृढ़ संकल्प से कार्यवाही की, दृढ़ नीतियों का अनुसरण किया तथा कई चुनौतियां का सफलतापूर्वक सामना किया। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने थोड़े से समय के नेतृत्व में जो चिरस्मरणीय रहेगा, देश को एकता के सूत्र में बांध दिया और दृढ़ संकल्प होकर अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति की प्रेरणा दी। पाकिस्तान से सशस्त्र संघर्ष के समय शास्त्री जी को प्रेरणा एवं हमारी सेना के अपूर्व शौर्य के फलस्वरूप हमारे इतिहास में गौरव का एक नया अध्याय जोड़ा गया है। राष्ट्र ताशकंद समझौता कराने में रूस के महत्वपूर्ण सहयोग के लिये उसका आभारी है। ताशकंद समझौते की भावना बल प्रयोग न करने तथा सभी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की प्रेरणा देती है। यद्यपि ताशकंद समझौता हो गया है, तथापि हमारे देश के सामने गंभीर समस्यायें हैं, जिनका सफलतापूर्ण मुकाबला करना होगा।

आपात को खत्म करने के पक्ष में बहुत से भाषण दिये गये हैं। परन्तु देश को अभी चीन से खतरा बना हुआ है। हमारे देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियां धर्मनिरपेक्षतावाद को कमजोर बनाने के लिये ताशकंद समझौते का विरोध कर रही हैं। आपातकाल को जारी रखने के अतिरिक्त सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है। सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की तथा अन्य हिंसात्मक घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमारी नीति का मूल सिद्धान्त लोकतन्त्रात्मक समाजवाद है। लोगों की अपनी कठिनाइयां दूर करने के लिये सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने तथा हिंसात्मक कार्रवाइयाँ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अनेक अन्य तरीके हैं। परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि हिंसात्मक कार्यवाइयां उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। वर्तमान परिस्थितियां आपातकाल समाप्त करने के अनुकूल नहीं हैं। अतः सरकार के पास आपात को बनाये रखने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ने उल्लेखनीय प्रगति की है और शिक्षित लोगों की संख्या जो प्रथम योजना के प्रथम वर्ष में 40 प्रतिशत थी, अब बढ़ कर 80 प्रतिशत हो गई है। आशा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी और स्वतंत्र देश के नागरिकों के उत्तरदायित्वों को निभायेगी। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने अपने पूर्वाधिकारी की तरह अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों को यह आश्वासन दिया था कि अंग्रेजी का एक सहायक भाषा के रूप में तब तक प्रयोग होता रहेगा जब तक वे ऐसा चाहेंगे। देश की एकता बनाये रखने के लिये यह एक अनिवार्य बात है कि इस बारे में उत्पन्न हुई शंकाओं का निवारण किया जाये। त्रिभाषीय फार्मूला इस का सर्वोत्तम हल है। अंग्रेजी की एक सहायक सरकारी भाषा बनाने वाले विधान को पारित कर देना हमारी भावी पीढ़ी के बीच एकता बनाये रखने के लिये एक महत्व-पूर्ण कदम होगा। यह सर्वथा उचित है कि इस आश्वासन को विधि पुस्तक में स्थान दिया जाये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि वर्षा न होने के कारण हमारी कृषि उपज में कमी आई है। परन्तु सरकार अधिक वसूली करके वर्तमान संकट को टाल सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें और समय चाहिये।

श्री मलाईछामी : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अठहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं स्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 78वें प्रतिवेदन से, जो 23 फरवरी, 1966 का सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 78वें प्रतिवेदन से, जो 23 फरवरी, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. NATIONAL AND EMOTIONAL INTEGRATION

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : भारत एक बहुरंगी सुन्दर वस्त्र है तथा विभिन्न जातियां, संस्कृतियां एवं धर्म एकता के सूत्र में बंधे हुए इसके विभिन्न धागे हैं, जो इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। अनेकता में एकता ही ारत की विशेषता है और इस एकता को अभी तक बनाये रखना भारत के इतिहास का गौरवमय अध्याय है। यद्यपि भारत में बहुत भाषाएं, जातियां और धर्म हैं परन्तु इनका समन्वय सदा ऐसा रहा है कि राष्ट्रीय एकता की भावना सदा प्रखर रूप से विद्यमान रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है। भूतकाल में जितनी भी नई संस्कृतियां एवं नये धर्म भारतीय संस्कृति के संपर्क में आये वे सब इस महान संस्कृति में विलीन हो गये। देश की एकता के लिये सम्राट अशोक, स्वामी शंकराचार्य तथा बादशाह अकबर ने चिरस्मरणीय कार्य किये हैं। ब्रिटिश शासन के अधीन अंग्रेजी भाषा ने भी एकता बनाये रखने में सहयोग दिया है। अतः हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि शताब्दियों से चली आ रही इस एकता को कायम रखा जाये।

यह बड़े खेद की बात है कि देश की एकता को छिन्न भिन्न करने के लिये पृथक्करण की भावनायें फिर उभर रही हैं। हमें इनके कारणों को जांच करनी चाहिये तथा इन प्रवृत्तियों का बलपूर्वक दमन किया जाना चाहिये।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए।**
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

यदि हिन्दी को अपने आप प्रगति करने दिया जाये तो समय आने पर यह देश की राष्ट्रभाषा बन जायेगी, परन्तु यदि इसको बलपूर्वक लोगों पर थोपा गया तो यह पृथक् पृथक् होने का कारण बनेगी।

हमें देश के विभिन्न समस्याओं पर दल के हितों के आधार पर नहीं, अपितु सावधानी से विचार करना चाहिये। पंजाबी सूबे की मांग एक उचित मांग है। यदि सब भाषाओं के लोग भाषा के आधार पर अपने-अपने राज्य बनवा सकते हैं, तो पंजाबी बोलनेवाले लोगों को पंजाबी सूबा न देना एक

गलती होगी। यह बड़े खेद की बात है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दल के हितों की दृष्टि में रख कर विचार किया जाता है। पंजाबी सूबा बनाने में विलम्ब इसलिये किया जा रहा है कि आगामी आम चुनावों में सत्ताधारी दल को इससे राजनीतिक लाभ होगा। यह बड़ी गलत प्रवृत्ति है।

लोगों का विश्वास संसदीय लोकतंत्र से उठ रहा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि विरोधी पक्ष की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। कोरम की घंटी तो प्रायः बजती ही रही है। अच्छे और योग्य लोगों को सरकारी पदों का लालच देकर राजनीति के पथ से दूर कर दिया जाता है। 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के लिये आचार संहिता का निर्माण किया था। किसी भी राजनीतिक दल ने इस संहिता को स्वीकार नहीं किया। आप देख सकते हैं कि पदासीन दल किस प्रकार चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाता है। यदि गृह कार्य मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था है, परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है।

गोआ के प्रश्न को भी अभी हल नहीं किया गया है, यद्यपि वहां की जनता ने इस बारे में अपना निर्णय दे दिया है। खाद्यान्नों की क्षेत्रीय प्रणाली देश की प्रगति की राह में एक और बड़ी रुकावट है। पदासीन दल अंग्रेजों वाली नीति 'फट डालो और शासन करो' की नीति पर चल रहा है। इस शब्दों से मेरा निवेदन है कि मैं संकल्प की भावना का तो समर्थ कहू, परन्तु संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : प्रस्तुत संकल्प में आज की देश की परिस्थिति की झलक कम व्यक्त होती है परन्तु मुझे खेद है कि सरकारी बैंचे आज भी खाली पड़ी हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रश्न ऐसा है जिससे आज देश की महत्वपूर्ण समस्याओं का सम्बन्ध है। अतः यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। हमें देश में फैले हुए साम्प्रदायिकता के विष से देश को बचाना है। जातिवाद, सम्प्रदायवाद और भाषावाद से ऊपर उठ कर हमें देश का निर्माण करना है। राज्य सरकारों के मंत्रिमंडलों में इन बुराइयों के तत्व काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। इस स्थिति में मैं यह देख कर घबरा जाता हूं कि देश का भविष्य क्या होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में एक सम्प्रदाय के लोगों का ही राज्य नहीं होना चाहिये। जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, उन्हें लोगों को पदों पर नियुक्त करते हुये अपनी जाति और सम्प्रदाय का ही ध्यान नहीं रखना चाहिये। मैं एक ऐसे मुख्य मंत्री को जानता हूं जो यह चाहते थे कि उनके आस पास सभी ऐसे लोगों को ही नियुक्त किया जाये जो कि उनके इलाके के हों। यदि कोई उद्योग स्थापित किया जाना है तो उनके क्षेत्र में हो। यह स्थिति नहीं आनी चाहिये। राष्ट्रीय एकता समिति के प्रतिवेदन पर हमने काफी धन और श्रम खर्च किया है। उसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिये। शिक्षा, वाणिज्य, और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इस प्रतिवेदन को कार्यान्वित किया जाना चाहिये। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिये कि विभिन्न प्रदेशों के लोग एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास करें। हमारा देश बड़ा विशाल और व्यापक है। यहां 4800 लाख लोग बसते हैं। कई भाषाएं हैं, कई जातियां हैं और विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक लोग हैं। सभी वर्ग एक ही राष्ट्र के अंग हैं। उन्हें एक राष्ट्र में ठीक प्रकार से बांधना होगा। सरकार इस दिशा में कोई आशातीत प्रगति नहीं कर पाई है। इसे स्कूल, कालिज अथवा विश्वविद्यालय के स्तर पर किया जाना चाहिये।

एक राज्य इस देश में ऐसा है कि, जहां एक समुदाय के लोग एक तकनीकी कालिज में भर्ती नहीं हो सकते। उन्हें किसी व्यवसायिक संस्था में प्रवेश पाने का भी अधिकार नहीं। उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती। वहां बच्चे के पैदा होते ही उनकी मातायें यह प्रार्थना करने लगती हैं कि यह दिल्ली चला जाये। क्योंकि वहां उसको नौकरी मिल सकती है। यह अच्छा है कि वे दिल्ली आते हैं परन्तु बात कितनी बुरी है। मेरा आग्रह है कि अल्प संख्यकों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये समिति बनाई जानी चाहिये, जो भाषा के बारे में उनकी शिकायतों की जांच करे। जब तक यह नहीं किया जाता देश में एकता की स्थापना नहीं हो सकती है। मेरा कहना है कि यह बहुत ही उत्तम संकल्प है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : We should see the spirit of the resolution. The trouble is that we pass the resolutions, but our Government is very slow in implementing them. It is really very sad that our Government is gradually coming to the state where her words and deeds don't coincide. Long ago it was decided by the Congress party that only members of Lok Sabha will be included in the Cabinet. But that is not the postion now. Now even our Prime Minister is also member of the Rajya Sabha. We cannot hope now that party in power will bring the integration of the Country. It is losing even the integrity of their own rank and file.

Due to the weaknesses of the party, no problem of the Country is being solved. The problem of Hindi has not been solved. People of south are saying that they don't want Hindi. Goverment are also hesitating to do their work in Hindi. It was decided the Constitutent Assembly that Hindi will be introduced after 15 years. There are people who have began to think that Hindi should never be the official language of the Country. Government are not taking any action in this direction If you are not giving the place of English to Hindi then you should say so. It will be in the interest of the Country.

Redistribution of states is also taking place. This is not being done on the right lines. Government are doing every thing under pressure. We should adopt straight forward policy. Every where in the country party manipulations are going on. In the name of integration disintegration is fast increasing. If we are really in serious to eradicate evil of Castism and Communalism then practical steps are to be adopted in this connection. No body comes forward in order to break the Caste. People are facing extreme poverty and frustration.

There is a vast difference between the word and deed of the Government. We actually say what we dont believe. Practical has practically disappeared. Congress is also not that Congress which was before the independence of the Country. No body joins today any political party for the Service of the Country but for some political advantage.

श्री खाडीलकर (खेड) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। इसका संबंध देश की एकता से है। एक बात हमने देखी है कि वह यह कि जब देश पर आक्रमण हुआ तो सारा देश एक हो गया था और ये दलगत भावनायें प्राय: समाप्त हो गयी थी। सारा देश एक हो गया था। और यह बहुत ही सुन्दर चिन्ह था।

आज देश की दशा बहुत ही शोचनीय हो रही है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री महोदय ने विभिन्न राज्यों के बीच सीमा और जल के झगड़ों का हल करने के लिये उच्च शक्ति की न्यायिक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया था। अब भी सरकार को इस दिशा में जागरुक होकर इन सब झगड़ों को सुलझाने के लिय तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। समय पर की गयी कार्यवाही ही ठीक समझी जा सकती है। महाराष्ट्र और मैसूर का झगड़ा भी तुरन्त हल किया जाना चाहिय। ऐसा न हो कि स्थिति खराब हो जाये और इसके बाद सरकार को जनभावना के आगे झुकना पड़े। यह भी दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ राज्यों में लोकतन्त्र जाति वाद लोकतंत्र बन गया है। शायद कुछ समय के लिये एसा होना जरूरी ही था। मेरा निवेदन है कि इन सब मामलों का निपटारा करने के लिये एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाय ताकि सारे मामले तय हो जाय।

इसके अतिरिक्त एक और खतरनाक बात यह है कि राज्यों के नेता लोग यह महसूस करने लगे हैं कि राज्य अपने आप में अलग तौर पर एक आर्थिक एकक बनने वाले हैं। कल कुछ माननीय सदस्यों ने बिहार विधान सभा की कार्यवाही का उल्लेख किया था, जिसे राज्य के मुख्य मंत्री ने कहा था कि राज्य

के बारे में वह किसी के अधिकार को स्वीकार नहीं करते। यह बड़ी खतरनाक बात है। इससे न केवल आर्थिक एकता ही नष्ट होगी, बल्कि देश की राजनीतिक एकता भी संकट में पड़ जायेगी। इन मामलों में तुरन्त प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिये। आज, भावनात्मक एकता एक नारा बन गई है। उसके अतिरिक्त इस दिशा में कुछ रचनात्मक किया नहीं गया है। पृथकता की प्रवृत्ति देश में बढ़ रही है, आपसी झगड़े तीव्र होते जा रहे हैं। यदि इन सब का उपचार न किया तो केवल संकल्प स्वीकार कर लेने से रोग दूर नहीं हो सकेगा।

श्री बालकृष्णन् (कोइलपट्टी) : यह तो हमारी आकांक्षा है ही कि देश में भावात्मक एकता की स्थापना हो जाय। यदि हम इस देश में लोकतंत्रीय समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो हम सब से पहले जातिवाद से छुटकारा हासिल करना होगा। इस जातिवाद से ही सारे रोग पैदा हो रहे हैं। इसी से ही भाषावाद और प्रान्तीयता के रोगों का प्रसार होता है। अतः हमें जड़ को ही समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये। देश का यह दुर्भाग्य है कि यहां जातिवाद का प्रभाव बड़ा ही व्यापक और गहरा है। देश का कोई राजनीतिक दल इस धर्म और जातिवाद के प्रभाव से बचा हुआ नहीं है। चुनावों में भी यह जातिवाद का दौर दौरा खूब चलता है। इसी आधार पर ही धंधों और कार्यों का निर्णय होता है। व्यवसाय और धन्धों के इस ढांचे में कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि औद्योगिक स्थापनाओं में भी नियुक्तियों का आधार जातिवाद है। लाइसेंस देते समय सरकार को यह शर्त लगानी चाहिये कि उस पदों पर भर्ती केवल काम दिलाऊ दफ्तरों अथवा सरकार के श्रम विभाग के माध्यम से होनी चाहिये ताकि विभिन्न जातियों के लोगों को नौकरी के अवसर उपलब्ध हो सके। यह बात बड़ी स्पष्ट है कि जब तक विभिन्न जातियों को समाप्त नहीं किया जाता, अस्पृश्यता समाप्त नहीं होती। देश में न समाजवाद ही पनप सकता है और न राष्ट्रीय एकता की ही स्थापना हो सकती है।

Shri Bade (Khargone) : I welcome this resolution. In India we find unity in diversity. But this unity only comes to the fore at the time of war with any foreign power as we saw during our clash with Pakistan. But the fact is that unity is there in every walk of life throughout the length and breadth of the country. This unity and integrity is spoiled when politics comes in. This is quite clear that in this country politics is the root cause of all troubles. This is the only responsible factor for border and water disputes between the various states. We must try to change the heart. We must do away with Casteism and regionalism. Casteism dominates in the administration of the few states.

I am of the opinion that we should do propaganda for the spirit of integration. It should form the part of the school curricula. We should do our level best to foster the spirit in unity in diversity It is the diversity in our social fabric that is it stands in the way of our national integration.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : When the country is being divided and the basis of castt creed and language, it is very necessary to create the spirit of oneness. India was divided due to all these ills. The Communal organisations are responsible for the division of the country. Britain could rule over this country due to these discussions only. This communalism must come to an end. Casteism should be eradicated.

Yet we also stress this point that in order to claim eliminate these disputes on the basis of language, we should evolve a common national language. I support the resolution and urge upon the Government to implement soon.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I welcome this resolution. In order that the spirit of the resolution should be adequately implemented. I urge that my admendment should be accepted by the mover of the resolution. I am of the opinion that if English continues to occupy the pride of place in Government offices, courts and administration, we shall not be able to achieve this target of national integration. I don't say and never mean that the Hindi should be imposed upon the people against their will, the regional languages should also be given all possible encouragement one can express better in his or her mother tongue.

We talk of integration but deeds take us to disintegration. We must have uniform code for the whole of the country. The question of minority and majority must end. Intercaste and interprovincial marriages should be encouraged. I am of the opinion that Government is responsible for the disputes that we witness in the country in different states. Various States have border and water disputes which our Government are finding very difficult to solve. We should set up a machinery to examine these disputes. It should be our endeavour to give social justice to everybody.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Casteism is a great curse. It never existed in the ancient times. There is no mention of this institution in the Vedas. It came in the beginning of the downfall of the country. Approximately at the time of Ashok and Skandgupta, gradually this very system very badly divided the nation into so many water tight compartments. India began to be invaded by so many foreign elements. We could not put up any united resistence. With the increase of casteism came the rapid downfall of the nation.

In the modern times, it was Mahatma Gandhi who rose in revolt against casteism. He declared that if we have to proper like a nation casteism should go. He said even if we proclaim ourselves as Hindus then what is the significance and status of sub-castes. Why the caste Hindus lay so much stress on untouch ability. Caste Hindus and Harijans should inter-marry and try to live together as a nation. If in India condition today, any body thinks that being a Brahmin, be can accupy a superior status than he is living in a fool's paradise. I warn that if we allow this casteism to grow India will have to face her ruin. We should have to give up this casteism. whoever has a faith in Rama and Krishna should be considered as a part and parcel of the Hindu society as a whole. The entire Hindu society should be taken as one organism .

Let me also state that his malady has also crept into the Muslims. Muslims came into India with a slogan of one nation but now they are also divided into so many castes. The caste narrowism has also come to stay in them, it was due to this also that English people got an opportunity to come into India, they could not face the English due to their internal division. I am of the opinion that if we intend to preserve the unity and integrity of our motherland we must do away with caste and sub-castes.

श्री मुहमद कोया (कोज़ीकोड) : मैं साम्प्रदायिकता के विरुद्ध हूं । परन्तु मैं नहीं कह सकता कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुत कर्ता तथा अन्य मित्रों द्वारा 'साम्प्रदायिकता' शब्द का जिसको राजनीतिज्ञों का एक वर्ग बहुत प्रयोग में ला रहा है क्या मतलब समझा जा रहा है । जहां तक मैं समझता हूं साम्प्रदायिकता का मतलब उस दृष्टिकोण से है जिसके अन्तर्गत एक दल दूसरे दल पर जो कि छोटा है अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है । परन्तु मैं देखता

हूं कि राजनीतिज्ञों का एक वर्ग मुसलमानों पर भी साम्प्रदायिकता का आरोप लगा रहा है। वास्तव में बात यह है कि मुसलमान उस साम्प्रदायिकता का शिकार ह जो राजनीतिज्ञों के इस वग द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है।

भारत में मुसलमान एक भिन्न धर्म तथा संस्कृति के अनुयायी होने का कारण अल्प संख्यकों में आते हैं। भारतीय संविधान उनके में अधिकारों का संरक्षण है। अपने मूल अधिकारों के प्रयोग करते समय मुसलमान भी दूसरी जातियों की तरह सम्मान का व्यवहार चाहते हैं। वास्तव में इस बराबरी के सम्मान का यह मतलब है कि उनको उनकी संख्या के अनुसार सुविधायें भी प्राप्त हों। देश के विकास तथा जनता की प्रगति और सम्बन्धित लोगों के संतोष के लिये बराबरी का व्यवहार अत्यवश्यक है। यदि लोग एसे व्यवहार के लिये मांग करे तो वह एक टीक और संभाविक मांग है और उस साम्प्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। परन्तु जब अल्पसंख्यक इन अधिकारों की मांग करते हैं तो राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ के कारण ग़लत प्रचार शुरू कर देते हैं और लोगों के दिलों में असहिष्णुता और दूर्भावना उत्पन्न कर देते हैं। अतः मैंने संशोधन दिया है वह इसी से सम्बन्धित है। मैं चाहता हूं कि असहिष्णुता को देश से मिटा दिया जाये। प्रायः सब ही देशों में धर्म, जाति, भाषा इत्यादि की बिना पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होते हैं। जब तक अन्तःकरण और विचार-स्वातंत्र्य है, अल्प-संख्य और बहुसंख्यक वग भी रहेंगे।

श्री मथिया (तिरुनेलवेली) : जो संकल्प सभा के समक्ष है उसपर में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस समय राष्ट्रीय एकीकरण अत्यावश्यक है क्यूंकि देश के अन्दर साम्यवादियों से खतरा है और बाहर से चीन की तरफ से बराबर खतरा बना हुआ है। चीन का भय न केवल भारत को है बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया तथा सारे विश्व को हो गया है। चीन लड़ाई तथा तोड़-फोड़ की कायवाहियों में विश्वास रखता है और दक्षिण-पूर्व एशिया में वह एसी कार्यवाहियां कर रहा है। अतः इस समय एकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। वास्तविक एकीकरण भावात्मक एकता में नहीं बल्कि सारे देश का हर पहलू से उत्थान किये जाने में होगी।

भारत विश्व का सब से बड़ा लोकतन्त्र है। यहां हर प्रौढ़ व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। अतः हर व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वह अपने मत का देश के हित में सदुपयोग कर सके हर प्रकार के अल्पसंख्यकों का हर प्रकार से संरक्षण होना चाहिये और उन के हितों की सरकार को देख-रेख करनी चाहिये।

समाज में अभी ऊंच-नीच की भावना बनी हुई है। करोड़ों लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। देश में और विशेष रूप से ग्रामों में छूआ-छुत अभी मौजूद है। संविधान में रोक होने पर तथा कानून बनने के बाद भी अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई है। सरकार को अस्पृश्यता के शाप को शीघ्र दूर करना चाहिये। वास्तविक एकीकरण के लिये लोगों का मिलना जुलना तथा खान पान और अन्तरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना चाहिये।

आर्थिक क्षेत्र में ग़रीब और अमीर के बीच बहुत अधिक अन्तर है। सरकार को इस अन्तर को दूर करने की शीघ्र कोशिश करनी चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्रों में भी उत्थान बहुत आवश्यक है। जहालत को मिटाना चाहिये सबको विशेष रूपसे अनुसूचित जातियों व आदि-जातियों को पूर्ण और निःशुल्क शिक्षा मिलने का प्रबन्ध-होना चाहिये। स्कूल में पढ़ाई शुरु होने से पूर्व बच्चों को मिल कर राष्ट्रीय गान गाने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। वास्तविक एकीकरण के लिये जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद इत्यादि को समाप्त करना चाहिये। सरकार को अपनी धर्म निर्पेक्षता की नीति पर अटल रहना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि राज्यों के बीच कोई भेद न करे और इस प्रकार आवश्यक वस्तुयें सब को समान रूप से मिलनी चाहिये।

Shri A. N. Vidyalankar (Hoshiarpur) : I fully endorse the views expressed by Shri Madhu Limaye that English language is the greatest disintegrating factor in our country. The 2% educated ruling class and the ordinary public are divided on account of this factor.

The continuance of communal organisations after 18 years of independence is a threat to the unity of the country. The Jana Sangha is one of such organisations and it aims at establishing a Hindu nation in India. This organisation should be banned.

The present system of education is a great handicap in the way of emotional integration of the country. The lessons of history which are being taught in schools are faced on the ooks which were written or got written by the English. They contain a distorted version. Even after 18 years of independence no changes in the history text books been made.

Next our economy is also quite a substantial contributory factor to national integration but there are a number of economic disparities in our country. Government should look to this material base of national unity because unless we have a society in which there are no economic disparities, national integration will ever be threatened.

Our government should take solid steps in connection with these matters though the mover of the resolution has not recommended for any solid steps being taken. The matter is of a genuine importance and seriousness.

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : मैं समझता हूं कि श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यहि वह अपने दल में प्रमुख व्यक्तियों को इस बारे में बताते तो अधिक लाभ की आशा की जा सकती थी। अभी हाल के जैपुर के अधिवेशन से यह सिद्ध हो गया है कि सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय एकीकरण नहीं बल्कि अपनी सत्ता को किसी न किसी प्रकार कायम रखना चाहती है। वहां खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने के लिय कोई प्रस्ताव क्यों नहीं पास किया गया था ? सरकार खाद्य क्षेत्रों को इस लिये नहीं समाप्त करती कि उसकी सत्ता छिन जायगी। अत: सरकार को मद्रास व आंध्र प्रदेश को नाराज़ न करने का ज्यादा ख्याल है, केरल में भुखमरी का ध्यान नहीं है। सरकार को डर है कि मद्रास व आंध्रप्रदेश को खाद्य क्षेत्रों के समाप्त करने से नाराज़ करन पर उसे सत्ता से हटा दिया जायगा।

अभी गोआ में एक ही आम चुनाव हुआ है। वहां लोग महाराष्ट्र में गोआ का विलयन चाहते हैं परन्तु सरकार तैयार नहीं क्योंकि मैसूर राज्य नाराज़ हो जायेगा और चुनाव के समय कांग्रेस को पराज्य होगी। श्री कामराज को नुकसान होगा। सरकार को इस समय दल के हितों की अपेक्षा देश के हितों को देखने की परम आवश्यकता है। अभी हाल के प्रधान मंत्री के चुनाव से यह बात अच्छी तरह विदित हो गई कि सरकार एकीकरण के लिय कोई सच्चा कदम नहीं उठा सकती ; मंत्री मण्डल में इस समय कितनी फूट चल रही है।

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : हमारे देश में जो वर्तमान बुराइयां हैं उनको दूर करने का दायित्व सब दलों और जनता के सब वर्गों पर है नकि कियें एक दल पर। दूसरों के ऊपर सारी त्रुटियों को थोकना ठीक नहीं। हम सब को ही यह देखना है कि हमारे यत्न देश के हितों के अनुकूल हों।

संविधान के अनुसार हमारे कुछ दायित्व भी हैं। हमें उनको निबाहना चाहिये। एकीकरण के सम्बन्ध में जो समितियां बनी हैं उन के सुझावों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समितियों में सुझाव था कि इस सम्बन्ध में हमारा कार्य शैक्षणिक प्रणाली द्वारा प्रारम्भ होना चाहिये। यदि हम शिक्षा को एसा मोड़ दें कि सब लोग यह समझने लगे कि वे एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं और उनके हित और लक्ष्य एक ही हैं तो देश एकीकरण की दिशा में अग्रसर हो सकता है। हमें अपने चरित्र का निर्माण इस प्रकार करना चाहिये कि हम दूसरे हितों की अपेक्षा अपने देश के हितों को प्राथमिकता दें। मैं यह मानता हूं कि लोग अपने धर्म, भाषा और अन्य भिन्नताओं को नहीं त्याग सकते परन्तु हमे इन को आवश्यकता से अधिक महत्व दे कर देश के हितों से विमुख नहीं होना चाहिये। अतः सर्वप्रथम हमें शिक्षा में सुधारता कर एकीकरण के लिये कदम उठाना चाहिये। इस के पश्चात् दूसरे क्षेत्रों में भी विषमतायें दूर की जा सकेगी और हम सब महसूस करने लगेंगे कि हम एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री सिद्धेश्वर प्रसाद का उनके इस प्रस्ताव के लिये बड़ा आभारी हूं। हम सब ही अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण की आज कितनी आवश्यकता है।

सदन को पता हो गया कि सर्वप्रथम भावनगर में कांग्रेस के अधिवेशन के समय एकीकरण का प्रश्न उठा था और एक समिति एकीकरण के निर्माण के लिये सुझाव देने तथा साधन तलाश करने के विचार स बताई गई थी। संविधान के निर्माताओं ने भी एसे उपबन्ध रखे हैं जिन से देश में एकीकरण तथा मेल-जोंल की भावना को बढ़ावा मिले और एक राष्ट्र का निर्माण हो। इन उपबन्धों में जो सब से महत्वपूर्ण उपबन्ध देश से अस्पृश्यता को मिटाने के बारे में है। इसी ध्येय से पूरे देश के लिय एक राजभाषा तथा चौदह राष्ट्र-भाषाओं की व्यवस्था रखी गई है। अतः प्रारम्भ से ही इस राष्ट्र के नेता एकीकरण को ध्यान में रखते हुय कार्य करते रहे हैं। अभी भी जो राष्ट्रीय एकता हम देखते हैं और लोग विपत्ती के समय एक होकर उसका सामना करते हैं वह हमारे नेताओं के यत्नों का ही फल है। सरकार ने जो कार्यवाहियां इस सम्बन्ध में की हैं। जून 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि अक्तूबर 1961 में हरक्षेत्र के मुख्य मुख्य व्यक्तियों का सम्मेलन इस प्रश्न पर विचार करने के लिये बुलाया जाय। यह सम्मेलन स्वर्गीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुआ था और उस में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे। इन निर्णयों के अन्तर्गत दो समितियां बनाई गई थी : एक साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में और दूसरी राष्ट्रीय एकीकरण तथा प्रान्तीयता के सम्बन्ध में। इन दोनों समितियों ने कार्य किया। एकीकरण से सम्बद्ध समिति ने कोई विशेष सिफारिशें नही की क्योंकि एक वर्ष पश्चात् ही चीन का आक्रमण हुआ और उस समय जनता ने स्वयं ही बड़ी एकता का परिचय दिया था। दूसरी समिति ने जो सिफारिशें की थीं उनके अन्तर्गत दूसरी बातों के अतिरिक्त संविधान 19 में संशोधन करने का सुझाव था। अतः संविधान में सोलहवें संशोधन द्वारा इन सिफारिशों को अमल में लाया गया है। भाषा के सम्बन्ध में जो शिफारिशें की गई थीं उन पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया गया था क्योंकि भाषा का ऐसा नाजुक प्रश्न है कि यदि इस को ठीक से न निपटाया जाय तो एकीकरण के स्थान पर उसका विपरित परिणाम निकल सकता है। अतः सरकार ने 1963 में राजभाषा विधेयक को समिति की अंग्रज़ी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में दी गई शिफारिशों पर बड़ी गम्भीरता से गौर करने के बाद पास किया था। इसके पश्चात् जब भी भाषा के सम्बन्ध में कोई समस्या खड़ी हुई है तो राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन द्वारा बनाये सूत्र से बड़ी सहायता मिली है। कुछ समय उपरान्त राजनीतिक दलों के लिये एक आचार संहिता भी बनाई

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

गई थी जो कुछ दलों ने अपनाई थी। केवल कांग्रस दल ही एक ऐसा दल है जो इस संहिता के सारे नियमों का पालन कर रही है।

समाचार-पत्रों के लिये जिस आचार संहिता के लिये सिफारिश की गई थी उसको अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन ने अपना लिया था। आपात के दौरान तथा आक्रमण के समय समाचार-पत्रों का रवैया बहुत ही सराहनीय रहा है।

कुछ तकनीकी संस्थाओं में स्थानीय विद्यार्थियों को बाहर के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक प्रवेश दिया जा रहा था। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं में योग्यता के आधार पर न कि स्थानीय अधिवास के आधार पर प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था कर के शैक्षणिक प्रक्रिया द्वारा एकीकरण के लिये कदम उठाया है।

पहले अखिल भारतीय सेवायें कुछ सीमित क्षेत्रों से ही सम्बधित थीं। अब कुछ नई अखिल भारतीय सेवायें बना कर सरकार ने प्रशासन के क्षेत्र में भी कदम उठाय हैं। अखिल भारतीय बन सेवा, अखिल भारतीय इन्जीनियरी सेवा, भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा, भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शैक्षणिक सेवा इत्यादि बना कर सरकार ने एकीकरण की प्रवृत्तियों को और भी बढावा दिया है। परन्तु अभी बहुत कछ करना शेष है। सरकार इस समस्या के प्रति जागरुक है और यह कहना उचित नहीं है कि सरकार इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही कर रही है वह दल के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर कर रही है। माननीय सदस्यों की आलोचना गलत है और शायद पूरी जानकारी के अभाव में की गई है। परन्तु मैं सब माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि व राष्ट्रीय एकीकरण को अपने दल के हितों की अपेक्षा अधिक महत्व दें।

Shri Sideshwar Prasad (Nalanda) : In regard to the reply given by Hon. Deputy Minister, Shri V.C. Sukhla, I would like to have a few clarifications. The Government should clarify whether or not they have realised that during the last twenty years the forces of communalism, castism, regionalism and narrow linguism have gained further ground and if these forces are on the increase what objection Governments have in appointing a Commission to go into the whole question?

If Government agrees with the spirit of the resolution, it should have no hesitation in accepting the resolution. The resolution, if accepted, will strengthen the hands of Government.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : सरकार संकल्प को भावना से पूणत: सहमत है तथा यह संकल्प सरकार की नीतियों के अनुकल है। इस लिये इस तरह के संकल्प को पुन: पारित करना आवश्यक नहीं है। यदि प्रस्तावक महोदय इसे सभा के सामने रखना चाहते है, और यदि वह इसे वापस नहीं लेंगे तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : इस पर कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। मैं श्री प्र० रं० चक्रवर्ती का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 पहले मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ। / *Substitute motion No. 1 was put and negatived.*

सभापति महोदय : अब मैं श्री यशपाल सिंह का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा गया। तथा अस्वीकृत हुआ । / *Substitute motion No. 2 was put and negatived.*

सभापति महोदय : मैं श्री बालकृष्णन् का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ । / *Substitute motion No. 3 was put and negatived.*

सभापति महोदय द्वारा श्री मधु लिमये का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा गया । लोकसभा में मत विभाजन हुआ । *Substitute Motion No. 5 was put The Lok Sabha divided.* पक्ष में 4; विपक्ष में 53/ Ayes 4; Noes 53

प्रस्ताव अस्विकृत हुआ । /*The motion was negatived.*

श्री पे० मुथिया का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 सभा की अनुमति द्वारा वापस लिया गया । / *Substitute Motion No. 6 was byleave withdrawn.*

संशोधन संख्या 4 सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ । / *Amendment No. 4 was put and negatived.*

सभापति महोदय : अब मैं संकल्प सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि भारत में राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से एकता नष्ट करने वाले सभी तत्वों, अर्थात् साम्प्रदायिकता, जातिवाद, प्रदेशवाद, संकीर्ण भाषावाद आदि के उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम उठाय जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । *The Motion was adopted.*

प्रशासनिक सुधारों के बारे में संकल्प

RESOLUTIONS RE:ADMINISTRATIVE REFORMS

Shri Bibhuti Misra (Motihari) : Sir, I move that : "This house is of the opinion that with a view to bring Socialism in the country forth with and to execute the Five Year Plan successfully, Government shou d bring about radical changes in its administrative set up without the least delay."

My resolution is most important and more so at the present juncture. It is regrettable that we have not been able to achieve success in our development works to the extent we anticipated even after 18 years of our freedom. We are facing difficulties and problems in every walk of life. The main reason for our failure is that our administrative machinery continues to be the same, as we had during the British days'.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं श्री मिश्रा के प्रस्ताव की भावना से पूर्णत: सहमत हूं । परन्तु जैसा कि आपको विदित है प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त किया जा चुका है । अत: इस प्रस्ताव को अगले सत्र तक स्थगित कर दिया जाये, क्योंकि इस पर चर्चा करने से प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य प्रस्ताव पेश कर चुके हैं और उन्होंने अपना भाषण भी आरम्भ कर दिया है। उन का भाषण समाप्त होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Bibhuti Misra: The whole set up of high ranking officers belonging to I.C.S. and other services, who always opposed independence of the country and who always favou ed the continuance of British rule in India, because it served their self interest, have been retained in Government, in fulfilment of the cond t ons of the British before they left India. These cfficers are not only hold ng key position in the administrative set up, but they are virtually running the whole administration. Naturally as conditions have totally changed now, these officers do not fit in the present set up that we need for the country after independence and the result is that the administration has been run in an inefficient, improper and ineffective manner. If we want to increase our production in factories and farms, if we want to implement our plans and development schemes, then there is no alternative, but to change the present set up of our administrations, because there literary I.C.S. Officers are incapate of executing the work which country needs to days.

It is no secret how Russia achieved tremendous success within few years after its independence. They acquired so much strength, that they defeated even Hitler. But what was the main reasons of their achievements? I will quote a few lines in this connection from Lenin's Book "State and Revolution which reads : "After the revolution the state machinery should be smashed".

The meaning is that the new administrative apparatus for the execution of new goods and new society is needed.

The old civil service's out look and attitude is not helpful. They lack initiative and no responsibility is fixed.

Ideologically they are hostile to the goal of socialistic society. They come from upper classes and upper castes. Their main aim is to eat, drink and be merry.

As a result of the continuance of the out moded administrative machinery the development of the country had got a great set back. Though three plan have been formulated and at present we are nearing completion of third plan nothing concrete has been achieved, because the implementation of these plans is in the hands of unsympathetic and ease-loving bureaucrats. It is most astonishing to note that even 18 years after our independence, we are unable even the basic necessities to our people such as education, houses, medical aid and even adequate food. We had lagged behind even in agricultural production. Education has become the monopoly of I.C.S. Officers, big business landlords and leaders of the political parties. It is quite beyond the reach of common man to give proper education to their children.

The country had to face two invasions in the last few years. We suffered humiliation at the hands of the Chinese; so far as Pakistani attack was concerned our success was not to the extent it should have been. We are a nation of 45 crores, whereas Pakistan has only 10 crore people. During the last armed conflict with Pakistan, we captured their 700 square miles, where as they captured 192 square miles of our territory. Keeping in view the difference in our population and their population, our success would have been, when we would have been able to capture their larger territory and they would not have been able to conquer even an inch of our land. So this shows that the success is not to the extent, it should have been. All this indicates that there is something lacking in our

machinery. With old and out moded officers such a situation was bound to arise. What should have been done was to have allowed the common people with a changed outlook and with new vigour and zeal, to come forward, as they had done in Russia, which had made tremendous progress.

A point of order has been raised by an Hon. Member that as the Administrative Reforms Commission has already been appointed, my resolution might be postponed for the next session. In this connection I would like to point out that it is out of jurisdiction for the Administrative Reforms Commission to enquire into the working of the P. & T. Department, Defence and External Affairs, where as my resolution covers the whole administrative set up of the country. It has been a practice with us during the last 18 years that we are appointing Commission after Commission and report after report are submitted to us, but no effective step is taken in the right direct. We had a Committee headed by Shri Menon, then we had a Committee headed by Shri T. T. Krishnamachari and then we invited Mr. Appleby from foreign country to furnish a report to us. We had all the reports, but no useful purpose has so far been served by these reports. The need of the hour is that our whole administrative set up should be changed. The Commissions are set up in an unique way. In the terms of reference it has been given that the working of the External Affairs Ministry will not be enquired into by Desai Commission, whereas I have personal knowledge that huge sums of money are being wasted by the External affairs Ministry. So we require a redical change in our whole administrative set up. Red-tapism in administration should go and jobs should be done in the quickest possible time. Our whole structure should be action oriented. The entire machinery and procedure should be simplified. It should also be seen that a particular work should be done by the people, who are in that very trade. For instance in our schemes for development of villages, the staff responsible for the execution of these schemes should be drawn from villages. The present Government is being run by ex-rulers, capitalists, pleaders and doctors etc; *i. e.* by the upper classes of the society, but unless we give a proper place to our lower classes in Government nothing substantial can be achieved, because those who belong to higher society have no sympathy for the lower society whatsoever.

In order to ensure better working of our Government departments, I would suggest that proper training should be given to the officers, so that they may perform their duties more efficiently and in a better way. The administrative set up should be rationalised and the procedure should be simplified.

Regarding recruitment in Government service, I would like to say that I have full respect for the Public Service Commissions. But the fact is that only persons from the highest class are taken as Members of the Public Service Commission. No doubt we cannot approach them for recommendation, but there is every likelihood that persons belonging to their class may have an easy approach to them, because they are at liberty either to visit their office or residence. So I would suggest that the whole set should be organised in such a way that there is no room for nepotism.

It should also be ensured that all sections of the society are equally benefited by the U.P.S.C. examination. At present persons belonging from higher classes are being benefited by U.P.S.C. examinations. Promotions should be granted on merit alone.

Another suggestion that I would give regarding U.P.S.C. examinations is that English should be discontinued as a medium and all regional languages should become the media of examinations. It is wrong to think that persons knowing English are more competent than those who do not know English. Our past experience of 18 years shows, that our administration had been in the hand of English

[Shri Bibhuti Misra]

knowing officers and even then we have met failure at every front. We have failed at food front, education front, Socialism front and Agricultural front. So the notion that only English knowing persons can run the administration is quite and a change over regional languages is also absolutely necessary.

खाद्य क्षेत्रों के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE. FOOD ZONES

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Food situation is bad due to the lack of efficient distribution machinery. When the adjournment motion on Kerala was being discussed, I warned the Food Minister that if the steps to improve the situation are not taken, this thing will spread in other parts of the country. Today also the situation continues to deteriorate. It was stated at the Congress session at Jaipur that Zonal system should go. All the political parties of the Country are for this. But I don't know why they are not abolished.

I am of the opinion that as a result of the continuance of food zones there was considerable difference in the prices of food grains prevailing in the different states. For example, in Punjab wheat is being sold at Rs. 56 per quintal while in U.P., the same wheat cost Rs. 90 per quintal and in Maharashtra, Rs. 150 per quintal. Same is the state as far as rice is concerned. It is available at Rs. 80 per quintal in Andhra but available in Kerala at Rs. 200 per quintal.

In the Punjab, lakhs of maunds of food grains are blocked due to restrictions on movement. On the one hand people in foreign countries are collecting money and food grains to help India, on the other in our own country, huge quantities of wheat and gram allowed to rot. In Rajasthan and Madhya Pradesh, huge stocks of gram are lying blocked while in the neighbouring states, it is being sold at a very high price. All this is due to the unhealthy practice of State Governments indulging in profiteering. If a trader is caught doing profiteering he is arrested under D.I.R., but if a State Government does the same, the Central Government refuse to take the notice even. It is being observed that this tendency to profiteer is creating a very narrow mentality in the State Governments.

Same thing is there in Uttar Pradesh. There are restrictions even on the inter district movement of food grains. This is a strange socialism where people might die of starvation. But food grains will not be allowed to move from surplus areas to deficit zones. The situation has become very deplorable.

The bad effect of this zonal system is that there are different rates at different places in the same country. Due to this grain worth crores are being spoiled. And this is the situation when the new crop is about to come. On the one hand we are begging from the other countries, on the other we are soiling our own stocks, due to this wrong policy of zones. This is also creating narrow consideration at the State Government level. The neighbouring States have failed to look to the needs of each other. First of all the traders used to hoard, now the farmers are hoarding. This is also encouraging corruption and black marketing.

The zones have effected the prices of food grains even in Delhi. Therefore I urge upon the Government that they should pay attention to the demand of the people and do away with the zonal system.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : I am quite confident that the Food Minister will pay attention to the public demand. He is a man of democratic spirit.

श्री रंगा : माननीय मंत्री को पट्टी क्षेत्र का तो पता होगा। यहां के रहने वाले लोगों को स्थानीय पुलिस और स्थानीय राजस्व अधिकारी तंग कर रहे हैं।

[**श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए।**
SHRI P. K. DEO *in the chair*]

मैं चाहता हूं कि सरकार इस पद्धति को समाप्त करे। इससे लोग भी परेशान हो रहे हैं और तस्करी भी बढ़ती जा रही है। यह पट्टी वाला क्षेत्र दस मील का है। इसमें नगर भी आते हैं और गांव भी। मुझे आशा है कि सरकार इस क्षेत्रीय पद्धति को शीघ्र ही समाप्त करेगी।

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : कृषि मूल्य आयोग की बैठकों में उन सारी कठिनाइयों को प्रस्तुत किया गया था, जो कि एक क्षेत्र बना देने से सामने आयेगी। क्या वहां विमती टिप्पण में जो बातें कही गयी थी, वे ठीक सिद्ध नहीं हो रही ?.....(**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Tulsi Das Jadhav (Nanded) : I want to know why Central Government do not try to have equitable distribution in all the provinces.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं इस व्यापक भावना से परिचित हूं कि लोग क्षेत्रीय पद्धति को समाप्त करने के पक्ष में है। सदन के माननीय सदस्य और बाहर लोग इस मामले का पूरा परीक्षण करना चाहते है। मेरा निवेदन यह है कि सब से पहले तो यह देखना है कि खाद्य समस्या नाम की समस्या कोई देश में है ? और क्या देश में इतना खाद्यान्न है कि सारे देश के लिए काफी हो ? क्या हम घाटे की अर्थव्यवस्था में चल रहे हैं ? कुछ लोग तो यह भी कहते है कि देश में कोई खाद्य समस्या ही नहीं है और आज जो दोष हमें देखने को मिल रहे हैं इसका सारा कारण क्षेत्रीय पद्धति है। मेरा निवेदन यह है कि यदि हम गत पांच वर्षों के आकड़ों को देखे तो हमें पता चलेगा कि उत्पादन काफी नहीं है। इसके साथ ही हमारी जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। हर साल 120 लाख लोगों की वृद्धि हो जाती है। गत 5 वर्षों में 6 करोड़ आबादी बढ़ गयी है। उसके मुकाबले में उत्पादन शून्य है। यह बात गलत है कि आबादी के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ा है। अतः मेरा निवेदन है कि इस दिशा में हमारी स्थिति घाटे की अर्थव्यवस्था की है।

जहां तक घाटे की अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है कि इस का प्रबन्ध करने के लिए हमारे पास चार पांच तरीके है। पहला तरीका यह है कि देश में अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की छूट हो, जिससे बाजार में हालात खराब न हों, और स्थिति मांग और पूर्ती के मुताबिक ही बनी रहे। दूसरा तरीका यह है कि हम उत्पादकों से उनका सारा स्टाक ले ले और फिर उसका मुनासिब वितरण करे। मगर आज कल जो हालात चल रहे हैं उसके अनुसार दोनों में से कोई एक तरीका भी नहीं अपनाया जा सकता। खुले व्यापार के बारे में हमारा अनुभव यह है कि उत्पादकों को फसल के शीघ्र ही बाद कई बातों के कारण अपना अनाज बेचने के लिए बाध्य किया जाता रहा है। इस तरह कीमतों को निर्धारित करने तथा उन्हें बनाये रखने के बारे में जो काम करना होता है वह उत्पादक के स्थान पर व्यापारी करता है। और इस तरह एक प्रकार का कृत्रिम अभाव सा दिखाई देने लग जाता है। व्यापारी इससे लाभ उठाता है, परन्तु आम लोगों को

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

इससे बहुत हानि और परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त यह भी कठिनाई है कि प्रत्येक उत्पादक से पूरी वसूली कर पाना भी सम्भव नहीं। यदि ऐसा करना हो तो इस बात का पूरा पता लगाना होगा कि हरेक उत्पादक के पास किस मात्रा में अनाज है। ऐसा करने की भी अपनी उलझने ह, जिन पर विचार करना होगा।

एक ढंग यह भी है कि हरेक क्षेत्र की उत्पादन क्षमता तथा उपभोग के तरीके के अनुसार हर बड़े उत्पादन से आनज की वसूली कर ली जाय। किसी के पास भी फालतू अनाज न रहने दिया जाय। इस तरह सरकार कुछ मात्रा में अनाज इकट्ठा कर सकती है। नगर क्षेत्रों को अलग करके बाकी देश में खुले व्यापार की अनुमति दे सकती है। नगर क्षत्रों में सरकार द्वारा नियन्त्रित वितरण की व्यवस्था की जा सकती है। उपनगरों और देहातों में सस्ते मूल्य की दूकानें खोली जा सकती हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि लगान में काफी सुधार हुआ है। इसका सारे देश में विस्तार करने और यह जानने के लिए कि प्रत्येक गांव में कौन सब से अधिक अनाज पैदा करता है हमें, उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जहां फालतू अनाज पैदा होता है। फालतू अनाज के 52 जिले हैं। उन सब पर ध्यान दिया जा सकता है, उन जिलों से हम कुछ अनाज प्राप्त कर सकते है। और यहां अपेक्षा हो नियन्त्रित वितरण कर सकते हैं। नगरों को अलग कर सकता हूं, उचित मूल्य की दूकान तथा अनौपचारिक राशन कर सकते हैं इसके अतिरिक्त एक तरीका यह भी है कि हम ये खाद्य क्षेत्रों को बनाये रखें। उनमें अनाज लाने और ले जाने पर कोई रोक न लगाये। ऐसा भी कर के देखा गया है। अब कभी अधिक हो तो दुर्भाग्यवश क्षेत्रों में कोई ऐसा कार्यकारी अधिकारी नहीं है। जो तीन अथवा चार राज्यों के क्षेत्र में ठीक तरह से कार्य कर सके। जब तक सभी क्षेत्रों में अनाज के लाने और ले जाने पर नियन्त्रण न हो अथवा कीमतों पर नियन्त्रण न हो तब तक वहां गड़बड़ चलती ही रहेगी। हमने दक्षिण के क्षेत्रों में इसी तरह की गड़बड़ होती देखी है। जिन राज्यों में फालतू अनाज था, वहां से अनाज केरल में भेजा जा रहा था। उसका परिणाम यह हुआ कि फालतू अनाज वाले क्षेत्र में कई तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी। यह अधिक राज्यों वाला एक ही क्षेत्र था। यहां अन्य राज्यों की तरह कोई कार्यकारी अधिकारी नहीं था। इस तरह हुआ यह कि मद्रास राज्य का यह अधिकार केरल में और आंध्र प्रदेश राज्य का केरल में काम नहीं कर सकता है।

इन परिस्थितियों में हमने दक्षिण क्षेत्र को समाप्त किया। एक विकल्प यह भी है कि हम हरेक राज्य को ही क्षत्र समझ कर उसके उत्पादन का पता लगाने का प्रयास करे। एक बात बिलकुल साफ है कि हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन क्षेत्रों के कारण देश की अखण्डता समाप्त हो गयी है। स्थिति यह है कि जो काम व्यापारियों ने करना था वह सरकार ने किया है। सरकार ही अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान लाती ले जाती रही। इस दिशा में कठिनाइयां उस समय आती है, जब कि फालतू अनाज वाले राज्य कमी वाले क्षेत्रों के लिए अनाज नहीं देते।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें विभिन्न प्रकार से इस विषय का अनुभव हुआ है। सभी दिशा में और पक्षों पर विचार करके ही हमने इस प्रणाली को अपनाया है। हमारा मत यह है कि इसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं था। मेरा निवेदन यह है कि यदि इन क्षेत्रों को समाप्त किया जायेगा तो फिर आगे क्या होगा। एक अनिश्चित सी स्थिति पैदा हो जायेगी। व्यापारी वर्ग इसका लाभ उठायेगा और बड़े ऊंचे मूल्यों पर अनाज की बिक्री करेगा। इसके अतिरिक्त जहां तक राज्य सीमा क्षेत्रों का सम्बन्ध है वह तब तक अनिवार्य है जब तक क्षेत्र कायम है। जिस तरह मद्य निषेध लागू किया गया था उसी तरह इस राज्य सीमा क्षेत्रों का प्रयोग इस दिशा में भी किया गया है।

महाराष्ट्र में अनिवार्य वसूली और लगान की बात भी सामने आई है। यह मामला विचाराधीन है। इस दिशा में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम एक दम से किसी प्रणाली को बदल नहीं सकते। क्षेत्रों की समाप्ती का प्रश्न इतना महत्व पूर्ण नहीं जितना कि यह हैं कि इसके बाद क्या होगा। एक विशेषज्ञ समिति इस सारे मामले पर विचार कर रही है। समिति की सिफारिशें शीघ्र ही उपलब्ध होने वाली हैं। उसके आने पर उन पर विचार किया जायेगा और क्या विकल्प सम्भव हो सकता है, उसे तलाश करने का प्रयास किया जायेगा। आशा है कि यह विकल्प अच्छा ही होगा।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 28 फरवरी 1966/9 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned Till Eleven of The Clock on Monday, the 28th February 1966/Phalguna 9, 1887 (Saka).

GIPN—S6—25 Lok Sabha/66—15-6-67—600